FOR REFERENCE ONLY

विकेन्द्रीकृत जिला सेक्टर योजना

सप्तम पंचवर्षीय योजना

1985-90

तृतीय वर्ष

1987-88

कार्यालय जिला संख्याधिकारी
अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान

5424
309.2
UTT

जनपद-रायबरेली

विकेन्द्रीकृत जिला सेक्टर योजना

सप्तम पंच वर्षीय योजना

का

तृतीय वर्ष

1987-88

जनपद - रायबरेली ।

कार्यालय जिला संख्याधिकारी,
रायबरेली ।

54248
309.26
UTT

NIEPA DC
D03856

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B,Sri Aurbindo Marg,New Delhi-110016
DOC. No. 3856
Date 14/12/82

प्रस्तावना

विकेन्द्रित जिला योजना वर्ष 1987-88 सप्तम पंचवर्षीय योजना का तृतीय वर्ष है। वर्ष 1982-83 से नियोजन प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण के पश्चात् योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन से अवस्थापनाओं का सृजन कर अन्तर-क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करके जनपद के विकास की गति को तीव्र किया जा सका है। वास्तव में सातवीं योजनाकाल में राष्ट्रीय विकास के उद्देश्योंको विकेन्द्रित योजना के माध्यम से प्राप्त करने में सफलता मिलेगी।

2- सातवी योजना काल में पूर्व निर्धारित मूल उद्देश्यो को दृष्टिगत रखते हुए आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर का सृजन, गरीबी दूर करना तथा उत्पादकता मे वृद्धि हेतु योजनाओ की संरचना की गई है। वर्ष 1987-88 हेतु शासन द्वारा जनपद रायबरेली को 7-91 करोड़ रुपएका वित्तीय परिव्यय राज्य अंश के रुप में स्वीकृत किया गया हैजो कि वर्ष 1986-87 के वित्तीय परिव्यय से 13-45 प्रतिशत अधिक है। कुल स्वीकृत वित्तीय परिव्यय में से 81-33 लाख रुपए (10-28 प्रतिशत) वेतन आदि पर, 2-58 करोड़ रुपए (32-63 प्रतिशत) पूंजीगत तथा शेष अन्य मदो पर व्यय प्रस्तावित है। सभी व्यय चालू योजनाओ पर किया जाना है। इसी वर्ष 2-86 करोड़ रुपए (36-14 प्रति) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर व्यय होने की सम्भावना है। विभिन्न विभागो द्वारा विशेष अंश योजनान्तर्गत 2-46 करोड़ रुपए (31-10 प्रतिशत) हरिजनो हेतु परिव्यय मात्राकृत की गई है।

3- जनपद को कुल आवंटित राज्य अंश कीधनराशि के अतिरिक्त लगभग 7-87 करोड़ रुपए का वित्त पोषण केन्द्र सरकार, संस्थागत वित्त, ग्राम पंचायते, व्यक्तिगत पूजी निवेश एवं अन्य श्रोतों द्वारा किया जाना सम्भावित है। इस अतिरिक्त धनराशि को शामिल करने पर वर्ष 1987-88 के लिए जिला सेक्टर, योजनान्तर्गत कुल 15-78 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारितकिया गया है। इस प्रकार जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष में 83-61 ~~करोड़~~ रुपए प्रति व्यक्ति व्यय का प्रस्ताव रखा गया है।

इस प्रकार राज्य अंश परिव्यय के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त धन का भी अनुमान लगाया गया है ।

4- गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लक्ष्य-संवर्ग को, एकीकृत ग्राम्य विकास योजना, विशेष अंश योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आदि द्वारा लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

5- वर्ष 1987-88 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 6 लाख मी०टन प्रस्तावित किया गया है । सिंचन क्षमता में वृद्धि करके फसल सघनता में वृद्धि का प्रस्ताव है । रसायनिक उर्वरक, उन्नतिशील बीज, सघन कृषि रक्षा कार्यक्रम, भूमि संरक्षण तथा कृषि में उन्नतिशील विधियों में वृद्धि कर, उत्पादन-लक्ष्य प्राप्त किया जायगा ।

6- अति वृष्टि एवं बाढ़ के प्रकोप से जनपद के संचार साधन खराब हुए हैं। अत: आवागमन के साधनों को ठीक करने एवं अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु सड़क व पुल के अंतर्गत अधिक वित्तीय प्राविधान किया गया है । न्यूनतम आवश्यकता कार्य-पेयजल, चिकित्सा तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी समुचित वित्तीय प्राविधान कर, जनता के सामाजिक, आर्थिक स्तर को उठाने का प्रयास किया गया है । युवकों तथा श्रमिकों के हेतु भी योजना में प्राविधान किया गया है ।

7- विकेन्द्रित योजना प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु यह आवश्यक प्रतीत होता है कि योजनाओं के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्य के लिए जिला स्तर पर अर्थ एवं संख्या प्रभाग की इकाई को और सुदृढ़ किया जाय तथा जिला प्रशासन को और अधिक वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार दिए जायं ।

8- सूझ बूझ व कठिन परिश्रम से जिला योजना की सफल व ससमय संरचना के लिए श्री जगदीश प्रसाद पाण्डेय, जिला अर्थ अधिकारी तथा श्री बृजकिशोर शुक्ल, सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारी प्रशंसा के पात्र हैं । इस कार्य में सहयोग देने वाले अन्य कर्मचारियों को भी साधुवाद दिया जाता है ।

(कालिका प्रसाद)
जिलाधिकारी,
रायबरेली ।

अनुक्रमणिका

विकेन्द्रित जिला योजना वर्ष 1987-88

अध्याय क्रमसं0	अध्याय का विवरण	पृष्ठ संख्या
1	2	3

भाग- एक

1-	भूमिका	1-5
2-	अवस्थापना	6-10
3-	प्रशासनिक एवं संस्थागत ढांचा	11-12
4-	आर्थिक कार्य कलाप	13-14
5-	सेवायोजन संबंधी समस्याएं	15-16
6-	पिछड़े समुदाय की समस्या	17-18
7-	जिला योजनाओं का समालोचनात्मक अध्ययन (विभागवार योजनाओं का विवरण)	19-87
8-	स्थानीय संसाधनों का वर्णन	88
9-	दीर्घकालीन विकास की रूपरेखा	89
10-	जिला योजना की पूर्वता	90
11-	राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	91-94
12-	पिछड़े समुदाय के कार्यक्रम	95
13-	जनपद के विकास कार्यक्रम, वेतन, पूंजीगत, न्यूनतम आवश्यकता, अवस्थापना निर्माण, प्रगति, राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम, चयनित स्थल, प्रमुख सेक्टरवार विभाजन तथा पी0एल0ए0 की धनराशि	96-10[illegible]
13. 1-	जनपद के प्रस्तावित नए विकास कार्यक्रम	96-102
13. 2-	कुल परिव्यय का पूंजी गत, वेतन तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम वार विभाजन	103-104

13. 3- स्थापना/निर्माण कार्यों के परिव्यय का मदवार विभागजन 105-106

13. 4- अब तक की वित्तीय प्रगति का विवरण 107-108

13. 5 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 109

13.6- वर्ष 1987-88 हेतु चयनित स्थलों की अस्थाई सूची 110-116

13. 7- जनपद के कुल परिव्यय का सेक्टरवार विभागजन 117

13. 8- विभिन्न विभागों के अंतर्गत पी०एल०ए० की धनराशि 118

14- योजनाओं का वित्त पोषण तथा
जिला सेक्टर एवं इसके अतिरिक्त अन्य
श्रोतों से प्राप्त धनराशि का श्रोत
वार एवं विभाग वार विवरण

14-1- योजनाओं के वित्त पोषण की व्यवस्था 119

14-2- श्रोत वार वित्त पोषण 120

14-3- श्रोतवार एवं विभाग वार वित्त पोषण 121-122

15- विशेष समन्वित योजना एवं हरिजनों
हेतु मात्राकृत धनराशि

15-1- विशेष समन्वित योजना 123-125

15-2- हरिजनो हेतु विभिन्न विभागों के अंतर्गत मात्राकृत धनराशि 126

भाग - दो

16- जिला सेक्टर योजना का विभाग वार वित्तीय परिव्यय ‖ जी०एन०-1 ‖ 127-130

17- जिला सेक्टर योजना का योजनावार वित्तीय परिव्यय ‖ जी०एन०-2 ‖ 131-158

18- प्रमुख भौतिक लक्ष्य/ उपलब्धियाँ ‖जी०एन०-3 ‖ 159-180

19- गत वर्षों के अधूरे निर्माण कार्यों तथा वर्ष 1986-87 हेतु प्रस्तावित निर्माण कार्यों का वित्तीय परिव्यय ‖ जी०एन०-4 ‖ 181-189

भाग - तीन

20- विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली में संबंधित आधार भूत आंकड़े 190-295

21- विकेन्द्रित जिला योजना से संबंधित मानचित्र 296-300

बृज किशोर शोरु
सहायक अर्थ एवं संख्या अधिकारी,
रायबरेली ।

विकेन्द्रीकृत जिला सेक्टर योजना

सप्तम पंचवर्षीय योजना

तृतीय वर्ष - 1987-88

भाग - एक

जिला योजना के विवेचनात्मक अध्याय

जनपद- रायबरेली

कार्यालय जिला संख्याधिकारी,

रायबरेली।

अध्याय-1

भूमिका

1-1- स्थिति:-

रायबरेली जनपद उत्तर प्रदेश के मध्य में जनपद लखनऊ के दक्षिण पूर्व में स्थित है । इसकी स्थिति 25-49 उत्तरी अक्षांश तथा 80-41 और 81-34 पूर्वी देशान्तर के मध्य है । यह उत्तर में लखनऊ बाराबंकी से पूर्व में सुल्तानपुर व प्रतापगढ़ से दक्षिण में फतेहपुर तथा पश्चिम में उन्नाव जनपद से घिरा हुआ है । इसकी दक्षिणी सीमा पर गंगा नदी बहती है, जो इसे फतेहपुर जनपद से मिलाती है ।

1. 2-उप सम्भाग:-

जनपद की जलवायु, भूमि का प्रकार, भौगोलिक परिस्थिति एवं विकास के स्तर के आधार पर उसे तीन उप सम्भागों में विभाजित किया गया है । विकास खण्डों की उप सम्भागवार संख्या निम्न प्रकार है:-

1. 2-1- प्रथम उप सम्भाग:-

बछरांवा, हरचन्द्पुर, महराजगंज, सतांव, राही, शिवगढ़ तथा अमावां ।

1. 2-1- द्वितीय उप सम्भाग:-

खीरों, सरेनी, डलमऊ, जगतपुर, लालगंज ।

1. 2-1-तृतीय उप सम्भाग:-

सलोन, बहादुरपुर, सिंहपुर, तिलोई, ऊँचाहार, डीह तथा छतोह ।

1-3-उप सम्भागवार कुल क्षेत्र, वन क्षेत्र तथा बोया गया शुद्ध क्षेत्रफल:-

विभिन्न उप सम्भागों में कुल भौगोलिक क्षेत्र, वन क्षेत्र तथा बोया गया कुल क्षेत्रफल वर्ष 1983-84 के आधार पर निम्न प्रकार है:-

उप सम्भाग	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल §हे0 में0§	वन क्षेत्र §हे0में0§	कुल बोया गया क्षेत्रफल §हे0 में0§
1	2	3	4
1-	157932	1831	148326
2-	127832	921	99672
3-	125136	2051	134357
जनपद योग	460900	4803	382355

1-4 उप सम्भागों की स्थिति:-

उप सम्भागवार स्थिति निम्न प्रकार है:-

1.4-1-प्रथम उप सम्भाग:-

प्रथम उप सम्भाग जनपद के उत्तर पश्चिम से लेकर जनपद के मध्य तक स्थित है । इस उप सम्भाग में एक हल्का ढलाव उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक है । उत्तर में कुछ नीची-ऊँची भूमि है, जिसके कारण कहीं-कहीं पानी का जमाव हो जाता है ।

1.4-2 द्वितीय उप सम्भाग:-

द्वितीय उप सम्भाग का बहुत बड़ा भाग जनपद के दक्षिण में है । कुछ भाग पश्चिम में भी पड़ता है । दक्षिण में इस सम्भाग को गंगा नदी फतेहपुर जनपद से अलग करती है । यह उप सम्भाग गंगा तथा सई नदियों के मध्य स्थित है । नदियों के किनारे भूमि ऊँची-नीची है अन्यथा सामान्य रूप से भूमि समतल है । गंगा के किनारे जहाँ नदियां या नाले मिलते हैं, कछार क्षेत्र है । जिसकी भूमि समतल न होने के कारण पानी का ठहराव हो जाता है ।

1.4-3- तृतीय सम्भाग:-

तृतीय उप सम्भाग का बड़ा भाग जनपद के पूर्व में स्थित है व कुछ हिस्सा जनपद के दक्षिण पूर्व में स्थित है । इस सम्भाग में सई नदी लगभग मध्य से बहती है , जिसमें बहादुरपुर व सलोन विकास खण्डों में कुछ नाले भी आकर मिलते है। सई नदी व उसमें मिलने वाले नालों के किनारे की भूमि ऊँची-नीची और कई स्थानों पर बीहड़ क्षेत्र है । दक्षिण ऊँचाहार विकास खण्ड के पास गंगा के किनारे बीहड़ कछार क्षेत्र है । जहाँ पानी का ठहराव हो जाता है ।

1-5- भूमि संरचना:-

सम्पूर्ण जनपद में भूमि की किस्म हल्की भूड़ से लेकर भारी मटियार किस्म की है । उप सम्भाग प्रथम के अधिकांश उत्तरी भाग में भूमि मटियार है । यह भूमि नमी को आवश्यकता से अधिक संचय करती है । कुछ क्षेत्रों में जाड़ों में काफी नमी रहती है । जिसके कारण खेतों की बुआई में देरी होती है या बुआई सम्भव नहीं हो पाती है ।

प्रथम उप सम्भाग के दक्षिण व पूर्व में दोमट व नदियों के किनारे हल्की भूमि है । दोमट भूमि की संरचना उत्तम है परन्तु हल्की भूमि में पानी के संचय की क्षमता अधिक नहीं है । इस उप सम्भाग में जगह-जगह पानी के निकास की व्यवस्था नहीं है ।

उप सम्भाग-2 में भूमि की किस्म अधिकतर दोमट है और भूमि की संरचना ऐसी है कि नमी के संचयकी क्षमता उत्तम है । इस सम्भाग के दक्षिण में गंगा नदी के किनारे काफी बड़े क्षेत्र में कछार व भूमि हल्की किस्म की है । इस भूमि में नमी के संचय की क्षमता बहुत कम है ।

तृतीय उप सम्भाग में अधिकतर भूमि की किस्म दोमट व हल्की दोमट है । इस भूमि में नमी संचय की क्षमता अधिक है । यह भूमि कृषि कार्यों के लिए उत्तम मानी जाती है । इस उप सम्भाग में सई नदी और उसमें मिलने वाले नालों के किनारे हल्की भूड़ किस्म की है ।

1-6- जलवायु व वर्षा:-

जनपद में जलवायु सामान्तः मध्य किस्म की है । जनपद की जलवायु पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जलवायु का मिश्रण है । स्वास्थ की दृष्टि से इस जनपद की जलवायु अच्छी है । यहाँ का तापमान अधिकतम 45 डिग्री सेन्टीग्रेड तथा न्यूनतम 3-5 डिग्री सेन्टीग्रेट के मध्य रहता है । जनपद में गत वर्षों में सामान्यतया औसत वर्षा निम्न प्रकार रही है ।

वर्ष	वर्षा (से०मी०)	
	सामान्य	वास्तविक
1	2	3
1977	925	393
1978	925	831
1979	925	322
1980	935	1561
1981	925	1803
1982	925	872
1983	925	1227
1984	925	928
1985	925	930

1-7-भूमिगत एवं सतत प्रवाहित जल:-

इस जनपद में पर्याप्त मात्रा में भूमिगत जल उपलब्ध है तथा सिंचाई कार्य की असीमित सम्भावनाएं हैं । गंगा, सई व लोन जनपद की प्रमुख नदियाँ हैं । इसके अतिरिक्त छोटी-छोटी कई नदियाँ नाले तथा झील भी है । गंगा नदी की लम्बाई जनपद में 86-5 कि०मी०सई 96 कि०मी० एवं

लान 25-5 कि0मी0 है। इन नदियों पर शारदा सिंचाई परियोजनायें कार्यरत हैं।

1-8 पेड़पौधे:-

इस जनपद में सामान्यत: महुआ, नीम, आम जामुन एवं ववूल के पेड़ पौधे पाये जाते हैं। शीशम भी कहीं-कहीं पाया जाता है।

1-9 नगर:-

इस जनपद में वर्ष 1985-86 के अन्त तक 2 नगर पालिका तथा 7 नगर क्षेत्र समिति हैं, जो निम्न प्रकार है:-

1-	रायवरेली	नगर पालिका
2-	जायस	,,
3-	महराजगंज	नगर क्षेत्र समीति
4-	डलमऊ	,,
5-	वछरांवा	,,
6-	लालगंज	,,
7-	सलोन	,,
8-	ऊँचाहार	,,
9-	परशदेपुर	,,

जनपद में वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 1725 आवाद ग्राम हैं तथा 37 गैर आवाद ग्राम हैं, इस प्रकार कुल 1762 ग्राम है।

1-10-जनसंख्या एवं व्यवसाय:-

जनगणना 1981 के आधार पर इस जनपद की कुल जनसंख्या 1886940 है वर्ष 1971-81 में कुल वृद्धि 376120 है। जो कि दशक में 19-93 प्रतिशत वृद्धि है। जनसंख्या का घनत्व 409 प्रतिवर्ग कि0मी0 है जव कि प्रदेश की जनसंख्या 377 प्रति वर्ग कि0मी0 है। प्रतिहजार पुरुषों पर स्त्रियों की की संख्या 941 है। जनपद में कुल साक्षरता का प्रतिशत 23-08 है। जिसमें 35-24 प्रतिशत पुरुष तथा स्त्रियों का प्रतिशत 10-90 है। रायवरेली जनपद की जन-संख्या का प्रतिशत उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 17-02 है। जनसंख्या के आधार पर इस जनपद का प्रदेश में 32 वां स्थान है।

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार कुल मुख्य कर्मकारों का प्रतिशत 31-35 है ग्रामीण कर्मकर का प्रतिशत 31-68 तथा नगरीय कर्मकरों का प्रतिशत 27-14 है। कृषि कर्मकरों का प्रतिशत 21-03 तथा कृषि श्रमिकों का कुल जनसंख्या से प्रतिशत 5-60 रहा है।

वर्ष 1971 कीजगणना के अनुसार कुल जनसंख्या के 31–12 प्रतिशत व्यक्ति श्रम कार्यों में भाग ले रहे हैं तथा 67–88 प्रतिशत श्रम कार्य के बाहर थे । श्रम शक्ति में भाग लेने वाले व्यक्तियों में 55–48 प्रतिशत कृषक 22–40 प्रतिशत कृषक मंजदूर 0–42 प्रतिशत पशुपालन, वन तथा मत्स्य 2–40 प्रतिशत घरेलू उद्योग में 0–30 प्रतिशत निर्माण कार्यों में 0–00 प्रतिशत अन्य निमार्ण कार्यों में 2–60 प्रतिशत वाणिज्य एवं व्यापार में 0–55 प्रतिशत यातायात, भण्डारण एवं संचार में तथा 4–65 अन्य सेवाओं में कार्यरत थे ।

1–11–अन्य

जनपद में कृषि की प्रधानता है तथा ग्रामीण उद्योगों में पिछड़ा हुआ है जिसके कारण यहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है । सिंचाई के साधन गत वर्षों में बढ़े हैं । जिससे सिंचन क्षमता बढ़ी है । और कृषि की वर्षा पर निर्भरता कम हुई है फिर भी सिंचाई के साधन और बढ़ाये जाने की आवश्यकता है । छोटे-छोटे उद्योगों के अभाव के कारण बेरोजगारी की समस्या है । उद्योगों के खोलने का प्रयास आरम्भ हो गया है । सीमेन्ट पाइप कारखाना तथा विद्युत थर्मल पावर ऊँचाहार की स्थापना हो रही है । यहाँ पर इन्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, काटन मिल, स्पिनिंग मिल, मोदी कारपेट, पेपर मिल, उर्वरक मिल सीमेन्ट पाइप चीनी मिल आदि कार्यरत हैं, जो कि एक ओर जनपद के बेरोजगारी की समस्या हल करने में काफी सहायक है तथा दूसरी ओर आर्थिक स्थिति में सुधारक भी है ।

–:–

अध्याय-2

§अवस्थापना§

2-1- संचार प्रणाली:-

जनपद में वर्ष 1983 के अन्त तक 1357 कि0मी0 लम्बी सड़कें थी ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण पर विशेष बल दिया जा रहा है । ताकि अधिकांश ग्राम इन सड़कों . . . से जुड़ सकें और उन्हें शिक्षा ,चिकित्सा, पशु-पालन तथा अन्य सुविधाएं हेतु अधिक दूरी तक न जाना पड़े । 1009 कि0मी0 पक्की सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग के रखरखाव में एवं 161 कि0मी0 जिला परिषद तथा अन्य स्थानीय निकायों के अन्तर्गत थी, तथा 187 कि0मी0 अन्य विभागों के अन्तर्गत थी । वर्ष 1971 तथा 1981 की जनसंख्या के आधार पर जनपद में 1000 वर्ग कि0मी0 पर पक्की सड़कों की लम्बाई क्रमशः 263.31 तथा 294.42 कि0मी0 थी । एक लाख जनसंख्या 84-79 तथा 71.92 कि0मी0 थी । मार्च 1985 के अन्त तक पक्की सड़कों से दूरी के अनुसार 431 ग्राम सड़क पर मिलते थे । जबकि 284 ग्राम 1 कि0मी0 से कम 477 ग्राम 1 से 3 कि0मी0के अन्दर 317 ग्राम 5 कि0मी0 के अन्दर तथा 216 ग्राम 5 कि0मी0 या इससे अधिक दूरी पर स्थित थे । रायबरेली जनपद के उत्तर पूर्व तृतीय उप सम्भाग में काफी गाँव सड़कों से वंचित थे । इस उप सम्भाग में कुछ सड़कों का नि निर्माण प्रारम्भ किया जा रहा है । जिसके अन्तर्गत समरौता, फतेहपुर, कठघर §20 कि0मी0§ फुरसतगंज, मऊडीह §16 कि0मी0§मऊ, बहादुरपुर 8 कि0मी0 तथा जायस जगदीशपुर आदि सम्मलित हैं ।

2-2- क्रय विक्रय सम्बन्धी सुविधाएँ:-

वर्ष 1985-86 के अन्तर्गत सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद में 4 क्रय विक्रय समितियाँ कार्यरत हैं जो कृषकों की उपज का उचित मूल्य दिलाने में सहयोग करती हैं । इस समय क्रय विक्रय सहकारी समितियों की दूरी के अनुसार 12 ग्राम 1 कि0मी0 से कम दूरी पर 68 ग्राम 1-3 कि0मी0 दूरी पर 118 ग्राम 3-5 कि0मी0 दूरी पर तथा 1527 ग्राम 5 कि0मी0 या उससे अधिक दूरी पर स्थित है । वर्तमान में एक-एक क्रय विक्रय समिति रायबरेली, लालगंज, बछरांवा तथा बहादुरपुर में कार्यरत है ।

माइक्रोलेविल प्लानिंग के अन्तर्गत 180 ग्रोथ सेन्टर का चुनाव किया गया था जहाँ पर सभी सुविधाओं को स्थापित करने का लक्ष्य है । वर्तमान में ... न्याय पंचायत स्तर पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था है । सहकारी समितियों के माध्यम से की गयी है ग्रोथ सेन्टर स्तर पर योजना

भी इस उद्देश्य से वनायी जाती है ।

2-3-भण्डारण एवं विधायन सुविधाएं

वर्ष 1985-86 के अन्त तक जनपद में 190 कृषि ऋण सहकारी समीतियां थी उनमें से अधिकांश के पास भण्डारण हेतु अपने नि.जी भवन उपलब्ध हैं । इसके अन्तर्गत 242 हजार ... है । इसके अतिरिक्त क्रय-विक्रय मण्डी समीतियों में भी भण्डारण हेतु सुविधाएं उपलब्ध हैं । थोक मण्डी से दूरी के अनुसार । में 45 ग्राम । कि0मी0 से कम दूरी पर 96 ग्राम 1-3 197 ... 3-5 कि0मी0 की दूरी पर तथा 1386 ग्राम 5 कि0मी0 या उससे अधिक दूरी पर स्थित है ।

इस जनपद में राज्य भण्डारागार के निगम के 10 भण्डारगृह/उप भण्डारगृह कार्यरत हैं जिनकी संग्रह क्षमता 17 हजार मै0टन है । जनपद के तहसील मुख्यालय पर महराजगंज में 4 हजार मी0टन क्षमता का भण्डारगार भी पूर्ण हो चुका है ।

लालगंज सहकारी समीति में लिमिटेड में । दाल व तेल इकाई कार्यरत है । किसानों को विधायन सम्वन्धी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । जो सहकारी संघ लिमिटेड रायवरेली एवं जायस सहकारी क्रय विक्रय समीति द्वारा क्रमशः सलोन व महराजगंज में कृषकों की आलू की उपज को सुरक्षित रखने हेतु शीतगृह चलाये जा रहे हैं ।

आलू के भण्डारण हेतु जनपद में 10 शीतगृहों में 25 हजार मै0टन भण्डार कुल क्षमता है । विभिन्न अंचलों में कुछ नये शीतगृहों के निर्माण भी विचाराधीन है ।

2-4- सिंचाई सुविधा:-

कृषि विकास हेतु सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं । यह नितान्त आवश्यक है । कृषि सिंचाई के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 के अन्त का स्तर 530999 है0 सिंचन क्षमता का था । वर्ष 1968 से पहले जनपद में उपलब्ध राजकीय साधनों द्वारा केवल 19 प्रतिशत क्षेत्र में ही सिंचाई हो पाती थी । इस आभाव को दूर के लिये शारदा सहायक परियोजना 1968 में वनायी गयी, जिसके अन्तर्गत 25 कि0मी0 पोषक नहर का निर्माण तथा पूरे क्षेत्र में छोटी व वड़ी नहरों का निर्माण किया गया है । पुरानी नहरों का पुनरोद्धार भी किया गया । सघन कृषि के समुचित ... समुचित रूप से सिंचन उपलब्ध कराने के लिये प्रत्येक 21 है0 कृषि योग्य क्षेत्र पर । कि0मी0 लम्वी नहर तथा 40 है0 पर एक कुलावे का प्राविधान है । कुलावें के कमाण्ड में प्रत्येक वर्ष तक पानी पहुंचने के लिये गूलों का निर्माण प्रति विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शारदा सहायक समादेश विकास में शुद्ध स्तर पर हो रहा है ।

... वर्ष 1985-86 के अन्त में शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत कुल नहरों की लम्बाई 2570 कि0मी0 थी

जनपद में राजकीय नलकूपों के निर्माण का कार्य वर्ष 1971-72 से प्रारम्भ । वर्ष 1985-86 के अन्तर्गत कुल 319 नलकूपों का कार्य सम्भावित हुआ इसके अतिरिक्त ... नलकूपों की संरचना 29213 है ।

2-5- विद्युत सुविधाएं:-

जनपद में विद्युत 1956 से जनसाधारण को उपलब्ध हुई । प्रारम्भ के वर्षों में विद्युत का विकास कुछ मन्द रहा । ग्रामों के विद्युतीकरण के कार्य में वर्ष 1985 से तीव्रता आई जब एक उच्च विभव 132000 वोल्ट के उप-गृह की स्थापना की गयी । इसके लिये सुल्तानपुर से रायबरेली तक 132000 वोल्ट की लगभग 100 मि0मी0 लम्बी लाइन बनायी गयी । मार्च 1981 के अन्त तक इस जनपद के 1725 ग्रामों को रा0ग्रा0वि0 परिभाषा के अनुसार विद्युतीकरण किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त मुख्य औद्योगिक इकाईयों एवं अन्य मुख्य योजनाओं में से जैसे कि भारतीय टेलीफोन उद्योग, ऐन्द्रल, स्टेट स्पिनिंग मिल्स टैक्सटाइल मिल इंजीनीयरिंग काम्पलेक्स इत्यादि के उत्पादन के लिये विद्युतलाइनों एवं विद्युत उपगृहों का एक जाल बिछाकर विद्युत प्रदान की गयी ।

समाज के पिछड़े वर्ग एवं हरिजन व्यक्तियों को आसानी तथा कम खर्च पर उपलब्ध कराने के लिये जनता सर्विस कनेक्शन योजना इस जनपद में लागू की गई इसके अन्तर्गत लगभग 2000 हजार कनेक्शन दिये जा चुके हैं । जनपद में 11 कि0मी0 लाइन लम्बाई 3805-61 कि0मी0 तथा 33 के0वी0 लाइनों की लम्बाई 509-3 कि0मी0 के सभी सात नगरीय क्षेत्रों में तथा 2 नगरपालिका क्षेत्रों में विद्युत प्रकाश हेतु उपलब्ध है । वर्ष 1984-85 के अन्त तक जनपद में प्रति व्यक्ति शक्ति का उपयोग 43-17 किलोवाट है । एल0टी0 मेन्स द्वारा 667 ग्राम विद्युतीकृत है । 1585 ... बस्तियों का विद्युतीकरण जनपद में किया जा चुका है । सिंचाई हेतु 319 राजकीय नलकूपों का 8916 ... नलकूपों को विद्युत भार दिये जा चुके है । जनपद में ऊँचाहार विकास खण्ड में 420 कि0वाट क्षमता के ताप विद्युत गृह का निर्माण कार्य प्रारम्भ है । जिसके निर्माण से इस जनपद में विद्युत कठिनाई काफी हद तक दूर हो जायेगी ।

2-6 बैंक एवं ऋण सम्बन्धी सुविधाएं:-

जनपद में वर्ष 1985-86 के अन्त में कुल 145 बैंक शाखाएं कार्यरत थी , जिसमें 40 राष्ट्रीयकृत हैं , 71 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 27 सहकारी बैंक तथा 7 भूमि विकास बैंकउ शाखाएं कार्यरत है ।

जनपद में सभी विकास खण्डों में शाखाएं कार्यरत हैं । उप सम्भागवार बैंक की स्थिति निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	उप सम्भागों का विवरण	कुल बैंक	राष्ट्रीयकृत बैंक	क्षे० ग्रा० बैंक	सहकारी बैंक	भूमि विकास बैंक
1	2	3	4	5	6	7
1-	प्रथम उप सम्भाग में	62	18	30	11	3
2-	द्वितीय उपसम्भाग में	37	7	21	7	2
3-	तृतीय उप सम्भाग में	46	15	20	9	2
	योग-	145	40	71	27	7

वर्ष 84-85 से 86-87 में अब तक विभिन्न बैंकों द्वारा निम्न स्थानों पर हैं । शाखाएं खोली जा चुकी हैं ।

क्रमांक	स्थान का नाम	विकास खण्ड	बैंक का नाम	खुलने की तिथि
1	2	3	4	5
1-	बहादुरपुर	बहादुरपुर	बैंक आफ बड़ौदा	3-4-1984
2-	लालगंज	लालगंज	,,	21-3-85
3-	सेमरौता	तिलोई	,,	21-3-85
4-	दरियापुर	राही	,,	22-3-85
5-	मोहनगंज	तिलोई	,,	23-3-85
6-	रस्तामऊ	सिंहपुर	,,	23-3-85
7-	सलोन	सलोन	,,	29-3-85
8-	ऊँचाहार थ० प०	ऊँचाहार	,,	9-5-85
9-	बछरांवां	बछरांवां	,,	30-9-85
10-	डीह	डीह	,,	30-9-85
11-	दुर्गागंज	जगतपुर	क्षेत्रीय ग्रा०बैंक	3-9-84
12-	रहवां	हरचन्दपुर	,,	27-10-84
13-	मधुकरपुर	डलमऊ	,,	13-12-84
14-	कोन्सा	सतांव	,,	13-12-84
15-	खजूरगाँव	लालगंज	,,	14-12-84
16-	छतोह	छतोह	,,	15-12-84

क्रमांक	स्थान का नाम	विकास खण्ड	बैंक का नाम	खुलने की तिथि
1	2	3	4	5
17-	शाजीपुर सड़वा	राही	क्षेत्रीय ग्रामीण बैं0	10-1-85
18-	गांधीनगर	छतोह	,, ,,	19-1-85
19-	जलालपुरधई	जगतपुर	,, ,,	22-1-85
20-	अजीतपुर	खीरों	,, ,,	2-2-85
21-	दुधवन	सरेनी	,, ,,	4-2-85
22-	मतीनगंज	जगतपुर	,, ,,	28-3-85
23-	अहोरवा भवानी	सिंहपुर	,, ,,	29-3-85
24-	सलेथू	महराजगंज	,, ,,	29-3-85
25-	विराज	तिलोई	,, ,,	29-3-85
26-	शिवगढ़	शिवगढ़	,, ,,	9-8-85
27-	लक्ष्मणपुर	जगतपुर	,, ,,	30-12-85
28-	कठौरा	सिंहपुर	पंजाब नेशनल बैंक,	4-9-84
29-	रायबरेली §महिला शाखा§	राही	जिला सहकारी बैं0	23-5-84
30-	बछरांवां	बछरांवां	भूमि विकास बैंक	6-12-84
31-	रुस्तमपुर	राही	क्षेत्रीय ग्रा0 बैंक	23-11-84

व्यवसायिक बैंकों, एकीकृत ग्राम विकास योजना स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान योजना, बायोगैस संयन्त्र लगाने एवं प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के ऋण वितरण का कार्यकर रहे हैं । शासन की नीतियों के अनुरूप बैंकों के माध्यम से अधिक से अधिक ऋण वितरण कराने का प्रयास किया जा रहा है । इस हेतु समय समय पर क्रेडिट कैम्प भी लगाये जा रहे हैं ।

सहकारिता जिला सहकारी बैंक अपनी शाखाओं के माध्यम से कृषक सदस्यों को कृषि ... से आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अंल्प कालीन ऋण तथा मध्यकालीन ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है ।

एकीकृत ग्राम विकास योजना व स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को दुधारू पशु, सुअर, पालन, मुर्गीपालन आदि कार्यों हेतु मध्य कालीन ऋण की भी सुविधा प्रदान करायी जा रही है । दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था राज्य सहकारी भूमि विकास बैंकों के जनपद में कार्यरत शाखाओं के माध्यम से करायी जा रही है ।

अध्याय-3

प्रशासनिक तथा संस्थागत ढाँचा

3-1 प्रशासनिक ढाँचा:-

अन्य जनपदों की भाँति ही प्रशासन का प्रमुख अधिकार जिलाधिकारी को होता है । जो कि मुख्यरूप से राजस्व, विकास तथा सामान्य प्रशासन के प्रति उत्तरदायित्व होता है । विकास विभाग के कार्यों को देख-रेख करने के लिये अपर जिलाधिकारी§विकास§/ जिला विकास अधिकारी की नियुक्ति की गयी है । जनपद में विकास कार्यों को भली-भाँति चलाने हेतु विकास खण्ड स्तपर पर खण्ड विकास अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी होते हैं । तहसील स्तर पर राजस्व विभाग द्वारा तहसीलदार एवं अन्य कर्मचारीगणों की नियुक्ति की गयी है जनपद में एकीकृत ग्राम्य विकास परियोजना के कार्यक्रम की देख-रेख के लिये अपर जिलाधिकारी§परियोजना§का पद सृजित किया गया है जो कि खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से एकीकृत ग्राम्य विकास परियोजना के कार्यक्रम का क्रियान्वयन करते हैं । इसके अतिरिक्त कृषि एवं अल्प सिंचाई, पशुपालन. पंचायत, सहकारिता ,उद्योग हरिजन एवं समाज कल्याण शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल निगम, वन, मत्स्य तथा अर्थ एवं संख्या आदि विभाग भी है । विकेन्द्रित योजना के कार्यान्वयन हेतु जनपद स्तर पर एक अर्थ अधिकारी तथा एक सहायक अर्थ अधिकारी एवं संख्या अधिकारी की भी नियुक्ति की गयी है ।

शासन द्वारा नियोजन प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला योजना समन्वय एक कार्यान्वयन समीति का गठन किया गया है जो कि जनपद की योजना की संरचना और उसके कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी है । यह ..... जिला सेक्टर की योजना की रूपरेखा तैयार करती है । तथा विभिन्न विभागों के मध्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पूर्ण समन्वयस्थापित करने का कार्य देखती है । जिला परिषद तथा नगर पालिका एवं अन्य स्थानीय निकायों का प्रशासनिक भार भी जिलाधिकारियों में निहित है । जिला योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा प्रत्येक माह में उक्त .... के माध्यम से की जा रही है ।

3-2 जिला परिषद की आय:-

मुख्य रूप से जिला परिषद की आय पशुमेलों की समस्त कर आदि से होती है । नगरपालिकाओं की आय सम्पत्ति कर, गृह-कर, जलकर, पशुओं व सवारियों पर कर लगाकर की जाती है ।

संस्थागत ढाँचा:-

3-3- व्यवसायिक बैंक:-

जनपद में वर्ष 1985-86 के अन्त में 145 कुल बैंक शाखाओं में से 121 व्यवसायिक बैंक,(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) की शाखाएं कार्यरत जिसमें से 71 हैं। जनपद की लीड बैंक, बैंक आफ बड़ौदा है। जिसकी सबसे अधिक 20 शाखाएं हैं। प्रत्येक विकास खण्ड में बैंक शाखाएं कार्यरत है। द्वितीय उप सम्भाग में बैंक सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता है। वर्ष 1986-87 में 34 स्थानों के नाम बैंक शाखाओं को खोलने हेतु संस्थागत वित्त निदेशालय को बैंक शाखा प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत भेजे जा चुके है। परन्तु अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है।

3-4- भूमि विकास बैंक:-

जनपद में 7 भूमि विकास बैंक की शाखाएं कार्यरत हैं जिनमें 5 तहसील मुख्यालयों पर स्थित है तथा 2 अन्य स्थानों खागुपुर तथा बछरावां में कार्यरत है। केवल तिलोई तहसील में इसकी शाखा नहीं है। इस जनपद में और अधिक भूमि विकास बैंक की शाखाएं खोलने की योजना है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर कृषि सेवा केन्द्र भी खोलने की योजना है।

3-5- सहकारी बैंक:-

जनपद में 1985-86 के अन्त में 27 सहकारी बैंक शाखाएं कार्यरत थी जो ऋण वितरण का कार्य करती है। जनपद मुख्यालय पर एक जिला-सहकारी बैंक कार्यरत है।

अध्याय-4

आर्थिक कार्य कलाप

आर्थिक कार्य कलाप के अन्तर्गत जनपद की अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान है । तथा औद्योगिक आधार अविकसित है । जनपद में 75. 09 प्रतिशत जोते 1. 0 हे0 से कम की है । इससे कृषि उत्पादन की प्रति हेक्टेयर उपज कम होने के कारण इस जनपद में कृषकों की आर्थक स्थित अच्छी नहीं है । जनपद की कुल जनसंख्या में से 23. 08 प्रतिशत साक्षर है । पुरूषों में साक्षरता का प्रतिशत 35-24 प्रतिशत है । जो स्त्रियों की साक्षरता के 10. 90 प्रतिशत से बहुत अधिक है । जनपद में 1981 की जनगणना के अनुसार 2 नगरपालिका तथा 5 नगरीय क्षेत्र थे परन्तु बाद में नगरीय क्षेत्रों के बढ़ जाने से वर्ष 1985-86 के अन्त तक 2 नगरपालिकाएं एवं 7 नगरीय क्षेत्र हो गये है । 1981 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक 538 ग्राम 500 से 999 जनसंख्या वर्ग में आते थे । तथा 19 ग्राम 5000 से अधिक जन-संख्या वाले थे । इसके अतिरिक्त 140 ग्राम 200 से कम 465 ग्राम 200-499, 386 ग्राम 1000-1999 तथा 183 ग्राम 2000-4999 जनसंख्या वर्ग 1971 से दशक 1981 में 24-89 प्रतिशत की जनसंख्या में वृद्धि हुयी है । 1981 की जनगणना के अनु-सार 60-42 प्रतिशत कृषक 1565 प्रतिशत कृषि श्रमिक तथा 1-8 प्रतिशत घरेलू उद्योगों में लगे थे । इस प्रकार यहाँ कृषि के ऊपर अधिक दवाव रहा है जवकि घरेलू उद्योगों की कमी के कारण जनता की आर्थिक दशा कमजोर रही । 1981 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किमी0 409 रहा है ।

जनपद में सिंचाई के साधन बढ़ाने हेतु शारदा सहायक परियोजना के लागू होने के बाद सिंचाई के साधन बढ़ गये हैं । बहुत बड़ी संख्या में सिंचाई परि-योजनाओं के निर्माण के अन्तर्गत लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ । औद्योगिक विकास की दृष्टि से रायबरेली एक पिछड़ा हुआ जनपद है परन्तु विगत कुछ वर्षों से शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं एवं योजनाओं के कारण तीव्रता से औद्योगिकता विकास की ओर बढ़ रहा है । इस जनपद में 6 वृहद्स्तरीय उद्योग * 4028 लाख0 पूँजी विनियोजन से स्थापित हो चुके हैं । जिनमें लगभग 7000 व्यक्तियों को रोजगार सुलभ है और उनमें काटन यान टेलीफोन लाइन व स्विच उपकरण, ऊलन टफ्टेड कार्पेट वीमी तथा स्कूटर टायर व ट्यूव का उत्पादन हो रहा है । वृहद्स्तरीय क्षेत्र में कागज उत्पादन हेतु भवानी पेपर मिल में उत्पादन किया जा रहा है । तथा एस्वेस्टिस सीमेन्ट , प्रेशर पाइप मध्यम स्तरीय क्षेत्र में अनेक उद्योग स्थापित है तथा दो कागज के मध्य कारखाने निर्माणाधीन है ।

अधिकांशतः वृहद् मध्यम एवं लघु स्तरीय इकाईयाँ औद्योगिक क्षेत्र सुल्तानपुर रोड, एवं अमुवां रोड पर स्थापित हैं । ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यतया लघुतर हस्त-शिल्प, हैण्डलूम एवं कुटीर औद्योगिक इकाईयां स्थापित है । इस प्रकार जनपद में 18 बड़े उद्योग तथा 1200 लघु उद्योग कार्यरत हैं । विपणन हेतु 12 बाजारों को नियन्त्रित किया गया है ।

लघु स्तरीय इकाईयों की उत्पादन क्षमता कम होने के कारण उनके उत्पादन को क्रय विक्रय समीतियों द्वारा किया है । तथा किसानों को फसल के समय अच्छे भाव न मिलने की दशा में उनका माल बन्धक रखकर उन्हें अग्रिम ऋण देने की इन समितियों द्वारा व्यवस्था की जाती है । व्यवसायिक बैंकों द्वारा जनपद का वर्ष 1986 की वार्षिक ऋण योजना तैयार की गई है । वर्ष 1985 में जनपद की ऋण योजना 1357-73 लाख रूपये थी । जिसके अन्तर्गत समस्त बैंकों द्वारा 1271.44 लाख रूपये वितरित किये गये हैं, जो मूल योजना का 93.64 है । बैंक वार स्थिति निम्नवत है :-

वार्षिक ऋण योजना वर्ष 1985-86 के अन्तर्गत लक्ष्य तथा 1985 की उपलब्धियों का विवरण §लाख रूपये में§

बैंक	वर्ष 1985 का लक्ष्य	वर्ष 1985 का उपलब्धि	लक्ष्य से प्रतिशत उपलब्धि	1986 का लक्ष्य
1	2	3	4	5
राष्ट्रीय कृत बैंक	626.70	640.10	102	808.08
ग्रामीण बैंक	201.05	195.36	70	246.51
जिला सहकारी बैंक	263.40	366.66	139	309.43
भूमि विकास बैंक	186.58	69.32	37	137.46
योग-	1357.73	1271.44	93.64	1501.48

उक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 1986 हेतु वार्षिक ऋण योजना 1501.48 लाख रूपये की बनाई गयी है । जिसमें से 808.08 लाख रूपया राष्ट्रीयकृत बैंक , 246.51 लाख रूपया ग्रामीण बैंक, 309.43 लाख रूपया जिला सहकारी बैंक तथा 137.46 लाख रूपया भूमि विकास बैंक द्वारा वितरित का लक्ष्य रखा गया है ।

अध्याय-5

सेवा योजन सम्बन्धी समस्याएं

5-1- जनपद स्तर पर सेवा योजन कार्यालय स्थापित है, जिसमें रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों का पंजीयन करके समुचित रोजगार के अवसर ढूँढने में सहायकता दी जाती है । दिनांक-31-3-86 तक इस कार्यालय में 65624 बेरोजगार व्यक्ति पंजीकृत हैं । शिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या 8046 है जो हाई स्कूल अथवा उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, परन्तु उनके पास तकनीकी प्रशिक्षण अथवा अन्य कोई अनुभव नहीं है । वर्ष 1983-84 में सचल सेवा योजन इकाई की स्थापना हुई थी । तथा कोचिंग कम गाइडेंस सेन्टर की योजना भी वर्ष 1983-84 से चल रही है । वर्ष 1986-87में 1072 व्यक्तियों को इस कार्यालय के माध्यम से रोजगार सुलभ कराया गया ।

5-2- ऐसा देखा गया है कि इस जनपद में औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा अनेक प्रकार की रिक्तियों हेतु जनपद में सुयोग्य अभ्यर्थियों के न मिल पाने के कारण अन्यत्र जनपदों से अभ्यर्थी मँगाने पड़ते हैं । जिससे इस जनपद के बेरोजगार व्यक्तियों को मिलने वाले अवसरों में कमी हो जाती है ।

5-3- इस जनपद में रोजगार के अच्छे अवसर न होने के कारण यहाँ के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार युवकों को बड़े-बड़े नगरों की ओर रोजगार हेतु जाने की प्रवृत्ति है । भूमिहीन श्रमिक, शिल्पकार तथा पढ़े लिखे बेकार नवजवानों को जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है । जिससे कि यह लोग नये उद्योगों को भली-भाँति आरम्भ कर सकें तथा जीविकोपार्जन कर सकें । एकीकृत ग्राम्य विकास योजना, स्पेशल कम्पोनेन्ट, तथा ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत कृषि पशुपालन, अल्प सिंचाई, लघु उद्योग तथा अन्य छोटे-छोटे कार्यक्रमों में सहायकता दी जाती है । और बैंकों द्वारा इन योजनाओं हेतु ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के माध्यम से भी ग्रामीण मजदूरों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है ।

5-4- शासन द्वारा निर्धारित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जो सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । उनसे बहुत लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगें । परन्तु दूसरी ओर बेरोजगार व्यक्तियों में इस प्रवृत्ति के जगाने की आवश्यकता है कि वे छोटें-छोटे उद्योगों को शासन की योजनाओं द्वारा आरम्भ करें । वर्तमान में जो सुविधा उपलब्ध है उन्हें और बढ़ाने की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

5-5 महिलाओं कि सेवा योजन सम्बन्धी समस्या को देखते हुए वर्ष 1984-85 में दो महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत है । जिसके अन्तर्गत स्टेनोग्राफी टेलरिंग व अन्य ट्रेडों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

5-6- इस समय लीड बैंक, उद्योग विभाग तथा सेवा योजन विभाग के माध्यम से बेरोजगार शिक्षित एवं तकनीकी पंजीकृत व्यक्तियों हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है । एवं स्वतःरोजगार योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है ।

-:-

अध्याय–6

पिछड़े समुदायों की समस्या:–

पिछड़े समुदायों में अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जन-जातियाँ तथा अन्य पिछड़ी जातियाँ आती हैं । 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की संख्या 557840 जो कुल जनसंख्या की 2956 प्रतिशत थी । अन्य पिछड़ी जातियों की जन संख्या अलग से उपलब्ध नहीं है । इस जनपद में विकास खण्ड बछरावां, महराजगंज, राही, ऊँचाहार, हरचन्दपुर तथा सिंहपुर इस जाति के बाहुल्य क्षेत्र है ।

6–2– सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति:–

सबसे पिछड़े हुए तथा पद दलित इन समुदायों का सामाजिक स्तर, जनपद में अच्छा नहीं कहा जा सकता है, परन्तु शासन द्वारा उनके कल्याण एवं उत्थान की नीति के फलस्वरूप सामाजिक जागृति के कारण समाज में इनकी स्थिति पहले से कुछ सुधरी है । तथा समाज ने इनको अपने एक आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार करना आरम्भ कर दिया है ।

6–3– जीविका के साधन:–

इस वर्ग के लोग अपना जीवन यापन परम्परागत रीति से करते आ रहे हैं । जैसे पासी सुअर पालन का कार्य, कोरियों द्वारा बुनाई का कार्य, मोची का बुनाई का कार्य, खटिक बागवानी का कार्य तथा डोम सफाई एवं डलिया बनाने का कार्य अभी भी कर रहे हैं । अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्ग के कृषि मजदूरी कर रहे है । कुछ परिवारों पर भूमि छोटे जोतों के है तो उन पर खेती एवं पशुपालन द्वारा अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं ।

6–4– इसी वर्ग के मुख्य समस्याएं मुख्य भागों में विभाजित की गयी है:–

1– शिक्षा

2– आर्थिक विकास

3– स्वास्थ्य आवास एवं अन्य सुविधाएं

1– शिक्षा:–

इस वर्ग में समुचित शिक्षा की कमी के कारण इस वर्ग का सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान नहीं हो सका है । अब भी इस वर्ग में अपने बालकों को शिक्षा दिलाने की प्रवृत्ति कम है परन्तु इसमें पहले से काफी जागरूकता आयी है । इन वर्गों के बच्चों हेतु अंशकालीन कक्षाएं भी चलायी जाती है ।

2— आर्थिक विकास:-

इस वर्ग की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के गिरे होने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति खराब रही । इस वर्ग के द्वारा अधिकांश मजदूरी पर निर्भर रहने के कारण इनका आर्थिक स्तर भी नहीं उठ सका है । इससे अधिकांश लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं । अब शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इस वर्ग के लिये लघु उद्योग एवं स्वतः रोजगार कार्य क्रम-उपलब्ध कराये जाने से इस वर्ग का आर्थिक विकास होना प्रारम्भ हो गया है ।

स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाएं:-

सदैव से ही इस वर्ग के लोग समाज से अपनी बस्तियां अलग बसाकर रहते है । इनकी बस्तियों में कच्चे मकान एवं झोपड़ी के बने होने के कारण इनका आवासीय सुविधा बहुत निम्न स्तर की रही है । अच्छे स्थानों पर इनके आवास न होने के कारण इनके स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ रहा है । इस वर्ग के लोगों को चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध न होने के कारण इस वर्ग में बीमारियां भी अधिक फैलती रही है । परन्तु अब निर्बल एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये आवासों का निर्माण किया जा रहा है । वर्ष 1986-87 में 85 मकानों हेतु 1.85 लाख रुपये का वित्तीय परिव्यय स्वीकृत है । जो कि विकास खण्डों के माध्यम से बनाये जाते हैं ।

—:—

अध्याय - 7

चालू योजना एवं नये कार्यक्रमों का विवरण

7.1 कृषि विभाग

7.1.1 प्रदेश के मैदानी भागों में बीज विधायन संयंत्र की स्थापना

इस जनपद में वर्ष 1983-84 के अन्तर्गत बीज विधायन संयंत्र की स्थापना की गई। वर्ष 84-85 में इनका भवन तथा संबंधित यन्त्र आदि की व्यवस्था की गयी। 1985-86 में इनके स्पेयर पार्टस तथा विद्युतीकरण का कार्य हुआ वर्ष 86-87 में दो बीज भण्डार बनाने हेतु प्राविधान किया गया है जिसके लिए शासन से धन आवंटित होना है।

वर्ष 1987-88 में इस संयंत्र पर कार्यरत कर्मचारियों का वेतन भत्ता तथा संयंत्र को चालू रखने के लिए तथा अन्य खर्चों के मद मे एक लाख रुपये की आवश्यकता पड़ेगी जिसका परिव्यय स्वीकृत हेतु प्रस्ताव किया जाता है।

7.1.2 प्रदेश मे उन्नतिशील बीजों के सम्वर्धन एवं संग्रहण की योजना

इस जनपद में पांच राजकीय बीज सम्वर्धन प्रक्षेत्र स्थित हैं इन प्रक्षेत्रों के उत्पादन बढ़ाने के दृष्टिकोण से जो योजनायें ली गयीं है उसका विवरण निम्नवत् है :

7.1.2.1- मजदूरी, मालसम्पूर्ति एवं अनुरक्षण तथा साज सज्जा:

प्रक्षेत्र के फसल उत्पादन संबंधी कार्यक्रम हेतु मजदूरों की मजदूरी उर्वरक कीटनाशक, बीज, कृषि यंत्र अनुरक्षण तथा साज सज्जा हेतु 8.31 लाख रुपया अनुमानित परिव्यय अपेक्षित हैं इसी प्रस्तावित परिव्यय में प्रक्षेत्र बीबीपुर तथा जमालपुर के लिए दो नये ट्रैक्टर 35,35 हार्स पावर के क्रय करने है इन प्रक्षेत्रों पर जोताई एवं बोवाई हेतु ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं है। तथा इस मद के अन्तर्गत 8.31 लाख रुपया निम्न प्रकार से परिव्यय के रूप में प्रस्तावित है।

1- मजदूरी	2,00,000-00 लाख रुपया
2- माल सम्पूर्ति	3,00,000-00 लाख रुपया
3- अनुरक्षण	1,00,000-00 लाख रुपया
4- साज सज्जा (ट्रैक्टर)	2,31,000-00 लाख रुपया
	8,31,000-00 लाख रुपया

7.1.2.2- प्रक्षेत्र पर बीज गोदाम :

प्रक्षेत्र पर उत्पादित बीज को रखने के लिए निरन्तर बनी रहती है। समुचित गोदाम न होने के कारण बीज को दूसरे स्थान से ले जाकर रखने में अनावश्यक व्यय वहन करना पड़ता है तथा गोदाम की समुचित व्यवस्था न होने के कारण वर्षा एवं दैवी आपदाओं से बीज के गुणत्व का हरास होता है अतः राजकीय कृषि प्रक्षेत्र हरचन्दपुर एवं पल्टीखेड़ा पर एक-एक बीज गोदाम प्रस्तावित किया जा रहा है। प्रत्येक की लागत एक लाख रूपया विभाग से स्टीमेटेड है इस प्रकार इस मद में दो लाख रूपया का परिव्यय प्रस्तावित है, बीज गोदाम में एक बड़ा हाल आगे बरामदा तथा बरामदे में एक कार्यालय हेतु कमरा बनना है जिसका आगणन विभाग द्वारा शासन को भेजा जा चुका है।

7.1.2.3- थ्रेसिंग फ्लोर

राजकीय कृषि प्रक्षेत्र पल्टीखेड़ा पर मड़ाई करने के लिये थ्रेसिंग फ्लोर न होने के कारण मड़ाई करते समय बीज के गुणत्व पर कुप्रभाव पड़ता है तथा बहुत कुछ मात्रा मिट्टी में जाने के कारण बीज योग्य नहीं रह पाती है। अतः इस प्रक्षेत्र पर एक थ्रेसिंग फ्लोर प्रस्तावित किया जा रहा है जिसका अनुमानित लागत पचास हजार रूपया प्रस्तावित किया जाता है इसमें ईंट, सीमेन्ट, बालू, मोरंग मजदूरी तथा अन्य व्यय सम्मिलित होंगे।

7.1.2.4- नाली निर्माण :

राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, हरचन्दपुर पर नाली की स्थिति बहुत ही जीर्ण-शीर्ण हो गयी है जिसके कारण प्रक्षेत्र पर उत्पादित करने वाली फसलों को सिंचाई का समुचित पानी नहीं मिल पाता है जिससे इसका सीधा कुप्रभाव उत्पादन पर पड़ता है तथा उत्पादन में गिरावट संभव है। अतः फसलों को भरपूर सिंचित पानी देने हेतु पक्की नई नाली निर्माण का प्रस्तावित है जिसके लिये पचास हजार रूपया का अनुमानित परिव्यय प्रस्तावित किया जाता है जिससे सिंचित क्षमता बढ़ाई जा सके। इस धनराशि से नाली निर्माण में सभी प्रयुक्त होने वाली सामग्री तथा मजदूरी का व्यय सम्मिलित है।

7.1.2.5- कृषि बीज भंडारों का निर्माण :

इसी योजना के अन्तर्गत 3 बीज भण्डारों का निर्माण कराना अत्यन्त आवश्यक है, कृषकों को उन्नतिशील खेती हेतु शासन द्वारा प्रमाणित बीजों एवं सही मानक में उर्वरकों के विक्रय का प्राविधान किया गया है इन कृषि निवेशों के रख रखाव के लिये कृषि बीज भण्डारों का निर्माण आवश्यक है। अतः विकास खंड खीरों मे सेमरी सीड स्टोर अमेठी संसदीय क्षेत्रों के विकास खण्डों में नसीराबाद, मऊ §डीह§ बीज भण्डार का निर्माण कराना है इस प्रकार 3 बीज

भण्डारों के निर्माण हेतु 3 लाख रुपया का व्यय प्रस्तावित है । बीज गोदाम में एक बड़ा हाल, हाल के सामने एक बरामदा तथा बरामदे में एक कार्यालय हेतु कमरा बनेगा जिसका आगणन विभाग तथा शासन द्वारा स्वीकृत है ।

7.1.3 <u>केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना</u>:

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 87-88 के लिए चार विकास खण्डों में किसानों के खेतो मे प्रदर्शन कराने की योजना है एक प्रदर्शन पर 627/- रु0 का कृषि निवेश अनुमन्य है । इस योजना से दलहन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों की तकनीकी ज्ञान प्राप्त होता है । शासन द्वारा जनपद रायबरेली में उर्द एवं मूंग का ब्लाक स्तरीय प्रदर्शन चलाया जानाचयनित किया गया है कुल 400 प्रदर्शन में 627/- रु0 प्रतिप्रदर्शन की दर से 2,50,800/- रु0 का व्यय होना हैं जिसमें 50 प्रतिशत केन्द्र अंश तथा 50 प्रतिशत राज्य अंश है । अत: राज्य अंश की धनराशि मात्र 1,25,000/- का परिव्यय प्रस्तावित किया जाता है ।

7.1.4 <u>गेहूँ की फसल पर गेहुआ एवं जंगली जई खरपतवार नियंत्रण की योजना</u>:

गेहूँ की फसल मे गेंहुआ एवं जंगली जई खरपतवार की वर्तमान समय में एक समस्या उत्पन्न हो गयी है इनका उपचार निराई गुड़ाई के माध्यम से सम्भव नहीं हो पाता तथा इन खरपतवारो के नियंत्रण हेतु जो रसायन उपलब्ध है उनकी कीमत बहुत अधिक है। इन रसायनों पर अनुदान उपलब्ध करा दिये जाने से इनका नियंत्रण सफलता पूर्वक किया जा सकता है ।

इस योजना के अन्तर्गत कृषकों को खरपतवार नाशकों के मूल्य पर 25 प्रतिशत अनुदान रसायन के रूप में उपलब्ध कराया जाना है जिसमें 12-5 प्रतिशत केन्द्र अंश व 12-5 प्रतिशत जिला सेक्टर में रहेगा । इस कार्यक्रम पर निम्नानुसार व्यय प्रस्तावित हैं :

1- सामान्य कृषक	20,000-00 रु0
2- अनुसूचित जाति	5,000-00 रु0
	25,000-00 रु0

7.1.5 <u>केन्द्र पोषित सघन तिलहन विकास</u> :

इस योजना मे कोई धनराशि प्रस्तावित नही है ।

7.1.6(अ) <u>प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में कृषि रक्षा सेवा के सुदृढ़ीकरण की योजना जनपद में नवसृजित तीन विकास खण्डो, अमावाँ, छतोह एवं शिवगढ़ हेतु तीन स्थापित कृषि रक्षा इकाइयों को चालू रखने की योजना</u>:

जनपद के नवसृजित तीन विकास खण्ड अमावां, छतोह एवं शिवगढ़

में तीन नई कृषि रक्षा इकाईयाँ वर्ष 84-85 से स्थापित की गयी है जिससे इन विकास खण्डों के कृषकों को आधुनिक कृषि के लिए कृषि रक्षा सेवा का लाभ मिल सके और अपनी फसलों को कीट व्याधियों से बचाकर अधिक से अधिक उत्पादन ले सके । इनइकाईयों के पूर्ववत् चालू रखने का प्रस्ताव है ।

इस योजना से सम्बन्धित तीन विकास खण्डो में कार्यरत कृषि रक्षा पर्यवेक्षक वर्ग -3 तथा क्षेत्र परिचारक चतुर्थ श्रेणी के तीन-तीन पदो की नियुक्ति की गयी है जिनके वेतन, भत्ते, कार्यालय की साज सज्जा मशीनों एवं उपकरणों का क्रय एवं अनुरक्षण हेतु निम्न व्यय प्रस्तावित हैं ।

1- वेतन	-रु0 30,000-00
2- महंगाई भत्ता	-रु0 27,500-00
3- मकान भत्ता	-रु0 500-00
4- यात्रा भत्ता	-रु0 10,000-00
5- कार्यालय व्यय	-रु0 8,000-00
6- मशीन का क्रय अनुरक्षण	-रु0 50,000-00
7- मजदूरी	-रु0 7,000-00
8- भवन किराया	-रु0 7,000-00
	रु0 1,40,000-00

{ब} अमेठी संसदीय क्षेत्र के विकास खण्डों के सुदूर अंचलो में जो विकास खण्ड मुख्यालय से 10-15 किमी0दूरी पर है। नयी कृषि रक्षा इकाईयों की स्थापना का प्रस्ताव है जिससे समीपवर्ती कृषक कीट/रोग लगने पर अपनी फसलों को पासकी इकाई से कीट नाशक रसायन एवं मशीन प्राप्त कर फसल की रक्षा कर सके और अपने उत्पादन को बढ़ा सकें ।

अमेठी संसदीय क्षेत्र के निम्नलिखित विकास खण्डों में उनके नाम के सम्मुख अंकित कस्बो में नयी कृषि रक्षा इकाई स्थापित करने की योजना है ।

1- संलोन - करहिया बाजार
2- बहादुरपुर - जायस
3- सिंहपुर - सेमरौता

इन इकाइयों की उद्घोषणा जनता के मध्य मुख्य मंत्री द्वारा की गयी है और इन क्षेत्रों में नकदी फसल जैसे आलू, सब्जी, तम्बाकू आदि की फसले पैदा होती है जिनकि कीट/रोग के बचाव के लिये इन स्थानों पर कृषि रक्षा इकाई स्थापित करना अति आवश्यक हैं ।

इन इकाईयों के स्थापित होने पर तीन कृ०र०प० एवं तीन क्षेत्र परिचारक {चतुर्थ श्रेणी} की नियुक्ति का प्रस्ताव किया जाता है जिनके वेतन उपकरण आदि में निम्नलिखित व्यय प्रस्तावित है :

1- वेतन एवं मंहगाई भत्ता - रु० 50,000-00
2- कार्यालय व्यय - रु० 10,000-00
3- मशीन एवं अनुरक्षण व्यय - रु० 5,000-00

योग: रु० 65,000-00

{स} जनपद में 19 इकाईयाँ कार्यरत हैं जिसमें किसी इकाई का राजकीय गोदाम उपलब्ध नहीं है जिससे रसायनों एवं उपकरणों के भण्डारण हेतु किराये के भवन लिये गये हैं जिससे शासन को बहुत अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ती हैं किन्तु वैज्ञानिक ढंग से रसायनों/मशीनों का भण्डारण नहीं हो पाता है जिससे प्रति वर्ष काफी क्षति होती है । अतः इकाईयों के भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव किया जाता है । इनके लिए भूमि एवं स्थल चयनित कर लिये गये हैं तथा भूमि निःशुल्क उपलब्ध है ।

कृषि रक्षा इकाई के भवन निर्माण हेतु निम्नलिखित स्थल चयन किये गये है जहाँ भूमि निःशुल्क उपलब्ध है :

1- सलोन - कृषि बीज भण्डार परिसर में
2- छतोह - विकास खण्ड परिसर में
3- अमावां - विकास खण्ड परिसर में

उपरोक्त कृषि रक्षा इकाई के भण्डारों के निर्माण हेतु प्रति भण्डार 1.25 लाख रु० प्रति भण्डार अनुमानित हैं जिनके निर्माण पर कुल 3.75 लाख रुपया होगा ।

7.1.7 व 7.1.8 - ये योजनाऐं अब राज्य सेक्टर में चली गई है ।

7.2 उद्यान विभाग:

7.2.1- वर्तमान उद्यानों प्रक्षेत्रों एवं पौधशालाओं के सुधार की योजना:

पहले से स्थापित टर्नर प्लांट पौधशाला में बाड़ न होने से उपलब्ध भूमि का उपयोग उत्पादन में नहीं हो पाता है तथा उत्पादित पौधों की सुरक्षा नहीं हो पाती है । इसके लिए फेंस के व्यय का प्राविधान आर०ई०पी०से प्राप्त किया गया है जिसे वित्त तालिका मे सम्मलित किया गया है । इससे उत्पादन में वृद्धि होगी तथा अच्छे किस्म के अलंकारिक पौधे उत्पादित किये जावेगें । इस हेतु 2.65 लाख रु० का परिव्यय प्रस्तावित है ।

7.2.2- प्रदेश मे औद्यानिक उत्पादन एवं बीज विधायन इकाईयों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण :

इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम जोत सीमा से प्राप्त भूमि/बाग शिवगढ़ सम्मिलित है । भूमि माननीय न्यायालय में विवेचना से निर्णय हो गया है जिसमे नम्बरान मे परिवर्तन किया गया है । रेखांकन कार्य शीघ्र सम्पन्न कराकर कार्यवाही की जानी है । इसके लिए एक माली का वेतन जिला सेक्टर से आहरित होता है । इसके अतिरिक्त 5 एकड़ की एक और पौधशाला सलोन में पूर्व से स्थापित है जिसमें उत्पादन कार्य किया जा रहा है । दोनो स्थानो पर व्यय का प्राविधान रू-पत्र मे निहित दर्शाया गया है । इस हेतु 83 हजार रुपया का परिव्यय प्रस्तावित है ।

7.2.3 प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों व अन्य क्षेत्रों मे औद्यानिकी विकास की योजना:

उद्यान विभाग में विकास खण्डों पर कोई फील्ड कार्यकर्ता न होने से किसानो को तकनीकी सलाह, उनकी समस्याओं का निराकरण तथा सामाग्री सम्पूर्ति नहीं होती है इसके लिए एक योजना प्रस्तावित किया जाता है ।

{क} सचल दल: योजना के आरम्भ मे जनपद के तीन विकास खण्डों मे सचल दल द्वारा कृषकों से सम्पर्क किया जायेगा तथा उद्यान प्रगति के कार्यो का सम्पादन किया जायेगा । इसके लिए कुल तीन सचल दल के लिए निम्नलिखित कर्मचारी की आवश्यकता होगी :

{1}	वर्ग - 2 उद्यान निरीक्षक	3
{2}	वर्ग - 3 सहायक उद्यान निरीक्षक	3
{3}	चतुर्थ श्रेणी {माली}	6
		12

सचल दल प्रत्येक विकास खण्ड में 1 हजार कृषक परिवार से सम्पर्क करेगा तथा समस्त औद्यानिक कार्यों के लिए विकास का उत्तरदायी होगा । इस हेतु 1.55 लाख रु0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

7.3 गन्ना विकास :

गन्ना विकास विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त गन्ना जनपदों हेतु चीनी मिल क्षेत्र में निम्नलिखित योजनायें लगातार कार्यान्वित कराई जा रही है । केवल इन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत ही जिला स्तर पर योजनावार धन की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव भेजे गये हैं तथा समस्त योजनाओं के अन्तर्गत गन्ना आयुक्त महोदय द्वारा वर्षवार लक्ष्य प्रत्येक चीनी मिल क्षेत्र हेतु निर्धारित किये जाते हैं । क्षेत्र में गन्ना कृषकों के लाभार्थी योजनावार उपयोगिता निम्न प्रकार है :-

7.3.1- गन्ना कृषकों को सस्ते दर पर फसल सुरक्षा यंत्र उपलब्ध कराने की योजना :-

इस योजना के अन्तर्गत कृषकों को गन्ना फसल एवं अन्य फसलों की सुरक्षा के लिये गन्ना रक्षा यंत्र सस्ते दर पर उपलब्ध कराये जाते हैं। जिस पर 25 प्रतिशत सामान्य कृषकों को तथा अनुसूचित जाति के कृषकों को सवा 33 प्रतिशत अनुदान शासन द्वारा दिया जाता है। वर्ष 1986-87 मे मु0 8,000-00 रु0 व्यय करके 50 गन्ना रक्षा यंत्र वितरित कराने का लक्ष्य रखा गया है तथा 1987-88 मे 8,000-00 रु0 व्यय करके 50 रक्षा यंत्र वितरित करने का प्रस्ताव है।

7.3.2- नई चीनी मिलों में गन्ना विकास की योजना:

इस योजना के अन्तर्गत स्थापित की जाने वाली नई चीनी मिल क्षेत्र में गन्ना का अधिकतम विकास करने के लिए जिससे कि कम से कम परिवहन व्यय देकर सीमित क्षेत्र में अधिक से अधिक गन्ना उपलब्ध हो सके। विकास कर्मचारियों की नियुक्ति कर गन्ना विकास कार्यक्रम को प्रगति की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत समस्त व्यय वेतन व्यय है जो गन्ना आयुक्त महोदय द्वारा निर्धारित स्टाफ सीमा पर वेतन एवं निर्धारित देय अन्य भत्तों पर देय होता है। इस योजना मे वर्ष 1986-87 मे 5.20 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान तथा वर्ष 1987-88 में 3.93 लाख रु0 खर्च होनें का प्राविधान प्रस्तावित है।

7.3.3- गन्ना बीज यातायात पर अनुदान की योजना:

निरोग, स्वस्थ, अधिक शर्करा एवं अधिक उपज प्राप्त करने मे उत्तम बीज का अधिक महत्व है। अधिकतम कृषक शुद्ध एवं निरोग बीज का बावग करें। इसके लिए कृषकों को प्रोत्साहन देने हेतु सीमान्त तथा लघु कृषकों को जो 10 कि0मी0 सेअधिक दूरी पर बीज यातायात करते हैं, उन सामान्य कृषकों को 1.50 रु0 प्रति कु0 तथा अनु0जाति के कृषकों को 2.00 रु0 प्रति कुन्तल की दर से इस योजना के अन्तर्गत अनुदान दिया जाता है। साथ ही प्रत्येक वर्ष में गन्ना शोध केन्द्र जो कि शाहजहांपुर, गोरखपुर, गोला में स्थापित हैं से शुद्ध वैज्ञानिक बीज § न्यूकीलीयस सीड § बीज लाकर चीनी मिल क्षेत्र मे किसी एक स्थान पर आधार पौधशाला में स्थापित किया जाता है। इस तरह लाये गये सम्पूर्ण बीज का परिवहन व्यय इसी योजना के माध्यम से वहन किया जाता है। इस योजना मे 1986-87 के अन्तर्गत 6,000-00 खर्च होने का अनुमान है तथा वर्ष 1987-88 में 7,000-00 खर्च करने का प्रस्ताव है।

7.3.4- आधार गन्ना बीज उत्पादन की योजना:

अच्छी उपज तथा अधिक शकर प्राप्त करने में उत्तम बीज का गन्ने में सर्वाधिक महत्व है। साथ ही वानस्पतिक फसल होने के कारण प्रति एकड़ अधिक बीज प्रयोग होता है। अतः चीनी मिल क्षेत्र में अधिकाधिक गन्ना बीज प्रत्येक कृषकों को उपलब्ध हो सके इसके लिए त्रिस्तरीय पौधशाला कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस योजना में आधार पौधशाला चीनी मिल क्षेत्र में किसी एक स्थान पर स्थापित की जाती है तथा आधार पौधशाला से अधिकतम बीज प्राप्त करके प्रत्येक पर्यवेक्षक सर्किल में जो जनपद में लगभग 30 है एक से दो प्राथमिक पौधशाला स्थापित की जाती है। प्राथमिक पौधशाला से बीज प्राप्त करके पर्यवेक्षक सर्किल में अधिकांश कृषकों के यहां माध्यमिक पौधशालायें स्थापित कराई जाती है। इस प्रकार प्रत्येक पौधशाला में मल्टीप्लीकेशन भी होता है और साथ ही ट्रायल तथा टेस्टिंग भी होती रहती है। माध्यमिक पौधशाला से बीज को सामान्य बावग हेतु कृषकों में वितरित किया जाता है। इस व्यवस्था से कृषकों को उत्तम एवं निरोग बीज अपनी निकट पौधशाला से ही सामान्य बावग हेतु प्राप्त हो जाता है। बीज हेतु गन्ने का रखरखाव करने मे कृषकों को कुछ विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। अधिकांशतः कृषक पौधशालाओं में अधिकाधिक कराये तथा उत्तम रखरखाव पर अधिकतम बीज प्रति यूनिट क्षेत्रफल से [illegible] करें। इसके लिए प्रति एकड़ पौधशाला पर अनुदान देने की योजना है। 1986-87 के अन्तर्गत इस योजना में 20,000-00 रु० खर्च होने का अनुमान है तथा आगामी वर्ष 1987-88 मे 22,000-00 रु० खर्च होने का प्रस्ताव है।

7.3.5- चीनी मिलो के 16 कि०मी०क्षेत्र मे गन्ना विकास की योजना:

चीनी मिल के सीमित क्षेत्र से अधिकतम प्रति एकड़ उपज तथा निरोग एवं अधिक शकर वाला गन्ना मिल को प्राप्त हो तथा कृषकों को प्रति एकड़ उपज अधिक प्राप्त हो के लिए आवश्यक है कि रोग कीट नियंत्रण पर तथा अधिक खाद का प्रयोग हो पर विशेष बल दिया जाय। इस योजना के अन्तर्गत तीन कार्य किये जाते हैं। 1- बीज उपचार 2- भूमि उपचार, 3- पेड़ी गन्ने पर यूरिया छिड़काव।

उपरोक्त समस्त कार्यक्रम पर कृषकों द्वारा किये गये कुल व्यय का 20 प्रतिशत शासन, 25 प्रतिशत गन्ना विकास परिषद, 15 प्रतिशत चीनी मिल, 40 प्रतिशत कृषक व्यय भार वहन करते हैं। उपरोक्त तीनों कार्यों के प्रति ही कृषकों में जागरूकता कम पाई जाती है। अतः अनुदान देकर कृषकों को उत्साहित किया जाता है। जिससे प्रति एकड़ उपज को बढ़ाया जा सके।

इस योजना के अन्तर्गत 1986-87 में 20,000-00 रुपया व्यय करने का अनुमान है तथा 1987-88 हेतु 40,000-00 रुपया व्यय करने का प्रस्ताव है ।

7.3.6- <u>उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास की योजना</u> :

अधिकतम उपज एवं अधिक से अधिक लाभ किस प्रकार गन्ने की खेती से प्राप्त किया जा सकता है के उद्देश्य से कृषक स्तर पर कार्यक्रम चलाया जाता है । इस कार्यक्रम मे गन्ना आयुक्त महोदय द्वारा मिल स्तर पर विभिन्न प्रकार के गन्ना प्रदर्शनों का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है । जो कृषकों द्वारा उन्हीं के खेतों पर स्थापित किये जाते हैं जिनकी सम्पूर्ण देख-रेख गन्ना पर्यवेक्षक अपने निर्देशन में कृषकों से करवाते हैं । कृषक प्रति इकाई क्षेत्र में अन्य फसलों के साथ-साथ गन्ने की अधिकतम उपज अनुदान उन्हीं प्रदर्शन धारक कृषकों को [illegible] है । जिनका प्रदर्शन वर्ष के अन्त में सफल पाया जाता है । प्रति एकड़ प्रदर्शन अनुदान की दर 400-00 रु० है । वर्ष 1986-87 में कुल क्षेत्र में 73 एकड़ प्रदर्शन स्थापित किये गये हैं, जिन पर रुपया 29,200-00 व्यय होने का अनुमान है तथा वर्ष 1987-88 में 75 एकड़ प्रदर्शन क्षेत्र में स्थापित करके 30,000-00 रु० खर्च करने का प्रस्ताव है ।

<u>7.4 कृषि विपणन:</u>

7.4.1- <u>कृषि विपणन के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 मे मण्डी परिषद को अनुदान:</u>

मण्डी परिषद को 1.41 लाख रुपये की धनराशि अनुदान के रूप में लालगंज एवं छतोह मे ग्रामीण गोदाम बनाने हेतु दिया गया है । अभी तक प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है । वर्ष 1987-88 हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा कोई योजना प्रस्तुत नही की गई है जिसके कारण कोई वित्तीय परिव्यय प्रस्तावित नहीं किया जा रहा है ।

<u>7.5 भूमि सुधार</u>

7.5.1- <u>सीलिंग भूमि आवंटियो को आर्थिक सहायता</u> :

राजस्व विभाग की सूचना के अनुसार मार्च 1985 तक 3418 व्यक्तियों को यह सहायता उपलब्ध करायी जा चुकी है । वर्ष 1985-86 में 550 व्यक्तियों को और लाभान्वित किया जा चुका है । वर्ष 1986-87 मे 500 व्यक्तियों को लाभान्वित किये जाने का प्रस्ताव रखा गया है । वर्ष 1987-88 हेतु 100 व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए 50 हजार रुपये का परिव्यय राज्यांश के रूप में प्रस्तावित है । इतनी ही धनराशि केन्द्र अंश के रूप प्राप्त होगी ।

7.6 निजी लघु सिंचाई :

7.6.1- अनुदान :

वर्ष 1987-88 हेतु 1200 नि:शुल्क बोरिंग कराने का लक्ष्य प्रस्तावित है, जिसमे लघु / सीमान्त कृषकों को नि:शुल्क तथा पम्पसेट / नलकूप पर क्रमश: $33\frac{1}{3}$ % तथा 50% अनुदान विशेष कृषि उत्पादन योजना में शासन द्वारा स्वीकृत है । आई0आर0डी0 योजना में केवल 25 एवं $33\frac{1}{3}$% अनुदान अनुमन्य है । उपरोक्त $8^{1}/3$% तथा $16^{2}/3$% की भिन्नता जिला योजना के माध्यम से विभाग द्वारा वहन की जायेगी । इकाई लागत को ध्यान मे रखते हुए औसतन 800-00 रुपये प्रति कृषक अतिरिक्त अनुदान की आवश्यकतानुसार 960 हजार रु0 का प्राविधान किया गया है ।

7.6.2- अन्य व्यय:

अन्य व्यय मे प्लान के अन्तर्गत कार्यरत 10 बोरिंग टैकनीशियन / सहायक बोरिंग टैकनीशियन के वेतन भत्ते आदि हेतु 117 हजार का परिव्यय प्रस्तावित है ।

7.6.3- उपकरण एवं संयत्र:

उपरोक्त बोरिंग को करने के लिए पर्याप्त उपकरण एवं संयत्र आवश्यक है । न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रख कर 230 हजार का प्राविधान प्रस्तावित है ।

क्र0सं0	उपकरण का नाम	मात्रा	दर	अनुमानित लागत
1-	स्क्रू रिन्च 4"	20	250-00	5,000-00
2-	सिंगल पुली 8"	20	300-00	6,000-00
3-	तार रस्सा 3/8"	10,000मी0	12-00	1,20,000-00
4-	हैन्ड पम्प 5"	2	550-00	1,100-00
5-	हैन्ड पम्प 3"	30	400-00	12,000-00
6-	हैन्ड पम्प $2\frac{1}{2}$"	30	350-00	10,500-00
7-	चैन रिन्च 4/6"	40	350-00	14,000-00
8-	पाइप रिन्च24"	50	250-00	12,500-00
9-	उठेन क्लैम्प 4"	10	1200-00	12,000-00
10-	मैटेलिक टेप 15 मी0	75	80-00	6,000-00
11-	यू वायर क्लैम्प	10दर्जन	90-00 प्रति दर्जन	900-00
12-	बोरिंग उपकरण की मरम्मत	-	-	30,000-00
				2,30,000-00

7.7- राज्य लघु सिंचाई :

7.7.1- सामान्य कार्यक्रम :

नये 20 सूत्रीय कार्यक्रम में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि सिंचाई हेतु पानी के प्रबन्ध को सुदृढ़ बनाया जाय । यह तभी सम्भव है जबकि निर्माणाधीन योजनाओं के अधूरे कार्य पूर्ण किये जावें । उक्त परिपेक्ष में ही जनपद रायबरेली की नलकूप निर्माण की वर्ष 87-88 की योजना तैयार की गई है । सातवीं पंचवर्षीय योजना में जनपद रायबरेली के लिए नये नलकूपों के निर्माण एवं पुनः निर्माण के नलकूपों का लक्ष्य निम्न प्रकार से प्रस्तावित है :

क्रमांक	वर्ष	नये नलकूपों का निर्माण	नलकूपों का पुनः निर्माण
1-	85-86	4	8
2-	86-87	3	8
3-	87-88	3	5
4-	88-89	20	5
5-	89-90	20	4
	योग	50	30

वर्ष 85-86 के लक्ष्य पूर्ण किये जा चुके हैं एवं वर्ष 86-87 के लक्ष्य पूर्ण करने हेतु कार्य चल रहा है एवं आशा है कि उक्त लक्ष्य भी वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण कर लिया जावेगा ।

§अ§ दिनांक 1-4-87 जो नलकूप निर्माण के अधूरे कार्य शेष होंगे उनका भौतिक एवं वित्तीय विवरण नीचे दिया जा रहा है, उक्त अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए 87-88 की योजना में रु0 115.11 लाख का धन प्रस्तावित की जा रही है । यदि अधूरे कार्य को पूर्ण करने हेतु धनराशि स्वीकृत कर दी जाती है तो इसका उपभोग 87-88 में कर लिया जावेगा तथा इसके पश्चात् अगले वर्ष मे कोई कार्य शेष नहीं रह जाएगा :-

क्रमांक	मद	इकाई	मात्रा	दर (लाख रु०)	धनराशि (लाख रु०)
1-	पम्पगृह/ई०टी०	संख्या	2	0.50	1.00
2-	पम्पसेट	"	2	0.50	1.00
3-	उर्जीकरण	"	2	0.50	1.00
4-	पी.वी.सी. पाईप	कि०	89	0.60	53.40
5-	कच्ची गूल का निर्माण	मि०	44	0.06	2.64
6-	पक्की गूल	"	47	0.75	35.25
7-	फील्डगूल/बराह	"	198	0.03	5.94
				योग :	100.23
	15% अधिष्ठान (उर्जीकरण छोड़कर				14.88
				कुल योग:	115.11 लाख

(ब) वर्ष 87-88 मे तीन अदद नये राजकीय नलकूपों को लगाया जाना प्रस्तावित है । जिनके ग्रामों का नाम स्थल चयन समिति के प्रस्ताव के पश्चात् ही प्रस्तुत करना सम्भव है । जिसके ऊपर रु० 18.75 लाख व्यय आयेगा जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है :-

क्रमांक	मद	इकाई	मात्रा	दर (लाख रु०)	धनराशि (लाख रु०)
1-	नये नलकूप का निर्माण	संख्या	3	6.25	18.75

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 87-88 मे पाँच अदद नलकूपों का पुन: निर्माण तथा पुन: निर्माण से संबंधित अन्य कार्य प्रस्तावित किये जा रहे हैं, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	मद	इकाई	मात्रा	दर (लाख रु०)	धनराशि (लाख रु०)
1-	नलकूपों का पुन: निर्माण	संख्या	5	1.50	7.50
2-	स्टार्टर का बदलना		50	0.02	1.00
3-	गूलों का जीर्णोद्धार	कि०मी०	5	0.50	2.50
				योग	11.00 लाख

योजना की कुल धनराशि अब §रु§ 115.11 + 18.75 + 11.00
= 144.86 लाख'

वर्ष 87-88 में इस प्रकार जनपद रायबरेली के राजकीय नलकूपों के निर्माण के लिये उक्त मे से 75 लाख रु0 प्रस्तावित हैं । उक्त योजना के कार्यान्वयन से 500 हैक्टे0 क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित होगी एवं अवशेष कार्यों को पूर्ण किये जाने के फलस्वरूप 3200 हैक्टे0 क्षेत्र सृजित सिंचन क्षमता को पूर्ण उपयोग हेतु सुदृढ़ बनाया जा सकेगा ।

7.8 भूमि एवं जल संरक्षण §कृषि§

7.8.1- डलमऊ इकाई :

उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण पहाड़ी एवं मैदानी भाग मे भूमि कटाव एक गम्भीर समस्या है । भूमि के अनुचित प्रयोग, बन सम्पत्तियों के विनाश एवं वर्षा के कारण भूमि के ऊपरी तल का क्षरण होता रहता है, मिट्टी की ऊपरी सतह कट कर नालो एवं नदियों में बह जाती है जिससे उपजाऊ मिट्टी नष्ट हो जाती है । तथा फसलों की उत्पादकता में कमी हो जाती है । रायबरेली जनपद में गंगा नदी सई, एवं लोन नदी के जल-समेट क्षेत्र में लगभग 95500 हेक्टर भूमि समस्याग्रस्त है । भूमि के कटाव को रोकने एवं जल की समुचित उपयोग हेतु कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत भूमि संरक्षण इकाईयों की स्थापना की गई है । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अधिक अन्न उत्पादन बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई के लिये जल संचय करना है इसमें मुख्य रूप से बांध निर्माण, समतलीकरण अवरोध बांध जल निकास नाली, जल संचय बंधी पक्की सरंचनाओं का निर्माण ऊसर भूमि सुधार एवं वनीकरण आदि कार्यक्रम किये जाते हैं ।

भूमि संरक्षण इकाई डलमऊ की स्थापना वर्ष 68-69 में गंगानदी जल समेट क्षेत्र के अन्तर्गत कटाव ग्रस्त क्षेत्रों के संरक्षण हेतु राज्य बीहड़ भूमि सुधार योजना के रूप मे की गई है इस इकाई का कार्य क्षेत्र खीरों, सरेनी, लालगंज, डलमऊ, जगतपुर एवं ऊँचाहार विकास खण्डों में है इसके अतिरिक्त इस जनपद में इस नदी जलसमेट में भूमि संरक्षण इकाई बछरावां एवं रायबरेली दो अन्य इकाईयाँ भी कार्यरत हैं ।

वर्ष 82-83 से यह इकाई विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत जिला योजना के अधीन कार्यरत है तथा बजट का आवंटन जिला योजना से प्राप्त होता है । वर्ष 85-86 में कुल 1501 हजार का आवंटन प्राप्त था,

किन्तु विगत वर्ष के अन्तिम त्रैमास मे विभाग द्वारा बाढ राहत योजना के अन्तर्गत 675 हजार रुपये अतिरिक्त आवंटन प्राप्त होने के कारण जिला योजना का मात्र 200 हजार रुपया समर्पण करना पड़ा था वर्ष 86-87 हेतु कुल 1250 हजार रुपये का आवंटन प्राप्त है जिसमें 708 हजार रुपये स्थापना पर एवं 542 हजार रुपये कार्य एवं अनुदान मद में व्यय होना है । जिसमें 55 हजार रुपये का कार्य अनुदान मे अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमि पर किया जायेगा ।

भूमि संरक्षण कार्य के लिये आवंटित धनराशि के विपरीत भूमि संरक्षण तकनीकी द्वारा कुल 1250 हे० समस्याग्रस्त क्षेत्र का उपचार के किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है । इस लक्ष्य की शतप्रतिशत पूर्ति होने की सम्भावना हैं ! समस्याग्रस्त क्षेत्र का उपचार होने के उपरान्त उत्पादन में 15-20प्रतिशत वृद्धि की आशा है !

भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक धनआवंटन न प्राप्त होने से लक्ष्यों की पूर्ति राज्य माध्यम के अतिरिक्त प्रसार माध्यम से पूर्ण किया जाता है ।

भूमि संरक्षण उपायोग का निष्पादन कार्य खर्चीला एवं तकनीकी होने के कारण प्रसार माध्यम से कार्य कराने मे कठिनाई होती है और लक्ष्यों की पूर्ति मे बाधा उत्पन्न होती है इसी लिये वर्ष 87-88 के लिये लक्ष्यों की पूर्ति हेतु इस इकाई के लिये 12-50 लाख रुपये परिव्यय स्वीकृत हेतु प्रस्तावित है ।

भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत निष्पादन कार्य दैनिक श्रमिको व चिट्ठी द्वारा किया जाता है यहा पर ठेकेदारी प्रथा नहीं है इस कार्यक्रम से ग्रामीण भूमिहीन एवं बेरोजगार एवं अनुसूचित जाति के श्रमिको को रोजगार प्राप्त होता है । उपरोक्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु लगभग दो लाख श्रमिको के मानव दिवस सृजित होने की सम्भावना है ।

7.8.2- रायबरेली इकाई :

वर्ष 1986-87 मे इस इकाई को कार्य स्थापना हेतु 8 लाख रुपये का प्राविधान है । अब इस इकाई की कोई उपयोगिता नहीं है और अनावश्यक बोझ जिला योजना पर परपड़ रहा है । अत: वर्ष 1987-88 हेतु कोई परिव्यय नहीं प्रस्तावित है । बछरावां इकाई की भाँति उसकी भी व्यवस्था केन्द्र के माध्यम से की जाय ।

7.8.3- उत्तर प्रदेश में क्षारीय एवं अल्काइन भूमि सुधार की योजना :

जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 में 10 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित है इसके अन्तर्गत भूमि संरक्षण इकाई, डलमऊ तथा रायबरेली में 505 हेक्टर भूमि को क्षारीय एवं अल्काइन से मुक्त कर भूमि सुधार की योजना है। वर्ष 1987-88 में इस मद में 11.33 लाख का परिव्यय प्रस्तावित है जिसमें भूमि संरक्षण इकाई, डलमऊ तथा रायबरेली के अन्तर्गत आने वाली ऊसर भूमि को क्षारीय एवं अल्काइन से मुक्त कर सुधार करने की योजना है जिससे कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि कर उत्पादन बढाया जा सके। इस योजना के अन्तर्गत 825 मी. टन का जिप्सम एवं पाइराइट उपलब्ध कराया जायेगा।

7.9 पशुपालन विभाग : चालू योजनायें :- पशु चिकित्सा सेवायें एवं स्वास्थ्य

7.9.1- पशुचिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार एवं विस्तार की योजना:

कुल प्रस्तावित परिव्यय - 244 हजार रुपया। विगत वर्ष में खोले गये एक पशुचिकित्सालय-अटौरा बुजुर्ग की निरंतरता हेतु मानक के अनुसार 65 हजार रुपया, एक "द" श्रेणी पशुचिकित्सालय हरदासपुर की निरंतरता हेतु मानक के अनुसार 23 हजार रुपये तथा एक पशुसेवा केन्द्र रालपुर की निरंतरता हेतु मानक के अनुसार 16 हजार रुपया का प्राविधान प्रस्तावित है।

एक चीफ वेटनरी कम्पाउन्डर के पूरे वर्ष का वेतन आदि का व्यय मानक के अनुसार 19 हजार रुपया प्रस्तावित है।

जनपद के कार्यरत 34 पशुचिकित्सालय और 13 "द" श्रेणी पशुचिकित्सालय तथा 61 पशुसेवा केन्द्रों पर दवा आदि की व्यवस्था हेतु 82 हजार रुपया प्रस्तावित है।

खुरपका, मुँहपका रोग के रोकथाम की योजना के अन्तर्गत 50% राज्यांश हेतु 8 हजार रुपया प्रस्तावित है।

सचल पशु चिकित्सालय द्वारा क्षेत्रीय पशुओं के उपचार आदि का विस्तार के अन्तर्गत 21 हजार रुपया का प्राविधान किया गया जो मानक के अनुरूप वाहन के अनुरक्षण एवं औषधियों आदि के क्रय हेतु प्रस्तावित है।

7.9.2- स्थानीय निकायों द्वारा चालित पशु चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण एवं सुधार की योजना :

कुल प्रस्तावित परिव्यय - 90 हजार रुपया।

वर्ष 1987-88 में विगत वर्ष प्रान्तीयकृत पशुचिकित्सालय-सतांव

तथा महराजगंज की निरन्तरता हेतु मानक के अनुसार 41 हजार रुपया प्रति चिकित्सालय की दर से 82 हजार रुपये तथा उन चिकित्सालयों की साज-सज्जा और उपकरण आदि बदलने हेतु 8 हजार रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है । प्रस्तावित स्वीकार

7.9.3- पशुधन प्रक्षेत्रों पर प्रजनन कार्य हेतु साड़ों के उत्पादन की योजना :

कुल प्रस्तावित परिव्यय -

इस योजना के अन्तर्गत कोई धन प्रस्तावित नहीं है क्योंकि तरल वीर्य के द्वारा चालित कृतिम गर्भाधान कार्य को अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में बदला जा रहा हैं । अत: साड़ों के निमित्त धन की कोई आवश्यकता नहीं है ।

79.4- अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण विस्तार की योजना:

कुल पस्तावित परिव्यय - 250 हजार रुपये । इस योजना के अन्तर्गत 3 संयत्र आपरेटर एवं जीप चालक के वेतन भत्ते आदि पर मानक के अनुसार 44 हजार रुपये तथा शेष 206 हजार रुपये अन्य व्यय के अन्तर्गत योजना को सुचारु रुप से चलाने हेतु प्रस्तावित है ।

7.9.5- प्रदेश में कृत्रिम गर्भाधान ढाचे का सुदृढीकरण की योजना:

कुल प्रस्तावित परिव्यय : 44 हजार रुपये । इस योजना के अन्तर्गत एक वीर्य संग्रह केन्द्र एक ग्राम समूह केन्द्र 11 कृ0ग0केन्द्र, 39कृ0ग0 उपकेन्द्र तथा 6 ग्राम समूह इकाईयों को सुचारु रुप से निरंतरता हेतु मानक के अनुसार 30 हजार रुपया तथा उक्त केन्द्रो पर पुराने फर्नीचरों, साज सज्जा, संयत्रोंके परिवर्तन, परिवर्द्धन हेतु 14 हजार रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था जनपद स्तर से आवश्यकता को देखते हुये प्रस्तावित है ।

7.9.6- लघु सीमान्त कृषकों एवं भूमिहीन श्रमिकों के लाभार्थ वर्धीकर बछियों के भरण पोषण हेतु संतुलित आहार कुक्कुट भेड़ एवं सूकर इकाईयों की स्थापना पर अनुदान तथा पशुपालन निदेशालय पर प्रोजेक्ट सेल की स्थापना §केन्द्र पोषित§ 50% राज्यांश :- प्रस्तावित

कुल प्रस्तावित परिव्यय 270 हजार रुपये । इस मैद में विशेष उत्पादन कार्यक्रम में सहायक परियोजना अधिकारी द्वारा 50% राज्यांश अन्तर्गत 270 हजार रुपये की ही मांग की गई है जो जनपद स्तर से स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है ।

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurbindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No.....3856........
Date....14/2/90.........

: कुक्कुट विकास :

7.9.7- संयुक्त राष्ट अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के सहयोग से व्यवहारिक पुष्टाहार कुक्कुट उत्पादन की योजना:

कुल प्रस्तावित परिव्यय- 4 हजार रुपये । विगत वर्ष की भांति इस योजना के अन्तर्गत जनपद के विकास खण्ड डीह मे 400 मुर्गी के बच्चे 2 माह उपलब्ध कराया जायेगा जिनके भरण पोषण हेतु 3 हजार रुपये तथा इस कार्यक्रम के निरीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु एक हजार रुपये पेट्रोल आदि मद में मानक के अनुसार स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है ।

: भेड़ एवं ऊन विकास :

7.9.8- राज्य में बकरी प्रजनन सुविधाओं के प्रसार की योजना:

कुल प्रस्तावित परिव्यय- 26 हजार रुपया । इस योजना के अन्तर्गत विगत वर्षो में खोले गये पशुचिकित्सालय सिंहपुर और खीरों बकरा केन्द्रों की निरंतरता हेतु मानक के अनुसार 2 हजार रुपये प्रति बकरा केन्द्र की दर से कुल 4 हजार तथा वर्ष 1987-88 मे चार नये बकरा केन्द्रों-नसीराबाद, परसदेपुर, मेजरगंज एवं संडवा पर एक-एक बकरा केन्द्र खोले जायेगें जिस पर मानक के अनुसार 4000 रुपया प्रति केन्द्र के दर से कुल 16 हजार रुपये व्यय होगें जो प्रस्तावित है ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त जनपद में पुराने बकरों को बदलने तथा अंशदान पर वितरण हेतु 20 बकरो का क्रय मानक के अनुसार 400/- प्रति बकरे की दर से 8 हजार रुपये स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है ।

7.9.9- भेड़ प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण तथा स्वास्थ सेवायें:

कुल प्रस्तावित परिव्यय -288 हजार रुपये । इस योजना के अन्तर्गत सिंहपुर, डीह, तिलोई भेड़ा केन्द्रों की निरंतरता हेतु कर्मचारियों के वेतन भत्ते, मशीन द्वारा ऊन उतारने एवं रख रखाव तथा चालक के वेतन आदि तथा भेड़ों की खिलाई पिलाई पर 114 हजार रुपये मानक के अनुसार प्रस्तावित है ।

वर्ष 1986-87 में निर्माणाधीन भेंढ़ा केन्द्र डीह हेतु केवल 21.8 हजार रुपये का प्राविधान स्वीकृति हुआ है जबकि मानक के अनुसार उसका आकलन 130 हजार रुपये होता है । अत: शेष 48 हजार रुपये वर्ष 87-88 में प्राविधान कर केन्द्र को पूर्ण कराने की व्यवस्था पूँजीगत मद में की गई है ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त 87-88 में एक नये भेढ़ा केन्द्र की स्थापना विकास खण्ड खीरों मे पशु चिकित्सालय सेमरी के अन्तर्गत जगन्नाथगंज में खोले जाने का प्राविधान किया गया है तथा भविष्य में धन प्राप्त होने पर

भेंड़ा केन्द्र स्थापित किया जावेगा ।

विगत वर्षों के कार्यरत ।। भेंड़ा केन्द्रों हेतु मास ड्रेचिंग के निमित्त मानक के अनुसार 66 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है ।

उपर्युक्त के अलावा विगत वर्षों के कार्यरत वृद्ध एवं मृत भेंड़ा के स्थानापन्न तथा अंशदान पर वितरण हेतु 104 भेंड़ों के लिये 250 रुपये मानक के अनुसार 26 हजार रुपये का प्राविधान स्वीकृत हेतु प्रस्तावित है ।

: सूकर विकास :

7.9.10- सूकर प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढीकरण:

कुल प्रस्तावित परिव्यय - 10 हजार रुपये । इस योजना के अन्तर्गत विगत वर्षों मे खोले गये सूकर केन्द्रों सलोन, बाबूगंज, भदोखर तथा इन्हौना की निरन्तरता हेतु मानक के अनुसार 2 हजार रुपये प्रति केन्द्र की दर से 8 हजार रुपये तथा इस जनपद के 4 सूकर 500 रुपये की दर से 2 हजार रुपये में क्रय करके सूकर पालकों को अंशदान पर दिये जायेगें ।

: अन्य पशुधन विकास :

7.9.11- पशुधन विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के प्रचार की योजना :

कुल प्रस्तावित परिव्यय - 4 हजार रुपये । इस जनपद में एक दिवसीय प्रदर्शनी एवं गोष्ठी का आयोजन का प्रस्ताव है जिसके निमित्त मानक के अनुसार 5 हजार रुपये मानक के स्थान पर 4 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है ।

: चारा विकास :

7.9.12- चारा/चारा बीज तथा चारागाहो के विकास की योजना:

कुल प्रस्तावित परिव्यय- 20 हजार रुपये । उत्तम कोटि के चारा बीज क्रय करके कृषकों मे वितरित हेतु इस वर्ष जनपद हेतु 20 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

7.10 मत्स्य :

7.10-1 मत्स्य पालक विकास अभिकरण की योजना :

इस विश्व बैंक पोषित मत्स्य पालक विकास अभिकरण का गठन जनपद मे वर्ष 1981-82 में किया गया । इस योजना के माध्यम से

ग्रामीण अंचल में स्थित तालाबों एवं पोखारों में सघन मत्स्य पालन को त्वरित गति प्रदान करने हेतु आगामी वर्ष में भी प्रयास आवश्यक है । इन मीनाशयों एवं पोखारों को पात्र व्यक्तियों को पटटे पर दिलाना ,तालाब सुधार एवं इनपुटस हेतु बैंकों से ऋण तथा स्वीकृत ऋण पर 25 प्रतिशत के अनुदान की व्यवस्था करना आधुनिक मत्स्य खेती में मत्स्य पालकों को अल्पकालिक प्रशिक्षण तथा मत्स्य अंगुलिकाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना आदि कार्य पिछड़े व निर्बल वर्ग के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किये जा रहे हैं । इस योजना का मुख्य उददेश्य मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करके निर्बल वर्ग के लोगों का आर्थिक स्तर उठाना है । अब तक जनपद में लगभग 500 हेक्टेयर का सुधार कार्य पूर्ण कराया जा चुका है । वर्ष के अंत तक 700 हेक्टेयर में सुधार कार्य हो जाने की सम्भावना है ।

वर्ष 1987-88 के लिए 100 हेक्टेयर जलक्षेत्र सुधार तथा 100 मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण व स्टाफ का वेतन भत्ता आदि एवं विविध व्यय आदि मिलाकर रुपया 750 हजार की योजना प्रस्तावित है । इस योजना हेतु 315 हजार केंद्र अंश रहेगा ।

योजनांतर्गत मत्स्य पालकों के हितों का पूर्ण ध्यान रखा गया है । वर्ष 87-88 में 25 लाख मत्स्य बीज का वितरण किया जाना प्रस्तावित है जिससे 175 से 225 टन मत्स्य उत्पादन होना सम्भावित है । इससे 17 से 22 लाख रुपये की वार्षिक आय होने की सम्भावना है तथा वित्तीय वर्ष में लगभग 250 परिवारों को रोजी रोटी के साधन सुलभ हो सकेंगे तथा लगभग 80,000 मानव दिवस का सृजन होगा ।

अतएव 750 हजार की जिला सेक्टर योजना स्वीकृत हेतु संक्षिप्त विवरण के अनुसार निम्न प्रकार प्रस्तावित है ।

क्र०सं०	कुल परिव्यय	वेतन तथा भत्ते	प्रशिक्षण परव्यय	अनुदान	विविध व्यय
1	750	320	10	300	120

7-11 वन विभाग

7-11-1 भवन - कोई धन राशि प्रस्तावित नहीं है ।

7-11-2 सामाजिक वानिकी योजना- यह विश्व बैंक सहायतित योजना है इसके अंतर्गत स्वीकृत /तैनात स्टाफ आदि का व्यय इसी योजना से वहन किया जाता है। इस स्टॉफ के व्यय के लिये योजना सामाजिक वानिकी के अतिरिक्त अन्य किसी मद से धनराशि प्राप्त नहीं होती है विगत वर्षों में स्टाफ आदि के वास्ते धनराशि निरंतर उपलब्ध करायी जाती रही है। गत वर्ष 1985-86 के व्यय अनुसार ही स्टाफ व्यय पर धनराशि की मांग है चालू वित्तीय वर्ष 1986-87 में अनुमोदित परिव्यय अत्यंत सीमित है जिससे स्टाफ का व्यय भार वहन करना कठिन हो जाता है । स्टॉफ पर होने वाले व्यय भार का कुछ भाग विश्वबैंक से धनराशि सहायता रूप प्रदत्त हो जायगी अत: योजना के लिये चालू वित्तीय वर्ष 1986-87 के पुनरीक्षित मांग 2850 हजार आगामी वर्ष 1987-88 के लिये प्रस्तावित 16 लाख है । इससे 16 लाख रु0 विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी । सामाजिक

7-11-3 शहरीक्षेत्र में वानिकी

नगरीय क्षेत्र में सडकों के किनारे तथा अन्य स्थानों पर वृक्षा रोपण कार्य कराया जायेगा । लगभग 5 है0 क्षेत्र में 10,000पौधों का रोपण किया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु 50 हजार रु0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

7-11-4 वन मनोरंजन§वन चेतना केंद्र §

वन चेतना केंद्र डलमऊ , लालगंज तथा सलोन की व्यवस्था हेतु 1-50लाख रु0 प्रति केंद्र 50 हजार रु0 की दर से प्रस्तावित किया जा रहा है ।

7-11-5 कर्मचारियों को पेयजल विद्युत की सुविधा-

मद	स्थल	विकास खंड
1	2	3
वाटर टैंक	राजापुर	सलोन
निर्माण-2	वन कालोनी	रायबरेली

उक्त हेतु 60 हजार रु0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

7-12- पंचायत राज विभाग

7-12-1 प्रबंधकीय सहायता- कोई धनराशि प्रस्तावित नहीं है ।

7-12-2 सर्वोत्तम ग्राम सभाओं को प्रोत्साहन पुरस्कार

उन गांव सभाओं को जो अपने क्षेत्रों में विकास निर्माण कार्य जन सेवा एवं श्रमदान आदि सामूहिक कार्यों में स्वच्छ प्रति स्पर्धा की भावना से उत्साहवर्धक कार्य करें, को पुरस्कृत करने पर अन्य गांवों को प्रेरणा प्राप्त होगी । इस योजना में प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त गांव सभाओं को क्रमशः 3 हजार, 2हजार एवं 1 हजार रु0 कीधनराशि से पुरस्कृत करने हेतु 6 हजार रु0 का बजट प्रस्तावित है ।

7-12-3 ग्रामीण पर्यावरण में स्वच्छता के लिए खडंजा/ नाली निर्माण

प्रस्तुत योजना में वर्ष 87-88 के लिए अंकन 6 लाख रु0 का प्राविधान प्रस्तावित है । शासकीय नियमों के अंतर्गत किसी गांव सभा को खडंजा निर्माण हेतु अधिकतम 15000रु0 देय है जिसके विपरीत सम्बंधित गांव सभा स्वयं के संसाधनों से कम से कम 5000रु0 व्यय करेगी जिसके अंतर्गत

अनुदान भी मान्य है । इसप्रकार वर्ष 87-88 में इस मद के लिए रामानुमान 3 लाख रु0 के विपरीत गाँव सभायें अंकन 1,50,000रु0 का अंशदान वहन करेंगी। इसप्रकार खड़ंजा /नाली मद होने वाला कुल व्यय 7,50,000 रु0 होगा। इस धनराशि से कुल 40 गाँव सभाओं को लाभान्वित कराने का लक्ष्य रखा गया है । चयनित सभाओं की सूची संलग्न है ।

7-12-4 पंचायत भवन निर्माण

औद्योगिक इकाइयों की निरंतर वृद्धि के दृष्टिकोण से ग्राम स्तर पर पंचायत भवनों के निर्माण की सार्थकता सिद्ध हो चुकी है । वर्ष 86-87 में इस प्रयोजन हेतु जिला सेक्टर से 3लाख रूपये का अनुदान इस प्रतिबंध के अधीन प्राप्त हुआ है कि कुल लागत का 50प्रतिशत गाँव सभा अर्थात 16 हजार रु0 तथा 50 प्रतिशत अनुदान से अर्थात 16,815रु0 व्यय किया जायेगा । जनपद में पंचायत भवन निर्माण हेतु अंकन 32,815रु0 व्यय अनुमान है । यदि इस योजना को एनआरईपी से सम्बद्ध कर दिया जाय तो कुल व्यय का 25 प्रतिशत गाँव सभा अर्थात 8 हजार रु0 25प्रतिशत जिला सेक्टर अर्थात 8000 रु0 तथा 50 प्रतिशत एनआर इपी अर्थात 16815 रु0 व्यय होगा । एनआरईपी से धनराशि प्राप्त न होने एवं गाँव सभाओं के पास अपेक्षित अंशदान उपलब्ध न होने के कारण 86-87 की धनराशि उपभोग नहीं हो पा रही है ।

ऐसी स्थिति में 50 प्रतिशत गाँव सभा अंशदान के अधीन यह योजना 3 लाख रु0 की प्रस्तावित की जा रही है ।

7-12-5 हाट बाजार तथा मेला सुधार

ग्राम स्तर पर बढ़ते औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रयासों के

फलस्वरूप ग्रामीण बाजारों एवं मेलों की महत्वपूर्ण भूमिका अस्वीकार नहीं की जा सकती है । स्वयं के संसाधनों से अपेक्षित में पूर्णतया सक्षम न होने पर शासकीय सहायता प्रदान की जाती है । जिससे बाजारों में कुछ आधार भूत सुविधाओं उपलब्ध होने के साथ गांव सभाओं की आय में वृद्धि होगी । इसी उद्देश्य से विकास खंड राही सतांव एवं डीह में क्रमशः रुस्तमपुर , दुर्गागंज एवं दीनगंज बाजारों के सामान्य सुधार की योजना है । इस योजना में गांव सभा के अंशदान के समतुल्य अनुदान से योजना संभावित होगी योजनांतर्गत अंकन 15000रु0 की धनराशि प्रस्तावित है ।

7-13 युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल, विभाग

7-13-1 स्वयं सेवकों का सुदृढीकरण- इस योजना में 1-92 लाख रु0 प्रस्तावित है विवरण निम्न है :-

क- वर्दी पर व्यय- प्रादेशिक विकास दल के 300 स्वयं सेवकों हेतु अंकन 190 रु0 प्रति सेट की दर से धन की मांग की गयी है ।

ख- प्रशिक्षण पर व्यय - 300 स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण हेतु 15रु0 प्रति स्वयं सेवक की दर से 15 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु धन की मांग है जिसके अंतर्गत स्वयं सेवकों को भोजन नाश्ता आयोजन का सर्व व्यय वहन किया जायगा । साथ ही अन्य आकस्मिक व्यय भी इसी मद से वहन किये जायेंगे।

ग- मानदेय (ब्लाक कमांडर) - 19 विकास खंडों के 19 ब्लाक कमांडरों को 75रु0 प्रति व्यक्ति की दर से 12 माह हेतु धन की मांग है ।

घ- हल्का सरदारों - इस पर 50 हजार रु0 मानदेय प्रस्तावित है।

7-13-2 युवक मंगल दलों / महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन

क- युवक मंगल दल प्रोत्साहन- 80 युवक मंगल दलों को प्रति 1000/- की दर से प्रोत्साहन हेतु धन की मांग है ।

ख- महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन -40 महिला मंगल दलों को 1000/

प्रति की दर से धान की मांग प्रस्तुत है ।

7-13-3 युवक मंगल दलों की सेमिनार

क- खण्ड स्तर — खंड स्तरीय सेमीनार हेतु 19 विकास खंडों के लिए 10,000/- की मांग है । जिसमें सेमीनार व्यवस्था , लंच आने जाने का मार्ग व्यय किया जायगा ।

जिला स्तर — जिला स्तर पर सेमीनार व्यवस्था लंच आने जाने का मार्ग व्यय किया जायगा ।

7-13-4 समाज सेवा कार्य - 19 विकास खंडों में स्वयं सेवकों की ड्यूटी हेतु 12000/- की मांग है । यह ड्यूटी मेला प्रदर्शिनी तीर्थ यात्रा आदि के समय लगायी जा यगी।

7-13-5 प्रकीर्ण व्यय- 19 विकास खंड तथा जिलाकार्यालय हेतु फर्नीचर स्टेशनरी आलमारी तथा अन्य कार्यालय व्यय पर किया जायगा ।

7-13-6 व्यवसायिक रोजगार- धनराशि प्रस्तावित नहीं की जा रही है ।

7-13-7 ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता

क- खंड स्तर — 19 विकास खंडों में ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु 29,000रु० की मांग है जिसमें व्यवस्था पुरस्कार आनेजाने का मार्ग व्ययआदि सम्मिलित है ।

ख जिलास्तर — जिला स्तर पर आयोजन हेतु 8,000/- की माग है जिसमें व्यवस्था पुरस्कार किटस प्रदेश /मंडल स्तर पर प्रतियोगिता में खिलाडियों को आने जाने का किराया

आदि परव्यय कियाजायगा ।

7513-8 व्यायाम शाला प्रोत्साहन स्थापना

क- व्यायाम शाला भवन निर्माण नगर क्षेत्र - 1,00,000/- की माग है। स्थल का चयन हो गया है फीरोज गांधी पालिटेकनिक भूमि दे रहा है ।

ख- व्यायाम शाला उपकरण- अंकन 50,000/- व्यायाम शाला उपकरण हेतु मागे गये हैं । यह उपकरण 2 व्यायाम शाला को दिये जायेंगे ।

7-14- कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास- इस विभाग के अंतर्गत विकास खंडों में आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 22-74 लाख रु0 का परिव्यय प्रस्तावित है । विकास खंड ऊँचाहार सरेनीखीरों जगतपुर प्रत्येक में एक5एक खंड विकास अधिकारी आवास, 2सहायक विकास अधिकारी आवास, 2 तृतीय श्रेणी तथा । चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के आवास की व्यवस्था वर्ष 87-88 में की जायेगी । अन्य भवनों की व्यवस्था अगले वर्ष रखी जायगी। आगणन आवासीय भवनों का स्टीमेट संलगन है (शासनादेश सं0 4099/38-3-32074 दि0 31-10-85 [illegible])

क्रमांक	भवनों का विवरण	लागत प्रति भवन	स्वीकृत भवनों की सं0	कुल लागत रु0 में	अन्य विवरण
1-	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आवास (टाइप 1)	35500	4	142000	
2-	तृतीय श्रेणी कर्मचारी आवास टाइप 2	66900	19	1271100	
3-	सहायक विकास अधिकारी टाइप 3	91600	6	549600	
4-	खंड विकास अधिकारी टाइप -4	216000	1	216000	

योग 21,78,700 /

7-15 एकीकृत ग्राम्य विकास

7-15-1 सामान्य योजना - वर्ष 1987-88 हेतु शासन से रु0 6-00 लाख प्रति विकासखंड की दर से राज्य सेक्टर के अंतर्गत परिव्यय की संस्तुति की है। जनपदमें 19 विकास खंडों हेतु इसी दर से परि परिव्यय प्रस्तावित किया कियागया है । शासन व्दारा विस्तृत निर्देश जारी किये जाने हैं जिसके आधार पर योजना में परिव्यय कर पुनरीक्षित किया जायेगा । इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1986-87 में रु0 230-69 लाख का परिव्यय निर्धारित कियागया है ।इसमें 50प्रतिशत केंद्र वहन करेगा जिसके अंतर्गत 13848 परिवारों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है जिसमें 50 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जाति के एवं 30 प्रतिशत महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किया जायगा । भौतिक लक्ष्यों में 9190 परिवार दुबारा लाभान्वित किये जायेंगे औरशेष 4658 परिवार प्रथम बार इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किये जायेंगे । इसप्रकार वर्ष 1987-88 हेतु 114 लाख रुपये का राज्यांश के रूप 11400 परिवोरों लाभान्वित किये जाने हेतु प्रस्तावित है ।

7-16 विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम

7-16-1 लघु सीमांत कृषकों का आर्थिक सहायता

वर्ष 1987-88 में रु0 5-00 लाख प्रति विकासखंड की दर से निर्धारित किया गया है । इसके अंतर्गत निःशुल्क बोरिंग मिनीकिट का वितरण एवं भूमि विकास कार्य कियाजायगा। रु0 5-00 लाख में 3-5 लाख अल्प सिंचाई कार्य हेतु 0-50लाख मिनीकिट वितरण हेतु तथा 1-00 लाख रु0 भूमि विकास कार्य हेतु प्रस्तावित कीगयी है जिसमें से 4000रु0 भूमि विकवस कार्य से सम्बंधित रखे गये स्टाफ के वेतन पर भी दिये जाने का प्राविधान है। इस समस्त धनराशि का 50प्रतिशत राज्यांश तथा 50 प्रतिशत केंद्रांश के रूप में किया जायगा।

वर्ष 1987-88 में 40 लाख रुपये राज्यांश के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है जिससे लगभग 2000 परिवारों को लाभ मिलेगा ।

7-17- सहकारिता विभाग

7-17-1 से 7-17-4 तक ऋण एवं अधिकोषण योजना-

जिला सहकारी बैंक की दो शाखाओं मऊगवीं छतोह को जिला योजना 86-87 में प्रति शाखा 8000 रु की दर से कुल 16000 रु0 प्रबंधकीय अनुदान की द्वितीय किश्त स्वीकृत है । इन शाखाओं को 3 वर्ष तक प्रबंधकीय अनुदान देने का प्राविधान है। अत: वर्ष 87-88 में इन शाखाओं हेतु 16000 प्रबंधकीय अनुदान की तृतीय किस्त का प्राविधान जिला योजना में किया गया है ।

2- शासन की नीति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सहकारिता की परिधि में लाकर उन्हें ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंश क्रय करने हेतु ब्याज रहित मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था है । उक्त व्यवस्था के अंतर्गत वर्ष 1987-88 की जिला योजना में अनुसूचित जातियों जनजातियों को अंश क्रय करने हेतु 50,000 रु0 ब्याज रहित मध्य कालीन ऋण का प्राविधान किया गया है ।

7-17-5 से 7-17-9 तक क्रय विक्रय एवं भंडारण योजना

1- सहकारी क्रय विक्रय समितियों को खाद्यान्न की सीधी खरीद पर मूल्य उतार चढ़ाव होने के कारण हानि उठानी पड़ती है जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु जिला योजना 87-88 में सीधी खरीद पर 2 प्रतिशत की दर से कुल 5000 रु0 मूल्य उतार चढ़ाव निधि हेतु अनुदान की व्यवस्था की जाती है ।

2- समितियों को जिला सहकारी बैंक से उर्वरक व्यवसाय हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए ऋणसीमा निर्धारित होती है और निर्धारित ऋणसीमा के विरुद्ध ऋण प्राप्त करने के पूर्व समितियों को मार्जिन मनी के रूप में 20 प्रतिशत धनराशि जमा करनी पडती है। समितियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ न होने के कारण वे उक्त धनराशि जमा करने हेतु समर्थ नहीं हैं अत: जिला योजना 87-88 में उक्त कार्य के लिए 30 समितियों हेतु प्रति समिति 15000रु0 की दर से कुल अंकन 450 हजार रुपया सीमांत धन का प्रावधान कियागया है ।

7-17-10 विधायन योजना- कोई धनराशि प्रस्तावित नहीं है

7-17-11 से 7-17-12 उपभोक्ता योजना-

1- सीधीखरीद पर उपभोक्ता बस्तुओं के भाव में उतार चढाव होने के कारण संस्थाको हानि की संभावना रहती है अत: केंद्रीय उपभोक्ता भंडार हेतु उपभोक्ता बस्तुओं की सीधीखरीद पर 2 प्रतिशत की दर से अधिकतम 25000 रुपया मूल्य उतार चढाव निधि हेतु अनुदान के प्राविधान के अंतर्गत वर्ष 1987-88 की जिलायोजना में 25000 रु0 का प्राविधान कियागया है।

2- प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ न होने के कारण वे अपना उपभोक्ता व्यवसाय सुचारु रूप से चलाने में समर्थ नहीं है। अत: शासन की व्यवस्था के अंतर्गत वर्ष 87-88 की जिला योजना में 11 समितियों हेतु प्रति समिति 7500 रु0 की दर से उपभोक्ता व्यवसाय हेतु कुल 83 हजार रुपये की सीमांत धन का प्राविधान कियागया है ।

बजट के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि संस्थागत वित्त पोषण संस्था द्वारा अतिरिक्त धन की प्राप्ति

1-- क्रय विक्रय एवं भंडारण योजना के अंतर्गत 30 कृषि ऋण समितियों को उर्वरक व्यवसाय हेतु 450 हजार सीमांत धन प्राप्त होने से उन्हें जिला सहकारी बैंक से 2250 हजार रु0 ऋण की सुविधा प्राप्त हो सकेगी ।

2- उपभोक्ता योजना के अंतर्गत उपभोक्ता व्यवसाय हेतु 11समितियों को 83 हजार रु0 सीमांत धन प्राप्त होने पर उन्हें जिला सहकारी बैंक द्वारा 413 हजार रु0 ऋण की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी ।

7-18 विद्युत

7-18-1 ग्रामों का विद्युतीकरण- 90 ग्रामों के एक एक पुरवे के विद्युतीकरण की व्यवस्था हेतु 1987-88 में 3 लाख रुपये का वित्तीय परिव्यय प्रस्तावित है यह योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत आती है । इस हेतु 3 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

7-18-2 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

उक्त 10 ग्रामों से संबंधित पुरवों की विद्युत व्यवस्था हेतु 57 हजार का धन प्रस्तावित है ! यह योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत है । इस हेतु 57 हजार रु0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

7-18-3- 40 नलकूपों के उर्जन हेतु 2-10 लाख रु0 का वित्तीय परिव्यय प्रस्तावित है ! यह योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत है ! विद्युत ~~विभाग~~ विभाग को वित्तीय परिव्यय निर्धारित करते समय विद्युत विभाग द्वारा प्रस्तावित वित्तीय

परिव्यय ही निदेशानुसार रखा गया है ।

7-14- ग्रामीण एवं लघु उदयोग

7-19-1 औदयोगि अवस्थान छतोह औदयोगिक अवस्थान में उ0प्र0 लघु उदयोग विकास निगम द्वारा एक आदयोगिक आस्थान 11-64 एकड में निर्मित किया गया है जिसमें 4 शेड तथा 10 भूखंड हैं । इस आस्थान मे स्वतंत्र फीडर लगाने के लिये अनुमानित परिव्यय रु0 400 हजार निदेशालय के निदेशानुसार जिलासेक्टर मद में परिवर्तित करने हेतु प्रस्तावित है ।

7-19-2 औदयोगिक सहकारिता(आवस्त्रीय)-कोई धन प्रस्तावित नहीं है ।

7-19-3 मेला एवं प्रदर्शनी

अभी तक वर्ष 85-86 से पूर्व प्रदर्शनी एवं मेले योजना राज्य सरकार की योजना थी किंतु नियोजन विभाग द्वारा इसे राजय सेक्टर तथा जिला सेक्टर क्षेत्रों में कर दिया है । जनपद स्तर में प्रदर्शनी तथा सेमिनार आयोजित करने के लिए कठिनाई सा हो निदेशालय के निदेशानुसार प्रस्तुत मद में रु0 25 हजार प्रस्तावित है ।

7-19-4- जिला उदयोग केंद्र मार्जिन मनी ऋण

केंद्र सरकार द्वारा कायान्वित की गयी है । इस योजना का उददेश्य कुटीर उदयोग एवं लघुउदयोगों में लगे हुए छोटे छोटे उदयमियों को उदार शर्तों पर ऋण दिलाकर उनको उदयोग स्थापित करने में सहायता प्रदान करना है । प्रति जिला उदयोग केंद्र रु0 200 लाख की दर से मार्जिन मनी ऋण प्रदान करने का प्राविधान है । इसमें 50 प्रतिशत केंद्र सरकार तथा 50प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा व्यय वहन किया जाता है।

इसी के अनुरूप वर्ष 1987-88 हेतु रु0 1 लाख प्रस्तुत मद में जिलासेक्टर योजनांतर्गत परिव्यय प्रस्तावित है ।

7-19-5 एकीकृत मार्जिन मनी ऋण

शासन द्वारा शासनादेश सं0 6006/10-2-34 (3)84 दिनांक 9-11-84 के द्वारा विकास केंद्र मार्जिन मनी ऋणयोजना शिक्षित बेरोजगार तथा तकनीकी उदयमियों के लिये मार्जिन मनी ऋणयोजना तथा विभिन्न औदयोगिक समूहों के स्थापित इकाइयों के लिए मार्जिन मनी ऋण योजना को मिलाकरएकीकृत मार्जिन मनी ऋणयोजना स्वीकृत की गयी है । प्रस्तावित योजनांतर्गत लघु औदयोगिक इकाइयों को जिसमें रु0 35 लाख तक मशीन एवं संयंत्र में (अनुषांगिक इकाई की अवस्था में रु0 45 लाख) अधिकतम रु0 3 लाख प्रतिइकाई की दर से मार्जिन मनी ऋण दिये जाने का निदेश है । चूंकि मशीन एवं संयंत्र की सीमा बढ़ जाने से तथा जनपद में जगदीशपुर औदयोगिक क्षेत्र के साथ- साथ अन्य क्षेत्रों में लघु उदयोगिक इकाइयों के लगने की अधिक संभावना है । इस उद्देश्य से वर्ष 87-88 में प्रस्तुत योजनांतर्गत कम से कम 14 लाभार्थी को लाभान्वित करने के लिए रु0 7 लाख का परिव्यय प्रस्तावित है ।

7-19-6 उदयमकर्ता विकास

निदेशालय के निदेशानुसार प्रति तहसील एक 6 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किये जाने के निदेश हैं। इसप्रकार 6 प्रशिक्षण शिविर जनपद में आयोजित किये जाने हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रति प्रशिक्षण रु0 6000-00 की दर से 36,000/ व्यय होगा। इसके अतिरिक्त 2 पंद्रह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने हैं ।

इन पर प्रतिप्रशिक्षण रु0 16000 की दर से 32000 व्यय होगा। उपरोक्त दोनों प्रशिक्षण शिविरों हेतु वर्ष 87-88 के लिए रु0 75000 प्रस्तावित है ।

7-19-7 चिकन उद्योग केंद्र

कोई धन प्रस्तावित नहीं है ।

7-19-8(क) हिस्सा पूंजी ऋण हथ करघा योजना

समिति यों के आर्थिक दृष्टि कमजोर सदस्यों को समिति का अंशक्रय करने हेतु अंश पूंजी ऋण दिया जाता है । योजना के अंतर्गत सदस्यों को 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने पर 75 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वाराऋण के रूप में प्रदान की जाती है । वर्ष 87-88 के लिए 10,000 की मांग की गयी है ।

7-19-8(ख) प्रबंधकीय अनुदान

समितियों के लेखा जोखा के रखरखाव हेतु प्रशिक्षित सचिव की नियुक्ति विभाग द्वारा समिति में की जाती है जिसके अंतर्गत सचिव के वेतन भुगतान हेतु विभाग से समितियों का निम्न प्रकार से अनुदान दिया जाता है ।

	सरकार से सहायता	समिति का अंशदान
प्रथम वर्ष	5400	
द्वितीय वर्ष	3600	1800
तृतीय वर्ष	1800	3600

सचिव को 450 रु0 मासिक वेतन दिया जाता है और चतुर्थ वर्ष में सम्पूर्ण धनराशि का वहन समिति स्वयं अपने निजी साधनों से करती है। वर्ष 87-के लिए 13000-00 की मांग की गयी है ।

7-19-8(ग) कार्यशाला

समिति को अपने करघों की स्थापना एक स्थान पर ही करने हेतु व्ययनिर्माण करने के लिए ऋण देने की व्यवस्था है । एक कार्यशाला निर्माण में 75000रु0 धनराशिका अनुमान है जिसमें से 60,000 विभाग से ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है और शेष 15000 की व्यवस्था समिति अपने निजी स्रोतों से करती है। कार्यशाला हेतु ऋण उन्हीं समितियों को दिया जाता है जिनके पास निर्माण हेतु 250 वर्ग गज निजी भूमि उपलब्ध है चूंकि जनपद समितियाँ ऐसी सक्षम नहीं हैं जिनके पास निजी भूमि उपलब्ध हो एवं निजी श्रोतो से 15000 व्यय कर सकें इस दृष्टिकोणसे वर्ष 87-88 में इस मद में कोई मांग नहीं की गयी है ।

7-19-8 (घ) आधुनिकीकरण हेतु सहायता

समिति के पास उपलब्ध करघों का आधुनिकीकरण से सुधार लाने के लिए इस योजना में ऋण से सुधार लाने के लिए इस योजना में ऋण एवं अनुदान देने का प्राविधान है वर्ष 87-88 में इस मद में 30,000 की मांग कीगयी है ।

7-19-9 रंगाई घरों की स्थापना

सहकारी समितियोंको पक्के रंगों की रंगाई हेतु रंगाई घर की स्थापना हेतु सहायता देने की व्यवस्था है । एक रगाई घरकी लागत 50,000 आंकीगयी है जिसमें 37,500 ऋण दिया जाता है और 12500 समिति को व्यवस्था करना होता है तथा 200 वर्गगज भूमि में रंगाई घर स्थापित होता है। यह सहायता उन्हीं समितियों को दी जाती है जिनके पास 200 वर्ग गज निजी स्वामित्व की भूमि है तथा 12500 की व्यवस्था निजी श्रोतों से कर सकें चूंकि जनपद

में उक्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु कोई सक्षम समिति नहीं है अतः इस मद में वर्ष 87-88 में 37,000 रु0 की मांग कीगयी है ।

इसी क्रम में आपको यह भी अवगत कराना है कि 1985-86 में समितियों के पक्ष में स्वीकृत किसी भी प्रकार की सहायता अभी तक मुख्यालय द्वारा मुक्त नहीं की गई है क्योंकि मुख्यावास द्वारा निर्धारित समिति के सदस्यों का मतदाता सूची से सत्यापन तथा उनका फोटोग्राफ उपलब्ध कराने सम्बंधी औपचारिकताएं समितियों द्वारापूर्ण नहीं की गयी हैं ।

7-20- : ग्रामीण सडकें एवं पुल

7.20.1 वर्ष 1987-88 के लिए 38ग्रामीण सडकें जो कि पहले निर्माणाधीन हैं का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त 19 नये मार्गों का मिटटी स्तर से सोलिंग स्तर तक का प्रस्ताव न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अनुसार कियागया है । एक मार्ग सोलिंग स्तर से लेपन स्तर पर भी लिया गया है । नये मार्ग प्रस्तावित है । प्रयास यह है कि प्रत्येक प्रस्तावित मार्ग ग्राम आबादी से जुडे एवं नये प्रस्तावित मार्ग हरिजन बाहुल्य ग्राम हों। इस हेतु 95-50 लाख रु0 का परिव्यय प्रस्तातिव है ।

7-21 पर्यटन

7-21-1 जायस

रायबरेली नगर से 35 कि0मी0 की दूरी पर रायबरेली सुलतानपुर रोड पर स्थित इस स्थान का मुख्य महत्व हिन्दी के प्रसिद्ध कवि जायसी के कारण है जिनका यहाँ जन्म हुआ था एवं यहाँ अभी तक उनके मकान के खंडहर विद्यमान हैं । जायसी का मकान जो अब खंडहर के रूप में है पर एक शिला जो 5 फिट ऊंची है पर निम्न चौपाई अंकित है :

केई न जगत जस बैंचा
कैई न लीन जस मोल।
जो सुने कहानी
हमें सुमिर दो बोली

सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी का हिन्दी साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान है अत: इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हिन्दी के विद्वान जिज्ञासु तथा सूफी

विचार धारा के सामान्य जन भी इस स्थान का दर्शन एवं भ्रमण करने देश के कोने कोने से आते रहते हैं एवं यदाकदा विदेशों से भी पर्यटक इस स्थान का दर्शन भ्रमण करने आ ते रहते हैं । परंतु पदमावत जैसे महाकाव्य के यशस्वी लेखक का जन्म स्थान एवं विशेषकर उनके पैतृक निवास की दुराव्यवस्था है उससे एवं विशेषकर सुदूर प्रांतों से आने वाले जिज्ञासुओं को अपार मानसिक कष्ट पहुंचता है । सारा जायस कस्बा आधारभूत सुविधाओं से वंचित है । न तो वहां पर कोई अच्छा रेस्टा न कोई प्रसाधन सुविधा है एवं न तो मलिक मोहम्मद जायसी के पैतृक भवन जिसको कि स्मारक का रूप दिया जानाचाहिए था के रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं है । प्रारम्भिक चरण में जिन आधारभूत प्रस्तावों का कार्यान्वयन मैं आवश्यकीय समझता हूं उसका विवरण निम्नप्रकार है :-

1- जायसी के ध्वस्त मकान का संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण।

2- जायसी के स्मारक का जीर्णोधार एवं सौंदर्यीकरण

3- जायस में रेस्टा का निर्माण

4- जायसी के मकान के प्रांगण में उनके द्वारा लिखित समस्त साहित्यिक कृतियों का संग्रह एवं प्रदर्शन ।

जहां तक उपरोक्त प्रस्तावों के आधार पर जायस के पर्यटन विकास का प्रश्न है उसके संबंध में संस्तुति इस कार्यालय द्वारा 15 जून 82 को पूर्व में ही निदेशालय

को दे दी गयी है । वर्ष 1986-87 में इस हेतु 2-80 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत है ।

7-21-2 डलमऊ का पर्यटन विकास

यह ऐतिहासिक स्थान रायबरेली से 30 कि०मी० की दूरी पर गंगा के तट पर स्थित है । कहा जाता है कि इस स्थान को राजा डाल ने बसाया था। उनके समय की ध्वस्त गढ़ी एवं पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण अन्य खांडहर अभी यहां बाकी है। यहां पर गंगा नदी से लिफ्ट सिस्टम की प्रक्रिया के फलस्वरूप वृहद रूप से पानी खींचा जाता है जिससे गंगा कैनाल का प्रारम्भ हुआ है । इस स्थान पर एक बड़ा पावर हाउस निर्मित किया जा रहा है। इस प्रकार यहां पर बराबर निर्माणकार्य चल रहा है जिससे पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण सामग्रियां विनष्ट हो रही हैं । अतः यह उचित होगा कि इस स्थान की देख भाल भी पुरातत्व विभाग द्वारा की जाय एवं वहां पर पुरातत्व की दृष्टि से उपयोगी जो सामग्री मिले उसका संग्रह किया जाय। इस हेतु वर्ष 87-88 में 3-10 लाख रु० का परिव्यय प्रस्तावित है ।

7-21-3 अहोरवा भवानी

आस पास के क्षेत्रों में ख्यातिप्राप्त अहोरवा भवानी का महाराजगंज से 24 कि०मी० की दूरी पर इन्हौना रायबरेली रोड पर स्थित है । इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि महाभारत काल में जब अर्जुन यहां आखेट खेलने आये थे जब उन्होंने मंदिर की स्थापना की थी यह मंदिर आस पास के क्षेत्रों में अत्यंत प्रसिद्धिप्राप्त है । यद्यपि प्रति सोमवार को इस मंदिर में मेला लगता है तथापि आषाढ़ तथा सावन मास में सोमवारों को दर्शनार्थियों की भीड़ अपेक्षाकृत अधिक होती है । यद्यपि

यहाँ पर इस बात को कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है कि कितने यात्री आते हैं तथापि आषाढ़ व सावन हर सोमवारों को अनुमानतः एक लाख व्यक्ति दर्शन पूजा के लिए आते हैं । मंदिर के पुजारी श्री केदारनाथ ने बताया कि मंदिर की आय संस्कृत महाविद्यालय जो कि अमर ... में स्थित है के उपयोग में आती है ।

इस मंदिर की मान्यता आस पास के क्षेत्रों में बहुत अधिक है। यहाँ काफी संख्या में दर्शनार्थी आते हैं अतः यह आवश्यक होगा कि कुछ आधार भूत सुविधायें उपलब्ध करायी जायें जिससे यात्रियों को सुविधा मिल सके एवं और अधिक यात्री वहाँ आने के लिए उत्साहित हो सके । इस हेतु 1987-88 में 20 हजार रु0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

7-21-4 रेवती राम का तालाब/

यह तालाब रायबरेली नगर में ही रायबरेली लखनऊ मार्ग पर स्थित है यद्यपि आज यह तालाब काफी ध्वस्त हो चुका है परंतु इसके निर्माण की शैली से पता चलता है कि यह तालाब मुख्यतः पुरुष एवं महिलाओं के स्नान के लिए बनाया गया था । तालाब ~~मुख्यत:~~ की संरचना उच्चकोटि की है एवं यह आज भी इस तालाब का सम्वर्द्धन एवं सौंदर्यीकरण कियाजाय तो पर्यटकों तथा नगरनिवासियोंके लिए यह एक आदर्श स्नान स्थली बन सकता है अभी तालाब इतनाध्वस्त नहीं हुआ है कि वह बिलकुल अनुपयोगी हो जाय। इसके पहले कि वह और ध्वस्त हो उसका सम्वर्धन किया जा सकता है । इस योजना पर कार्यवाही गत कई वर्षों से चल रही है।

इस सम्बंधT में कार्य अधिशाक वि0नि0ई§ मार्ग सा0नि0वि0 व्दारा बनाये गये आगणनों जिनकी लागत 23-16 लाखT है पर्यटन मुख्यालय को वर्ष 1983 में पूर्व ही भेजे जाचुके हैं जिन परस्वीकृति अपेक्षित है। इस तालाब के विकास हेतु प्रस्ताव निम्न प्रकार है :-

1- मुख्य मोटर मार्ग रामपुर से रेवतीराम तालाब तक 1 कि0मी0 पक्की सडक का निर्माणT।

2- तालाब के चारों ओर वृक्षTरोपण एवं पार्क का निर्माण

3- किओस्का का निर्माण

4- तालाब की सफाई एवं पानी निकासी की व्यवस्थTT

5- घTटों की मरम्मत

6- मुख्य व्दार का जीर्णोद्धTर

7- पार्किंग स्थल का विकास

8- कुएं की मरम्मत

~~7-21-5~~ इस योजना हेतु एक लाखT रुपये का परिव्यय वर्ष 87-88 में प्रस्तावित है ।

7-21-5 समसपुर झील

यह झील लखनऊ इलाहाबाद मार्ग पर सलोन तहसील से 8 कि0मी0 की दूरी पर ~~मवई नामक गांव है~~ स्थित है। सलोन-ऊँचाहार मार्ग पर 4 कि0मी0 की दूरर पर मवई नामक गांव है जहां से 4 कि0मी0 लम्बी तथTT कच्ची सडक व्दारा झीलको पहुचा जा सकता है । इस प्रकार यह झील रायबरेली से लगभग 40 कि0मी0 की दूरी पर है । समसपुर झील का क्षेत्रफल लगभग 671-10 एकड़ में फैली है जिसमें वर्ष भर पानी भरारहता है । इसकी विशालता के कारण यहां देशी पक्षियों की अनेक प्रजातियां तो मिलती ही हैं परंतु इसके अतिरिक्त दूर देशों के पक्षी भी झुण्ड के झुण्ड यहां आते हैं।

। सरोवर में बहुत बडी संख्या में अनेक प्रकार की मछलियां हैं झील अत्यंत आकर्षक है एवं इसकी विशालता इसमें पाये जाने वाले विविध देशी विदेशी पक्षियों के कारण यह पर्यटकों के लिए ~~यहां~~ अत्यंत आकर्षक सिद्ध हो सकती है। क्योंकि मुख्य मार्ग से इसकी दूरी केवल 4 कि0मी0 है । अत: पर्यटकों के लिए यहां पहुचना अत्यंत सुलभ है । इस झील के विकास के प्रस्ताव निम्न प्रकार से हैं :-

1- गवई गांव से सरो र तक 4 कि0मी0 पक्की सड़क का निर्माण।

2- झील के चारों ओ वृहद वृक्षारोपण

3- प्रसाधन सुविधायें

4- कैम्पिंग साइट का विकास

5- नौका विहार हेतु 4 नौकाओं का क्रय

6- कच्चा हट का निर्माण

इस संबंध में इस स्थान के विस्तृत योजना जिसकी लागत 12-80 लाख है इस कार्यालय के पत्र संख्या 1103 दिनांक 30 नवम्वर 1984 को जिलाधिकारी रायबरेली को वर्ष 85-86 की जिलायोजना में सम्मिलित करने हेतु पूर्व ह ी भेज दी गयी है । इस हेतु 80 हजार रु0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

7- [illegible]

[illegible] की दूरी [illegible]

[illegible] है । [illegible]

[illegible]

[illegible] का परिव्यय [illegible] हेतु प्रस्तावित [illegible]

जा रहा है ।

7-22 शिक्षा विभाग

7-12-1 ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र में भवन रहित स्कूलों का निर्माण

इस योजना के अंतर्गत ऐसे विदयालय भवनों का निर्माण किया जाता है जो पूर्व चल रहे हैं परंतु वहां भवन नहीं हैं । 1987-88 हेतु ऐसे 5 भवनों के निर्माण पर 3-25 लाख रुपये प्रस्तावित हैं ।

7-22-2 राजकीय बेसिक स्कूलोंके भवनों एवं छात्रावास कानिर्माण -

जनपद रायबरेली में एक राजकीय बेसिक विदयालय है जो राजकीय इंटर कालेज के छात्रावास में लगता है इसका निजी भवन नहीं है अत: जिला प्लान में उक्त योजना हेतु 7-36 लाख रु० का परिव्यय वर्ष 86-87 में स्वीकृत है। अब कोई धन वर्ष 87-88 में प्रस्तावित नहीं है ।

7-22-3 असहायिक मान्यता प्राप्त सी०बे०स्कूलों कीअनुरक्षण अनुदान - जनपद रायबरेली में अनुदान सूची पर लिये जाने योग्य 10 विदयालय हैंअत: इनके अनुदान सूची पर लियेजने हेतु वर्ष 87-88 के जिला प्लान में 4-50 लाख रु० प्रस्तावित है ।

7-22-4 ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र में सी०बे०स्कूलों का भवननिर्माण

इस योजना के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद ऐसे 4 विदयालय भवन हेतु 5-02 लाख रु० काप्रस्ताव जिला योजना में कियागया है ।

7-22-5 ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित ज०बे०स्कूल खोलने हेतु अनुदान

इस वर्ष 5 नये विदयालय खोलने हेतु 4-26 लाख रु० कापरिव्यय प्रस्ताव किया जारहा है ।

7-22-6 नगर क्षेत्रों में बालक बालिकाओं के ज०बे०स्कूल खोलने हेतु अनुदान -

वर्ष 86-87 में इस योज ना के अंतर्गत कोई धन का प्रस्ताव नहीं किया गया था इस प्रकार वर्ष 87-88 में एक नया जूनियर

बेसिक स्कूल खोला जायेगा । इस हेतु 2-37लाख रु0 कापरिव्यय प्रस्तावित है ।

7-22-7 जू0बे0स्कूलों में विज्ञान शिक्षण के सुधार एवं विज्ञान सीज सज्जा हेतु अनुदान

जूनियर बेसिक विद्यालयों में विज्ञानशिक्षण में सुधार हेतु विज्ञान सामग्री क्रय करने के लिए 36 हजार रुपये प्रस्तावित हैं ।

7-22-8 ग्रामीण क्षेत्र में छात्र संख्या में वृद्धि तथा स्थिरता हेतु बालिकाओं तथा निर्बल वर्ग के बालकों को पाठ्य पुस्तकों के वितरणार्थ प्रोत्साहन अनुदान :

वर्ष 1987-88 में इस योजनाके अंतर्गत 12 हजार रु0 का परिव्यय प्रस्तावित है । इसके अंतर्गत निर्बल के बच्चों को पाठ्य पुस्तक वितरत किये जाते हैं ।

7-22-9 ग्रामीणक्षेत्र में बालक बालिकाओं के सीनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 87-88 में नये विद्यालयों हेतु 5-60 लाख रु0 का वित्तीय प्राविधान प्रस्तावित किया जा रहा है ।

7-22-10 नगर सीनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान शिक्षा सुधार अनुदान: इस योजना के अंतर्गत 25 हजार रु0 प्रस्तावित हैं । इसमें नगर में में विज्ञान सामग्री क्रय की जाती है ।

7-22-11 6-14 वय वर्ग के बच्चों हेतु अंशकालीन कक्षायें

साक्षरता बढाने के उद्देश्य से सरकार ने ऐसे बच्चे जो विद्यालय नहीं जाते हैं अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत सायंकालीन विद्यालयों की स्थापना हेतु उक्त मद में जिलायोजनावर्ष 87-88 में 8-68 लाख रु0 का वित्तीय प्राविधान प्रस्तावित है यह केवल वेतन हेतु है ।

7-22-12 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का सुदृढ़ीकरण

इस योजना के अंतर्गत जीप एक मोटर ड्राइवर तथा ड्राइवर ~~###~~ का वेतन आता है । इस जनपद में जीप मोटर ड्राइवर के पद हैं अतः जिला योजना में 30 हजार रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है।

7-22- 13 कक्षा 6 से 8 में 10/- प्रतिमास की दर से 33 वर्ष की छात्र वृत्ति

शिक्षा उन्नयन की दृष्टि कोण से प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृति देने की योजना के अंतर्गत धन का प्राविधान जिला योजना में 35 हजार रु0 का प्रस्तावित है ।

7-22-14 बेसिक स्कूलों के अध्यापकों को दक्षता पुरस्कार

बेसिक शिक्षा परिषद के ऐसे अध्यापक जिनका शिक्षा कार्यक्रम उत्तम कोटि का है को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 86-87 में 10 अध्यापकों को पुरुस्कृत करने हेतु 5 हजार रु0 का प्राविधान प्रस्तावित है ।

7-22-15 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु सीनियर बेसिक स्कूलों में बुक बैंक योजना

इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को जिन्हें पुस्तकीय सहायता नहीं प्राप्त है तथा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से निर्बल वर्ग के छात्र /छात्राओं को शैक्षिक सत्र 87-88 के लिए 25 हजार रु0 का प्राविधान प्रस्तावित है ।

7-12-16 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय भवन निर्माण

जनपद रायबरेली में जिला बेसिक शिक्षा का कार्यालय को कोई भवन नहीं है अतः इसके निर्माण हेतु एक लाख रु0 का प्राविधान वर्ष 86-87 मे है अतः अब वर्ष 87-88 में कोई प्राविधान नहीं किया जा रहा है ।

7-22-17 सीनियर वेसिक स्कूलों को साजसज्जा अनुदान

सीनियर वेसिक स्कूलों के सुचारु रूप से चलने हेतु टाट पटटी मेजकुर्सी स्टेशनरी आदि की आपूर्तिइस योजना में 45 हजार रु० का प्राविधान किया गया है ।

7-22-18 जूनियर वेसिक स्कूलों में साजसज्जा तथा शिक्षा सामग्री अनुदान

प्रायमरी पाठशालाओं में टाट पट्टी मेज कुर्सी तथा स्टेशनरी आदि के आपूर्ति हेतु इस मद में 2-17 लाख रु० की धनराशि प्रस्तावित है ।

7-22-19 निर्बल वर्ग के वच्चों को पोशाक व्यवस्था

इस योजना में वच्चों को एक ड्रेस तथा प्रोत्साहन स्वरूप अनुसूचित जातियों के वच्चों जिनकी उपस्थिति नियमित व अच्छी है । वर्ष 1987-88 में कोई परिव्यय नही प्रस्तावित है ।

इस प्रकार वेसिक शिक्षा को 47-60 लाख रु० का परिव्यय प्रस्तावित है ।

7-22-20 माध्यमिक शिक्षा

खेल कूद तथा अन्य सुविदायों के वाहर शैक्षिक कार्यक्रम तथा युवक कल्याण हेतु प्राविधान

इस योजना में 87-88 में 3 हजार का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है । इस योजना में जिला स्तर पर प्रत्येक वर्ष रैली आदि की जाती है जिसमें यह स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने की योजना है ।

7-22-21 उच्चतर माध्यमिक विदयालयों में वालचर योजना का प्रचार

इस योजना में अंतर्गत वर्ष 87-88 में 4 हजार का

परिव्यय प्रस्तावित किया गया है । जनपद के कुछ चुने हुए माध्यमिक विद्यालयों में §बेसिक /बालिका§ बालचर योजना §स्काउट§ के विस्तार हेतु 400/- प्रति विद्यालय की दर से 10 विद्यालयों को अनुदान स्वीकृत किया जायगा ।

7-22-22 संस्कृत पाठशालाओं को विकास अनुदान

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 87-88 में 78 हजार का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। इस जनपद के 4 उत्कृष्ट संस्कृत पाठशालाओं को भवन सज्जा तथा पुस्तकालय अनुदान देने की योजना है । जिसके अंतर्गत भवन निर्माण हेतु 12000 सज्जा 1500 तथा पुस्तकालय हेतु 2000 प्रतिविद्यालय की दर से अनुदान निदेशालय व्दारा स्वीकृत किये जाने की योजना है अनुदान तथा प्रबंधकीय अंश का अनुदान 60-40 का होगा।

7-22-23 वर्तमान राजकीय जिला पुस्तकालय की स्थापना एवं विकास

इस योजना के अंतर्गत जनपद में एक नया राजकीय जिला पुस्तकालय की स्थापना वर्ष 86-87 में हो चुकी है जिसके लिए 135 हजार की धनराशि स्वीकृत भी हो चुकी है वर्ष 87-88 में पुस्तकालय भवन निर्माण आदि के लिए 157 हजार धनराशि की मांग की गयी है सातवीं योजना हेतु निर्माण की कुल लागत 6 लाख अनुमानित होगी।

7-22-24 सार्वजनिक पुस्तकालय को अनुदान

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 87-88 में रु0 40 हजार का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है । इस धनराशिकेवर्ष 87-88 में जिले के 5 सार्वजनिक पुस्तकालयों को 8 हजार प्रति पुस्तकालय की दर से विकास अनुदान पर व्यय किये जाने की योजना है ।

7–22–25 प्रदेश के प्रत्येक जिले के कक्षा 6 से 8 तक में 15/– प्रतिमाह की दर से 3 कक्षा तक के लिए योग्यता छात्रवृत्ति

इस योजना अंतर्गत वर्ष 87–88 में 67 हजार का परिव्यय प्रस्तावित किया जा रहा है विद्यालयों में अध्ययन रत योग्य छात्रों को कक्षा 6–8 तक में 15/– प्रतिमाह की दर से 120छात्रों को यह छात्रवृत्तियां दिये जाने की योजना है ।

7–22–26 राजीय इण्टर विद्यालयों में अतिरिक्त अनुभाग खोलना तथा नए विषयों का समावेश :– इस योजनांतर्गत वर्ष 87–88 में 50 हजार का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है । राजकीय विद्यालयों में बढ़ती हुई छात्र संख्या के फलस्वरूप छात्रों के प्रवेश समस्या आदि के निराकरण के लिए अतिरिक्त अनुभाग खोलकर तथा नवीन विषयों के समावेश के लिए रा0इ0 कालेज रायबरेली में 2 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किये जाने की योजना है ।

7–22–27 सहायता प्राप्त उ0मा0वि0 को पुस्तकालयों का सम्वर्धन

इस योजनान्तर्गत वर्ष 87–88 में 32 हजार का परिव्यय प्रस्तावित किया जाता है जनपद के 50उत्कृष्ट उ0मा0वि0को 64000 की दर से पुस्तक क्रय हेतु अनुदान स्वीकृत किया जायगा जिसमें कुल 8000/– की योजना है शेष 1600 प्रति विद्यालय प्रबंधक अपने निजी स्रोतों से व्यय करेगा ।

7–22–28 सहायता प्राप्त उ0मा0विद्यालयों को अति छात्र संख्या तथा सेनेटरी सुविधा हेतु अनुदान

इस योजना हेतु 87–88 में 144 हजार का परिव्यय प्रस्तावित है जनपद के 5 उत्कृष्ट विद्यालयों को 22500 की दर से अति0 कक्षा शौचालय §कामन रूम§ निर्माण हेतु अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है निर्माण की कुल लागत 25 हजार प्रति विद्यालय होगी शेष धन प्रबंधकीय अंश से विद्यालय करायेगा ।

7-22-29 ग्रामीण क्षेत्रों के बालकों के विद्यालय प्राप्त [illegible] में पढ़ रही बालिकाओं के लिये [illegible] :-

इस योजना के अन्तर्गत [illegible] में 1.[illegible] लाख रु० का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है जिसमें [illegible] 25 हजार प्रति विद्यालय की दर से [illegible] हेतु अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है।

7-22-30 राजकीय उ०मा०वि० बालिका विद्यालय भवन निर्माण:-

इस योजनान्तर्गत वर्ष 87-88 में 15-5 लाख रु० का परिव्यय प्रस्तावित किया जा रहा है। जनपद में राजकीय उ०मा० बालिका विद्यालय भवन का निर्माण कार्य पूर्व में [illegible] सेक्टर से स्वीकृत था परन्तु यह योजना अब जिला सेक्टर में स्थानान्तरित हो गयी है।

7-23- खेलकूद:-

7-23-1 ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद केन्द्रों का विकास तथा शासकीय/अशासकीय स्कूलों में खेलकूद केन्द्रों की स्थापना:-

इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद केन्द्रों की स्थापना व उस पर व्यय किया जाता है वर्तमान स्थिति में बछरावाँ, लालगंज, गंगागंज, सलोन, [illegible], तिलोई तथा गुराई का बाग कुल सात ग्रामीण खेलकूद केन्द्र स्थापित हैं इन केन्द्रों हेतु वर्ष 87-88 में 1 हजार [illegible] रुपये प्रतिकेन्द्र की दर से 11 हजार रु० की परिव्यय

प्रस्तावित है ।

7-232 खेलकूद उपकरण सामग्री की सम्पूर्ति

इस योजना के अंतर्गत जिला मुख्यालय पर बालक बालिकाओं के खेलकूद प्रशिक्षण शिविर के आयोजन स्थायी प्रकार के क्रीडा उपकरण /समग्री क्रय की जाती है वर्ष 87-88 में इस योजना हेतु 44 हजार रु0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

7-23-3 विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन

जिला मुख्यालय पर स्थानीय बालक/बालिकाओं को जिला स्तर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है । वर्ष 87-88 में बालकों की 16 तथा बालिकाओं की 9 प्रतियोगिताओं का आयोजन कराने का अनुमान है । इस योजना हेतु 35 हजार रु0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

7-23-4 विभिन्न क्रीडा प्रतिष्ठानों का निर्माण

इस योजना के अंतर्गत पहले से निर्माणाधीन बहुउददेशीय स्टेपर्स हाल के निर्माण हेतु 1 लाख 60 हजार रु0 का परिव्यय प्रस्तावित है । तरण ताल के निर्माण 10 लाख रु0 तथा स्टेडियम की बाउडी वाल को ऊँचा करने हेतु 1 लाख 20 हजार रु0 का परिव्यय प्रस्तावित है । इस प्रकार इस योजना के अंतर्गत वर्ष 87-88 में कुल व्यय 12 लाख 80 हजार रु0 का परिव्यय प्रस्तावित किया जा रहा है । इनका आगणन संलग्न किया जा रहा है ।

खेलकूद की सभी योजनाओं का वर्ष 1987-88 का कुल परिव्यय 1370 हजार रुपये प्रस्तावित है ।

7-24 प्राविधिक शिक्षा
===================

7-24-1 नये ट्रेड का खोला जाना

फीरोज गांधी पालीटेकनिक रायबरेली के अवशेष भवन छात्रों की सुविधा हेतु छात्रावास में व्यवस्था सायकिल स्टैंड आदि की व्यवस्था प्रशिक्षण हेतु साज सज्जा की व्यवस्था प्रस्तावित है ! गुणात्मक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों के प्रशिक्षण परिव्यय में व्यय का प्रस्ताव है ।

इसके साथ ही दो नये पाठ्यक्रम टेक्नालाज एवं सिविल इंजीनियरिंग आगामी जुलाई 1987 से प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है । क्योंकि उक्त दोनों व्यवसायों में जन शक्ति की आवश्यकता है । रायबरेली व अमेठी क्षेत्र के त्वरित औद्योगिक विकास को दृष्टिगत प्रोडक्शन टेक्नालाजी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम का प्रारम्भ किया जाना हरदशा में वर्ष 1987-88 में नितांत आवश्यक है ताकि आगामी वर्षों में इस क्षेत्र के लिए आवश्यक जनशक्ति की मांग पूर्ति हो सके । इस हेतु 10-50 लाख रु० का परिव्यय प्रस्तावित है ।

7-25 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
===========================

7-25-1 आयुर्वेदिक /यूनानी औषधालयों की स्थापना

8 चालू हैं तथा 3 प्रस्तावित हैं वेतन साज सज्जा में 350 हजार की धनराशि प्रस्तावित है । इसमें से 50 हजार रुपये हरिजन क्षेत्र में व्यय किया जायगा ।

7-25-2 उपकेंद्रों का भवन निर्माण

शासन की यह नीति है कि उपकेंद्रों का भवन अधिक

से अधिक बनवाया जाय । 5 उपकेंद्रों का भवन निर्माण प्रस्तावित है। इसमें 525 हजार रु0 व्यय होंगे । 140 हजार रु0 हरिजन क्षेत्र में व्यय किये जायगे ।

7–25–3 सब्सीडियरी हेल्थ सेंटर की स्थापना

~~जिला अस्पताल में 5 स्टाफ नर्स 3 सिस्टर के पद सृजन में तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन में~~ निर्माणाधीन सब्सीडियरी हेल्थ सेंटर के निर्माण में 50 हजार रु0 व्यय किये जायगें ।

7–25–4 उपचारिका सेवाओं का प्रसार

जिला अस्पताल में 5 स्टाफ नर्स 3 सिस्टर के पद सृजन में तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन में 200 हजार रु0 का प्राविधान किया गया है। ~~प्रदेश के~~

7–25–5 प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 25/15 शैया युक्त आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना

इस योजना में चालू । तथा 2 प्रस्तावित 25/15 शैया युक्त आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सालयों के स्थापना में 600 हजार रु0 का प्राविधान किया गया है । इसमें कर्मचारियों के वेतन साज सज्जा में व्यय किया जायेगा ।

7–25–6 वर्तमान आयुर्वेदिक चिकित्सालयों औषधालयों का प्रोन्नयन

प्रोन्नयन में 50 हजार रु0 की धनराशि का प्राविधान किया गया है ।

7–25–7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का भवन निर्माण

85–86 में 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है । 87–88 में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन निर्माण प्रस्तावित है जिसमें 500 हजार रु0 की धनराशि का प्राविधान किया गया है ।

7-25-8 तहसील स्थिति चिकित्सालयों में दंत रुजालय की स्थापना

85-86 मे एक चालू तथा 2 प्रस्तावित हैं । 82 हजार की धनराशिका प्राविधान कियागया है । इसमें साजसज्जा कर्मचारियों के वेतन में व्यय कियाजागा।

7-25-9 अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्रों कीस्थापना

85 चालू में 4, 86-87 में 3 तथा 87-88 में 3 इसप्रकार 7 चालू तथा 3 प्रस्तावित स्थापना साजसज्जा में 340 हजार के व्यय का प्राविधान कियागया है । इसमें 30हजार रु0 हरजन बहुल क्षेत्र में व्यय किया जायगा ।

7-25-10 प्रा0स्वा0के0 का उच्चीकरण हेतु भवनों का निर्माण स्टाफ एवं साज सज्जा

5 प्रा0स्वा0 केंद्रों का उच्चीकरण प्रस्तावित है इसमें 500 हजार रुपये साज सज्जा स्टाफ के वेतन इत्यादि में व्यय किये जायगें ।

7-25-11 वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का नवीनीकरण विस्तार बिजली पानी की व्यवस्था

इसके अंतर्गत प्रा0स्वा0के0 जतुआ टप्पा की चहार दीवारी का निर्माण कराया जागा जिसमें 100 हजार रुपये की धनराशिका प्रस्ताव है ।

7-25-12 राजकीय चिकित्सालयों एवं औषधालयें में रोगी शैयाओं की वृद्धि

जिला अस्पताल में 50 शैयाओं का नियमतीकरण प्रस्तावित है इस कार्य हेतु 75 हजार रु0 की धनराशिका प्राविधान है ।

7-25-13 तहसील स्थित चिकित्सालयों में मेडिकल सर्जिकल सुविधाओं की व्यवस्था

तहसील स्थित चिकित्सालयों में आपरेटस इत्यादि के लिए 100 हजार रुपये कीधनराशि प्रस्तावित है ।

7-25-14 शहरी तथा ग्रामीण चिकित्सालयों में जल सम्पूर्ति एवं विद्युतीकरण तविस्तार

जिलाचिकित्सालय में वाटर हेड टैंक प्राइवेट वार्ड डेनेज तथा लिंक रोड में 800 कीधनराशिका प्राविधान कियागया है ।

7-25-15 पुरुष तथा महिला चिकित्सालय की स्थापना

जगतपुर भिचकौरा में एक राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय की स्थापना का प्रस्ताव है इसमें 35 हजार रु0 व्यय होंगे ।

7-25-16 तहसील स्थित चिकित्सालयों मुख्यालयों में एक्सरे तथा जल सम्पूर्ति

इस योजना के लिए 300 हजार रु0 की धनराशि का प्राविधान कियागया है । इसमें एक्सरे मशीन एक्सरे भवन तथा कर्मचारियेां के वेतन में व्यय किया जायगा ।

7-25-17 चौरघर का निर्माण

7 हजार रु0 चौकीदार के वेतन में व्यय किया जायगा।

7-25-18महिला चिकित्सालयों तथास्वीकृत प्राथमिक स्वा0 केंद्रों और चुने हुए चिकित्सालयों में बाल रुजालय कीस्थापना

इस योजना के अंतर्गत । चालू । प्रस्तावित इसमें 50 हजार रुपये कीधनराशिका प्राविधान है। उपकरण कर्मचारियों के वेतन में व्यय कियाजायगा ।

7-25-19 अस्पतालों में डीजल जनरेटर की व्यवस्था उपकरण आदि

इस योजना के अंतर्गत डीजल जनरेटर तथा महिला चिकित्सालय मे लेव यूनिट की स्थापना में 230 हजार व्यय का प्राविधान कियागया है ।

7-25-20 क्षेत्र निरोधक औषधियां राज्य सेक्टर में स्थानांतरि

7-25-21 फाइलेरिया नियंत्रण - इस हेतु कोई धान

7-25-22 मलिरिया नियंत्रण ग्रामीण- प्रस्तावित नहीं है।

7-25-23 शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना

10 चालू 3 प्रस्तावित इसमें 130 हजार का प्राविधान साजसज्जा वेतन में व्यय किया जायगा । 10 हजार हरिजन क्षेत्र में व्यय किया जायगा ।

7-25-24 आयुर्वेदिक यूनानी अस्पतालाओं एवं डिस्पेंसरियों का भवन निर्माण बिजली पानी की व्यवस्था

इस योजना के अंतर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवन निर्माण में 300 हजर रुपये का प्राविधान कियागया है।

इस प्रकार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग को 52-24 लाख रु० का परिव्यय प्रस्तावित है ।

7-26 जल निगम
==============

7-26 ग्रामीण जल सम्पूर्ति

जनपद रायबरेली में भारत सरकार द्वारा पोषित त्वरित कार्यक्रम के अंतर्गत 36 योजाओं पर पेयजल सुविधा

हेतु 1983-84 में निर्माणकार्य प्रारम्भ कियागया था। इन योजनाओं के अंतर्गत जल स्रोत के रूप में केवल एक नलकूप स्वीकृत किया गया था । इसके अतिरिक्त एक अवर जलागम राइजिंग मेन डिस्टव्यूसन पाइप पम्पगृह टांसमीशन लाइन पंपिंग प्लांट एवं बाउंडी वाल का भी प्राविधान किया गया था । उपरोक्त के अतिरिक्त जपद रायबरेली में कुछ और ऐसी योजनायें हैं जो राज्य सरकार व्दारा पोषित हैं एवं उनमें भी केवल एक नलकूप निर्मित है ।

ग्रामों में उचित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केवल एक नलकूप पर निर्भर नहीं रहा जा सकताहै क्योंकि एक नलकूप में यांत्रिक विदधुत खराबी आने पर योजना में जलपूर्ति अवरुद्ध हो जाती है अतः जल पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए योजना पर नलकूप नं0 2 की निर्माण करना अति आवश्यक है जैसा कि अन्य तमाम योजनाओं पर दो नलकूपों का निर्माण पूर्व में किया गया था ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार व्दारा पोषित 8 योजनाओं में नलकूप का प्राविधान तथा तत्सम्बंधित कार्य हरचंदपुर पेयज ल योजना के अंतर्गत 1 नग अवर जलाशय तथा 70 नग हैंड पंप के निर्माण हेतु 1987-88केसजिलायोजना में प्राविधान किया जा रहा है । जिसकी अनुमानित लागत रु0 66 लाख है । उक्त कार्य को वर्ष 87-88 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

जिससे 169 ग्राम लाभान्वित होंगे । उक्त कार्य पुनरीक्षित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत है ।

7-27 ग्रामीण पेयज ल §ग्राम्य विकास§

इस योजना के अंतर्गत वि ख०के माध्यम से हरिजन एवं निर्बल वर्ग के ग्रामों में कूप निर्माण कराया जाता है । 65 कूपों के निर्माण हेतु 6-50 ला ख रु० का परिव्यय प्रस्तावित है । यह योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत है ।

7-28 ग्रामीण आवास§ग्राम्य विकास§

वि०ख० के माध्य से हरिजन एवं निर्बल वर्ग के आवास बनाने का.कार्य किया जाता है । वर्ष 1987-88 में 1-85लाख रु० का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है । जिससे 84 आवास निर्मित किये जायेंगे । यह न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत है ।

7-29-1 ~~नवीन~~ श्रम विभाग

====================

7-29-1 नवीन श्रम कल्याण केंद्रों कीस्थापना तथा वर्तमान श्रम कल्याण केंद्रों में अतिरिक्त सुविधाओं का प्राविधान

योजना वर्ष 86-87 के लिए ~~1=लाख=रु०~~ स्वीकृत विकेंद्रित जिला सेक्टर योजना नामक प्रकाशित पुस्तक के अनुसार इस योजना के लिए 1 लाख रु० स्वीकृत हुआ था किंतु अभी तक बजट प्राविधान न होने के कारण यह धन मुक्त नहीं हो सका है । अत: उसका व्यय भी नहीं किया जा सका । किंतु आशा है कि वर्तमान विधान सभा के पावस सत्र में अनुपूरक मांगों द्वारायह रकम स्वीकृति और मुक्त हो जायगी । जिसके उपरांत उसका व्यय चालू वित्तीय

वर्ष में हो जायगा । चूंकि यह योजना चालू रहने वाली योजना है अतः वर्ष 87-88 में भी वचनबद्ध व्यय के रूप में इस मद में 72 हजार रु0 व्यय होगा जिसके लिए वर्ष 87-88 की जिलायोजना में 72 हजार रुपया वचन बद्ध व्यय के रूप में माग की जा रही है। विवरण संलग्न है ।

7-29-2 बंधुवा श्रमिकों का सत्यापन एवं पुनर्वासन

वर्ष 1985-86 के वार्षिक जिलायोजना में इस कार्य के लिए 40,000 का प्रस्ताव किया गया था जो जिलास्तरीय योजना समिति द्वारा मंजूर नहीं हो सका था । किंतु वर्तमान वर्ष में शासन स्तर से इस जिले के लिए 100 बंधुवा श्रमिकों का सत्यापन और पुनर्वासन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । वर्ष 1985-86 इसकी सूचना जिलाधिकारी रायबरेली के पत्र सं0 1117 बीसू-2/86 दिनांक 7-8-86 द्वारा प्राप्त हुई है । यह योजना केंद्र द्वारा सहायता प्राप्त योजना है वर्ष 85-86 की योजना में धन का आवंटन न होने के कारण इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति में कठिनाई आयेगी । अतः वर्ष 87-88 की योजना में सावधानी के तौर पर धन उपलब्ध करने की आवश्यकता है को दृष्टिगत रखते हुए 3,126 रु0 प्रति बंधुवा श्रमिक की दर से 100 हजार रु0 का प्राविधान करने का प्रस्ताव है । इससे सत्यापित बंधुवा श्रमिकों के पुनर्वास में सुविधा होगी । इस वर्ष 19 बंधुवा श्रमिकों के होने की सूचना प्राप्त हुई है ।

(ख) राजकीय श्रमहितकारी केंद्र दुरभाडा नगर रायबरेली के लिए 7-29-3 टी0वी0सेट का क्रय

यह योजना वर्ष 84-85 में स्वीकृत हुई थी जिसमें स्वीकृत धनराशि रु0 3000 रु0 व्यय किया जा चुका है इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1987-88 के लिए कोई मांग नहीं रक्खी ज रही है ।

7-30 शिल्पकार प्रशिक्षण

आई0टी0आई0 पुरुष एवं महिला में सुदृढ़ीकरण एवं साजसज्जा हेतु 2 लाख रु0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

7-31 सेवा योजन
============

वर्ष 1987-88 में इस विभाग को कोई परिव्यय प्रस्तावित नहीं किया गया क्योंकि पूर्व की योजनाऐं आयोजेतर हो गयी हैं ।

7-32 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति का कल्याण
=====================================

जनपद रायबरेली वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 1888 लाख आंकी गयी है । जिनमें से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जनसंख्या 5-58 लाख है जो जनपद की कुल जनसंख्या का 29-5 प्रतिशत है । पिछड़ी जातियों की जनगणना अलग से उपलब्ध नहीं है किंतु इन जातियों की कुल जनसंख्या कुल जनसंख्या के 25 प्रतिशत आंकी जा सकती है । विमुक्त जातियों को जो अनुसूचित जातियों में सम्मिलित नहीं हैं उनकी जनसंख्या जनपद में नगण्य है । अनुसूचित जन

जातियाँ जनपद में निवास रत नहीं हैं ।

हरिजन एवं समाज कल्याण की योजनाओं का मूल उद्देश्य कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को समुन्नत बनाकर इस योग्य बनाना है कि वे भी समाज के अन्य श्रेणियों वर्गों के समकक्ष आ सकें । इस उद्देश्य से अनुसूचित जाति विमुक्त जाति तथा अन्य पिछड़ी जातियों के शैक्षिक सामाजिक तथा आर्थिक विकास की योजनायें जनपद की वर्ष 1986-87 की जिलायोजना में शामिल की गयी थी और इसकी 1076000 रु० के प्रस्तावित परिव्यय के विरुद्ध 308000 रु की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है ।

(1) शिक्षा	1986-87 वित्तीय स्वीकृति	वर्ष 1986-87 अनुमानित व्यय	वर्ष 1987-88 कापरिव्यय
(क) अनु० जाति	274000	274000	650000
(ख) विमुक्त जाति	18000	18000	019000
(ग) पिछड़ी जाति	-	-	114000
योग	292000	292000	783000
(2) आर्थिक उत्थान			
(क) अनु०जाति	-	-	-
(ख) विमु० जाति	16000	16000	16000
(ग) पिछड़ी जाति	-	-	-
योग	308000	308000	799000

§अ§ अनुसूचि जातियों का कल्याण

शिक्षा
======

7-32-1 छात्रवृति पाठय पुस्तकीय तथा उपकरण हेतु अनावर्तक सहायता

§क§ जूनियर हाई स्कूल कक्षा .6 से 8

अनु0 जातियों में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से वर्ष 1986-87 की जिलायोजना के लिए इन जातियों के कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के छात्रवृति पाठय पुस्तकीय एवं उपकरण हेतु अनावर्तक सहायता दिये जाने के निम्न लिखित वितीय स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं जिनका शतप्रतिशत उपयोग हो जायेगा ।

आगामी जिला योजना वर्ष 1987-88

	1986-87 की वितीयस्वीकृति	1986-87 अनुमानितव्यय	1987-88 का प्रस्तावितव्यय
§1§ निर्धनता के आधार पर	110000	110000	120000
§2§ योग्यता के आधार पर	44000	44000	50000

वर्ष 1987-88 की जिलायोजना में प्रस्तावित वृद्धि आवश्यकतानुसार छात्रों की संख्या के आधार पर कीगयी है जिसका इससे निर्धनता के आधार पर 902 तथा योग्य ता के आधारपर 365 छात्र लाभान्वित किये जायेंगे ।

(ख) प्रायमरी स्तर कक्षा 1 से 5

अनु0 जाति की कक्षा 1 से 5 तक की छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति पाठ्य पुस्तकीय तथा उपकरण हेतु नावर्तक सहायता के लिए वर्ष 86-87 की जिला योजना के परिव्यय के विरुद्ध जो वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है तथा 87-88 के लिए प्रस्तावित परिव्यय का विवरण निम्न वत है। प्रायमरी स्तर कक्षा 1 से 5 तक के अनु0 जाति के छात्रों के लिए वर्ष 87-88 की जिला योजना प्रस्तावित परिव्यय हैं। निर्धनता के आधार पर 1110 तथा योग्यता के आधार पर 450 छात्र लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

	1986-87 की स्वीकृति	1986-87 का अनुमानित व्यय	वर्ष 1987-88 प्रस्तावित व्यय
(1) निर्धनता के आधार पर	50000	50000	55000
(2) योग्यता के आधार पर	20000	20000	25000

7-32-2 अनु0 जाति की छात्राओं को अपरचुनिटी कास्ट अनुदान

प्रायः देखा गया है कि अनु0 जाति के परिवारों की महिलाओं /लड़कियों में शिक्षा का अभाव है। इनमें शिक्षा प्रसार करने और इनमें पढ़ाई छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करने के उद्देश्य से इनके माता पिता/संरक्षकों को अपरचुनिटी अनुदान देने की योजना जिला योजना में वर्ष 85-86 में शामिल थी इस योजना के लिए वर्ष 85-86 में 9000 रुपये का परिव्यय 55 छात्राओं को लाभान्वित करने के लिए स्वीकृत था वर्ष 1986-87 की जिला योजना में भी प[illegible] व्यय 10000 का

परिव्यय प्रस्तावित कियागया था किंतु इस योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई । इस योजना की वर्ष 87-88 की जिलासे पुन: चलाये जाने का प्रस्ताव कियागया है और इसके लिए 15000 का परिव्यय है ।

7-32-3 दशम एवं दशमोतर कक्षाओं की अंतिम परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी से उतीर्ण छात्रों के लिए विशेष पुरस्कार
=====================================

अनु0 जाति के दशम एवं दशमोतर कक्षा की अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी में अनु0 जाति के छात्रों के उत्साह वर्धन के लिए विशेषपुरस्कार दिये जाने की योजना जिला योजना में सम्मिलित कीगयी है। छात्रों को यह पुरस्कार नकद अथवा बस्तु के रूपमें दिया जाता है। इस योजना के लिए वर्ष 86-87 में 5000 रु0 का परिव्यय हुआ है इससे 10 छात्रों को लाभान्वित कियाजायेगा वर्ष 87-88 की जिलायोजना में 10000 रु0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

7-32- 4 अनक्लीन प्रोफेशान जैसे व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को बच्चों को पूर्वदशम कक्षा में छात्रवृति
==================

अनु0 जाति के व्यक्तियों को जो अस्वच्छ पेशों जैसे व्यवसायों में रत हैं के बच्चों को पूर्व दशम कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त करने के लिए वर्ष 86-87 की जिला योजना में 15000रु0 का राज्य अंशकाप्राविधान प्रस्तावित कियागया है जिसकी वि..य स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। यह केंद्र पुनिर्धानित योजना है2 इस के लिए 50 प्रतिशत कीधानराशि केंद्र सरकार से मिलेगी । इस योजना के

अंतर्गत 150 छात्रों को लाभान्वित किया जायेगा । वर्ष 87-88 की जिला योजना के लिए भी 15000 रु0 का परिव्यय प्रस्तावित है।

7-32-5 विभाग द्वारासहायता प्राप्त प्रायमरी पाठशाला पुस्तकालय एवं छात्रावास को अनुदान सुधार/विस्तार
===================

शिक्षा की सुविधा के साथ साथ छात्रों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए जनपद के 4 छात्रावास 4 प्रायमरी पाठशालायें व एक पुस्तकालय विभागीय अनुदान से विगत कई वर्षों से चलाये जा रहे हैं टाट पट्टी फर्नीचर शिक्षा उपकरण आदि के लिए अनुदान की व्यवस्था के अतिरिक्त इनके जिला योजना में संचालन किये जाने हेतु व्यवस्था किये जाने के आदेश हैं अत: इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 87-88 में वर्ष 86-87 के 20000 रु0 ~~विमुक्त जातियों का~~ के परिव्यय का विरुद्ध 3,60,000 परिव्यय प्रस्तावित है ।

7-32-6 छात्रवृति पाठय पुस्तीय तथा उपकरण हेतु अनावर्तक सहायता
============

(क) जूनियर हाई स्कूल स्तर कक्षा 6 से 8

विमुक्त जातियों की कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए निर्धनता व योग्यता के आधार पर छात्रवृति पाठय पुस्तकीय सहायता तथा उपकरण हेतु अनावर्तक सहायता देने का प्राविधान है। वर्ष 1986-87 की भांति 5000 जिलायोजना में परिव्यय स्वीकृत है तथा निर्धनता के आधार पर 5000 का परिव्यय स्वीकृत है जिसमें 27 छात्र

लाभान्वित होंगे । वर्ष 1987 [illegible]
निर्धनता तथा योग्यता के आधार पर क्रमश: 6000
तथा 5000 का परिव्यय प्रस्तावित है जिसमें 64 छात्र
लाभान्वित होंगे ।

(ख) प्रायमरी स्तर कक्षा 1 से 5

प्रायमरी कक्षा के विमुक्त जाति के कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए निर्धनता व योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति व पुस्तकीय तथा उपकरण हेतु अनावर्तीय सहायता का प्राविधान वर्ष 86-87 की योजना में क्रमश: 6000 व 2000 रु का था । जिसकी स्वीकृति प्राप्त हो गयी है जिसमें 120 व 40 छात्र लाभान्वित होंगे । वर्ष 87-88 में इस योजना के लिए निर्धनता के आधार पर 6000 व योग्यता के आधार पर 2000 प्रस्तावित है जिसमें कुल 206 छात्र लाभान्वित होंगे ।

विमुक्त जाति आर्थिक उत्थान
======================

7-32-7 कृषि / बागवानी विकास हेतु अनुदान
=================

विमुक्त जाति के परिवारों को कृषि/बागवानी विकास के कार्य के लिए भी आर्थिक सहायता देने की योजना लागू है। इस योजना के लिए कुटीर उद्योग विकास हेतु वर्ष 86-87 जिला योजना में 8000 का प्राविधान है वर्ष 87-88 की जिला योजना में 8000 का परिव्यय 8 व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु किया गया है ।

7-32-8 लघु कुटीर उदयोग विका[illegible]

==============================

विमुक्त जातियों को लघु कुटीर उदयोग धंधों की स्थापना और अपने पैतृक व्यवसायों के विस्तार के लिए आर्थिक सहायता देने की योजना लागू है । इस योजना के लिए वर्ष 86-87 की जिला योजना में 8000 का प्राविधान स्वीकृत है । वर्ष 87-88 की जिला योजना में भी 8000 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है जिससे 16 व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है ।

अन्य पिछड़ी जातियों का विकास

==========================

7-32-9 छात्रवृत्ति पाठय पुस्तकीय एवं उपकरण हेतु अनावर्तक सहायता

=============

(क) अनु0 जाति व विमुक्त जातियों की भांति अन्य पिछड़ी जातियों में भी शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से इन जातियों के कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वर्ष 86-87 की जिला योजना में प्रस्तावित परिव्यय की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है । वर्ष 87-88 की जिला योजना के निमित्त निर्धनता व योग्यता के आधार पर पुनः 28000 व 71000 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5

===================

(ख) पिछड़ी जाति कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति व पुस्तकीय सहायता एवं उपकरण हेतु अनावर्तीय सहायता दिये

जाने हेतु वर्ष 86-87 की जिला [illegible] नहीं हुई है। वर्ष 87-88 की जिला योजना हेतु [illegible] व योग्यता के आधार पर क्रमश: 5000 व 13000 का परिव्यय प्रस्तावित है।

7-32-10 गृह निर्माण/ सुधार अनुदान
============================

वर्ष 1986-87 में 6-64 लाख रुपये स्वीकृत हैं जिसके व्यय होने की संभावना नहीं है। अत: वर्ष 87-88 में कोई धनराशि प्रस्तावित नहीं की जा रही है।

7-33 समाज कल्याण
===============

समाज के कमजोर वर्गों जैसे विकलांगों निराश्रित विधवाओं को समाज में सम्मानित व्यक्तियों की भांति जीवन यापन करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से समाज कल्याण क्षेत्र में वर्ष 85-86 में 13,98,000 तथा 86-87 में 13,98,700 परिव्यय स्वीकृत हुआ है जिसके विरुद्ध वर्ष 85-86 में 1872 व्यक्तियों को लाभान्वित f किया गया तथा 86-87 में 1883 व्यक्तियों को लाभान्वित करने क करने का लक्ष्य है। वर्ष 87-88 के लिए 1674260रु० का परिव्यय प्रस्तावित है। जिससे 2275 व्यक्तियों को समाज कल्याण की योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किया जायगा।

~~7-33-4 नेत्रहीन बधिर तथा शारीरिक रूप से अक्षम विकलांगों को अनुदान~~

========

7-33-1 शारीरिक रूप से अक्षम तथा हड्डी के रोग से ग्रस्त विकलांगों को शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु छात्रवृति
=========

शारीरिक रूप से अक्षम तथा हड्डी के रोग से

ग्रस्त विकलांग विद्यार्थियों को सामान्य शिक्षा व व्यवसायिक एवं वृतिक (टेक्निकल) शिक्षा प्राप्त करने के लिए वर्ष 86-87 में 5000 रु० परिव्यय निर्धारित है उसके विरुद्ध 2500 की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है इस योजना का अनुमानत 2500 रु० का व्यय होगा और इससे 24 व्यक्ति लाभान्वित होंगे वर्ष 87-88 के लिए 3000 रु० प्रस्तावित है ।

7-33-2 शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के बच्चों को शैक्षिक तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु छात्रवृति

=========

ऐसे विद्यार्थी जिनके संरक्षक माता पिता शारीरक रूप से व्याधिक एवं विलांग हैं तो भी शिक्षा ग्रहण करनेके लिए छात्र वृति की योजना गत वर्ष की भांति वर्ष 87-88 की जिलायोजना में सम्मिलित कीगयी है। इस योजना के लए वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य 86-87 के समान हैं ।

7-33-3 शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृतिम अंग/समान आदिखारीदने के लिए अनुदान

==============

विकलांग व्यक्तियों की कार्य क्षमता एवं समाज में स्वावलम्बी जीवन विताने के उददेश्य से वर्ष 86-87 की भांति 87-88 की जिलायोजना में इस योजना के लिए परिव्यय प्रस्तावित कियागया है और इस के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य वर्ष 86-87 के समान हैं।

7-33-4 नेत्रहीन बधिर तथा शारीरिक रूप से असहाय विकलांगों को अनुदान

===============

असहाय एवं निराश्रितविकलांगों जिनके जीवन यापन का कोई सहारानहीं है और वे समाज पर एक भार बने हुए हैं के भरण पोषण तथा उनको शोषण से बचाने के उद्देश्य से जनपद में उनके भरण पोषण हेतु योजना लागू कीगयीहै। वर्ष 86-87 में 288000 के विरुद्ध 295200 रु० की वित्तीय ~~सहस्र~~ स्वीकृति प्राप्त हुई है। अनुमानत: ये सम्पूर्ण धनराशि का उपभोग हो जायेगा और इससे 410 विकलांगों व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा सकता है वर्ष 87-88 में 359000 परिव्यय प्रस्तावित था जिसमें 500 व्यक्ति लाभान्वित होंगे।

7-33-5 निराश्रित विधवाओं को सहायक अनुदान

==================

असहाय एवं निराश्रित विधवाओं को समाज में सम्मानित व्यक्तियों की भांति जीवन यापन करने का अवसर देने के उद्देश्य से इनके भरण पोषण तथा उनके बच्चों के भरणपोषण एवं उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए सहाय अनुदान देने की योजनावर्ष 86-87 की भांति वर्ष 87-88 की जिलायोजना मेंशामिल की गयी है इस योजना के लिए वर्ष 86-87 में 10,88,800 रु० कीवित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है जो इसका उपभोग वर्ष के अंत तक हो जायेगा जिससे 1410 विधवायें लाभान्वित होंगी। वर्ष 87-88 के लिए इस योजना के लिए 1224 रु० प्रस्तावित हैजिससे 190 अतिरिक्त विधवाओं को लाभान्वित कियाजयेगा इसप्रकार कुल 1600 विधवाओं को लाभान्वित किया

किया जयेगा

7-33-6 शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की मलिन मेहतर कालोनी में शिशुशाला का खोलना

====================

यह योजना वर्ष 86-87 की जिलायोजना मेंशामिल नहीं थी इसको वर्ष 87-88 के जिला योजना 75 रु0 का परिव्यय प्रस्तावित है यह योजना वर्ष 86-87 में राज्य सेक्टर के बजट पर चलायी जा रही है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिशुशाला में प्रवेश देकर बच्चों की मा जो नौकरी परचली जाती है दिन के समय उनकी देख रेख एवं भरण पोषण करना है ताकि सफाइ कर्मचारी की मातायें अपने बच्चों की ओर निश्चिंत होकर अपना कार्य सुचारु रूप से करने में सक्षम हो सकें ।

7-34 पुष्टाहार (समाज कल्याण)

=========================

7-34-1 पूरक पुष्टाहार

==================

वर्ष 1982 से इस जनपद में पांच विकास खंडों में बाल विकास परियोजना संचालित है जिनमें हरचंदपुर, बछरावां महराजगंज ऊँचाहार तथा डलमऊ की परियोजनायें सुचारू रूप से संचालित की जा रही हैं । इन परियोजनाओं में पुष्टाहार कार्यक्रम महत्वपूर्ण

है । जिसका उद्देश्य 0-6 वर्ष ... आहार देकर उनकी मृत्यु दर में कमी करना तथा स्वास्थ्य एवं पौष्टिकता के स्तर को उठाना है । साथ ही धात्री एवं गर्भवती माताओं को भी भावी संतान को संपुष्ट रखना है जिससे भावी नागरिक स्वस्थ कुशाग्रबुद्धि एवं शिक्षित एवं उन्नत समाज की परिकल्पना को साकार करना है । जनपद में बाल विकास परियोजना सरेनी भी संचालित होनी है किंतु यह परियोजना स्वैच्छिक संस्था साक्षरता निकेतन लखनऊ के माध्यम से संचालित की जायेगी जिसके लिए व्यय का अनुमान इस परियोजनाओं के साथ नहीं दिया जा रहा है ।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह विभाग पूर्ण तथा कटिबद्ध है तदनुसार उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर है । वर्ष 87-88 हेतु अनुमानित व्यय का लक्ष्य लगभग रु0 54 लाख रखा गया है। इसके अतिरिक्त इस जनपद में तिलोई व बहादुरपुर एवं सलोन में भी बाल विकास परियोजनायें वर्ष 86-87 हेतु प्रस्तावित हैं किंतु उक्त परियोजनाओं की अनौपचारिक स्वीकृति शासनस्तर पर विचाराधीन है । जिसके लिए भी जिलायोजना के अंतर्गत व्यवस्था नहीं की जा रही है । अत: 54 लाख रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है जिससे, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चे गर्भवती एवं धात्री महिलाओं का स्तर ऊँचा उठाया जा सके ।

54 लाख रुपेय केंद्र अंश के रूप में प्राप्त होंगे यह योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत आती है ।

अध्याय

स्थानीय संसाधन

8-1- जनपद में स्थानीय संसाधनों में प्रमुख स्रोत निम्न प्रकार है:-

1- व्यवसायिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)

2- जिला सहकारी बैंक तथा सहकारी समीतियां ।

3- जिला भूमि विकास बैंक ।

4- अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त निगम ।

जनपद में दिनांक-31-3-86 तक कुल बैंक 145 हैं, जिसमें 27 सहकारी बैंक 7 भूमि विकास बैंक तथा 111 व्यवसायिक बैंक हैं । वर्ष 1986 में बैंकों से वित्तपोषण का लक्ष्य 1501.48 लाख रूपये प्रस्तावित है । जिसमें से व्यवसायिक बैंकों द्वारा 1054.59 लाख रूपये जिला सहकारी बैंक द्वारा 309.43 लाख रूपये तथा भूमि विकास बैंकों द्वारा 137.46 लाख रूपये वित्त पोषण किया जाना है । इसके अतिरिक्त जिला परिषद द्वारा तथा अन्य स्थानीय निकायों द्वारा धन उपलब्ध कराया जाता है । भूमि विकास बैंक अल्प सिंचाई कार्य हेतु उपकरण क्रय करने के लिये ऋण उपलब्ध करा रहा है । वर्ष 1985-86 में जिलासहकारी समीतियों द्वारा अल्प कालीन ऋण 239.39 लाख रूपये, मध्य कालीन ऋण 41.73 लाख रूपये तथा दीर्घकालीन ऋण 83.19 लाख रूपये का वितरण किया गया है । समितियों के अन्तर्गत जनपद के सभी 1725 आबाद ग्राम आते हैं ।

-:-

अध्याय-9

9-1 दीर्घ कालीन विकास की रूप रेखा:-

नियोजन प्रक्रिया के अन्तर्गत दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में एक निर्धारित अल्प अवधि के भीतर आर्थिक विकास तीव्र करने तथा समान एवं संतुलित वितरण को सुनिश्चित कराने तथा प्राथमिकताओं एवं उद्देश्यों को निर्धारित करने का कार्य किया जाता है । दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में अर्थ - व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों के अन्तर्गत क्षेत्रीय निर्भरता का भी पता चलता है वांछित विकास की दर एवं व्यवस्था एवं उसे प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं का भी ज्ञान हो जाता है , और उससे इस ढाँचे की भी जानकारी होती है । जिसे ध्यान में रखते हुए सीमित संसाधनों की विभिन्न सेक्टरों के बीच उपयुक्त एवं संतुलित आवंटन करने के लिये सामयिक एवं सही निर्णय लेने में सहायता मिलती है ।

9-2 ग्रामों/शहरों में व्यापार ,वाणिज्य एवं परिवहन के कार्यक्रम का प्रस्ताव:-

हरचन्दपुर, डलमऊ, सरेनी, तिलोई, इन्हौना, परशदेपुर, और सलोन में वाणिज्य, व्यापार एवं परिवहन के विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तावित हैं । इन स्थानों पर मण्डी एवं उप मण्डी स्थलों के बन जाने से इन क्षेत्रों का व्यापारिक, वाणिज्य एवं परिवहन का पूर्ण सम्भावना है । ग्रामीण अंचलों में कृषि उत्पादन को इन मण्डी समीतियों द्वारा क्रय विक्रय एवं भण्डारण की सुविधा मिल जावेगी तथा उत्तरोत्तर विकास भी इन क्षेत्रों का होगा ।

ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में आगामी वर्षों में कृषि उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं । विश्व बैंक परियोजना के माध्यम से सलोन तथा डीह विकास खण्डों में 39 नलकूपों का निर्माण किया जा चुका है । वर्ष 1986-87 हेतु सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 नलकूपों का पुनः निर्माण कार्य प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत नहरों एवं गूलों का जाल बिछाकर असिंचित क्षेत्रों को सिंचित क्षेत्रों में परिवर्तित किया जावेगा । ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नतिशील बीजों के भण्डारण एवं संग्रहण हेतु भी एक बीज विधायन संयन्त्र की स्थापना की जा चुकी है । तथा आगामी वर्षों में इसका विस्तार भी किया जायेगा । उत्पादन में निरन्तर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए शीतगृहों के निर्माण का लक्ष्य भी प्रस्तावित है । जिससे आलू व फलों का भण्डारण एवं वितरण का विशेष प्रबन्ध होगा ।

9-3 ग्रामीण एवं वृहद् उद्योग:-

ग्रामीण उद्योगों के विकास के साथ जनपद के बड़े उद्योगों का विकास निरन्तर हो रहा है । इस समय जनपद में 18 बड़े उद्योग तथा 1200 लघु उद्योगों का जाल बिछा हुआ है ।

अध्याय-10

वर्ष 1987-88 सप्तम् पंचवर्षीय योजना का तृतीय वर्ष होगा । अतः जिला योजना की संरचना करते समय राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय प्राथमिकताओं का ध्यान रखा गया है जो निम्न प्रकार है:-

1- खाद्य पदार्थों तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि ।

2- कृषि निर्भर लोगों के लिये ऐसे पूरक व्यवसाय और उत्पादन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके ।

3- ऐसे उपाय करना जिसमें गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार की आय में वृद्धि हो सके और वह गरीबी रेखा से ऊपर आ सके ।

4- लघु एवं कुटीर उद्योगों में कार्यरत कारीगरों के उत्पादन एवं आय में वृद्धि करना ।

5- निर्धन में पिछड़े वर्ग के लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये सुविधाएं प्रदान करना जिससे उनके रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठ सके ।

6- कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के क्षेत्रफलों के विस्तार की रणनीति अपनायी गयी है । जिसके आधार पर वर्ष 1986-87 का धान उत्पादन का लक्ष्य 610 हजार टन निर्धारित किया गया है । जबकि वर्ष 1982-83 एवं 83-84 में जनपद का खाद्यान उत्पादन क्रमशः 444-6 हजार टन और 477-6 हजार टन था । वर्ष 1984-85 में खाद्यान उत्पादन 573-6 हजार टन का वर्ष 1985-86 में 600 हजार टन का लक्ष्य निर्धारित था सिंचाई साधनों के साथ-साथ उर्वरकों के प्रयोग की उपयोगिता बढ़ी है । जिसके फलस्वरूप उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है ।

ट्राइसेम योजना एवं एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत कुटीर उद्योगों एवं पूरक व्यवसाय वृद्धि हेतु उत्साहित किया जा रहा है । तथा विभिन्न एकीकृत योजनाओं के माध्यम से लघु एवं कुटीर उद्योगों में कार्यरत कारीगर की उत्पादकता बढ़ाने के साथ निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के लोगों की आधारित आवश्यकताओं की पूर्ति कि विभिन्न सुविधायें प्रदान की जा रही है ।

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड को पूर्व वर्षों की भाँति 16 विकास खण्डों के आधार पर 1986-87 में 8 लाख रूपये अनुदान के रूप में आवंटन करने का प्रयास है । जिसमें 4 लाख प्रत्येक विकास खण्ड के हिसाब से राज्य का अंश होगा । तृतीय उप सम्भाग में जो कि इस जनपद का दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, के उत्थान के लिये सभी विभागों द्वारा योजनायें प्रस्तावित की गयी है । इस क्षेत्र में सम्पर्क मार्गों का निर्माण, कृषि उत्पादन, कुटीर उद्योग धन्धों की स्थापना, भण्डारण एवं व्यवसायिक बैंकों का विस्तार व 20 सूत्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यक्रमों के द्वारा इस क्षेत्र की जनता के पिछड़ेपन एवं आर्थिक दशा सुधारने का लक्ष्य रखा गया है ।

-:-

अध्याय

राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम:-

11-1 राष्ट्रीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को विशेष महत्त्व दिया गया है। योजना का एक उद्देश्य आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए लोगों के रहन-सहन के स्तर को समुन्नत करना और उनका मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कुछ राष्ट्रीय मानकों के अनुसार क्षेत्र के सभी भागों में सामाजिक सुविधाओं का जाल बिछाया जाना है। इस कार्यक्रम के निम्नांकित भाग हैं:-

1- प्राथमिक शिक्षा
2- प्रौढ़ शिक्षा
3- ग्रामीण स्वास्थ्य
4- ग्रामीण पेय जल
5- ग्रामीण सड़कें
6- ग्रामीण विद्युतीकरण
7- ग्रामीण निर्धनों के लिय आवास
8- पर्यावरण सुधार
9- पौष्टिक आहार

वर्ष 1986-87 में स्वीकृत तथा वर्ष 1987-88 में प्रस्तावित की जिला योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के परिव्यय का विस्तृत विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

क्रमांक	सेक्टर/विभाग	स्वीकृति परिव्यय वर्ष 1986-87 (रु0)	प्रस्तावित परिव्यय वर्ष 1987-88 (रु0)
1-	प्राथमिक शिक्षा	4231	~~4760~~ 3710
2-	चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य	768	1919
3-	1-पेयजल (जल निगम)	6520	6600
	2-ग्राम्य विकास (ग्रामीण पेयजल)	-	650
4-	ग्रामीण सड़कें एवं पुल	8390	9550
5-	ग्रामीण विद्युतीकरण	567	567
6-	ग्रामीण आवासों का विकास	185	185
7-	पुष्टाहार (समाज कल्याण)	5172	5400
8-	पर्यावरण सुधार (वन विभाग)	-	-
योग-		25833	~~29631~~ 28581

उक्त से स्पष्ट है कि न्यूनतम आवश्यकता [illegible] कार्यक्रम में पिछले वर्ष से परि-व्यय में 14.70 प्रतिशत की वृद्धि है ।

11-2-1-1 शिक्षा:-

शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक एवं परिणात्मक सुधार लाने हेतु प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा जनपद के समस्त विकास खण्डों में निम्नतर क्षेत्रीय विषमताओं को कम किया जा सकता है । इस योजना के अन्तर्गत छठी योजना के प्रथम दो वर्षों में 16 जूनियर तथा 6सी0बे0स्कूल खोले गये । तथा 1984-85 में 12 जू0 बे0 स्कूल खुले थे । शासन द्वारा स्वकृत मानकों के आधार पर अभी 243 जू0बे0 तथा 35 सी0बे0 स्कूल खोले जाने का लक्ष्य था ।

वर्ष 1986-87 में 14 भवन रहित प्राइमरी पाठशाला तथा 7 भवन रहित जूनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माण का कार्य स्वीकृत है । वर्ष 1987-88 में 5 जूनियर बेसिक तथा 2 सी0बे0स्कूलों का खोलना प्रस्तावित है ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना की रणनीति का विवरण निम्न प्रकार है:-

1-5 किलोमीटर की दूरी तक एवं ग्रामीण क्षेत्र जिनमें प्राथमिक विद्यालय का अभाव है । 6-11 वर्ष आयु के सभी बच्चों के लिए नये प्राथमिक पाठशालाओं को खोलकर शिक्षा सुविधा प्रदान करना है । 800 जनसंख्या वाले सभी ग्रामों को जिनकी दूरी सी0बे0 स्कूल से तीन(3) किलोमीटर अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ें वर्गों का बच्चों का शैक्षिक स्तर सामान्य वर्ग के बच्चों के बराबर करना ।

1- नये सी0बे0 स्कूलों का खोला जाना ।

2-6-11 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों एवं 11-14 वर्ष आयु के समूह के 50% बच्चों का सारभौमिक प्रवेश ।

3- नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें, यूनीफार्म स्टाइपेन्ड एवं छात्रवृत्ति का प्राविधान करके लागातार उपस्थिति सुनिश्चित करना विशेष रूप से समाज के निर्धन वर्ग के लिये माध्यान्ह काल का भोजन एवं भवनों का प्राविधान कराना ।

11-2-1-2 प्रौढ़ शिक्षा:-

प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ अशिक्षित प्रौढ़ लोगों का क्षमता का विकास एवं आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में क्रियात्मक योगदान देने हेतु प्रौढ़ शिक्षा भी आवश्यक है । इस जनपद में यह योजना वर्ष 1980-81 से चालू हुई विकास खण्ड बकरांवां तथा महराजगंज में 300 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कार्यरत हैं । जिनके माध्यम से वर्ष 83-84 में 35000 हजार प्रौढ़ों को तथा वर्ष 1985-86 तक 50,000 प्रौढ़ों को साक्षर बनाये जाने का प्रस्ताव है तथा वर्ष 1986-87 तक

50500 पौदों को [illegible] लगाये जाने का लक्ष्य है तथा वर्ष 1987-88 में 55 हजार लोगों को इस योजना के अन्तर्गत [illegible] कराने का लक्ष्य है ।

11-2- चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य:-

इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप केन्द्रों पर दवा सुनिश्चित करके स्थानीय लोगों की साधारण बीमारियों को ठीक करने एवं ऐसी अनिवार्य सेवायें जिनका कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की तुरन्त आवश्यकता है देखभाल करें । 5 उप केन्द्रों का खोला जाना प्रस्तावित है ।

11-2-1 पेयजल:-

इस जनपद में जिन अंचलों में पेयजल की विशेष समस्या है वहाँ निगम के द्वारा पेयजल सुविधा का विस्तार किया जा रहा है । ग्रामीण अंचलों में 1985-86 के अन्त में 1175 ग्रामों के द्वारा पेयजल सम्पूर्ति की गई है । जिससे 782312 लोगों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जाती है । वर्ष 1987-88 में 169 ग्रामों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

11-3-2 हरिजन पेयजल योजना के अन्तर्गत 31-3-85 तक 1570 कूप निर्मित किए जा चुके हैं । वर्ष 1985-86 में राज्य सेक्टर से 100 हजार रुपये कूप निर्माण हेतु प्राप्त हुए हैं । वर्ष 1987-88 में 65 कूपों हेतु परिव्यय प्रस्तावित 6.50 लाख रुपये का है ।

11-4-सड़कें:-

अधिकतर ग्रामों में पक्की सड़कों की सुविधा का अभाव है । तथा संचार सुविधाओं की उपलब्धि के स्तर पर अधिक क्षेत्रीय असन्तुलन है । इस लिये 1500 से अधिक ग्रामों के श्रेष्ठता के आधार पर पक्की सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव है । ग्रामीण क्षेत्रों में खराब होने वाली ग्रामीण सड़कों से भी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में लिया गया है । वर्ष 1985-86 में 6 कि0मी0 पक्के कार्य का लक्ष्य रखा गया है । 7 कि0मी0 खड़न्जा एवं 35.5 कि0मी0 मिट्टी स्तर के कार्य का प्रस्ताव है । वर्ष 1986-87 में 23 ग्रामीण सड़कें एवं 2 पुल निर्माण हेतु प्रस्तावित है । वर्ष 1987-88 में 19 ग्रामीण सड़कें ली जावेगी ।

11-5 ग्रामीण विद्युतीकरण:-

राज्य योजना आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्कता कार्यक्रम का लक्ष्य जो कि 40% ग्रामों का विद्युतीकरण है । इस जनपद में प्राप्त कर लिया गया है । इस जनपद के वि0प्र0 के अनुसार सभी ग्राम विद्युतीकृत है । अत: वर्ष 1983-84 में नलकूपों के ऊर्जाकरण ग्रामों का विद्युतीकरण तथा हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य प्रस्तावित है । वर्ष 1987-88 में एल0टी0मैन्स द्वारा 10 ग्रामों का विद्युतीकरण 10 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण तथा 50 निजी नलकूपों के उर्जन का प्रस्ताव पुन: किया जा रहा है ।

11-6 ग्रामीण आवासों का विकास:-

निर्बल वर्ग की ग्रामीण जनता की आवासीय आवश्यकता अनुसूचित जाति, भूमिहीन कृषक मजदूर एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को पूरी की जावेगी । वर्ष 1985-86 के अन्त में जनपद में इस वर्ग के लिये 1999 आवासों के निर्माण कराया गया था । वर्ष 1987-88 में 1.85 लाख रूपये 84 आवासों हेतु प्रस्तावित है ।

11-7 पौष्टिक आहार:-

बच्चों में कुपोषण की समस्या का मूलरूप से समाप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि निर्बल वर्गीय गर्भवती महिलाएं एवं प्राथमिक स्कूल के बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा । जनपद में उपरोक्त वर्ग के लोगों को पौष्टिक आहार प्रदान करने की समस्या अधिक जटिल है । क्यों कि उनका आर्थिक स्तर काफी नीचा है । जनसंख्या की अधिकता के कारण गरीब परिवार के बच्चों को वांछित न्यूनतम आवश्यकता से भी कम भाग प्राप्त होता है । इस जनपद में ग्राम विकास विभाग तथा हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा पौष्टिक आहार योजना का संचालन किया जा रहा है । ग्राम्य विकास विभाग द्वारा डीह में तथा हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा सभी विकास विभाग द्वारा सभी विकास खण्डों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है । वर्ष 1984-85 में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा 770 लोगों को लाभ दिया जायेगा । तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा 37-5 हजार बच्चों एवं महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है । वर्ष 1985-86 में ग्राम्य विकास के अन्तर्गत कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। केवल समाज कल्याण विभाग द्वारा 120 हजार महिलाओं एवं बच्चों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित कराने का लक्ष्य रखा गया है । वर्ष 1986-87 में जिला योजना के अन्तर्गत 51.72 लाख रूपये का परिव्यय स्वीकृत है । वर्ष 1987-88 में इन्हीं केन्द्रों को चलाने हेतु 54 लाख रूपये का परिव्यय प्रस्तावित है । वर्ष 1987-88 में उनमें केन्द्र खोले जाने का भी प्रस्ताव है ।

अध्याय ...

पिछड़े समुदाय के लिए कार्यक्रम

जनपद में पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के अलग से आँकड़े उपलब्ध नहीं है । 1981 की जन गणना के अनुसार अनुसूचित एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों की संखया 557848 थी ।

पिछड़े समुदायों अनुसूचित तथा परिगणित जातियों भूमिहीन अथावा कुशल श्रमिकों के त्वरित विकास हेतु शासन द्वारा एकीकृत ग्राम्य विकास योजना विशेष समन्वित योजना, स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना, ट्राइसेम योजना एवं स्थानीय योजना के अन्तर्गत छोटी-छोटी योजनाएं तैयार की गई है । जैसे दुधारु पशुओं की योजना, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, सुअरपालन, कुटीर उद्योग स्थापितकरना, शिल्पकारों एवं अन्य उद्योगों का प्रशिक्षण का देकर व्यापार एवं स्वत: रोजगार की योजना है । इन योजनाओं के माध्यम से इन वर्गों के व्यक्तियों को त्वरित लाभ पहुंचता है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अधीन भी पिछड़े समुदाय के लोगों को सीधे रोजगार उपलब्ध कराया जाता है । उपरोक्त सभी योजनाएं इस वर्ग के लोगों के त्वरित उत्थान हेतु उपयुक्त है, वहाँ वह भी विशेष उल्लेखनीय है कि व्यावसायिक बैंकों की कार्य प्रणाली एवं ऋण वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता प्रतीत होती है ताकि अधिक से अधिक निर्बल लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाया जा सके । इस वर्ग के लोगों को सहकारी समितियों के माध्यम से योजनाओं का कार्यान्वियन कराया जा सके । इसके अतिरिक्त इस वर्ग के लोगों में अधिक से अधिक प्रचार एवं आत्म विश्वास लगाने की आवश्यकता के माध्यम से कराई जाने की ग्रामीण अंचलों के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को त्वरित लाभ मिलने की सम्भावना है । विशेष गारण्टी योजना तथा लघु सीमान्त कृषकोंको सहायता के अंतर्गत भी इन्हीं वर्गों के लोगो को लाभ पहुंचाया जाता है । जिला योजना वर्ष 1987-88 हेतु हरिजनों के लिए 4595 हजार रुपए (31.10 प्रति) का प्राविधान प्रस्तावित है ।

13.1 जनपद के नए प्रस्तावित कार्यक्रम व अन्य विवरण

वर्ष 1987-88 में इस जनपद को 790-91 लाख रुपए परिव्यय शासन द्वारा आवंटित किया गया था जो कि गत वर्ष 1986-87 के परिव्यय से 13-45 प्रतिशत से अधिक है। जनपद को कुल आवंटित परिव्यय का विभागवार विवरण संलग्न है।

कुल परिव्यय का 258-08 लाख रु0 पूंजीगत परिव्यय हेतु प्रस्तावित है जो कि कुल परिव्यय का 32.63 प्रतिशत है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत 296-31 लाख रुपए (37-46 प्रति0) का प्रस्ताव किया गया है। हरिजनों हेतु 245-95 लाख रुपया (31-10 प्रति0) का विभिन्न विभागों द्वारा वित्तीय परिव्यय मानकृत किया गया।

वर्ष 1987-88 के लिए कोई नई योजना नहीं प्रस्तावित की गई है। कुल नए कार्यक्रम चालू योजना के अंतर्गत के लिए गए हैं जिनका विभागवार विवरण निम्नवत है :-

1- कृषि :-

(क) राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर बीज गोदाम के भवन निर्माण हेतु 5 लाख रुपया का प्राविधान किया गया है। इस हेतु हरचन्दपुर (विकासखण्ड हरचन्दपुर) तथा बीबीपुर (विकासखण्ड महराजगंज) का चयन किया गया है। इस हेतु भूमि उपलब्ध है।

(ख) जनपद के विकास खण्डों पर राजकीय कृषि बीज भाण्डार के के भवन निर्माण हेतु 4 लाख रुपए का प्राविधान परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। इस हेतु सूमरी (विकास खण्ड खीरों) धुरवारा (विकास खण्ड डलमऊ) नसीराबाद (विकासखण्ड छतोह) फुरसतगंज (विकासखण्ड बहादुरपुर) का चयन किया गया है इस हेतु भूमि उपलब्ध है।

कृषि विभाग को सभी योजनाओं 22-59 लाख रुपया का परिव्यय प्रस्तावित है।

[illegible]

[illegible] 5-0[illegible] [illegible]

2- उद्यान विभाग ::- वर्तमान उद्यानों, प्रक्षेत्रों/पौधशालाओं के सुधार की योजना हेतु 2-65 लाख रुपया का परिव्यय निर्धारित किया गया है जिसके अंतर्गत फेन्सिंग आदि का कार्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया जाएगा। सब्जी बीज वितरण मद पर 10 हजार रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

उद्यान विभाग को कुल 5-03 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

3- गन्ना ::- इस विभाग की सभी योजनाओं हेतु 5 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है। इसमें गन्ना बीज, यातायात आधार गन्ना बीज उत्पादन तथा गन्ना विकास के प्रदर्शनों पर तथा नई चीनी मिलों में गन्ना विकास कार्यक्रम हेतु व्यय किया जाना प्रस्तावित है। गन्ना प्रदर्शनों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक प्रदर्शन करके ग्रामीणों को गन्ना कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी।

4- कृषि विपणन ::- वर्ष 1986-87 में लालगंज तथा छतोह में ग्रामीण गोदाम बनाने हेतु मण्डी परिषद को 1-41 लाख रुपए का वित्तीय परिव्यय दिया गया था परन्तु प्रशासनिक स्वीकृति आज तक प्राप्त नहीं हो पाई है जिसके कारण वर्ष 87-88 हेतु इस योजनान्तर्गत कोई धनराशि का प्रस्ताव नहीं किया जा रहा है।

5- भूमि सुधार ::- सीलिंग भूमि आवंटियों को आर्थिक सहायता देने हेतु वर्ष 1987-88 में 50 हजार का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। इतनी ही धनराशि केन्द्र सरकार के माध्यम से प्राप्त होगी। इससे लगभग 100 लोगों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

6- निजी लघु सिंचाई ::- लघु/सीमान्त कृषकों को निः शुल्क बोरिंग हेतु 9-50 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। इससे 1000 लोगों को

इस विभाग को कुल 13-07 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है ।

7- राजकीय लघु सिंचाई ::- वर्ष 87-88 में तीन नए राजकीय नलकूप लगाने हेतु 10-75 लाख रुपया का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है । अवशेष स्थल चयन अभी नहीं हो सका है । अवशेष कार्यों तथा नलकूपों के पुनः निर्माण हेतु 56-25 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

इस प्रकार इस विभाग को कुल 75-00 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है ।

8- भूमि एवं जल संरक्षण ::- इस विभाग के अंतर्गत दो इकाइयाँ डलमऊ तथा रायबरेली कार्यरत है । वर्ष 87-88 में केवल डलमऊ इकाई हेतु 12-00 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है । रायबरेली इकाई हेतु परिव्यय प्रस्तावित नहीं किया गया है । जिला योजना समन्वय एवं कार्यान्वयन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि रायबरेली इकाई को धनराशि बछरावां इकाई की भांति केन्द्र सरकार के माध्यम से दी जाए ।

ऊसर सुधार हेतु 11-33 लाख रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है जिसके अंतर्गत 925 मी०टन जिप्सम एवं पाइराइट का वितरण किया जाएगा ।

इस प्रकार इस विभाग को 23-03 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है

9- पशुपालन::- पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं तथा अन्य योजनाओं हेतु इस विभाग को 12-50 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया ।

10- मत्स्य::- इस विभाग को तालाबों के सुधार, अंगुलिका उत्पादन एवं वितरण हेतु 7-50 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है ।

11- वन ::- सामाजिक वानिकी योजनान्तर्गत बृहद वृक्षारोपण कार्य हेतु 16 लाख रुपए शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी हेतु 50 हजार एवं वन मनोरंजन के तीन केन्द्रों तथा लालगंज, डलमऊ तथा सलोन की स्थापना हेतु 1-50 लाख

[illegible] हेतु [illegible]

[illegible] कर्मचारियों [illegible] व्यवस्था [illegible] 60 [illegible] प्रस्तावित

किया गया है । इस प्रकार इस विभाग को [illegible] परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

12- पंचायतीराज ::-
==================

इस विभाग को 20 पंचायत भावनों के निर्माण हेतु तीन लाख रुपए का प्रव्यिय प्रस्तावित है । इतना ही धन ग्राम सभा अपने कोष से व्यय करेगी । ग्रामीण खड़ंजा एवं नाली निर्माण हेतु 3 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया । अन्य योजनाओं हेतु 21 हजार का परिव्यय प्रस्तावित है ।

इस प्रकार इस विभाग को कुल 6-21 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

13- प्रादेशिक विकास दल ::-
========================

इस विभाग को स्वयं सेवकों के सुदृढ़ीकरण पर 1-42 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है जिसके अंतर्गत ब्लाक कमान्डर/हल्का सरदारों को मानदेय तथा प्रशिक्षण एवं वर्दी पर व्यय किया जाएगा । युवक मंगल दल को प्रोत्साहन हेतु 1-20 लाख रुपए एवं सेमिनार हेतु 15 हजार रुपए तथा मेला प्रदर्शनी हेतु 72 हजार रुपए ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु 37 हजार रुपए तथा प्रकीर्ण व्यय हेतु 12 हजार रुपए व्यय का प्राविधान रखा गया है ।

* ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यायाम शाला हेतु 1-50 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है इस हेतु फीरोजगांधी पालीटेक्नीक संस्थान में भूमि उपलब्ध है ।

इस प्रकार इस विभाग का कुल परिव्यय 5-38 लाख रुपए का प्रस्तावित किया गया है ।

14- कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास ::-
=================================

इस विभाग के अंतर्गत विकास खण्डों में आवासीय भावनो के निर्माण हेतु 22-74 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावितहै । विकासखण्ड उन्नाहार , सरेनी, खीरों, लालगंज प्रत्येक में एक एक खण्ड विकास अधिकारी आवास , दो तृतीय श्रेणी तथा 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के आवास की व्यवस्था का वर्ष 87-88 में की जाएगी । अन्य भावनो की व्यवस्था अगले

15- एकीकृत ग्राम्य विकास ::- {100}

इस विभाग को सामान्य कार्यक्रम के अंतर्गत 114 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। इतनी ही धनराशि केन्द्र सरकार के माध्यम से प्राप्त होगी। प्रत्येक विकास खण्ड को 6 लाख रुपए जिला योजना के अंतर्गत तथा 6 लाख रुपए केन्द्र अंश के रुप में मिलेगे। कुल 11400 परिवारों को लाभ मिलने की व्यवस्था की गई है। प्रथम बार लाभार्थियो की संख्या 4750 तथा द्वितीय बार लाभान्वित परिवार की संख्या 6650 होगी। लाभान्वित व्यक्तियो का 50 प्रतिशत परिवार हरिजन होगे।

16- विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम ::-

इस योजना के अंतर्गत लघु/ सीमान्त कृषकों को निःशुल्क बोरिंग, मिनीकिट वितरण तथा भूमि सुधार हेतु 40 लाख रुपया का परिव्यय राज्यांश के रुप में प्रस्तावित है इतनी ही धनराशि केन्द्र सरकार के माध्यम से प्राप्त होगी। इस योजना के अंतर्गत लगभग 2000 परिवार लाभान्वित होगे।

17- सहकारिता ::-

इस विभाग को चालू योजनाओ के अंतर्गत 6-29 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है जिसमे क्रय विक्रय एवे भाण्डारण योजना मद मे 4-55 लाख रुपए व्यय किए जाएगे।

18- विद्युत ::-

ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत ग्रामों के मजरो हरिजन बस्तियो एवं निजी नलकूपो के अर्जन हेतु 5-67 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है। इस योजना से ग्रामों के 10 मजरे, 10 हरिजन बस्ती, तथा 40 निजी नलकूपो के अर्जन की व्यवस्था है।

19- ग्रामीण एवं लघु उद्योग ::-

औद्योगिक आस्थान छताह में स्वतन्त्र फीडर लाइन की व्यवस्था हेतु 4-00 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है। एकीकृत मार्जिन मनी हेतु 6 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावितहै। इस योजना से 14 नये लघु औद्योगिक इकाइयो को लाभान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। मेला एवं प्रदर्शन हेतु [illegible] हजार रुपए की व्यवस्था है। आधुनिकीकरण प्रोत्साहन कार्यक्रम (ग्रामीण विपणन केन्द्र) मद में कृषि उत्पादन मण्डी विकास निगम के माध्यम से 4 केन्द्रों पर एक लाख रु० प्रस्तावित। इस विभाग को 13-53 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावितहै।

(4) नई योजना में आधुनिकीकरण प्रोत्साहन कार्यक्रम (ग्रामीण विपणन केन्द्र) मद में कृषि उत्पादन मण्डी विकास निगम के माध्यम से चलाने के लिए 4 केन्द्रों पर, एक लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

20- सार्वजनिक निर्माण विभाग ::- {101} इस विभाग को 19 ग्रामीण सड़कों हेतु 95-50 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। यह योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत आती है तथा इन सड़कों के बन जाने से जनपद के काफी ग्राम लाभान्वित होंगे।

21- पर्यटन ::- वर्ष 1986-87 में जायसी की जन्म स्थली के पर्यटन विकास हेतु 2-00 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई। वर्ष 87-88 में डलमऊ के पर्यटन विकास हेतु 3-10 लाख रुपए, अहोरवा भवानी के पर्यटन विकास हेतु 20 हजार रुपए, रेवती रात के तालाब के पर्यटन विकास हेतु 1-00 लाख रुपए, समसपुर झील के पर्यटन विकास हेतु 80 हजार रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है।

इस प्रकार इस विभाग को कुल 5-10 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

22- शिक्षा ::- प्राथमिक शिक्षा हेतु 47-60 लाख रुपए तथा माध्यमिक शिक्षा हेतु 12 हजार रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है।

{क} प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 5 मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु 4-26 लाख रुपए तथा नगर क्षेत्र में एक विद्यालय हेतु 2-37 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है।

2 सीनियर बेसिक स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने हेतु 5-60 हजार रुपया का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। 0

इसके अतिरिक्त जूनियर बेसिक विद्यालय जो पहले से भवन रहित हैं में से 5 भवन निर्माण की व्यवस्था हेतु 3-25 लाख रुपए तथा 4 सीनियर बेसिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 5-02 लाख रुपए का का परिव्यय प्रस्तावित है। शेष परिव्यय से अन्य योजनाओं पर व्यय किए जाएंगे।

{ख} राजकीय माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त अनुभाग खोलने एवं नए विषयों के समावेश हेतु 50 हजार रुपए, राजकीय जिला पुस्तकालय के लिए 1-37 लाख रुपए तथा संस्कृत पाठशाला को विकास अनुदान हेतु 70 हजार रुपए, लघु एवं निर्माण कार्यों हेतु 5 लाख रुपए की रक्षित धनराशि का प्राविधान प्रस्तावित है। जो ... जनपद के रा० उ० मा० बालिका विद्यालय के भवन निर्माण पर व्यय होगा।

23- क्रीड़ा ::-

इस विभाग को 10-70 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है जिसमें से 10 लाख रुपए पहले से स्वीकृत तरणताल के निर्माण एवं 1-60 लाख रुपए बहु उद्देशीय हाल के निर्माण हेतु प्रस्तावित है ।

24- प्राविधिक शिक्षा ::-

फीरोजगांधी पालीटेक्नीक प्रोडक्शन टैक्नालाजी एवं सिविल इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रम को लागू करने हेतु 10-50 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है ।

25- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य ::-

इस विभाग को 52-24 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है । 5 उप केन्द्रों के निर्माण हेतु 4-25 लाख रुपए, 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 5 लाख रुपए , 5 आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधालय की स्थापना हेतु 3 लाख रुपए , जिला अस्पताल में वाटरटैंक प्राइवेट वार्ड, ड्रैनेज तथा लिंक रोड के निर्माण हेतु 0 लाख रुपए का तथा अवशेष धनराशि अन्य योजनाओं पर व्यय की जानी है ।

26- जल निगम ::-

168 अभावग्रस्त एवं सामान्य ग्रामों में पेयजल की सम्पूर्ति हेतु 66 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है । यह योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत आती है ।

27- ग्रामीण पेयजल (ग्राम्य विकास)::-

इस योजना के अंतर्गत विकास खण्डों के माध्यम से हरिजन एवं निर्बल वर्ग के आवास बनाने का कार्य किया जाता है । वर्ष 1987-88 में 1-85 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है जिससे 84 आवास निर्मित किए जायेंगे ।

29- श्रम विभाग ::-

इस विभाग को 1-75 लाख रुपया का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है । जिसमें से बंधुआ श्रमिको मे पुनर्वास हेतु 1 लाख रुपए प्रस्तावित किया गया है । तथा ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन में स्वीकृति श्रमिक हितकारी केन्द्र हेतु पुस्तकालय आदि की व्यवस्था हेतु 72 हजार रुपए तथा राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र हेतु पुस्तकालय आदि की व्यवस्था हेतु 72 हजार रुपए तथा [illegible]

[illegible]

[illegible] ::-

[illegible]

13-2 वर्ष 1987-88 हेतु प्रस्तावित कुल परिव्यय का वेतन, पूँजीगत तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में विभागवार वितरण (हजार रूपये में)

क्र0सं0	विभाग का नाम	वर्ष 1986-87 का स्वीकृत परिव्यय	वर्ष 1987-88 हेतु परिव्यय कुल	वेतन	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल परिव्यय से विभाग को आवंटित परिव्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	कृषि	1728	2259	407	900	-	2.86
2-	उद्यान	60	503	228	275	-	0.64
3-	गन्ना	445	500	400	-	-	0.63
4-	कृषि विपणन	141	-	-	-	-	-
5-	भूमि सुधार	250	50	-	-	-	0.06
6-	निजी लघु सिंचाई	845	1307	-	230	-	1.65
7-	राजकीय लघु सिंचाई	6800	7500	900	6600	-	9.48
8-	भूमि एवं जल संरक्षण	3050	2383	750	-	-	3.01
9-	पशु पालन	1083	1250	391	82	-	1.58
10-	मत्स्य	700	750	320	-	-	0.95
11-	वन	1437	1860	1400	-	-	2.35
12-	पंचायती राज	566	621	-	300	-	0.80
13-	प्रादेशिक विकास दल	338	538	-	150	-	0.68
14-	कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास (प्रचार प्रसार एवं भवन निर्माण)	1356	2274	-	2274	-	2.88
15-	एकीकृत ग्राम्य विकास	11400	11400	1140	-	-	14.41
16-	लघु/सीमान्त कृषकों को आर्थिक सहायता	4000	4000	32	-	-	5.06
17-	सहकारिता	566	629	-	-	-	0.79
18-	विद्युत	567	567	-	507	567	0.72
19-	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	1358	1353	-	-	-	1.71
20-	सार्वजनिक निर्माण विभाग	8390	9550	-	-	9550	12.07

1	2	3	4	5	6	7	8
21-	पर्यटन	200	570	-	310	-	0.64
22-	शिक्षा	4464	5960	904	1944	4760	7.54
23-	खेलकूद	344	1370	-	1332	-	1.73
24-	प्राविधिक शिक्षा	700	1050	-	850	-	1.33
25-	चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य	4200	5224	1189	3565	1919	6.61
26-	जल निगम	6520	6600	-	6304	6600	8.34
27-	ग्राम्य विकास पेयजल	-	650	-	-	650	0.82
28-	ग्रामीण आवास	185	185	-	185	185	0.23
29-	श्रम	94	175	72	-	-	0.22
30-	शिल्पकार प्रशिक्षण	200	200	-	-	-	0.25
31-	सेवायोजन	-	-	-	-	-	-
32-	अनुसूचित जाति/ जनजाति	1076	799	-	-	-	1.01
33-	समाज कल्याण	1398	1674	-	-	-	2.12
34-	पुष्टहार	5172	5400	-	-	5400	6.83
	योग:-	69713	79091	8133	25808	29631	100.00
			100.00	10.28%	32.63%	37.46%	

13.3- स्थापना/निर्माण कार्यो हेतु परिव्यय (1987-88)

क्रमांक	विभाग का नाम	मद का नाम	संख्या	प्रस्तावित परिव्यय (हजार रूपये)
1	2	3		4
1-	कृषि	1- प्रक्षेत्र पर बीज गोदाम	2	500
		2- थ्रेसिंग फ्लोर	2	100
		3- कृषि रक्षा इकाई का भवन निर्माण	3	300
2-	उद्यान	4- चाहारदीवारी का निर्माण एवं फेन्सिंग	1	275
3-	निजी लघु सिंचाई	5- उपकरण एवं संयन्त्र	11	230
4-	राज्य लघु सिंचाई	6- राजकीय नलकूप निर्माण	3	1875
		7- उपकरण	-	4725
5-	पशुपालन	8- उपकरण	-	82
6-	पंचायती राज	9- पंचायत भवन का निर्माण	20	300
7-	ग्राम्य विकास	10- विकास खण्ड कालोनी का निर्माण 4 विकास खण्डों में विकास एक एक खण्ड वि0अ0+ 2 सहा0 खण्ड वि0अ0 1. तृतीय श्रेणी+ 1 चतुर्थ श्रेणी	4	2274
		11- कूप निर्माण	65	650
		12- हरिजन आवास	84	185
8-	विद्युत	13- उपकरण एवं तार आदि	-	507
9-	पर्यटन	14- डलमऊ का पर्यटन विकास समसपुर झील का पर्यटन विकास	5	510
		अहोरवा भवानी का पर्यटन विकास रेवती राम तालाब का पर्यटन विकास		

1	2	3		4
10-	शिक्षा	15- जू0हा0 विद्यालय का भवन निर्माण	5	325
		16- सी0बे0 विद्यालय का भवन निर्माण	4	502
		17- ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित जू0बे0 स्कूल खोलना	5	426
		18- नगर क्षेत्र में जू0 बे0 स्कूल खोलना	1	237
		19- ग्रामीण क्षेत्र में सी0बे0 स्कूल खोलना	2	560
11-	खेलकूद	20- बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स हाल का निर्माण	1	160
		21- पूर्व स्वीकृत तरण ताल का निर्माण	1	1000
		22- बाउन्ड्री वाल को ऊंचा करने हेतु	1	120
		23- उपकरण का क्रय	-	52
12-	प्राविधिक शिक्षा	25- नये ट्रेड को खोलने हेतु उपकरण आदि	-	850
13-	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	26- आयुर्वेदिक/यूनानी औषधालयों की स्थापना	3	350
		27- उप केन्द्रों का भवन निर्माण	5	140
		28- प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 25/15 शैय्यायुक्त आयुर्वेदिक /यूनानी चिकित्सालय की स्थापना	1	600
		29- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण	1	500
		30- जिला अस्पताल में वाटर टैंक, प्राईवेट वार्ड, ड्रेनेज एवं लिंक रोड	1	800
		31- एलोपैथिक चिकित्सालय की स्थापना	1	35
		32- एक्सरे एवं जल सम्पूर्ति	1	300
		33- आयुर्वेदिक/यूनानी अस्पतालों एवं डिस्पेन्सीरियों का भवन निर्माण	1	300
14-	जल निगम	34- उपकरण, पाइप आदि	1	6304

13.4- विकेन्द्रित जिला योजना वर्ष 1986-87 से सम्बन्धित निर्धारित परिव्यय, अवमुक्त धनराशि एवं व्यय का विवरण ।

जनपद - रायबरेली   वित्तीय विवरण (हजार रुपये में)

माह, अगस्त, 1986.

क्र0सं0	विभाग का नाम	वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकृत/निर्धारित परिव्यय	विभाग द्वारा अवमुक्त धनराशि	1-4-86 से 31-8-86 तक व्यय	प्रतिशत	
					निर्धारित परिव्यय से	अवमुक्त धनराशि से
1	2	3	4	5	6	7
1-	कृषि	1728.00	833.00	159.16	9.21	19.11
2-	उद्यान	60.00	60.00	3.11	5.18	5.18
3-	गन्ना	445.00	445.00	169.70	38.13	38.13
4-	कृषि विपणन	141.00	-	-	-	-
5-	भूमि सुधार	250.00	250.00	-	-	-
6-	निजी लघु सिंचाई	845.00	832.00	-	-	-
7-	राज्य लघु सिंचाई	6800.00	-	512.00	7.53	-
8-	भूमि एवं जल संरक्षण (डीलमऊ+रायबरेली+ऊसर सुधार)	3050.00	2050.00	390.00	12.79	19.02
9-	पशुपालन	1083.00	980.37	286.12	26.42	29.18
10-	मत्स्य	700.00	350.00	176.00	25.14	50.28
11-	वन	1437.00	1437.00	950.00	66.11	66.11
12-	पंचायत राज	566.00	566.00	-	-	-
13-	प्रादेशिक विकास दल	330.00	330.00	-	-	-
14-	ग्राम्य विकास	1356.00	1356.00	-	-	-
15-	एकीकृत ग्राम्य विकास	11400.00	3200.00	2076.00	18.21	64.88
16-	लघु सीमान्त कृषकों को सहायता	4000.00	725.00	725.00	18.12	100.00
17-	सहकारिता	566.00	480.00	480.00	84.81	100.00
18-	विद्युत	567.00	-	-	-	-
19-	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	1358.00	950.00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
20-	सड़कें एवं पुल	8390.00	8390.00	2520.00	30.04	30.04
21-	पर्यटन	280.00	-	-	-	-
22-	शिक्षा	4464.00	476.00	-	-	-
23-	खेलकूद	364.00	74.10	-	-	-
24-	प्राविधिक शिक्षा	700.00	-	-	-	-
25-	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	4200.00	420.00	222.00	5.25	52.86
26-	पेयजल (जल निगम)	6519.90	6519.90	-	-	-
27-	ग्रामीण पेयजल	-	-	-	-	-
28-	ग्रामीण आवास (ग्रा० वि०)	185.00	185.00	-	-	-
29-	श्रम कल्याण	94.00	-	-	-	-
30-	शिल्पकार प्रशिक्षण	200.00	-	-	-	-
31-	सेवायोजन	-	-	-	-	-
32-	हरिजन/पिछड़े वर्गों का कल्याण	1079.00	308.00	54.00	5.02	17.53
33-	समाज कल्याण	1398.00	1398.00	138.00	9.87	9.87
34-	पुष्टाहार (समाज कल्याण)	5172.00	5172.00	-	-	-
	योग:-	69713.00	37725.37	8861.09	12.71	23.49
		100.00	54.10	12.71		

13-5 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

वर्ष 1986-87 में विभागवार स्वीकृत योजनाओं का लक्ष्य अवमुक्त धनराशि, 1अगस्त 1986 तक का व्यय, सृजित मानव दिवस तथा 87-88 हेतु प्रस्तावित धनराशि एवं अनुमानित सृजित मानव दिवसों को निम्नतालिका में दिया जा रहा है:-

क्र0सं0	विभाग का नाम	1986-87 की स्वीकृत योजना धनराशि	1986-87 की स्वीकृत योजना मानव	अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय 1-4-86 से 31-8-86 तक	मानव दिवस	87-88 हेतु धन0	87-88 हेतु मानव दिवस
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	ग्रामीण अभि0 सेवायें	47.801	5.362	-	5.791	0.493		
2-	वि0नि0इ0 मार्ग प्रथम	6.190	0.214	-	0.470	0.004		
3-	,, ,, मार्ग द्वितीय	0.440	0.035	-	-	-		
4-	सा0नि0वि0(प्रा0 खं0)	39,680	1.407	6.000	-	-		
5-	सामा0वानिकी	40.995	1.964	5.00	-	-		
6-	शा0स0ख0-41	17.553	1.069	-	1.033	0.133		
7-	,, -45	1.200	0.042	1.000	-	-		
8-	शा0नहर द0ख0	16.000	0.445	6.000	5.040	0.120		
9-	डाल सिंचाई खण्ड	6.643	0.397	--	0.500	0.100		
10-	जिलापरिषद, रायबरेली	17.044	0.595	-	5.578	0.388		
11-	पंचायत राज विभाग	10.821	0.492	-	5.577	0.038		
12-	भू0स0अ0, रायबरेली	1.163	0.161	-	-	-		
13-	,, ,, ,, डलमऊ	3.689	0.381	-	-	-		
14-	जिला गन्ना अधि-अधिकारी	15.853	0.240	4.000	-	-		
15-	सिंचाई खण्ड उन्नाव	12.930	0.698	3.000	-	-		
16-	मत्स्य विभाग	1.250	0.068	0.500	0.368	0.051		
17-	विकास विभाग	117.639	3.452	24.750	11.651	0.931		
18-	एफ0सी0आई0 (गेहूँ)	-	"	31.500	31.500	-		
19-	अन्य व्यय	-	-	-	0.708	-		
	योग	356.893	16.907	81.250	68.216	2.258	190.100	11.700

वर्ष 87-88 में विभागों से योजनायें मंगाकर स्वीकृति की जावेगी। अनुमानित लक्ष्य उपरोक्तानुसार है।

13-6 स्थल सूची ॥ वर्ष 1987-88 हेतु प्रस्तावित ॥

13-6 ॥1॥ कृषि विभाग

चयनित स्थालों की अस्थाई सूची

क्रमांक	मद	स्थान	विकास खण्ड	टिप्पणी
1-	राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर बीज गोदाम के भावन का निर्माण	हरचन्दपुर पल्टी खेंड़ा	हरचन्दपुर सरेनी	भूमि उपलब्ध है
2-	जनपद के विकासखण्डों पर राजकीय कृषि बीजभाण्डार केभावन का निर्माण	सेमरी नसीराबाद मऊ	खीरों छतोह डीह	भूमि उपलब्ध है

13-6 ॥2॥ पशुपालन विभाग

3-	भेड़ सेण्टर भावनकीमरम्मत	जगन्नाथगंज ॥प0चि0सेमरीके-अंतर्गत॥	खीरों

13-6 ॥3॥ पंचायतीराज

ग्रामीण खड़ंजा/पंचायतभावनों के निर्माण हेतु गांवसभाओं की सूची 1987-88

क्रमसं0	विकासखण्ड	गांवसभा	क्रमसं0	विकासखण्ड	ग्राम सभा
1-	राही	1-भुएमऊ	10-	सिंहपुर	1- खारा
		2- कचादामो0			2- जेहटा उसरहा
2-	अमावां	1- मदारीपुर	12-	वहादुरपुर	1- उड़वा
		2- कोड़रस			2- खालिसपुर
3-	सतांव	1- सहजौरा	12-	डलमऊ	1- कठगर
		2- ओनईपहाड़पुर			2- सोहवलि
4-	हरचन्दपुर	1- मुबारकपुर	13-	जगतपुर	1- नरायनपुर बन्ना
		2- छिउलामऊ			2- चिचौली
					3- हमीरमऊ
5-	महराजगंज	1- पाली	14-	खीरों	1- लच्छीपुर
		2- हसनपुर			2- सगुनी

6- बछरावां	1- जीगों 2- थुलेण्डी	15- लालगंज	1- बेहटा कलां 2- चांदाटीकर
7- छतोह	1- वासुपुर 2- कोड़रा	16- सरेनी	1- भोजपुर 2- महराजपुर 3- रालपुर
क-			
8- ऊंचाहार	1- खालिसपुर 2- पट्टीरहसकैथावल	17- सलोन	1- बैरमपुर 2- जादिहा
9- तिलोई	1- उत्तरपारा 2- आशापुरगाड़ी	18- शिवगढ़	1- सरायक्षत्रधारी 2- ढेकवा
		19- डीह	1- आशारसीदपुर 2- वरुआ

13-6(4) ग्राम्य विकास

विकास खण्डों के नाम जहां आवासीय भवन बनने है :-

1- ऊंचाहार
2- सरेनी
3- खीरों
4- जगतपुर

2- कूप निर्माण संख्या - 65

प्रत्येक विकासखण्ड में कम से कम 3 बनेगे ।

3- आवासीय भवन :- 84

प्रत्येक विकास खण्ड मे कम से कम 4 बनेगे ।

13-6(5) सार्वजनिक निर्माण विभाग

सड़कें तथा पुल (स्थल का चुनाव)

ब्लाक का नाम	योजना/मार्ग/पुल का नाम	इकाई किमी0/संख्या
तिलोई	1- फैजाबाद रायबरेली मार्ग से पाकरगांव सम्पर्क मार्ग	2
	2- जायस मोहइया से मेढ़ानासम्पर्क मार्ग	1
	3- सेमरौता फतेहपुर कठौरा मार्ग से जुगराजपुर सम्पर्क मार्ग	2
	4- सेमरौता शिवरतनगंज हैदरगढ़ मार्ग सेटिकरीतक	0-5
सलोन	5- धरई सम्पर्क मार्ग	1-50
	6- रतावो सम्पर्क मार्ग	2
जगतपुर	7- बिलग्राम उन्नाव इलाहाबादमार्ग से सुदामापुर ग्राम तक	0-30
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	11- [illegible] लालगंज मार्ग से [illegible]	[illegible]

	8- पूरे इच्छा सिंह जलालपुर से जलालपुरधाईग्रामतक	1-50
	9- धूता लिंकमार्ग का शेष भाग	1-85
	10- छुलरई मार्ग का शेष भाग	0-40
ऊचाहार	11- पूरे इच्छा सिंहजलालपुर धाई से गरीसाहरदोग्रामतक	1-10
	12- खरौली बाबूगंज सूची मार्ग से खारौली लिंकमार्ग	2-30
	13- अरखा कोटरा बहादुरगंज मार्ग का छूटा भाग	0-50
सतांव	14- रायबरेली डलमऊ मार्ग से मनटेक ग्राम तक	0-15
खीरों	15- अतरहर गौनामऊ से वेहटालालमपुर मार्ग	0-15
बहादुरपुर	16- मवई आलमपुर लिंक मार्ग	3
बछरावां	17- कुण्डौली लिंक मार्ग	2
शिवगढ़	18- दोढवापुर लिंक मार्ग	1
महराजगंज	19- तौली लिंक मार्ग	7

पुराने निर्माणाधीन मार्गों की सूची

1550 कि0मी0 ग्रामीण मार्गों का निर्माण

1- देहली वैती गुर्मी मार्ग ।
2- महराजगंज हल्लोर मार्ग ।

प्रदेश में 443-कि0मी0 ग्रामीण लिंक मार्गों का निर्माण (खारंजा से लेपनस्तर तक)

1- खीरो अतरहर मार्ग ।
2- सलोन प्रतापगढ़ वाया रतासो दरई ग्रामो को जोड़ना ।

2000 किमी0 ग्रामीण मार्गों का निर्माण (मिट्टी स्तर)

5- मोहनगंज इन्हौना मार्ग से कूला ग्राम तक

प्रदेश में महत्वपूर्ण नहर की पटरियों को पक्का करना ।

6- अतरहर गौनामऊ कैनाल पटरी को पक्का करना ।

2000 किमी0 ग्रामीण मार्गों का निर्माण

7- भवानीगढ़ बहुधाकलां मार्ग

प्रदेश में 188 किमी0 ग्रामीण मार्गों पर खारंजा से लेपनस्तर का कार्य

8- कमई सेमरौता मार्ग ।

सेक्टोरियल आर0एल0ई0जी0पी0

1- हरचन्दपुर कमई सेमरौता मार्ग	10 कि0मी0
2- पिण्डारा लिंक मार्ग	1

3- कुवरमऊ लिंक मार्ग	5
4- खैरहनी पहाड़ गढ़ लिंक मार्ग	2
5- भुआलपुर सिसनी लिंगमार्ग	4
6- वेवली लिंक मार्ग	1
7- खानपुर चपरा लिंक मार्ग	3
8- सरैया सलारपुर लिंक मार्ग	1
9- हाजीपुर लिंक मार्ग	2
10- दुवहन लिंक मार्ग	2
11- बुछई वेतौरा जिंक मार्ग	2
12- रघुनाथपुर लिंक मार्ग	2
13- थुलरई लिंक मार्ग	3
14- जोगापुर मदुरी लिंक मार्ग	7
15- चन्दौसी सण्डौसी फकरुद्दीनपुर मार्ग	7
16- हमीरपुर छिउलहा मार्ग	6
17- हथनासा धानपालपुर लिंक मार्ग	2
18- ऐहार से लोदीपुर उतरावां मार्ग	11
19- वेलाखारा लिंक मार्ग	2
20- कठगर से कुण्डवल वाया भीरावांविंदपुर मार्ग	12
21- धूता लिंक मार्ग	2
22- सनेही लिंक मार्ग	1-35
23- उतरेना लिंक मार्ग	2
24- लालगंज टाउन एरिया	2
25- अरखा से कोटरा वहादुरगंज मार्ग	3-19
26- लक्ष्मीगंज पटेरवा लिंक मार्ग	4
27- गुल्लूपुर लिंक मार्ग	2
28- हरचन्दपुर अघारैाघाट लिंक मार्ग	11
29- कुन्दनगंज जाहवा शार्की से पश्चिमगांव	9
30- सलेथू पारा खुर्द मार्ग	6

13-6 §7§ शिक्षा

जूनियर हाईस्कूल भावन निर्माण स्थल

1- देवगांव	विकासखण्ड	खीरो
2- धारैहरा	,,	उचाहार
3- उतरहा	,,	सिंहपुर
4- मऊ शार्की	,,	महराजगंज

भवन रहित स्कूलों के निर्माण स्थल

1- प्रा०पा० सगुनी	वि०ख० खीरो	
2- ,, भीखा	,,	जगतपुर
3- ,, भवानीपुर	,,	सलोन
4- ,, खोजनपुर	,,	ऊचाहार
5- ,, घाटमपुर	,,	डीह

वर्ष 87-88 में खुलने वाले प्रा०पा० व जू०हा०स्कूल का स्थल चयन §अस्थाई §

1- जूनियर हाई स्कूल § अस्थाई सूची §

1- चित्रा बुजुर्ग	वि०ख०	तिलोई
2- दूरभाष नगर	,,	राही

2- प्राइमरी पाठशाला §अस्थाई सूची §

1- परहरी	वि०ख०	सलोन
2- भौरमपूर	,,	लालगंज
3- ठोकरी	,,	सतांव
4- पूरे ब्रम्हचारी	,,	डीह
5- गवाव गंज	,,	जगतपुर

13-6 §8 § चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार

कल्याण

उपकेन्द्रो का भवन निर्माण :-

विकास क्षेत्र	स्थान
1- बछरावां	नीमटाकर
2- तिलोई	मऊ गवाॅ अमेठी संसदीय क्षेत्र
3- सिंहपुर	रस्तामऊ ,, ,,
4- जगतपुर	नवाबगंज
	नरहरपुर
5- अमावां	भाव

2- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना ॥115॥

1- रांजापुर फत्तेपुर सिंहपुर

2- करहिया बाजार सलोन

3- इकोर्नां खीरो

3- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना :-

1- तिलोई अमेठी संसदीय क्षेत्र

2- सलोन

3- डलमऊ

4- खीरो

5- बछरावां

4- दन्त रुजालय की स्थापना:-

1- तिलोई अमेठी संसदीय क्षेत्र

2- लालगंज

5- बाल रुजालय की स्थापना :-

1- महराजगंज

5- रेडियोलाजी:-

1- सलोन :- रेडियोलाजिस्ट-डार्करूमअसिस्टेन्अ-एक्सरे फिल्म

2- डलमऊ:- रेडियोलाजिस्ट-डार्करूम असिस्टेन्ट-फिल्म

3- बछरावां:- एक्सरे भावन-रेडियोलाजिस्ट-डार्करूमअसिस्टेन्ट-टेक्नीशियन-फिल्म

4- तिलोई:- एक्सरे मशीन-रेडियोलाजिस्ट-टैक्नीशियन-डार्करूम असिस्टेन्ठ-फिल्म

6- राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय की स्थापना :-

1- जगतपुर भिचकौरा

7- होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना :-

1- गोपाली खेड़ा - सरेनी

2- पूरे जबरसिंह - लालगंज

3- ममनी -सलोन

:-

8- आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना ::-

स्थान	विकासक्षेत्र
1- जोगापुर	लालगंज
2- ताला कोसा	सतांव
3- महरानीगंज	सरेनी
4- सेमरौता	सिंहपुर
5- करहिया बाजार	सलोन

9- 25 शैया युक्त चिकित्सालय की स्थापना ::-

1- महराजगंज	महराजगंज
2- हरचन्द्रपुर	हरचन्दपुर

विशिष्ट चिकित्सा सुविधा::-

1- डीजल जनरेटर	2-	1- लालगंज तथा महराजगंज
2- पैथालाजी यूनिट	1	जिला महिला चिकित्सालय, रायबरेली ।
3- रोगी वाहन	1	जिला चिकित्सालय
5- वाटरहेड टैंक	1	,, ,,
5- प्राइवेट वार्ड	10	,, ,,
6- शैयाओ का नियमतीकरण	-50	,, ,,

10- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण :- भदोखर ।

13.7- जनपद के कुल परिव्यय का प्रमुख सेक्टर वार विभाजन (हजार रू0) तथा प्रतिशत वर्ष 1986-87 तथा वर्ष 1987-88.

प्रमुख सेक्टर का नाम	सम्मिलित विभागों के नाम	वर्ष 1986-87 धन-राशि	वर्ष 1986-87 प्रति-शत	वर्ष 1987-88 धन-राशि	वर्ष 1987-88 प्रति शत
1- कृषि एवं तत्सम्बन्धी सम्बर्ग	1-कृषि, 2-उद्यान, 3-भूमि सुधार, 4-भूमि एवं जल संरक्षण मत्स्य, वन, एकीकृत ग्राम्य विकास, भूमि सुधार, पशुपालन, तथा पंचायत, गन्ना	24860	35.66	24955	31.55
2- सहकारिता	सहकारिता	566	0.81	629 ~~9374~~	0.80
3- सिंचाई, बाढ़ एवं शक्ति	डाल सिंचाई, निजी लघु सिंचाई एवं विद्युत	8212	11.78	9374	11.85
4- उद्योग एवं खानिकर्म	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	1358	1.95	1353	1.71
5- परिवहन एवं संचार	सड़कें एवं पुल तथा पर्यटन	8680	12.45	10060	12.72
6- सामाजिक एवं सामूहिक सेवायें	शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आवास जल सम्पूर्ति, श्रम तथा अन्य विभाग	26037	37.75	32720	41.37
योग जनपद:-		69713	100.00	79091	100.00

13.8- विभिन्न विभागों के पी०एल०ए० में अवशेष धनराशि

{हजार रुपये}

विभाग	छठी योजना काल में			सप्तम योजना	
	1982-83	1983-84	1984-85	प्रथम वर्ष 1985-86	द्वितीय वर्ष 1986-87
1	2	3	4	5	6
1- मत्स्य	51	10	54	115	-
2- पंचायत	-	-	-	-	556
3- एकीकृत ग्राम्य विकास	609	1652	744	3080	-
4- लघु/सीमान्त कृषकों को आर्थिक सहायता	-	69	653	5385	-
योग:-	660	1731	1451	8580	566

अध्याय - 14

14-1 योजनाओं का वित्त पोषण :-

वर्ष 1987-88 की जिला सेक्टर योजना 790-91 लाख रुपए की प्रस्तावित की गई है। यह धनराशि जनपद को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी। इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं पर केन्द्र सरकार से 160-78 लाख रुपए की धनराशि संस्थागत वित्त (बैंको द्वारा) से 599-23 लाख रुपए, ग्राम पंचायतो के कोष से 3-90 लाख रुपए, व्यक्तिगत पूंजी निवेश से 2-8 लाख रुपए तथा अन्य श्रोतों से 19-96 लाख रुपए प्राप्त होंगे। इस प्रकार राज्यांश के अतिरिक्त 786-70 लाख रुपए विभिन्न योजनाओं पर और प्राप्त होंगे।

वर्ष 1987-88 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में 190-10 लाख रुपए व्यय करके 11-70 लाख मानव दिवस सृजित किए जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

स्त्रोतवार धनराशि, प्रतिशत, एवं प्रति व्यक्ति अनुमान 14-2 तालिका में दिया गया है।

14.2- वर्ष 1987-88 हेतु जिला सेक्टर से प्राप्त राज्यांश, केन्द्र अंश, संस्थागत वित्त, सहकारी समितियाँ, ग्राम पंचायतें, व्यक्तिगत पूंजी निवेश एवं अन्य श्रोतों से प्राप्त सकल धनराशि का विभागवार विवरण ।

क्रमांक	श्रोत	धनराशि लाख रू0	प्रतिशत	प्रति-व्यक्ति
1	2	3	4	5
1-	जिला सेक्टर के राज्यांश (राज्य सरकार)	790.91	50.13	41.91
2-	केन्द्र सरकार	160.78	10.19	8.52
3-	संस्थागत वित्त	599.23	37.98	31.76
4-	ग्राम पंचायतें	3.90	0.25	0.21
5-	व्यक्तिगत पूंजी निवेश	2.83	0.18	0.15
6-	सहकारी समिति	-	-	-
7-	अन्य	19.96	1.27	1.06
8-	समस्त श्रोत	1577.61	100.00	83.61

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 1886940 है, उक्त तालिका से स्पष्ट है । कि समस्त श्रोतों से कुल धनराशि 1577.61 लाख रूपये वर्ष 1987-88 में विभिन्न योजनाओं पर व्यय किये जावेगें । जो कि प्रति व्यक्ति व्यय 83.61 रूपये होगें ।

14.3- जिला सेक्टर से निर्धारित परिव्यय एवं अन्य श्रोतों से प्राप्त धनराशि का विभागवार विवरण ।

क्र0सं0	विभाग का नाम	श्रोतवार धनराशि (हजार रूपये में)							
		राज्य सरकार जिला सेक्टर से निर्धारित	केन्द्र सरकार	संस्थागत वित्त	ग्राम पंचायत	व्यक्तिगत पूंजी निवेश	सहकारिता	अन्य श्रोत	सकल धनराशि (समस्त श्रोत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	कृषि	2259	150	-	-	-	-	-	2409
2-	उद्यान	503	-	-	-	-	-	-	503
3-	गन्ना	500	-	-	-	-	-	111	611
4-	कृषि विपणन	-	-	-	-	-	-	-	-
5-	भूमि सुधार	50	50	-	-	-	-	-	100
6-	निजी लघु सिंचाई	1307	-	2860	-	-	-	-	4167
7-	राज्य लघु सिंचाई	7500	-	-	-	-	-	-	7500
8-	भूमि एवं जल संरक्षण	2383	-	-	-	283	-	-	2666
9-	पशुपालन	1250	278	-	-	-	-	-	1528
10-	मत्स्य	750	-	-	-	-	-	-	750
11-	वन	1860	-	-	-	-	-	-	1860
12-	पंचायती राज	621	-	-	390	-	-	-	1011
13-	प्रादेशिक विकास दल	538	-	-	-	-	-	-	538
14-	ग्राम्य विकास (विकास खण्ड भवन)	2274	-	-	-	-	-	-	2274
15-	एकीकृत ग्राम्य विकास	11400	11400	45600	-	-	-	-	68400
16-	लघु/सीमान्त कृषकों को सहायता	4000	4000	-	-	-	-	-	8000
17-	सहकारिता	629	-	2663	-	-	-	-	3292
18-	विद्युत	567	-	-	-	-	-	-	567
19-	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	1353	100	8800	-	-	-	-	10253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20-	सड़कें एवं पुल	9550	-	-	-	-	-	1700	11250
21-	पर्यटन	510	-	-	-	-	-	-	510
22-	शिक्षा	5960	-	-	-	-	-	-	5960
23-	खेलकूद	1370	-	-	-	-	-	-	1370
24-	प्राविधिक शिक्षा	1050	-	-	-	-	-	-	1050
25-	चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य	5224	-	-	-	-	-	-	5224
26-	जल निगम	6600	-	-	-	-	-	-	6600
27-	ग्रामीण पेयजल (ग्रा० वि०)	650	-	-	-	-	-	-	650
28-	ग्रामीण आवास (ग्रा० वि०)	185	-	-	-	-	-	185	370
29-	श्रम कल्याण	175	100	-	-	-	-	-	275
30-	शिल्पकार प्रशिक्षण	200	-	-	-	-	-	-	200
31-	सेवायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
32-	हरिजन/पिछड़े वर्ग	799	-	-	-	-	-	-	799
33-	समाज कल्याण	1674	-	-	-	-	-	-	1674
34-	पुष्टाहार	5400	-	-	-	-	-	-	5400
	योग:-	79091	16078	59923	390	283	-	1996	157761

अध्याय-15

विशेष समन्वित योजना

15-1 अनुसूचित जाति के शैक्षिक सामाजिक एवं व्यक्तिगत आर्थिक विकास हेतु 2 अक्टूबर 1980 से विशेष समन्वित योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया गया । उक्त योजना के अन्तर्गत हरिजन बाहुल्य क्षेत्रों में सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे पाये जाने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के परिवारों के व्यक्तिगत आर्थिक विकास कार्यक्रम एकीकृत ग्राम्य विकास योजना की भाँति देने का प्राविधान किया गया तथा व्यक्तिगत आर्थिक विकास योजनायें देने के साथ-साथ विभिन्न विकास विभागों को भी अपनी सामान्य बजट से अनुसूचित जाति की जनसंख्या में आवश्यक धनराशि की मात्राकृत करके उनके शैक्षिक एवं सामाजिक तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा निर्देश दिये गये हैं । उक्त योजना में उन्हीं हरिजन परिवारों को लाभान्वित करने का प्राविधान किया गया है जिनकी समस्त श्रोतों से कुल आय ग्रामीण क्षेत्र में 3500/-रू0 तथा शहरी क्षेत्र में 4300/- से कम हो । तथा ला इन्जीनियरिंग ग्रेजुयेट को 2000/- तक तथा शेष बैकेवुल लाभार्थियों को 3000/- तक देने का प्राविधान किया गया है ।

उक्त अनुदान के साथ समस्त बैकेवुल योजनाओं को 3000/- अनुदान एवं 5000/- मार्जिन मनी देने तक प्राविधान किया गया है हरिजन बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण 2 अक्टूबर 1980 को बछरावां में उक्त योजना का शुभारम्भ किया गया प्रथम चरण में तीन गाँव जीगो, पलिया एवं बन्नावाँ का चयन किया गया । जिनमें 356 परिवारों का सर्वेक्षण हुआ था, उसमें से 270 परिवार गरीबी की रेखा के नीचे पाये गये जिनमें से 93 हरिजन के परिवारों की आर्थिक योजनायें तैयार करवाई गई, जिनमें 89 हरिजन परिवारों को विभिन्न योजनाओं हेतु वित्तपोषित संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित कराया गया । तत्पश्चात् समस्त विकास खण्डों के हरिजन परिवारों का सर्वेक्षण कराया गया, जिनमें 8913 हरिजन परिवारों का सर्वेक्षण हुआ । जिनमें से 5263 हरिजन परिवार गरीबी रेखा के नीचे पाये गये । वित्तीय वर्ष में 1981-82 में उक्त विकास खण्ड के 613 हरिजन परिवारों को 14.04 लाख रू0 के ऋण प्रार्थना-पत्र वित्त पोषित संस्थाओं को प्रेषित किये गये । जिनमें 538 हरिजन परिवारों को 9.95 लाख रू0 का धन वितरित किया गया उक्त योजना के सघनीकृत रूप से विकास खण्ड बछरावां में तथा सामान्य रूप से सम्पूर्ण जनपद में लागू की गई । इसके फलस्वरूप 16677 हरिजन परिवारों को 30.13 लाख रूपये की धनराशि विभिन्न आर्थिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत वित्त पोषित संस्थाओं द्वारा वितरित किया गया ।

गत वित्तीय वर्ष में उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा 3 लाख रू0 एवं शासन द्वारा केन्द्रीय सहायकता के रूप में 7.00लाख रूपये की धनराशि आवंटित की गई जिनमें से गत वित्तीय वर्ष में केवल 0.45 लाख रू0 व्यय किया जा सका इस वर्ष शासनद्वारा 12000/- लाभार्थियों को विभिन्न आर्थिक कार्यक्रम देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उक्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु निम्न प्रकार से रणनीति तैयार की गयी है। वर्ष 82-83 के अन्त का स्तर वर्ष 83-84 में इस जनपद में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या39861 थी जिनमें से 17564 लोग हरिजन थे वर्ष 1985-86 में 11400 व्यक्तियों को एकीकृत ग्राम्य विकास योजना, विशेष समन्वित योजना, आदि द्वारा लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है जिनमें से 5700 हरिजन लाभार्थी होंगे। वर्ष 1987-88 में 12500 कुल लाभार्थियों में से एकीकृत योजना से 6250 हरिजन लाभार्थियों को लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।

क्र0सं0	विभाग का नाम	संख्या हरिजन लाभार्थियों की	विभागीय कार्यक्रमों योजनायें
1-	एकीकृत ग्राम्य विकास	6250	आर्थिक विकास की योजनायें
2-	विशेष समन्वित योजना इसमें उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 का 600 लक्ष्य सम्मिलित है।	2500	,, ,, ,,

विशेष समन्वित योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम रायबरेली के लिये 2500 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त लक्ष्य की पूर्ति हेतु 67-47 लाख ऋण वितरित करने का लक्ष्य जनपद के विभिन्न वित्त पोषित संस्थाओं को निर्धारित कर दिये गये।

अभी तक सघनीकृत रूप से हरिजन परिवारों के आर्थिक विकास के लिये सभी विकास खण्ड विकास कार्यक्रम देने हेतु चयनित किये गये हैं। जिनके लिये केन्द्रीय सहायता के लिये शासन द्वारा 24.11 लाख रूपये का वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु आवश्यक धनराशि आवंटित की जा चुकी है।

हरिजन परिवारों के व्यक्तिगत आर्थिक विकास कार्यक्रमों पर ऋण एवं अनुदान के रूप में तथा उक्त आवंटित धनराशि का 20 प्रतिशत उसके सामूहिक आर्थिक विकास कार्यक्रमों पर व्यय की जायेगी।

सभी विकास खण्डों का सर्वेक्षण भी किया जा चुका है । तथा रिपोर्ट बैंकों के पास उपलब्ध हैं । कृषि गन्ना निजी लघु सिंचाई, राज्य लघु सिंचाई भूमि एवं जल संरक्षण, मत्स्य, पंचायत, प्रादेशिक विकास दल, क्षेत्रीय अविकास लघु/सीमान्त कृषकों को आर्थिक सहायता, सहकारिता विद्युत, शिक्षा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्राम्य विकास, श्रम एवं समाज कल्याण विभाग तथा पुष्टाहार विभागों में कुल 94.44 लाख रूपये हरिजनों हेतु मात्रा कृत की गई है ।

-:-

15.2- वर्ष 1987-88 के प्रस्तावित परिव्यय में से अनु०जाति/जनजाति के लिए विभागवार/मात्राकृत धनराशि (हजार रु० में)

क्र०सं०	विभाग	कुल प्रस्तावित परिव्यय	अनुसूचितजाति/जनजाति के लिए मात्राकृत धनराशि	प्रतिशत धनराशि
1	2	3	4	5
1-	कृषि	2259	605	26.78
2-	गन्ना	500	76	15.20
3-	भूमि सुधार	50	25	50.00
4-	निजी लघु सिंचाई	1307	285	21.81
5-	राज्य लघु सिंचाई	7500	4078	54.37
6-	भूमि एवं जल संरक्षण	2383	370	15.72
7-	प्रादेशिक विकास दल	538	62	11.52
8-	एकीकृत ग्राम्य विकास	11400	5700	50.00
9-	लघु/सीमान्त कृषकों को आर्थिक सहायता	4000	2000	50.00
10-	सहकारिता	629	50	7.95
11-	विद्युत	567	117	20.63
12-	सड़कें एवं पुल	9550	3600	37.89
13-	शिक्षा	5960	1505	25.25
14-	चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य	5224	230	4.04
15-	जल निगम	6600	1539	23.32
16-	ग्रामीण पेयजल	650	650	100.00
17-	ग्रामीण आवास	185	185	100.00
18-	श्रम	175	138	78.86
19-	अनु०पिछड़ी जातियों का कल्याण	799	685	85.73
20-	समाज कल्याण	1674	395	23.60
21-	पुष्टाहार (समाज कल्याण)	5400	2300	42.59
	उक्त सभी विभागों का योग :-	67350	24595	36.52
	जनपद का कुल परिव्यय	79091	24595	31.10

विकेंद्रीकृत जिला सेक्टर योजना

सप्तम पंचवर्षीय योजना

तृतीय वर्ष - 1987-88

भाग -दो

जिला सेक्टर योजना के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य

व तत्सम्बंधित विवरण

(जी0एन0 1, 2, 3, 4)

जनपद- रायबरेली

कार्यालय जिला संख्याधिकारी,

रायबरेली

विभागवार व्यय/परिव्यय जी0एन0-1 वित्तीय विवरण (हजार रुपये)

क्रम सं0	विभाग का नाम	1982-85 तक वास्तविक व्यय	1985-86 का वास्तविक व्यय	1986-87 का अनुमोदित परिव्यय			1986-87 का अनुमानित व्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यूनतम् आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम् आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	कृषि विभाग	2265	1046	1728	944	-	1703	944	-
2-	उद्यान विभाग	147	36	60	-	-	60	-	-
3-	गन्ना विभाग	1557	496	445	-	-	599	-	-
4-	कृषि विपणन	-	-	141	-	-	141	-	-
5-	भूमि सुधार	400	100	250	-	-	250	-	-
6-	निजी लघु सिंचाई	104	800	845	-	-	845	-	-
7-	राज्य लघु सिंचाई	46947	7662	6800	4040	-	6800	4040	-
8-	भूमि एवं जल संरक्षण (कृषि)	5885	1913	3050	-	-	3050	-	-
9-	पशुपालन	7910	1497	1083	82	-	1139	82	-
10-	मत्स्य	2012	657	700	-	-	700	-	-
11-	वन	11923	2896	1437	100	-	3020	100	-
12-	पंचायती राज	1353	414	566	300	-	566	300	-
13-	प्रादेशिक विकास दल	202	596	338	100	-	338	100	-
14-	कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास (विकास खण्ड भवन)	271	1000	1356	1356	-	1356	1356	-
15-	एकीकृत ग्राम्य विकास	20260	6754	11400	-	-	11400	-	-
16-	विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम	2510	[illegible]	4000	-	-	4000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17-	सहकारिता	1357	594	566	-	-	566	-	-
18-	विद्युत	1600	378	567	567	567	567	567	567
19-	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	1904	870	1358	-	-	1359	-	-
20-	सड़कें एवं पुल (सार्वजनिक निर्माण विभाग)	27967	7671	8390	-	8390	8390	-	8390
21-	पर्यटन	-	-	280	280	-	280	280	-
22-	शिक्षा	11420	2571	4464	2680	4231	4518	2680	4285
23-	खेलकूद	1180	311	344	310	-	344	310	-
24-	प्राविधिक शिक्षा (पालीटेक्निक)	4343	130	700	500	-	700	500	-
25-	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	7735	1663	4200	1533	768	4200	1533	768
26-	जल निगम	6531	6379	6520	5668	6520	6520	5668	6520
27-	ग्रामीण पेय जल (ग्राम्य विकास)	1683	-	-	-	-	-	-	-
28-	ग्रामीण आवास (ग्राम्य विकास)	541	-	185	185	185	185	185	185
29-	श्रम कल्याण	20	-	94	-	-	94	-	-
30-	शिल्पकार प्रशिक्षण	2703	161	200	-	-	200	-	-
31-	सेवायोजन	300	-	-	-	-	-	-	-
32-	अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जातियों का कल्याण	1506	318	1076	664	-	412	-	-
33-	समाज कल्याण	932	1410	1398	-	-	1395	-	-
34-	पुष्टाहार	5317	4788	5172	-	5172	5172	-	5172
	योग:-	180685	56719	69713	19[illegible]	25033	70868	18645	25887

- 128 -

क्रम सं0	विभाग का नाम	1987-88 का प्रस्तावित परिव्यय			हरिजनों हेतु परिव्यय	विभाग के परिव्यय का कुल परिव्यय से प्रतिशत
		कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम		
1	2	11	12	13	14	15
1-	कृषि विभाग	2259	900	-	605	2.86
2-	उद्यान विभाग	503	275	-	-	0.64
3-	गन्ना विभाग	500	-	-	76	0.63
4-	कृषि विपणन	-	-	-	-	-
5-	भूमि सुधार	50	-	-	25	0.06
6-	निजी लघु सिंचाई	1307	230	-	285	1.65
7-	राज्य लघु सिंचाई	7500	6600	-	4078	9.48
8-	भूमि एवं जल संरक्षण (कृषि)	2383	-	-	370	3.01
9-	पशु पालन	1250	82	-	-	1.58
10-	मत्स्य	750	-	-	-	0.95
11-	वन	1860	-	-	-	2.35
12-	पंचायती राज	621	300	-	-	0.80
13-	प्रादेशिक विकास दल	538	150	-	62	0.68
14-	कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास (विकास खण्ड भवन)	2274	2274	-	-	2.88
15-	एकीकृत ग्राम्य विकास	11400	-	-	5700	14.41
16-	विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम	4000	-	-	2000	5.06
17-	सहकारिता	629	-	-	50	0.79
18-	विद्युत	567	507	567	117	0.72
19-	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	1353	-	-	-	1.71

1	2	11	12	13	14	15
20-	सड़कें एवं पुल (सार्वजनिक निर्माण विभाग)	9550	-	9550	3600	12.07
21-	पर्यटन	510	310	-	-	0.64
22-	शिक्षा	5960	1944	4760	1505	7.54
23-	खेलकूद	1370	1332	-	-	1.73
24-	प्राविधिक शिक्षा (पालिटेक्निक)	1050	850	-	-	1.33
25-	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	5224	3565	1919	230	6.61
26-	जल निगम	6600	6304	6600	1539	8.34
27-	ग्रामीण पेयजल (ग्राम्य विकास)	650	-	650	650	0.82
28-	ग्रामीण आवास (ग्राम्य विकास)	185	185	185	185	0.23
29-	श्रम कल्याण	175	-	-	138	0.22
30-	शिल्पकार प्रशिक्षण	200	-	-	-	0.25
31-	सेवायोजन	-	-	-	-	-
32-	अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछड़ी जातियों का कल्याण	799	-	-	685	1.01
33-	समाज कल्याण	1674	-	-	395	2.12
34-	पुष्टहार	5400	-	5400	2300	6.83
	योग:-	79091	25808	29631	24595	100.00

योजनावार व्यय/परिव्यय

जी०एन०-2

(वित्तीय विवरण-पूर्ण हजार रूपये)

क्र०सं०	विभाग/योजना का नाम	1982-85 तक वास्तविक व्यय	1985-86 का वास्तविक व्यय	1986-87 का अनुमोदित परिव्यय कुल	1986-87 का अनुमोदित परिव्यय पूंजीगत	1986-87 का अनुमोदित परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1986-87 का अनुमानित व्यय कुल	1986-87 का अनुमानित व्यय पूंजीगत	1986-87 का अनुमानित व्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 का प्रस्तावित परिव्यय कुल	1987-88 का प्रस्तावित परिव्यय पूंजीगत	1987-88 का प्रस्तावित परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	हरिजनों हेतु परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(1)	**कृषि विभाग**												
	(चालू योजना)												
1-	प्रदेश के मैदानी भागों में बीज विधायन संयंत्र की स्थापना	355	45	300	200	-	300	200	-	100	-	-	25
2-	प्रदेश में उन्नतशील बीजों के सम्बर्द्धन एवं संग्रहण की योजना	1150	800	1010	490	-	1010	490	-	1431	600	-	200
3-	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित दलहन फसल के उत्पादन की योजना (50:50)	75	38	26	-	-	26	-	-	125	-	-	25
4-	गेहूं की फसल पर गेहूंवा खरपतवार नियन्त्रण की केन्द्र पोषित योजना	54	15	50	-	-	25	-	-	25	-	-	5
5-	केन्द्र पोषित सघन तिलहन विकास कार्यक्रम की योजना (50% केन्द्र पोषित)	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-	प्रदेश के मैदानी भागों में कृषि रक्षा सेवा के सुदृढ़ीकरण की योजना	168	148	342	254	-	342	254	-	[illegible]	[illegible]	-	350

-131-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7-	प्रदेश के बीज मैदानी जनपदों में कृषि भूमि परीक्षण प्रयोग शालाओं का सघनीकरण	293	राज्य		योजना		में		स्थानान्तरित ----------				
8-	कृषि सेवा केन्द्र के सुदृढ़ीकरण की योजना	136	राज्य		योजना		में		स्थानान्तरित ----------				
	योग:-	2265	1046	1728	944	-	1703	944	-	2259	900	-	605

§2§ उद्यान विभाग

§चालू योजना§

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1-	वर्तमान उद्यानों, प्रक्षेत्रों/पौधशालाओं के सुधार की योजना									265	265	-	-
2-	प्रदेश में औद्यानिक उत्पादन एवं बीज विधायन इकाईयों की स्थापना व सुदृढ़ीकरण	147	36	60	-	-	60	-	-	83	-	-	-
3-	प्रदेश के प्रमुख एवं पिछड़े हुए प्रक्षेत्रों में सघन औद्यानिक विकास की योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	155	10	-	-
	योग:-	147	36	60	-	-	60	-	-	503	275	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
§3§	गन्ना विभाग §चालू योजना§												
1-	गन्ना उत्पादकों को सस्ते दर पर फसल रक्षा यन्त्र उपलब्ध कराने की योजना	7	5	2	–	–	8	–	–	8	–	–	2
2-	नई चीनी मिलों में गन्ना विकास कार्य की योजना	1097	428	300	–	–	520	–	–	393	–	–	60
3-	गन्ना बीज के यातायात व्यय पर अनुदान देने की योजना	15	4	18	–	–	6	–	–	7	–	–	1
4-	आधार गन्ना बीज के उत्पादन की योजना	36	11	20	–	–	20	–	–	22	–	–	4
5-	चीनी मिलों के 16 कि0 मी0 परिधि में सघन गन्ना विकास योजना	28	13	80	–	–	20	–	–	40	–	–	4
6-	उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास	374	35	25	–	–	25	–	–	30	–	–	5
	योग:-	1557	486	445	–	–	599	–	–	500	–	–	76
§4§	कृषि विपणन §चालू योजना§												
1-	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनान्तर्गत कृषि उपज के भण्डारण हेतु राष्ट्रीयस्तर पर ग्रामीण गोदामों के निर्माण हेतु मण्डी परिषद को अनुदान	–	–	141	–	–	141	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(5)	**भूमि सुधार**												
1-	सीलिंग भूमि के आवंटियों को आर्थिक सहायता (केन्द्र पुरोनिधानित)	400	100	250	-	-	250	-	-	50	-	-	25
(6)	**निजी लघु सिंचाई** (चालू योजना)												
1-	अनुदान	104	800	845	-	-	845	-	-	960	-	-	285
2-	अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	117	-	-	-
3-	संयन्त्र एवं उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	230	230	-	-
	योग:-	104	800	845	-	-	845	-	-	1307	230	-	285
(7)	**राज्य लघु सिंचाई** (चालू योजना)												
1-	राजकीय नलकूप (सामान्य कार्यक्रम)	29742	7662	6800	4040	-	6800	4040	-	7500	6600	-	4078
2-	राजकीय नलकूप (विश्व बैंक पोषित)	17205	-	राज्य		योजना		में		स्थानान्तरित		-	
	योग:-	46947	7662	6800	4040	-	6800	4040	-	7500	6600	-	4078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(8)	**भूमि एवं जल संरक्षण (कृषि)**												
	(चालू योजना)												
1-	प्रदेश के मैदानी भागों में भूमि एवं जल संरक्षण	4840	1301	1250	-	-	1250	-	-	1250	-	-	50
अ-	डलमऊ इकाई												
ब-	रायबरेली इकाई	1045	612	800	-	-	800	-	-	-	-	-	-
		5885	1913	2050	-	-	2050	-	-	1250	-	-	50
2-	प्रदेश में क्षारीय एल्कलाइन भूमि के सुधार की योजना	-	-	1000	-	-	1000	-	-	1133	-	-	320
	योग:-	5885	1913	3050	-	-	3050	-	-	2383	-	-	370
(9)	**पशुपालन**												
	(चालू योजना)												
	पशु चिकित्सा सेवायें एवं स्वास्थ्य												
1-	पशु चिकित्सा एवं पशु स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार एवं विस्तार की योजना	3894	321	48	-	-	104	-	-	244	-	-	-
2-	स्थानीय निकायों द्वारा चालित पशु चिकित्सालयों का प्रान्तीकरण एवं सुधार की योजना	28	54	98	-	-	98	-	-	90	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	पशुधन विकास												
3-	पशुधन प्रक्षेत्रों पर प्रजनन कार्य हेतु सांडों के उत्पादन की योजना	55	11	8	-	-	8	-	-	-	-	-	-
4-	अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का सुदृढीकरण एवं विस्तार की योजना	2614	512	250	-	-	250	-	-	250	-	-	-
5-	प्रदेश में कृत्रिम गर्भाधान ढांचे का सुदृढीकरण की योजना	58	80	30	-	-	30	-	-	44	-	-	-
6-	लघु/सीमान्त कृषकों एवं भूमि हीन श्रमिकों के लाभार्थ वर्ण शंकर बछियों के भरण पोषण हेतु संतुलित आहार कुक्कुट भेंड एवं शूकर इकाईयों की स्थापना पर अनुदान तथा पशुपालन निदेशालय पर प्रोजेक्ट सेल की स्थापना (केन्द्र पोषित)	889	277	285	-	-	285	-	-	270	-	-	-
	कुक्कुट विकास												
7-	संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के सहयोग से व्यवहारिक पुष्टाहार कुक्कुट उत्पादन की योजना	11	4	4	-	-	4	-	-	4	-	-	-
	भेंड एवं उन विकास												
8-	राज्य में बकरी प्रजनन सुविधाओं के प्रसार की योजना	34	15	21	-	-	21	-	-	26	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9-	भेंड प्रजनन सुविधाओं को प्रसार एवं सुदृढीकरण तथा स्वास्थ्य सेवायें	267	185	288	82	-	288	82	-	288	82	"	-
10-	सूकर प्रजनन सुविधाओं की प्रसार एवं सुदृढीकरण	39	22	27	-	-	27	-	-	10	-	-	-
11-	अन्य पशुधन विकास												
	पशुधन विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के प्रसार की योजना	-	4	4	-	-	4	-	-	4	-	-	-
	चारा विकास												
12-	चारा/दाना बीज तथा चारागाहों के विकास की योजना	21	12	20	-	-	20	-	-	20	-	-	-
	योग:-	7910	1497	1083	82	-	1139	82	-	1250	82	-	-
§10§	मत्स्य												
1-	मत्स्य पालक विकास अभिकरण की योजना	2012	657	700	-	-	700	-	-	750	-	-	-
§11§	वन												
1-	भवन	-	-	100	100	-	100	100	-	-	-	-	-
2-	सामाजिक वानिकी योजना	11659	2846	1267	-	-	2850	-	-	1600	-	-	-
3-	शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4-	वन मनोरंजन	264	50	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-
5-	वनकर्मचारियों को पेयजल एवं विद्युतीकरण सुविधा तथा टोंगिया/मजदूरों/कृषकों को सुविधायें	-	-	20	-	-	20	-	-	60	-	-	-
	योग:-	11923	2896	1437	100	-	3020	100	-	1860	-	-	-
§12§	पंचायती राज												
1-	पंचायत उद्योगों को तकनीकि तथा प्रबन्धकीय सहायता	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-	पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढीकरण हेतु उन्हें अपनी आय वृद्धि करने हेतु प्रोत्साहन	24	6	6	-	-	6	-	-	6	-	-	-
3-	ग्रामीण पर्यावरण में स्वच्छता के लिए अनुदान	453	210	250	-	-	250	-	-	300	-	-	-
4-	पंचायत भवनों का निर्माण	791	148	300	300	-	300	300	-	300	300	-	-
5-	हाट बाजार तथा मेलों की स्थिति में सुधार हेतु ग्राम सभाओं को सहायता अनुदान	18	50	10	-	-	10	-	-	15	-	-	-
	योग:-	1353	414	566	300	-	566	300	-	621	300	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
§13§	प्रादेशिक विकास दल												
1-	स्वयं सेवकों का सुदृढ़ीकरण§वर्दी पर व्यय§	–	140	120	–	–	120	–	–	142	–	–	14
2-	युवक मंगल दल को प्रोत्साहन	–	49	55	–	–	55	–	–	166	–	–	30
3-	युवक मंगल दल के सदस्यों का सेमिनार/वर्कशाप §विकास खण्ड/जिला स्तर§	–	10	10	–	–	10	–	–	15	–	–	3
4-	समाज सेवा कार्य, मेला प्रदर्शनी, तीर्थ यात्रा आदि	5	7	10	–	–	10	–	–	12	–	–	3
5-	प्रकीर्ण व्यय	1	5	6	–	–	6	–	–	12	–	–	3
6-	ग्रामीण युवकों को व्यवसायिक रोजगार	"	–	5	–	–	5	–	–	–	–	–	–
7-	ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन §विकास खण्ड/जनपद स्तर§	26	23	32	–	–	32	–	–	41	–	–	9
8-	ग्रामीण क्षेत्र में व्यायाम शालाओं को प्रोत्साहन	170	362	100	100	–	100	100	–	150	150	–	–
	योग:-	202	596	338	100	–	338	100	–	538	150	–	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(14)	कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास												
1-	जिला विकास कार्यालयों/विकास खण्डों में भवनों का निर्माण एवं विद्युतीकरण	-	1000	1356	1356	-	1356	1356	-	2274	2274	-	-
2-	प्रचार एवं प्रसार	271	-	-	-	-	-	-	-	-	"	-	-
	योग:-	271	1000	1356	1356	-	1356	1356	-	2274	2274	-	-
(15)	क्षेत्रीय विकास												
	एकीकृत ग्राम्य विकास												
1-	एकीकृत ग्राम्य विकास योजना (सामान्य कार्यक्रम)	20260	6754	11400	-	-	11400	-	-	11400	-	-	5700
(16)	विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम												
1-	लघु/सीमान्त कृषकों को उत्पादकता बढ़ाने हेतु सहायता												
(क)	अल्प सिंचाई	552	2800	2800	-	-	2800	-	-	2800	-	-	1400
(ख)	कृषि (मिनीकिट वितरण)	1485	441	400	"	-	400	-	-	400	-	-	200
(ग)	भूमि विकास	-	367	800	-	-	800	-	-	800	-	-	400
(घ)	उद्यान तथा वन (वृक्षारोपण)	473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग:-	2510	3608	4000	-	-	4000	-	-	4000	-	-	2000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
§17§ सहकारिता विभाग													
I- ऋण एवं अधिकोषण योजना													
	1-जिला सहकारी बैकों की शाखाओं हेतु प्रबन्धकीय अनुदान	96	64	16	–	–	16	–	–	16	–	–	–
	2- जिला सहकारी बैंक की शाखाओं के नवीनीकरण हेतु ऋण	50	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3- उपभोग ऋण वितरण पर रिसक फण्ड हेतु अनुदान	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4- निर्बल वर्ग§अनुसूचित जाति/जनजाति§ की समितियों के अंश क्रय हेतु ब्याज रहित ऋण	–	–	20	–	–	20	–	–	50	–	–	50
II- क्रय विक्रय एवं भण्डारण													
	5- क्रय विक्रय समितियों को मूल्य उतार चढ़ाव निधि अनुदान	29	10	10	–	–	10	–	–	5	–	–	–
	6- क्रय विक्रय समितियों को खाद्यान्न व्यवसाय हेतु सीमान्त धन	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	7- क्रय विक्रय समितियों को अल्प सिंचाई/कृषि यन्त्रों पर सीमान्त धन	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	8- उर्वरक व्यवसाय हेतु जिला ~~स्तर~~ सहकारी संघों को सीमान्त धन	100	100	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9-	कृषि ऋण समितियों को उर्वरक व्यवसाय हेतु सीमान्त धन	-	135	90	-	-	90	-	-	450	-	-	-
III-	<u>विधायन योजना</u>												
10-	पुरानी प्रकिया इकाइयों के सुदृढ़ीकरण हेतु ऋण												
	(क) दाल इकाई	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(ख) तेल इकाई	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>उपभोक्ता योजना</u>												
11-	केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों को मूल्य उतार चढ़ाव निधि हेतु अनुदान	75	25	25	-	-	25	-	-	25	-	"	-
12-	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ता व्यवसाय हेतु पैक्स को सीमान्त धन	682	240	405	-	-	405	-	-	83	-	-	-
	योग:-	1357	594	566	-	-	566	-	-	629	-	-	50

(18- विद्युत विभाग

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1-	<u>ग्रामीण विद्युतीकरण (राज्य सामान्य)</u>												
1-	ग्रामों का विद्युतीकरण	750	120	200	200	200	200	200	200	300	300	300	-
2-	हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	172	36	87	87	87	87	87	87	57	57	57	57
3-	निजी नलकूपों का उर्जन	678	222	280	280	280	280	280	280	210	150	210	60
	योग:-	1600	378	567	567	567	567	567	567	567	567	567	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(19)	**ग्रामीण एवं लघु उद्योग**												
1-	औद्योगिक आस्थान	929	600	625	-	-	625	-	-	400	-	-	-
2-	औद्योगि सहकारिता (अवस्त्रीय)												
	(अ) प्रबन्धकीय सहायता	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(ब) अंश पूंजी ऋण	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-	मेला प्रदर्शनी विकास खण्ड/जनपद स्तर	-	20	25	-	-	25	-	-	25	-	-	-
4-	जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से मार्जिन मनी ऋण	173	100	100	-	-	100	-	-	100	-	-	-
5-	एकीकृत मार्जिन मनीऋण	90	-	208	-	-	208	-	-	700	-	-	-
6-	उद्यम कर्ता विकास (प्रशिक्षण एवं शोध)	-	-	50	-	-	50	-	-	75	-	-	-
7-	चिकन उद्योग केन्द्र	-	-	200	-	-	200	-	-	-	-	-	-
8-	ग्रामीण एवं लघु उद्योग हथकरघा												
	(क) हथकरघा सहकारी समितियों को प्रबन्धकीय सहायता	180	13	13	-	-	13	-	-	13	-	-	-
	(ख) हथकरघा सहकारी समितियों को अंश पूंजी ऋण	60	10	10	-	-	10	-	-	10	-	-	-
	(ग) हथकरघा सहकारी समितियों को कार्यशाला निर्माण हेतु सहायता	75	60	60	-	-	60	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(घ)	हथकरघों का आधुनिकीकरण	-	30	30	-	-	30	-	-	30	-	-	-
9-	सहकारी समितियों को कार्यशील पूंजी सहायता (रंगाई पर)	270	37	37	-	-	37	-	-	-	-	-	-
	योग:-	1904	870	1358	-	-	1358	-	-	1353	-	-	-
(20)	सड़कें एवं पुल (सार्वजनिक निर्माण विभाग)												
1-	ग्रामीण मार्ग (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम)	27967	7671	8390	-	8390	8390	-	8390	9550	-	9550	3600
(21)	पर्यटन												
1-	जायसी के जन्मस्थली का पर्यटन विकास	-	-	280	280	-	280	280	-	-	-	-	-
2-	डलमऊ का पर्यटन विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	310	310	-	-
3-	अहोरवा भवानी का पर्यटन विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-
4-	खेतीराम तालाब का पर्यटन विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
5-	समसपुर झील का पर्यटन विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-
	योग:-	-	-	280	280	-	280	280	-	510	310	-	-

-144-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(22)	**शिक्षा विभाग**												
	प्रारम्भिक शिक्षा												
1-	ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र में भवन रहित स्कूल के भवन निर्माण हेतु अनुदान	1954	827	965	965	965	965	965	965	325	325	325	130
2-	वर्तमान राजकीय बेसिक विद्यालयों के भवनों एवं छात्रावास निर्माण	–	–	736	736	736	736	736	736	–	–	–	–
3-	असहायिक मान्यता प्राप्त अशासकीय सीनियर बेसिक स्कूलों को अनुरक्षण अनुदान	2698	90	95	–	95	95	–	95	450	–	450	150
4-	ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र में सीनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माण हेतु अनुदान	2434	502	879	879	879	879	879	879	502	502	502	251
5-	ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित जूनियर बेसिक विद्यालय खोलने हेतु अनुदान	1618	70	58	–	58	58	–	58	426	324	426	213
6-	नगर क्षेत्रों में बालक-बालिकाओं के जूनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान	–	135	37	–	37	37	–	37	237	151	2[illegible]	237
7-	जूनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान शिक्षण में सुधार एवं विज्ञान साज-सज्जा हेतु अनुदान	18	–	30	–	30	30	–	30	36	–	36	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8-	ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र संख्या में वृद्धि तथा स्थिरता हेतु बालिकाओं तथा निर्बल वर्ग के बालकों को पाठ्य पुस्तकों के वितरणार्थ प्रोत्साहन अनुदान	10	10	20	-	20	20	-	20	12	-	12	6
9-	ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों/बालिकाओं के सीनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान	408	251	136	-	136	136	-	136	560	251	560	177
10-	नगर सीनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान शिक्षण में सुधार एवं विज्ञान साज-सज्जा हेतु अनुदान	12	15	25	-	25	25	-	25	25	-	25	10
11-	नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वय वर्ग 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए अंशकालिक कक्षायें खोलने हेतु अनुदान	1730	541	809	"	809	809	-	809	818 1060	-	818 1060	168
12-	प्रत्येक जिले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों का सुदृढीकरण तथा राजकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं में बिजली के पंखों की व्यवस्था	-	-	21	-	21	21	-	21	,30	-	30	-
13-	प्रदेश के प्रत्येक जिले में कक्षा 6 से 8 तक 10रू० प्रति माह की दर से 3 वर्ष तक के लिए योजना छात्रवृत्तियां	12	45	36	-	36	36	-	36	35	-	35	13
14-	बेसिक स्कूलों के अध्यापकों को दक्षता पुरस्कार	6	3	3	-	3	3	-	3	5	-	5	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15-	निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को उपलब्ध कराने हेतु सी0बे0 स्कूलों में पाठ्य पुस्तक बैंक स्थापित करने हेतु अनुदान	92	-	19	-	19	19	-	19	25	-	25	10
16-	जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों का भवन निर्माण	-	-	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-
17-	ग्रामीण क्षेत्रों में सी0बे0 स्कूलों के लिए साज-सज्जा अनुदान	44	45	45	-	45	45	-	45	45	-	45	20
18-	ज0बे0 स्कूलों में शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान	169	30	217	-	217	271		271	179	-	179	100
19-	निर्बल वर्ग के बच्चों को पोशाक की व्यवस्था	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	प्राथमिक शिक्षा योग:-	11314	2564	4231	2680	4231	4205	2680	4205	3710	1553	3710	1505

<u>शिक्षा (क्रमशः)</u>

माध्यमिक शिक्षा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20-	खेलकूद तथा अन्य विद्यालयों के बाहर शैक्षिक कार्यक्रमों तथा युवकों के कल्याण हेतु प्राविधान	15	3	4	-	-	4	-	-	3	-	-	-
21-	उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बालचर योजना का प्रसार	20	4	4	-	-	4	-	-	4	-	-	-
22-	संस्कृत पाठशालाओं को विशेष अनुदान	15	-	50	-	-	50	-	-	70	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	23-वर्तमान राजकीय जिला पुस्तकालय का विकास तथा नये जिला पुस्तकालय की स्थापना	–	–	135	–	–	135	–	–	157	–	–	–
	24-सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान	56	–	40	–	–	40	–	–	40	–	–	–
	25-प्रदेश के प्रत्येक जिले में कक्षा 6 से 8 तक 15 रू० प्रति माह की दर से 3 वर्ष की योग्यता छात्र वृत्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	67	–	–	–
	26-राजकीय इण्टर विद्यालयों में अतिरिक्त अनुभाग खोलना एवं नये विषयों का समावेश	–	–	–	–	–	–	–	–	50	–	–	–
	27-सहायता प्राप्त उ०मा०वि० का पुस्तकालयों का संवर्द्धन	–	–	–	–	–	–	–	–	32	–	–	–
	28-सहायता प्राप्त उ०मा०वि० में अतिरिक्त छात्रसंख्या एवं सेनेटरी सुविधा अनुदान	–	–	–	–	–	–	–	–	144	–	–	–
	29-ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं के सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं को विशेष सुविधा	–	–	–	–	–	–	–	–	125	–	–	–
	30-रा०उ०मा०वि०के भवनों का निर्माण/विस्तार विद्युतीकरण एवं विशेष मरम्मत (कुल)	–	–	–	–	–	–	–	–	15500	–	1050	–
	योग माध्यमिक शिक्षा-	106	7	233	–	–	233	–	–	[illegible]	[illegible]	–	–
	कुल योग :-	[illegible]	2571	4464	2680	4231	4518	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1944	4760	1505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(23)	खेलकूद												
1-	ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद केन्द्रों का विकास तथा शासकीय/अशासकीय स्कूलों में खेलकूद केन्द्रों की स्थापना	3	1	4	-	-	4	-	-	3	-	-	-
2-	खेलकूद उपकरण सामग्री की सम्पूर्ति (प्रशिक्षणार्थियों को गेम्स किट की सुविधा)	-	51	40	40	-	40	40	-	52	52	-	-
3-	विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन	13	1	30	-	-	30	-	-	35	-	-	-
4-	क्रीडा प्रतिष्ठानों का निर्माण	1164	258	270	270	-	270	270	-	1280	1280	-	-
	योग:-	1180	311	344	310	-	344	310	-	1370	1332	-	-
(24)	प्राविधिक शिक्षा												
1-	पालीटेक्निक की स्थापना (भवन निर्माण एवं स्टाफ क्वार्टर) नये केन्द्र का खोला जाना (प्रोडक्शन टेक्नालाजी एवं सिविल इन्जीनियरिंग)	4243	130	700	500	-	700	500	-	1050	850	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(25)	चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य												
1-	आयुर्वेदिक/यूनानी औषधालयों की स्थापना	664	-	150	-	-	150	-	-	350	300	-	50
2-	अतिरिक्त उप केन्द्रों की स्थापना एवं भवन निर्माण	-	-	170	170	170	170	170	170	425	425	425	140
3-	सब्सीडियरी हैल्थ सेंटर की स्थापना	2223	428	75	75	75	75	75	75	50	50	50	-
4-	उपचारिक सेवाओं का प्रसार	-	-	50	-	-	50	-	-	200	-	-	-
5-	प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 25/15 शैय्यायुक्त आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना	-	-	150	-	-	150	-	-	600	150	-	-
6-	वर्तमान आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सालयों तथा औषधालयों का प्रोन्नयन	91	-	25	-	-	25	-	-	50	-	-	-
7-	प्रा0स्वा0 केन्द्रों का निर्माण	-	-	100	100	100	100	100	100	500	500	500	-
8-	तहसील स्थित चिकित्सालयों में दन्त स्वालय की स्थापना	-	20	22	-	-	22	-	--	82	60	-	-
9-	अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	-	47	250	-	250	250	-	250	340	30	340	30
10-	प्रा0स्वा0के0 का उच्चीकरण हेतु भवनों का निर्माण स्टाफ एवं साज सज्जा	-	-	113	113	113	113	113	113	500	200	500	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11-	वर्तमान प्रा०स्वा०के०का नवीनीकरण विस्तार बिजली पानी की व्यवस्था	–	29	60	60	60	60	60	60	100	100	100	–
12-	राजकीय चिकित्सालयों एवं औषधालयों में रोगी शैयाओं की वृद्धि	–	–	–	–	–	–	–	–	75	75	–	–
13-	तहसील जिला चिकित्सालयों में मेडिकल सर्जिकल सुविधाओं की व्यवस्था	–	–	100	100	–	100	100	–	100	100	–	–
14-	शहरी तथा ग्रामीण चिकित्सालयों में जल सम्पूर्ति एवं विद्युतीकरण विस्तार	260	–	15	15	–	15	15	–	800	800	–	–
15-	पुरुष तथा महिला चिकित्सालय की स्थापना	–	–	–	–	–	–	–	–	35	20	–	–
16-	तहसील मुख्यालयों चिकित्सालयों में एक्सरे तथा जल सम्पूर्ति	325	–	200	200	–	200	200	–	300	200	–	–
17-	चीरघर का निर्माण	–	–	100	100	–	100	100	–	7	–	–	–
18-	महिला चिकित्सालयों तथा स्वीकृत प्रा०स्वा०केन्द्र और खुले हुये चिकित्सालयों में बाल रुग्णालय की स्थापना	178	9	20	–	–	20	–	–	50	10	–	–
19-	अस्पतालों में डीजल जनरेटर की व्यवस्था उपकरण हेतु प्राविधान	–	–	–	–	–	–	–	–	230	230	–	–
20-	क्षय रोग निरोधक औषधियां	250	40	300	–	–	300	–	–	राज्य सेक्टर में स्थानान्तरित			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	21-[illegible]	325	90	100	-	-	100	-	-राज्य सेक्टर में स्थानान्तरित -				
	22-[illegible]	2050	1000	1500	-	-	1500	-	-	"	"	"	
	23-[illegible] स्थापना	1360	-	100	-	-	100	-	-	130	15	-	10
	[illegible] का भवन [illegible] पानी की व्यवस्था	-	-	600	600	-	600	600	-	300 [illegible]	300	-	-
	योग--	7735	1663	4200	1533	768	4200	1533	768	5224	3565	1919	230
	जल निगम **जल सम्पूर्ति**												
	1- [illegible] जल सम्पूर्ति [illegible] कार्यक्रम	6531	6379	6520	5668	6520	6520	5668	6520	6600	6404	6600	1539
	[illegible] विकास-ग्रामीण पेयजल												
	[illegible] हरिजन पेयजल [illegible]	1683	-	-	-	-	-	-	-	650	-	650	650
	[illegible] विकास-ग्रामीण आवास												
	निर्बल वर्ग आवास की योजना	541	-	185	185	185	185	185	185	185	185	185	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
§29§	**श्रम कल्याण**												
	1-नवीन श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना तथा वर्तमान श्रम कल्याण केन्द्रों में अतिरिक्त सुविधाओं का प्राविधान	5	–	24	–	–	94	–	–	72	–	–	36
	2-अवमुक्त बंधुवा श्रमिकों का पुनर्वासन §केन्द्र पोषित§	12	–	–	–	–	–	–	–	100	–	–	100
	3-श्रम कल्याण केन्द्रों पर दूरदर्शन की व्यवस्था	3	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–
	योग:-	20	–	94	–	–	94	–	–	175	–	–	138
§30§	**शिल्पकार प्रशिक्षण**												
	1-वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार एवं सुदृढीकरण	2703	161	200	–	–	200	–	–	200	–	–	–
§31§	**सेवायोजन**												
	1- सेवायोजन कार्यालयों का सुदृढीकरण	300	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	§32§ अनुसूचित जातियों/जनजातियों/ पिछड़ी जातियों का कल्याण												
	अनुसूचित जातियों का कल्याण												
	शिक्षा												
	1- छात्रवृत्ति, पाठ्य पुस्तकीय तथा उपकरण हेतु अनावर्तक सहायता												
	§क§जूनियर हाईस्कूल§कक्षा 6 से 8 तक§												
	1-निर्धनता के आधार पर	400	80	110	-	-	110	-	-	120	-	-	120
	2-योग्यता के आधार पर	16	36	44	-	-	44	-	-	50	-	-	50
	§ख§प्राईमरी स्तर§कक्षा 1 से 5 तक§												
	1-निर्धनता के आधार पर	150	100	50	-	-	50	-	-	55	-	-	55
	2-योग्यता के आधार पर	50	40	20	-	-	20	-	-	25	-	-	25
	§2§ अनुसूचित जाति की छात्राओं को अपरच्युनिटी कास्ट अनुदान	-	9	-	-	-	-	-	-	15	-	-	15
	3- दशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं की अन्तिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्रों को विशेष पुरस्कार	16	1	5	-	-	5	-	-	10	-	-	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4-	अनक्लीन्ड प्रोफेसन जैसे व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के विद्यार्थियों को एवं दशम् कक्षाओं में छात्रवृत्ति (50%)	-	-	15	-	-	15	-	-	15	-	-	15
5-	विभाग द्वारा सहायता प्राप्त छात्रावासों, पुस्तकालयों एवं पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार	22	39	30	-	-	30	-	-	360	-	-	360
	विमुक्त जातियों का कल्याण												
	शिक्षा												
6-	छात्रवृत्ति, पाठ्य पुस्तकीय तथा उपकरण हेतु अनावर्तक सहायता												
(क)	जूनियर हाई स्कूल (कक्षा 6 से 8 तक)												
	1-निर्धनता के आधार पर	15	1	5	-	-	5	-	-	6	-	-	6
	2-योग्यता के आधार पर	15	1	5	-	-	5	-	-	5	-	-	5
(ख)	प्राईमरी स्कूल स्तर (कक्षा 1 से 5 तक)												
	1- निर्धनता के आधार पर	5	1	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2
	2- योग्यता के आधार पर	15	-	6	-	-	6	-	-	6	-	-	6
	आर्थिक												
7-	कृषि एवं बागवानी विकास हेतु अनुदान	36	5	8	-	-	8	-	-	8	-	-	8

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- लघु/कुटीर उद्योग हेतु अनुदान	36	5	8 40	-	-	8	-	-	8	-	-	8
अन्य पिछड़ी जातियों का कल्याण												
शिक्षा												
छात्रवृत्ति पाठ्य पुस्तकीय एवं उपकरण हेतु अनावर्तक सहायता												
क) जूनियर हाईस्कूल स्तर (कक्षा 6 से 8 तक)												
-निर्धनता के आधार पर	190	-	22	-	-	22	-	-	25	-	-	-
-योग्यता के आधार पर	520	-	66	-	-	66	-	-	71	-	-	-
) प्राईमरी स्कूल स्तर (कक्षा 1 से 5 तक)												
- निर्धनता के आधार पर	5	-	4	-	-	4	-	-	5	-	-	-
- योग्यता के आधार पर	15	-	12	-	-	12	-	-	13	-	-	-
-गृह निर्माण/सुधार हेतु अनुदान	-	-	664	664	-	-	-	-	-	-	-	-
योग:-	1506	318	1076	664	-	412	-	-	799	-	-	685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(3)	समाज कल्याण												
1-	शारीरिक रूप से अक्षम तथा हड्डी के रोग से ग्रस्त विद्यार्थियों को शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करन हेतु छात्रवृत्ति	16	5	5	-	-	2	-	-	3	-	-	1
2-	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के बच्चों को शैक्षिक तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति	-	2	5	-	-	5	-	-	5	-	-	1
3-	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग इत्यादि खरीदने हेतु अनुदान	3	5	5	-	-	5	-	-	5	-	-	1
4-	नेत्रहीन, बधिर तथा शारीरिक रूप से अक्षम विकलांगों को अनुदान	213	288	295	-	-	295	-	-	359	-	-	72
	महिला कल्याण												
5-	निराश्रित विधवाओं को सहायक अनुदान	690	1110	1088	-	-	1088	-	-	1224	-	-	265
6-	ग्रामीण/शहरी एवं निर्बल क्षेत्रों में शिशु-शालाओं की स्थापना (जमादारों की कालोनी में)	10	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	75
	योग:-	932	1410	1398	-	-	1395	-	-	1674	-	-	395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
§34§	पुष्टाहार												
1	पूरक पुष्टाहार												
	§अ§ ग्राम्य विकास	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	§ब§ समाज कल्याण	5242	4788	5172	-	5172	5172	-	5172	5400	-	5400	2300
	योगः-	5317	4788	5172	-	5172	5172	-	5172	5400	-	5400	2300
	जनपद योगः-	180685	56719	69713	19309	25833	70868	18645	25887	79091	25808	29631	24595
				100%	27.70%	37.05%	100%	26.31%	36.53%	100%	32.63%	37.46%	31.10%

1–कृषि विभाग

जीСएन0–3

भौतिक लक्ष्य/ उपलब्धि

क्र0सं0	विभाग /योजना का नाम	इकाई	छटी योजना 82–83 लक्ष्य	छटी योजना 82–83 उपलब्धि	सातवीं योजना 85 से 90 के प्रारम्भ का स्तर	1985–86 की वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 86–87 लक्ष्य	वर्ष 86–87 उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 87–88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1–	प्रदेश के मैदानी भागों में बीज बतधायन संयंत्र की स्थापना की योजना	कु0	–	–	–	–	5500	–	6000
2–	प्रदेश में गुणात्मक बीजों के उत्पादन संग्रहण एवं वितरण की योजना	,,	25	21.656	5500	2034	5750	–	6000
3–	केन्द्र द्वारा पुरोनिधारित दलहन फसल की उत्पादन की योजना	हैक्टर	–	–	1720	–	475	–	200प्रदर्शन
4–	गेहूँ की फसल पर गेंहुआ एवं खरपतवार नियंत्रण की केन्द्र पोषित योजना	,,	163	163	400	230	700	700	250
5–	प्रदेश के मैदानी भागों में कृषि रक्षा सेवा के सुद्धीकरण की योजना	संख्या	168	–	–	9कर्मचारी	6	6	20कर्मचारी
6–	फार्म पर बीज गोदाम/ (हरचंदपुर/बीबीपुर)	,,	–	–	–	–	–	–	2
7–	विकास खण्डों में बीज गोदाम (सेमरी, धरवारा, नसीराबाद तथा फुरसतगंज)	,,	–	–	–	–	–	–	4

2– उद्यान विभाग

क्र0सं0	विभाग /योजना का नाम	इकाई	4	5	6	7	8	9	10
1–	राजकीय पौधशाला (शिवगढ़) 5हे0	सं0	1	1	1	1	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2-	राजकीय पौधशालाएं एवं समीन 5एकड़ पौधों की संख्या जो लगायें जायेंगी।	ह0सं0	100	23	23	36	110	40	110
3-	सचल दल	सं0	-	-	=	-	-	-	1
4-	फेंसिंग से पौध लाभान्वित	ला0सं0	-	-	-	-	-	-	1.5

3- गन्ना विकास

1-	उ0प्र0 गन्ना विकास:								
	गन्ना बीज यातायात पर अनुदान	ह0कु0	14	2	2	1	2	2	2
2-	आधार गन्ना बीज उत्पादन की योजना	हे0	221	221	211	37	71	71	71
	चीनी मिलों के 16 किमी0 के परिधि क्षेत्र में सघन गन्ना विकास	ह0हे0	11	3	3	2	8	5	9
	उ0प्र0 में गन्ना विकास (फील्ड प्रदर्शन)	हे0	130	155	155	35	25	25	30
2-	चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में गन्ना कीटों का नियंत्रण:	सं0	83	88	88	33	40	50	55
	गन्ना उत्पादकों को सस्ते दर पर फसल रक्षा यंत्र								
3-	नई चीनी मिलों में गन्ना विकास कर्मचारियों का वेतन	सं0	45	-	-	-	-	-	15

4- कृषि विपणन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	मण्डी परिषद के ग्रामीण गोदाम बनाने हेतु अनुदान	सं0	-	-	-	-	2	2	-

5- भूमि सुधार

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	भूमि सुधार								
	सीलिंग भूमि आवंटियों को आर्थिक सहायता	सं0	-	3418	3418	552	500	500	100

6- निजी लघु सिंचाई

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	सिंचाई कूप	सं0	71	31	22304	-	-	-	-
2-	रहट	,,	-	-	184	-	-	-	-
3-	पम्पसेट भूस्तरीय	,,	573	532	1285	76	60	40	30
4-	पम्पसेट बोरिंग पर	,,	2214	3192	7044	1553	1650	1304	1188
5-	नलकूप विद्युत	,,	1040	1054	8229	429	560	400	350
6-	नलकूप डीजल	,,	4193	4233	20838	683	166	480	690
7-	ल0/सी0 [illegible] बोरिंग	,,	1550	1244	2065	1310	1360	1360	1200
8-	सिंचन क्षमता	हे0	43250	44107	208152.00	13477	12000	12000	11200
9-	नि:शुल्क बोरिंग	सं0	-	-	-	1054	1360	1360	1000

7- राज्य लघु सिंचाई

8- निर्माण कार्य:-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	छिद्रण	संख्या	5	5	299	4	3		
2-	विस्तारण	,,	31	31	299	4[illegible]	14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3-	पम्प गृह/ई०टी०	सं०	31	31	299	29	17/28	17/28	5
4-	पम्पे सेट	,,	31	31	299	27	17	17	5
5-	उर्जीकरण	,,	104	104	299	22	17	17	5
6-	पी०वी०सी० पाइप	किमी०	-	-	140.0	16	8.0	8.0	105.0
7-	पक्की गूल	,,	77.10	77.10	320.0	-	-	-	47.0
8-	कच्ची गूल	,,	34.(	34.0	360.0	3.0	-	-	44.0
9-	वरहा/फील्ड गूल	,,	-	-	150.0	24	37.0	37.0	18.0
10-	सेवा मार्ग	,,	-	-	250.0	-	6.0	6.0	3.0
(ख)	पुन: निर्माण के नलकूप	,,	7	7	-	-	8	8	5

8- भूमि एवं जल संरक्षण

1- रायबरेली:	सर्वेक्षण	हैक्टर	1600.00	3921.00	3921.00	761.80	-	254.50	1500.00
	निष्पादन	,,	1000.00	1296.83	1294.00	617.67	500	28.05	1250.00
2- डलमऊ:	सर्वेक्षण नियोजन	,,	4500	7894	31516	1452	1600	1600	2000
			4000	5497	24194	1166	1500	1500	1500
[illegible]	निस्पादन	,,	3700.50	3871.00	22325.00	1519.00	1250.00,	1250.00,	1250.00
[illegible]									
3- ऊसर सुधार:	जिप्सम एवं पाइराइट वितरण हेतु	मी०टन					505	505	825

9- पशु पालन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	**पशु चिकित्सा सेवाएं एवं स्वास्थ्य**								
(अ)	प0चि0 एवं स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार एवं विस्तार की योजना								
	(I) पशु चिकित्सालय	सं0	10	10	23	1	-	-	-
	(II) पशु सेवा केन्द्र	,,	14	14	45	5	-	-	-
(ब)	स्थानीय निकायों द्वारा चालित पशु चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण	,,	1	1	1	2	-	-	-
(स)	खुरपका मुँहपका रोग के रोकथाम की योजना (केन्द्र पोषित) (खुराक)	हजार सं0	-	-	-	5	5	5	5
(द)	रायबरेली जिले में एक सचल पशु चिकित्सालय की स्थापना	सं0	1	1	-	-	-	-	1
2-	**पशुधन विकास:-**								
(अ)	पशुधन प्रक्षेत्रों पर प्रजनन कार्य हेतु साँडों के उत्पादन की योजना	,,	30	11	5	14	1	1	-
(ब)	प्रदेश में कृ0ग0 कार्यक्रम ढाँचे का सुदृढ़ीकरण की योजना	,,	5	-	-	-	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(स)	अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृ०गा० [illegible] का सुधार एवं विस्तार की योजना	संख्या	-	-	-	13	87	31	56
(द)	लघु सीमान्त कृषकों एवं भूमिहीनों श्रमिकों के [illegible] न्वित वर्ग द्वारा बछियों को भरण-पोषण हेतु संतुलित आहार की योजना	,,	2550	2587	255	2750	550	550	600
3- कुक्कुट विकास:-									
	संयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के सहयोग से व्यवहारिक पुष्टाहार कुक्कुट उत्पादन की योजना	,,	-	-	1	1	1	1	1
4- भेड़ एवं ऊन विकास:-									
(अ)	राज्य के बकरी [illegible] प्रजनन के सुधार की योजना	,,	20	20	-	20	1	2	4
(ब)	भेड़ प्रजनन सुविधाओं के प्रसार सुदृढ़ीकरण की योजना	,,	3	3	-	3	1	1	1
5- सूकर विकास:-									
	सूकर प्रजनन सुविधाओं के प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण की योजना	,,	7	7	-	7	2	2	-

10-मत्स्य विकास

1- चयनित जलक्षेत्र	हे०	-	-	1500	-	-	-	-
2- तालाबों का सुधार प्रत्यावित	हे०	980	378	378	112	200	200	100
3- मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण	सं०	420	420	420	103	100	100	100
4- मत्स्य अंगुलिका वितरण	ला० में	58.75	65.6845	65.6845	20.47	23	26	25

11- वन विभाग

सामाजिक वानिकी प्रभाग, रायबरेली।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	सामाजिक वानिकी								
	1- वृक्षारोपण	हे0	1600	1638	3456	178	224	224	224
	2- शहरी क्षेत्रों में सा0वा0 वृक्षारोपण	हे0	-	-	-	-	5	5	5
	3- भवन निर्माण	सं0	-	-	-	-	2	2	-
	4- वन मनोरंजन	सं0	1	1	1	1-	-	-	
	5- कर्मचारियों को पेयजल एवं बिजली की सुविधा टैंकों का निर्माण	सं0	-	-	-	-	1	1	2

12- पंचायती राज

1- ग्रामीण खण्डजा/नाली निर्माण	सं0	62	62	91	42	17	17	40
2- सर्वोत्तम गाँवसभाओं को प्रोत्साहन पुरस्कार	सं0	12	12	21	3	3	3	3
3- हाट बाजार तथा मेला सुधार	सं0	8	8	15	7	2	2	3
4- पं0भवन निर्माण	संख्या	76	76	354	22	20	20	20

13- प्रादेशिक विकास दल

1- स्वयं सेवकों का सुदृढ़ीकरण								
क- वर्दी पर व्यय	संख्या	-	-	-	260	334	334	300
ख- प्रशिक्षण पर व्यय	,,	-	-	-	260	334	334	300
ग- मानदेय(ब्लाक कमाण्डर)	,,	-	-	-	-	-	-	19
2- युवक/महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन								
क- युवक मंगलदलों को प्रोत्साहन	,,	-	-	-	66	55	55	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ख- महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन	सं0	-	-	-	-	-	-	40
3-	युवक मंगल दलों का सेमिनार								
	क- खण्ड स्तर	सं0	-	-	-	19	19	19	19
	ख- जिला स्तर	,,	-	-	-	1	1	1	1
4-	ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता								
	क- खण्ड स्तर प्रतियोगिता	सं0	48	48	19	19	19	19	19
	ख- जिला स्तर प्रतियोगिता	सं0	3	3	1	1	1	1	1
5-	समाज सेवा कार्य (मेला, प्रदर्शिनी, तीर्थ, यात्रा आदि पर ड्यूटी भत्ता)	सं0	48	48	19	19	19	19	19
6-	प्रकीर्ण व्यय	सं0	-	-		1	1	1	1
7-	व्यायामशाला प्रोत्साहन/स्थापना								
	क- व्यायामशाला भवन निर्माण	सं0	1	1	1	2	1	1	1
	ख- व्यायामशाला उपकरण	सं0							
8-	युवक मंगल दलों का व्यवसायिक प्रशिक्षण	सं0	-	-	-	-	1	1	-

14- ग्राम्य विकास विभाग (विकास खण्ड भवन)

1-	विकास खण्ड: भवनों का निर्माण								
	1- खण्ड विकास अधिकारी भवन (टाइप 4)	सं0	-	-	-	-	1	1	4
	2- सहा0 विकास अधिकारी (टाइप 3)	सं0	-	-	-	-	1	1	8
	3- तृतीय श्रेणी कर्मचारी आवास (टाइप-2)	सं0	-	-	-	-	1	1	8
	4- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आवास (टाइप-1)	सं0	-	-	-	-	1	1	4

15- क्षेत्रीय विकास

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम								
	क- कुल लाभान्वित परिवार	संख्या	28800	35075	52642	10805	13848	13848	11400
	(अ) प्रथमबार	संख्या	28800	35075	52488	4759	4658	4658	4750
	(ब) द्वितीय बार	,,	-	-	154	6046	9190	9190	6650
	ख- कुल हरिजन लाभान्वित परिवार	,,	14400	16264	23516	4561	6924	6924	5700
	(अ) प्रथमबार	,,	14400	16264	23470	2054	2329	2329	2375
	(ब) द्वितीय बार	,,	-	-	46	2507	4595	4595,	3325
	16- लघु सीमान्त कृषकों को आर्थिक सहायता								
	(क) अल्प सिंचाई (नि:शुल्क बोरिंग)	संख्या	200	45	45	1054	1360	1360	1000
	(ख) कृषि (मिनीकिट वितरण)	,,	-	21680	21680	28063	-	21000	-
	(ग) भूमि विकास (का कुल लाभान्वित परिवार)	,,	-	-	-	124	-	876	1000
	(घ) सामाजिक वनिकी (लाभान्वित परिवार)	,,	-	39317	39317	33588	कार्यक्रम समाप्त हो गया		

17- सहकारिता विकास

1- अल्पकालीन ऋण वितरण	हजार रु०	217600	168911	168911	38096	63600	40000	45000
2- मध्यकालीन ऋण वितरण	,,	31100	26631	26631	4721	5000	5000	6000
3- दीर्घ कालीन ऋण वितरण	,,	54000	35879	35879	8319	8000	8000	8500
4- उर्वरक वितरण								
1- मूल्य	,,	211888	164759	164759	36100	45000	45000	50000
2- मात्रा	ह०मी०टन	35	27	27	8	9	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5-	कृषि उपज का विपणन	ह0रू0	2000	1500	1500	250	300	300	300
6-	सहकारिता के माध्यम से उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री								
	1- ग्रामीण क्षेत्र में	,,	105000	89700	89700	35600	40000	40000	45000
	2- नगरीय क्षेत्र में	,,	84000	62500	62500	1500 0	20000	20000	25000
7-	सहकारी भण्डारण क्षमता	ह0मी0टन	24	24	24	27	27	27	27
8-	स्थापित विधायन इकाइयाँ	सं0	2	2	2	2	2	2	2
9-	शीतगृहों की संख्या	,,	2	2	2	2	2	2	2

18- विद्युत विभाग

1-	ग्रामों का विद्युतीकरण	संख्या	-	652	3	652	10	10	10
2-	हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	,,	-	1565	6	1565	10	10	10
3-	निजी नलकूपों का उर्जन	,,	-	3966	37	8866	50	50	40

19- ग्रामीण एवं लघु उद्योग

1-	औद्यौगिक आस्थान		4	4	4	2	2	2	1
2-	मेले एवं प्रदर्शनी		-	-	-	1	1	1	1
3-	जि0उ0के0मार्जिन मनी ऋण		16	16	16	8	10	10	10
4-	एकीकृत मार्जिन मनी ऋण		3	3	3	-	4	4	14
5-	उद्यमकर्ता विकास प्रशिक्षण एवं शोध		-	-	-	4	6	6	8
6-	चिकन उद्योग केन्द्र		-	-	-	-	1	1	-
7-	क- हथकरघासहकारी समितियों को प्रबन्धकीय सहायता		9	9	9	3	3	3	3
	ख- अंश पूंजी ऋण		7	7	7	1	1	1	1
	ग- कार्यशाला निर्माण हेतु सहायता		2	2	2	1	1	1	-
	घ- हथकरघों का आधुनिकीकरण		98	98	96	6	30	30	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ङ- कार्यशील पूँजी सहायता (रंगाई घर)		2	2	2	1	1	1	-

20- सड़कें एवं पुल (सार्वजनिक निर्माण विभाग)

1-	मिट्टी	किमी0	94	120	120	2	-	-	-
2-	खण्डजा	,,	85	100	100	47	30	30	15
	पक्का	,,	25	34	34	3	17	17	8
	पुल	,,	-	-	3	1	2	2	-

21- पर्यटन विभाग

1-	जायसी के जन्मस्थल का पर्यटन विकास	संख्या	-	-	-	-	1	1	-
2-	डलमऊ का पर्यटन विकास	,,	-	-	-	-	-	-	1
3-	समस्तपुर झील का पर्यटन विकास	,,	-	-	-	-	-	-	1
4-	रेवतीराम तालाब का पर्यटन विकास	,,	-	-	-	-	-	-	1
5-	अहोरवा भवानी का पर्यटन विकास	,,	-	-	-	-	-	-	1

22- शिक्षा विभाग

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	प्राथमिक शिक्षा								
1-	ग्रामीण क्षेत्र में छात्रसं0 वृद्धि हेतु प्रोत्साहन व पाठ्य पुस्तक वितरण	विद्यालय	[illegible]	[illegible]	50	[illegible]	10	10	12
2-	ग्रामीण क्षेत्र में बालक-बालिकाओं के सी0बे0 स्कूल खोलने हेतु	,,	20	[illegible]	20	2	[illegible]	5	2
3-	सी0बे0स्कूलों में विज्ञान शिक्षण	,,	20	[illegible]	25	[illegible]	5	5	5
4-	वय वर्ग-6-14 वर्ष के बच्चों के लिये अंशकालीन कक्षाएं	केन्द्र	200	680	250	250	50	50	1109
5-	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का सुदृढ़ीकरण	कार्यालय	-	6	30	-	-	-	5
6-	कक्षा 6-8 में 10रू0 प्रतिमाह की दर से तीन वर्ष की छात्रवृत्ति	छात्र	[illegible]0	[illegible]00	[illegible]00	65	200	200	65
7-	बेसिक स्कूलों के अध्यापकों को दक्षता पुरूस्कार	अध्यापक	[illegible]	[illegible]	25	6	5	5	10
8-	सी0बे0स्कूलों में बुकबैंक योजना	विद्यालय	[illegible]	[illegible]	75	60	15	15	20
9-	कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का भवन निर्माण	,,	-	-	-	-	-	-	-
10-	सी0बे0स्कूलों में साज-सज्जा अनुदान	,,	20	20	500	[illegible]0	100	100	150
11-									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11-	जू0बे0स्कूलों में साज-सज्जा अनुदान	विद्यालय	200	150	500	100	100	271	200
12-	भवन रहित स्कूलों मेंभवन निर्माण अनुदान	,,	25	.26	70	7	14	14	5
13-	राजकीय बेसिक भवन व छात्रावास निर्माण	,,	-	-	-	-	1	1	-
14-	असहायिक मान्यताप्राप्त जू0 हाईस्कूलों में अनुरक्षण अनुदान	,,	10	9	50	9	10	10	15
15-	सी0बेसिक स्कूल भवन निर्माण	,,	20	14	35	7	7	7	4
16-	मिश्रित जू0बे0स्कूल खोलने हेतु	,,	11	63	25	2	5	5	5
17-	नगर क्षेत्र में जू0बे0स्कूल खोलने हेतु	,,	-	1	5	1	1	1	1
18-	जू0बेसिक स्कूलों में विज्ञान शिक्षण सामग्री	,,	300	224	250	-	50	50	60
	माध्यमिक शिक्षा								
19	खेलकूद तथा अन्य विद्यालयों के बाहर शैक्षिक कार्यक्रम तथा युवक कल्याण हेतु प्राविधान		3	3	5	3	1	-	1विद्यालय
20	उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बालचर योजना का प्रसार		12	12	10	4	10	-	10विद्यालय
23-	संस्कृत पाठशालाओं को विकास अनुदान		3	3	4	4	4	-	4विद्यालय
24-	सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान		6	4	5	5	5	-	5पुस्तकालय
25-	राजकीय जिला पुस्तकालय की स्थापना		-	-	1	-	1	-	एक राजकीय जिला पुस्तकालय

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24-	प्रदेश के प्रत्येक जिले में कक्षा 6-8 तक में 15% प्रतिमाह की दर से तीन वर्ष तक के लिये योग्यताछात्रवृत्तियां		-	-	120	-	-	-	120छात्रों को छात्रवृत्ति
25-	राजकीय इण्टर विद्यालयोंमें अतिरिक्त अनुभाग खोलना तथा नए विषयों का समावेश		-	-	2	-	-	-	2 कक्षों का निर्माण हेतु
26-	जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के भवन का निर्माण तथा सुदृढ़ीकरण		-	-	2	-	-	-	1कार्यालय तथा दो लिपिक, एक चपरासी
27-	सहायता प्राप्त उ0मा0वि0 को अतिरिक्त छात्रसंख्या तथा सेनेटरी सुविधा हेतु अनुदान		-	-	5	-	-	-	5विद्यालयों में कक्ष निर्माणहेतु
28-	सहायता प्राप्त उ0मा0वि0के पुस्तकालयों का सम्बर्धन		-	-	5	-	-	-	5विद्यालयों में पुस्तकों के क्रयहेतु
29-	ग्रामीण क्षेत्रों के बालकों के सहायता प्राप्त उ0मा0वि0 में पढ़रही बालिकाओं के लिये विशेष सुविधा		-	-	4	-	-	-	5विद्यालयों में कामनरूम का निर्माण हेतु
30-	राजकीय उ0मा0वि0 में विज्ञान अध्ययन के लिये सुविधाओं तथा नवीन प्रयोगशालाओं का निर्माण		-	-	1	-	-	-	1विद्यालय में प्रयोगशाला
31-	लघु एवं निर्माण कार्यों के लिये स्वीकृत धनराशि (केवल जी0जी0आई0सी0 का भवन निर्माण)		-	-	9	-	-	-	9राजकीय विद्यालय

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									बालक/बालिकाओं के विद्यालय में 25हजार प्रतिविद्यालय
9-	राजकीय उ0मा0वि0 भवनों का निर्माण, विस्तार, विद्युतीकरण एवं विशेष मरम्मत		-	-	2	-	-	-	2राजकीय बालिका इ0का0 वजवाहर रा0 इ0का0सिमरी के भवन निर्माण कार्य
10-	बालकों एवं बालिकाओं के कतिपय हाईस्कूलों के इण्टर स्तर पर क्रमोन्नीत भवन के संबंध में भवन निर्माण		-	-	1	-	-	-	1इण्टर का0 राजाफत्तेपुरके भवन का निर्माण

23-खेलकूद विभाग

ग्रामीण क्षेत्र में खेलकूद केन्द्रों का विकास तथा शासकीय/अशासकीय स्कूलों में खेलकूद केन्द्रों की स्थापना	5	5	5	5	-	2	2	-
विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन								
§अ§ बालक	36	36	36	36	12	14	14	16
§ब§ बालिका	13	13	13	13	4	9	9	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	प्रशिक्षण शिविर	22	22	22	22	5	7	7	8
	विभिन्न क्रीड़ा प्रतिष्ठानों का निर्माण								
	क- स्टेडियम	1	1	1	1	-	-	-	-
	ख- स्पोर्ट्स हाल	1	1	1	1	-	-	-	-
	ग- तरणताल	-	-	-	-	-	1	1	-
	घ- अण्डरग्राउण्ड पाइप लाइन	-	-	-	-	-	-1	1	-

24-प्राविधिक शिक्षा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	मैकेनिकल	संख्या	30	30	30	30	30	30	30
2-	इलेक्ट्रानिक्स	संख्या	30	30	30	30	30	30	30
3-	इन्स-ट्रूमेंटेशन	संख्या	30	30	30	30	30	30	30
4-	स्टेनोग्राफर	संख्या	30	30	30	30	30	30	30
5-	प्रोडक्सन टेक्नालाजी	संख्या	-	-	-	-	-	-	30
6-	सिविल इन्जीनियरिंग	संख्या	-	-	-	-	-	-	30

25-चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य

एलोपैथिक अस्पताल/औषधालय							
(अ) नगरीय	सं0	-	20	20	-	-	-	-
(ब) ग्रामीण	सं0	-	33	33	-	-	-	1
2- होम्योपैथिक अस्पताल								
(अ) नगरीय	सं0	-	4	4	-	-	-	-
(ब) ग्रामीण	सं0	-	24	24	7	3	3	3
3- आयुर्वेदिक/यूनानी अस्पताल								
(अ) नगरीय	सं0	-	1	5	-	-	-	-
(ब) ग्रामीण	सं0	-	19	43	3	5	5	5
4- शैयाएं								
(अ) एलोपैथिक अस्पताल/ औषधालय								
1- नगरीय	सं0	-	-	497	-	-	-	50

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
2- ग्रामीण	सं0	-	-	258	-	-	-	-
(ब) आयुर्वेदिक/यूनानी								
1- नगरीय	सं0	-	16	16	-	-	-	-
2- ग्रामीण	सं0	-	92	92	-	-	-	-
5- विभिन्न बीमारियों से सम्बन्धित अस्पताल	सं0	-	-	4	-	-	-	-
6- प्रा0स्वा0केन्द्र	सं0	-	-	16+1=17	4	3	3	3
7- बालरूजालय	सं0	-	3	4	1	-	-	1
8- दन्तरूजालय	सं0	-	-	1	1	-	-	2
9- उपकेन्द्रों का भवन निर्माण	सं0	-	-	144	4	2	2	5
10- एक्सरे भवन	सं0	-	-	-	1	2	2	1
11- सामुदायिक स्वा0केन्द्र	सं0	-	-	3	-	-	-	5
12- प्रा0स्वा0केन्द्र का निर्माण	सं0	-	-	-	2	-	-	1
13- 25 शैयायुक्त आर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना	सं0	-		-	-	-	-	2

26- जल निगम

1- हैण्ड पम्प/ पाइप वाटर जल आपूर्ति के अन्तर्गत ग्राम	संख्या	838	838	932	193	234	234	169

27- ग्रामीण पेयजल(ग्राम्य विकास)

1- हरिजन कूप निर्माण	सं0	189	189	1570	6	34	34	65

28-ग्रामीण आवास (ग्राम्य विकास)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	निर्बल वर्ग आवास	सं0	250	244	1199	-	84	84	84

29- श्रम विभाग

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	राजकीय श्रमहितकारी केन्द्र रायबरेली के लिये दूरदर्शन की की व्यवस्था	सं0	1	1	1	-	-	-	1
2-	राजकीय श्रमहितकारी केन्द्र की स्थापना	सं0	-	-	-	-	1	1	-
3-	बन्धुआ श्रमिक का पुनर्वासन	सं0	1	1	1	-	-	-	100

30-शिल्पकार प्रशिक्षण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	औ0प्र0संस्थान (युवक) ए0वी0टी0एस0 प्रशिक्षण प्रणाली उच्च व्यवहारिक प्रशिक्षार्थी	सं0	1100	1157	1157	200	250	250	250
2-	अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था	सं0	80	80	532	-	-	-	

31-सेवायोजन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	पुरानी योजना व्यवसाय मार्ग-निर्देशन इकाई								
	(अ) व्यक्तिगत मार्ग निर्देशन	सं0	240	235	235	146	120	150	120
	(ब) सामूहिक वार्तायें	सं0	240	247	247	259	240	260	240
	(स) डिग्री कालेजों में वार्तायें	सं0	60	14	36	36	36	36	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	हरिजन कल्याण								
§अ§	छात्रवृत्ति तथा पुस्तकीय सहायता तथा उपकरण हेतु अनावर्तीय सहायता								
§क§	जूनियर हाई स्कूल कक्षा 6-8 तक छात्रवृत्ति								
	1- निर्धनता के आधार पर	सं0	2760	2760	2700	750	820	820	902
	2- योग्यता के आधार पर	सं0	3900	3900	3980	300	330	330	365
§ख§	प्राइमरी स्तर कक्षा 1 से 5 तक छात्रवृत्ति								
	1- निर्धनता के आधार पर	,,	500	500	500	2000	1000	1000	1110
	2- योग्यता के आधार पर	,,	800	800	900	800	400	400	450
2-	अनुजाति के छात्रों को अपरच्यूनिटी कास्ट अनुदान	,,	-	-	-	50	55	55	70
3-	दशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं की अन्तिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्रों को विशेष पुरूस्कार	,,	100	100	100	3	10	10	20
4-	अनक्लीन प्रोफेशन करने वाले व्यक्तियों के बच्चों को पूर्वदशम् कक्षाओं में छात्रवृत्ति	सं0	-	-	-	-	150	150	150
5-	विभाग द्वारा सहायता प्राप्त प्राइमरी पाठशाला पुस्तकालय एवं छात्रावासों को अनुदान, सुधार एवं विस्तार	सं0	5	5	7	7	7	7	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(ब) विमुक्त जाति का कल्याण								
6-	छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तकीय सहायता एवं उपकरणों हेतु अनावर्तीय सहायता								
	(क) जूनियर हाई स्कूल 6 से 8 तक की छात्रवृत्ति	सं0							
	1- निर्धनता के आधारपर	,,	50	50	60	10	27	27	32
	2- योग्यता के आधारपर	,,	130	130	160	5	27	27	32
	(ख) प्राइमरी स्तर कक्षा 1 से 5 तक	सं0							
	1- निर्धनता के आधारपर	,,	66	66	99	17	40	40	56
	2- योग्यता के आधारपर	,,	198	198	198	8	120	120	150
7-	कृषि एवं बागवानी हेतु अनुदान	,,	30	30	35	5	8	8	8
8-	लघु एवं कुटीर उद्योग हेतु अनुदान	,,	30	30	35	10	16	16	16
	(स) अन्य पिछड़ी जातियों का कल्याण								
	छात्रवृत्ति एवं पाठ्य-पुस्तकीय सहायता एवं उपकरणों हेतु अनावर्तीय सहायता								
	1- जूनियर हाई स्कूल कक्षा 6 से 8 तक								
	1- निर्धनता के आधार पर	सं0	2400	2400	2500	-	165	165	180
	2- योग्यता के आधारपर	,,	4700	4700	5900	-	495	495	550
	2- प्राइमरी कक्षा 1 से 5 तक								
	1- निर्धनता के आधार पर	सं0	116	116	166	-	80	80	110
	2- योग्यता के आधार पर	,,	400	400	550	-	120	120	150

33–समाज कल्याण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1–	नेत्रहीन, बधिर तथा शारीरिक रूप से अक्षम विकलांगों को अनुदान	सं0	1812	1812	2212	410	410	410	500
2–	शारीरिक रूप से अक्षम तथा हड्डी रोग से ग्रस्त विद्यार्थियों के शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति	सं0	19	19	37	18	24	24	24
3–	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के बच्चों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति	सं0	–	–	18	18	23	23	23
4–	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग सामान आदि खरीदने हेतु अनुदान	सं0	15	15	25	10	10	10	10
5–	निराश्रित विधवाओं को सहायक अनुदान	सं0	404	404	1904	1500	1410	1410	1700
6–	शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में मलिन बस्तियों/कालोनियों में शिशु शालाओं का खोला जाना	सं0	–	–	–	–	–	–	2
	34–पुष्टाहार (समाज कल्याण)								
1–	1– धात्री महिलायें	सं0	6	6	7	2	4	4	6
2–	गर्भवती महिलायें	सं0	22	22	28	14	17	17	19
3–	बच्चे	सं0	42	42	44	25	31	31	34

जी0एन0-4

गत वर्षों के अधूरे निर्माण कार्यों तथा वर्ष 1987-88 में प्रस्तावित निर्माण कार्यों का विवरण (वित्तीय विवरण हजार रूपयों में)

क्र0सं0 विभाग कार्य का विवरण	प्रस्तावित स्वीकृत वर्ष	अधूरे निर्माण कार्य का विवरण: निर्माण कार्य पर कुल स्वीकृत धनराशि	अधूरे निर्माण कार्य का विवरण: अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु वर्ष 87-88 में मांग	नये कार्य हेतु प्रस्तावित परिव्यय: सातवीं योजना हेतु निर्माण कार्य की कुल लागत	नये कार्य हेतु प्रस्तावित परिव्यय: वर्ष 87-88 में प्रस्ता0 योजना पर धन की मांग	सकल धनराशि (स्तम्भ 5, 7 का योग)	निर्माण संस्था का नाम
1 2	3	4	5	6	7	8	9
1- कृषि विभाग							
बीज भण्डारों का निर्माण	85-86	400	-	400	600	600	-
2- बीज गोदामों एवं थ्रेसिंग फ्लोर तथा नये पम्प एवं पम्प हाउस का निर्माण	86-87	490	-	-	-	-	विभाग द्वारा

- 191 -

गत वर्षों के अधूरे कार्यों तथा 1987-88 में प्रस्तावित निर्माण कार्य का विवरण वित्तीय विवरण (हजार रूपये में)

क्रमांक	विभाग/कार्य का विवरण	प्रस्तावित स्वीकृत वर्ष	अधूरे निर्माण कार्य का विवरण		नये कार्यों हेतु प्रस्तावित परिव्यय		सकल धनराशि स्तम्भ 5, 7 का योग	एजेन्सी का नाम
			निर्माण कार्य पर कुल स्वीकृति धनराशि	अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु वर्ष 87-88 में माग	सातवीं योजना हेतु निर्माण कार्य की कुल लागत	1987-88 में प्रस्तावित योजना पर धन की माँग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-	उद्यान विभाग राजकीय पौधशाला टर्नर प्लांट नर्सरी रायबरेली की चहारदीवारी का निर्माण	-	-	-	265	265	265	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा रायबरेली ।

निर्माण

जी0एन0-4 (पशुपालन)

गत वर्षों में अधूरे कार्यों तथा वर्ष 1987-88 में प्रस्तावित निर्माण कार्यों का विवरण (वित्तीय विवरण हजार रू0में)

क्रमांक	विभाग/कार्य का विवरण	प्रस्तावित स्वीकृत वर्ष	अधूरे निर्माण कार्यों का विवरण: निर्माण कार्य पर कुल स्वीकृति धनराशि	अधूरे निर्माण कार्यों का विवरण: अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु वर्ष 87-88 में मांग	नये कार्यों हेतु प्रस्तावित परिव्यय: सातवीं योजना हेतु निर्माण कार्य की कुल लागत	नये कार्यों हेतु प्रस्तावित परिव्यय: वर्ष 87-88 में प्रस्तावित योजना पर धन की मांग	सकल धनराशि स्तम्भ 5, 7 का योग	एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-	पशुचिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं सुधार एवं विस्तार की योजना.							
	1-चिकित्सालय-	86-87	700	-	-	-	-	ग्रामीण अभि0
	2-पशुसेवा केन्द्र-	-	-	-	-	-	-	सेवा विभाग
2-	पशुधन विकास:- अ. तिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृ0गु0कार्यक्रम में सुधार की योजना-	85-86	350	-	-	-	-	-
3-	भेड़ एवं ऊन विकास:-							
	बकरा केन्द्र-	85-86	-	-	-	-	-	"
	मेढा केन्द्र-	86-87	130	48	130	34	82	"
4-	सुकर प्रजनन सुविधाओं का प्रसार							
	1-सुकर केन्द्र -	-	-	-	-	-	-	-

183

जी०एन०-4

गत वर्षों के अधूरे कार्यों तथा 1987-88 में प्रस्तावित निर्माण कार्यों का विवरण (हजार रुपये में)

पंचायत. राज विभाग

क्रमांक	विभाग/कार्य का विवरण	प्रस्तावित स्वीकृति वर्ष	अधूरे कार्यों का विवरण: निर्माण कार्य पर कुल स्वीकृति धनराशि	अधूरे कार्यों का विवरण: अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु 87-88 में मांग	नये कार्यों हेतु प्रस्तावित परिव्यय: सातवीं योजना हेतु निर्माण कार्य की कुल लागत	नये कार्यों हेतु प्रस्तावित परिव्यय: 87-88 में प्रस्ता० योजना पर धन की मांग	सकल धनराशि 5, 7 का योग	एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-								
1-	ग्रामीण खड़न्जा निर्माण-	87-88		-	15000	300	300	पंचायत
2-	पंचायत भवन निर्माण-	87-88	-	-	-	300	300	,,
योग-		-	-	-	15000	600	600	

गत वर्षों के अधूरे निर्माण कार्यों तथा 1987-88 में प्रस्तावित कार्यों का विवरण, वित्तीय विवरण (हजार रुपये में)

क्रमांक	विभाग/कार्य का विवरण	प्रस्तावित स्वीकृति वर्ष	अधूरे निर्माण कार्यों का विवरण: निर्माण कार्य पर स्वीकृति धनराशि	अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु वर्ष 1987-88 में माँग	नये कार्यों हेतु प्रस्तावित परिव्यय: सातवीं योजना हेतु निर्माण कार्य की कुल लागत	वर्ष 1987-88 में प्रस्तावित योजना पर धन की माँग	सकल धनराशि 5, 7 का योग	एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-	युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दलविभाग-रायबरेली							
	व्यायाम शाला भवन का निर्माण-	-	-	-	-	100	100	ग्रामीण अभि० सेवा-रायबरेली।
योग-		-	-	-	-	100	100	

6- शिक्षा विभाग

1-	राजकीय उच्चतर मा० बालिका विद्यालय भवन निर्माण	-	-	-	3500	1550	15550	लो.नि.वि.

18

जी0एस0-4 (ग्राम्य विकास)

गत वर्षों के अधूरे निर्माण कार्यों तथा 1987-88 में प्रस्तावित निर्माण कार्यों का विवरण (वित्तीय विवरण)
विकास विभाग रायबरेली। (हजार रूपये में)

क्रमांक	विभाग/कार्य का विवरण	प्रस्तावित/स्वीकृत वर्ष	अधूरे निर्माण कार्यों का विवरण		नये कार्यों हेतु प्रस्तावित परिव्यय		सकल धनराशि	एजेन्सी का नाम
			निर्माण कार्य पर कुल स्वीकृत धनराशि	अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु वर्ष 87-88 में माँग	सातवीं योजना हेतु निर्माण कार्य की कुल लागत	वर्ष 87-88 में प्रस्तावित योजना पर धन की माँग	स्तम्भ 5, 7 का योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	विकास खण्डों के भवन निर्माण एवं विद्युतीकरण लालगंज	3-84	646	-	-	-	-	ग्रा0अभि0 सेवा
2-	ऊँचाहार, सरेनी, खीरों	86-87	1356					
	जगतपुर	1987-88	-			2274	2274	
				-	8715			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8-	**जिला खेलकूद कार्यालय**							
	1-बहुउद्देशीय हाल का निo	1982-83	350	-	-	-	-	सा0नि0वि0 अ0खण्ड रायबरेली
	2-	1983-84	270	-	-	-	-	,,
		1984-85	209	-	-	-		,,
		1985-86	200	160	-	5	160	,,
		1986-87	-	-	-	-	-	,,
	2-स्टेडियम में सम्पर्क मार्ग का निर्माण	1984-85	60	-	-	-	-	,,
	3-दो सीमेन्ट पीचोंका निर्माण	1984-85	14	-	-	-	-	,,
	4-स्टेडियम के मेन गेट का निर्माण	1984-85	6	-	-	-	-	,,
	5-स्टेडियम की बाउन्ड्रीवाल को ऊँचा करना -	1985-86	90	120	-	-	120	,,
	6-तरण ताल की निर्माण	1986-87	239	1000	-	-	1000	,,
	7-स्टेडियम ग्राउन्ड में अन्दर ग्राउन्ड पाइप लाइन का निर्माण	1986-87	31	-	-	-	-	उ0प्र0, जलनि0 द्वितीय निर्माण शाखा रायबरेली
योग-			1474	-	-	-	1280	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9- स्वास्थ एवं परिवार कल्याण								
1-प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र का भवन निर्माण-		85-86	2230	कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ	-	500	500	निर्माण नि0
2-एक्सरे भवन का निर्माण		85-86	91	,,	-	90	90	हरिजन नि0 वर्ग निगम
3-जिला अस्पताल में वाटर हैड टैंक/प्राइवेट वार्ड ड्रेनेज लिंक रोड-		-	-	-	800	800	800	अस्थाई नि0 खण्ड(लो0नि0वि0)
4-आयुर्वेदिक/यूनानी अस्पतालों एवं डिस्पेन्सरियों का भवन निर्माण बिजली पानी की व्यवस्था।		-	-	-	900	300	300	निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हु0
5- उप केन्द्रों का भवन निर्माण		85-86	255	कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है	850	850	850	हरिजन नि0 वर्ग नि0
6- सब्सीडियरी हेल्थ सेन्टर्स का भवन का निर्माण-		83-84	875	50	-	-	50	अस्थाई नि0 खण्ड
योग-			3451	50	2550	2540	2590	

जल निगम:-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-	उत्तर प्रदेश जल निगम रायबरेली निम्न 9 पेयजल योजनाओं का स्ट्रेन्थेनिंग कार्य	-	-	-	6000	6000	6000	उ0प्र0जल0नि0 रायबरेली
1-	फूला पेयजल योजना							
2-	कुवरमऊ ,,							
3-	रमई ,,							
4-	समरहाण्डा ,,							
5-	मोन ,,							
6-	राही ,,							
7-	सरेनी ,,							
8-	पश्चिम गांव ,,							
9-	हरचन्दपुर ,,							
2-	उपरोक्त पेयजल योजनाओं जल नलिकाओं का विस्तार	-	-	-	500	500	500	
3-	हैण्ड पम्प द्वारा 25 ग्रामों में	-	-	-	6000	100	100	
	योग-				12550	6600	6600	

नोट:- उपरोक्त पेयजल योजना को वर्ष 1987-88 में पूर्ण किया जाता . प्रस्तावित है ।

विकेन्द्रीकृत जिला सेक्टर योजना

सप्तम पंचवर्षीय योजना

तृतीय वर्ष -1987-88

भाग -तीन

जिला सेक्टर योजना-आधारभूत आंकड़े व मानचित्र

जनपद- रायबरेली

कार्यालय जिला संख्याधिकारी,

रायबरेली

परिशिष्ट-5

विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली से सम्बन्धित आधारभूत आँकड़े
जनपद-रायबरेली।

क्रमांक मद	1-4-86 तक की स्थिति	अन्य विवरण
1- कुल ग्रामों की संख्या	1762	
2- कुल गैर आबाद ग्रामों की संख्या	37	
3- विकास खण्डों की संख्या	19	
विकास खण्डों के नाम	1-राही 2-हरचन्दपुर 3-सतॉव 4-अमॉवा 5-बछरावॉ 6-महराजगंज 7-शिवगढ़ 8-सिंहपुर 9-तिलोई 10-बहादुरपुर 11-डीह 12-छतोह 13-सलोन 14-ऊँचाहार 15-जगतपुर 16-डलमऊ 17-लालगंज 18-सरेनी 19- खीरों।	
4- तहसीलों की संख्या	6	
5- तहसीलों के नाम	1-डलमऊ 2-सलोन 3-रायबरेली सदर 4-महराजगंज 5-लालगंज 6-तिलोई।	
5- कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ष 1983-84 (हजार हेक्टर में)	4.609	
6- भूमि उपयोगिता के लिये प्रतिवेदित क्षेत्र (हजार हेक्टर में) वर्ष 1983-84	455-671	
7- वनों के अन्तर्गत क्षेत्र (हजार हेक्टर में) वर्ष 1983-84	4-803	
8- ऊसर और कृषि अयोग्य भूमि (हजार हेक्टर में) वर्ष 1983-84	27-317	
9- कृषि के अतिरिक्त उपयोग में लाई गयी भूमि (हजार हेक्टर में) वर्ष 1983-84	46-463	
10. कृषि योग्य बंजर भूमि (हजार है०) वर्ष (83-84)	27-212	
11- स्थाई चारागाह (हे०में) वर्ष 1983-84	3-947	
12- अन्य उद्यानों/वृक्षोंकी फसलों का क्षेत्रफल (हजार हेक्टर में) वर्ष 1983-84	25-130	

1	2	3	4
13-	वर्तमान परती भूमि (ह0हे0) वर्ष 1983-84	41-743	
14-	अन्य परती भूमि (ह0हे0) वर्ष 1983-84	21-431	
15-	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल (ह0हे0) वर्ष 1983-84	257-625	
16-	एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल (ह0हे0) वर्ष 1983-84	124-730	
17-	कृषि के उपयोग में सकल बोया गया क्षेत्र (हजार हेक्टर में) वर्ष 1983-84	382-355	

18- मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र (ह0हे0) एवं उत्पादन मै0टन

मद	क्षेत्र (ह0हे0)	संदर्भ वर्ष	उत्पादन ह0मी0टन	उत्पादन (ह0मी0टन) उत्पादन हेतु	संदर्भ कृषि
1	2	3	4	5	6
(1) धान	137.000	85-86	210.000		85-86
(2) गेहूँ	143.467	84-85	255.371		84-85
(3) ज्वार	19.105	85-86	10.000		85-86
(4) बाजरा	4.958	85-86	1.000		85-86
(5) मक्का	0.168	84-85	0.233		84-85
(6) चना	14.281	84-85	18.203		84-85
(7) जौ	12.368	84-85	11.431		84-85
(8) अरहर	16.981	84-85	28-443		84-85
(9) उर्द	2.284	84-85	4-280		84-85
(10) मूँग	2.464	84-85	0.528		84-85
(11) मटर	6.061	84-85	6.094		84-85
(12) मूँगफली	2.916	85-86	3.000		85-86
(13) लाही/सरसों	2.929	84-85	1.557		84-85

19- खरीफ फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र (ह0हे0) वर्ष 1983-84 — 188.345

1	2	3	4
20-	रबी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र (हे0हे0) वर्ष 1983-84	186.130	
21-	जायद फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र (हे0हे0) वर्ष 1983-84	7.076	
22-	जोतों की संख्या तथा उनके अन्तर्गत क्षेत्र	कृषि गणना 1981	

आकार वर्ग हेक्टेयर	संख्या	क्षेत्रफल (हजार हे0 में)
1	2	3
(1) 1-0 हेक्टेयर से कम	288395 (75.89	93.916 (34.89)
(2) 1-0 से 2-0 हेक्टेयर तक	60502 (15.92)	78.056 (28-98)
(3) 2-0से 3-0हेक्टेयर तक	17888 (4-70)	36-993 (13-74)
(4) 3-0 से 5-0 हेक्टेयर तक	9632 (2-54)	33-410 (12-41)
(5) 5-0 से अधिक	3626 (0-95)	26-886 (9-98)
योग	38003	269-261 (100-00)

23- जनसंख्या (हजार में) 1981 की जनगणना के अनुसार

	नगर	ग्रामीण	योग
(1) पुरुष	74-976	897-087	972-063
(2) स्त्रियाँ	64-031	850-846	914-877
योग	139-007	1747-933	1886-940

24- पिछड़े समुदायों की जनसंख्या (हजार में)

(1) अनुसूचित जाति	21-800	535-849	557-649
(2) अनुसूचित जनजाति	0.189	0.100	0.199

25- सतत् प्रवाहसील नदियाँ किमी0 में)

	लम्बाई (किमी0 में)
(1) गंगा नदी	80 किमी0
(2) सई नदी	96 किमी0

1	2	3	4
26-	मौसमी नद्धियाँ/नाले	नाम	लम्बाई ॥किमी0 में॥
		1- बसहा	अनुलब्ध
		2- कठवारा	,,
		3- महराजगंज नया	,,
		4- सेमरौता नया	,,
		5- नसीराबाद नया	,,
27-	मासिक औसत वर्षा ॥किमी0 में॥ ॥सामान्य	1978	816
		1979	320
		1980	1606
		1981	1183
		1982	872
		1983	1227
		1984	918
		1985	920

28- महत्वपूर्ण औधोगिक उत्पादन के नाम

॥1॥ काटन यार्न
॥2॥ टेलीफोन लाइन्स स्विलिंग उपकरण
॥3॥ ऊलेन टफ-टेड कर्पिट तथा ऊलेन यार्न
॥4॥ चीनी
॥5॥ स्कूटर टायर ट्यूब
॥6॥ साफ्ट ड्रिंक्स
॥7॥ राईस ब्रान आयल
॥8॥ कागज

1	2	3	4

29- पुलों के नाम वर्ष 1983-84 केअन्तर्गत

§1§ रायबरेली-लालगंज मार्ग के किमी0 3 में सई नदी पर सेतु।
§2§ सेमरी-सरेनी मार्ग के किमी0 3 में लोन नदी पर सेतु।
§3§ लालगंज-राजपुर मार्ग के किमी0 8 में लोन नदी का पुल।
§4§ लालगंज-बेहटा मार्ग के किमी0 6 में सेतु।
§5§ बहराइच-बाँदा मार्ग के किमी0 221 में गंगा नदी में सेतु।
§6§ बहराईच-बाँदा मार्ग के किमी0 188 में सई नदी पर सेतु ।
§7§ बहराईच-बाँदा मार्ग केकिमी0 291 में गंगा नदी में सेतु ।
§8§ रायबरेली-लालगंज मार्ग के किमी0 26 में मथना नाले पर पुल।
§9§ लालगंज-बेहटा=सरेनी मार्ग के किमी0 16 में सेतु।
§10§ सेमरी-सरेनी मार्ग के किमी0 10 में सेतु ।
§11§ राजघाट-कठगर मार्ग के किमी03 में सेतु।
§12§ लखनऊ-वाराणसी मार्ग के किमी0 66 व 76 में सेतु।
§13§ जायस-सलोन मार्ग के किमी0 24 में सई नदी पर सेतु।

30- सड़कों की लम्बाई §किमी0§ 1982-83 व 1983-84 की स्थिति:-

	1982-83	1983-84
1- सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत		
1-1 राष्ट्रीय राजमार्ग	-	-
1-2 प्रादेशिक राजमार्ग	219	219
1-3 मुख्य जिला सड़के	146	146
1- 1-4 मुख्य जिला एवं ग्रामीण सड़के	633	644
उपयोग§1§	998	1009
2- स्थानीय निकायों केअन्तर्ग.		
2-1 जिला परिषद	43	43
2-2- नगर पालिका/नगर क्षेत्र समिति	116	118
उपयोग§2§	159	161
3-§ अन्य गन्ना विभाग§		
3-1-सिंचाई	17	17
3-2-गन्ना	14	14

1	2	3	4
	3-3 वन	-	-
	3-4 डी0जी0बी0 आर0	-	-
	3-5 अन्य	93	156
	उपयोग (3)	124	187
	जनपद के कुल सड़कों की लम्बाई (1+2+3)	1281	1357

31- विद्युत — 1985-86 की स्थिति

(क) हाईटेन्सन लाइन

1-11 कि0वा0 (किमी0) — 3805- 154

2-23 कि0वा0 (किमी0) — 589-340

32- नगरों की संख्या — 9

33-(1) जिसमें बिजली है (नाम)

1- रायबरेली
2- बछरावाँ
3- महराजगंज
4- सलोन
5- जायस
6- लालगंज
7- डलमऊ
8- ऊँचाहार
9- परशादेपुर

(2) जिसमें बिजली नहीं है (नाम) — -

34- जल सम्पूर्ति

(क) नगरों की संख्या व नाम जिसमें पाइप द्वारा जल सम्पूर्ति होती है

1- रायबरेली
2- बछरावाँ
3- महराजगंज
4- सलोन
5- जायस
6- लालगंज
7- डलमऊ
8- ऊँचाहार
9- परशादेपुर।

1	2	3	4	
	(ख) नगरों की संख्या व नाम जिसमें पाइप द्वारा जल सम्पूर्ति नहीं होती है।		शून्य	
	(ग) ग्रामों की संख्या व नाम जिसमें पाइप द्वारा तथा हैण्डपम्पद्वारा जल सम्पूर्ति होती है (31-3-85)		932	
	(घ) ग्रामों की संख्या जिसमें पाईप द्वारा जल सम्पूर्ति नहीं होती है		793	
35-	शिक्षा 31-3-85 तक	नगर क्षेत्र में	ग्रामीण क्षेत्र में	योग
	(क) जूनियर बेसिक स्कूल	[illegible] 28	1105	1133
	(ख) सीनियर बेसिक स्कूल	13	251	264
	(ग) हायर सेकेन्ड्री इण्टर कालेज 31-3-85 तक	18	37	58
	(घ) डिग्री कालेज →	4	2	6
	(ङ) प्राविधिक शिक्षण संस्थाएं (नाम दें)	3	पालीटेक्निककालेज, औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा महिला औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान।	
	(अ) ग्रामों की संख्या जिनमें प्राइमरी/सीनियर बेसिक स्कूल हैं 31-3-85 तक			
	(1) प्राइमरी बेसिक स्कूल	893		
	(2) सीनियर बेसिक स्कूल	187		
	(ब) मी0बेसिक प्राइमरी स्कूलों की संख्या जिनके लिए भवन निर्मित नहीं हैं	312		
36-	अनुसूचित बैंकों की शाखाओं की संख्या (नगर/ग्रामीण, एवं प्रखण्डवार	31-3-86 की स्थिति		

क्रमांक	बैंक का नाम	क्षेत्रवार सं0		योग
		नगरीय	ग्रामीण	
1-	बैंक आफ बड़ौदा	1	19	20
2-	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1	70	71
3-	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	2	4	6
4-				

1	2	3	4
4- देना बैंक	1	3	4
5- इलाहाबाद बैंक	1	-	1
6- सेन्ट्रल बैंक	-	1	1
7- पंजाब नेशनल बैंक	1	3	4
8- यूनियन बैंक	1	-	1
9- बनारस स्टेट बैंक	-	1	1
10- यूनाइटेड बैंक	1	-	1
11- विजया बैंक	1	-	1
योग (व्यवसायिक बैंक ग्रामीण बैंक सहित)	10	101	121
12- जिला सहकारी बैंक	3	24	27
13- भूमि विकास बैंक	1	6	7
जनपद योग-	14	131	145

क्र0सं0	उपसंभाग प्रखण्ड विकासखण्ड	बैंक आफ बड़ौदा	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	देना बैंक	इलाहाबाद बैंक	सेंट्रल बैंक
1	2	3	4	5	6	7	8
		सं0 नाम	सं0 नाम	सं0 नाम	सं0 नाम	सं0 नाम	सं0 नाम
(क) नगरीय क्षेत्र	रायबरेली	1 रायबरेली	1 रायबरेली	2 रायबरेली बेलीगंज।	1 रायबरेली	1 रायबरेली	1 बछरावाँ
(ख) ग्रामीण क्षेत्र							
प्रथम उपसंभाग							
1-	बछरावाँ	1 बछरावाँ	5 बछरावाँ सेंहगों कुन्दनगंज सुचौली राजामऊ।				
2-	महराजगंज	1 महराजगंज	5 मऊ गर्वी हलोर चन्दापुर हरदोई सलेयूं				
3-	शिवगढ़		2 शिवगढ़ गूढ़ा				
4-	हरचन्दपुर		5 अन्दौर देवानन्दपुर गंगागंज, रहवा-जोहवाशर्की		1 हरचन्दपुर		
5-	सतावँ	1 देदौर	4 सतावँ, अहमदपुर सहजौरा, कोंसा		1 गुरुबक्शगंज		
6-	राही	2 मलिकमऊ	6 गढ़ी मुतवल्ली भेजरगंज, राही उत्तरपारा। रुस्तमपुर, खागीपुर सड़वा		1 आई0टी0आई0		
7-	अमावाँ		2 लोधवामऊ, अमावाँ				
योग		5	29		2	1	

क्र0सं0	उपसंभाग प्रखण्ड विकास	बनारस स्टेटबैंक	पंजाब नेशनल बैंक	यूनियन बैंक	युनाइटेड बैंक	विजया बैंक	कलव्य-वसायिक ग्रामीण बैंक सहित	जिला सह0 बैंक	भूमि वि0 बैंक	कुल योग
1	2	9	10	11	12	13	1-	15	16	17
1-नगरीय क्षेत्र		सं0नाम0	सं0 नाम0	सं0 नाम	सं0 नाम	सं0नाम	सं0नाम	सं0नाम	सं0नाम0	सं0नाम0
॥क॥ रायबरेली-		1 रायब-रेली	1 रायब-रेली	1 रायब-रेली	1 रायब-रेली		10	3	1	14
॥ख॥ ग्रामीण क्षेत्र										
प्रथम उपसंभाग										
1-बछरॉवा							7	1	1	9
2- महराजगंज							6	2	1	9
3- शिवगढ़							2	1	-	3
4- हरचन्दपुर							6	1	-	7
5- सतॉव							6	1	-	7
6- राही							9	1	-	10
7- अमॉवा							2	1	-	3
योग							38	8	2	48

1	2	3	4	5	67	7	8	9	10	11	12
	सं0 नाम	सं0नाम	सं0नाम	सं0नाम	सं0नाम	सं0नाम	सं0नाम	सं0 नाम	सं0 नामसं		
द्वितीय उप संभाग											
8- खीरों		1खीरों ,	4अर्ज..तपुर भीतरगाँव निहस्था, खीरों		-	-	-	-	-	-	-
9- सरेनी		-	5 सरेनी- दुधवन तेजगाँव भोजपुर वेनीमाधवगंज		-	-	-	-	-	-	-
10-डलमऊ		1जगतपुर	4घुरवारा- डलमऊ, वरारावुजुर्ग मधुकरपुर	-	1ऐहार			-	-	-	-
11-जगतपुर		1जगतपुर	5गौरा, दुर्गागंज जलालपुरधई, मतीनगंज लक्ष्मणपुर	--		-	-	-	-	-	-
12-लालगंज		1लालगंज	3लालगंज खजूरगाँव वेहटाकला	1लालगंज	1लालगंज-			-	-	-	-
योग		4	21	1	2	-	-	-	-	-	-

1 2	13	14	15	16	17
द्वितीय सम्भाग	सं0 नाम	सं0 नाम	सं0 नाम	सं0 नाम	सं0 नाम
8- खीरों	-	5	2	-	7
9- सरेनी	-	5	1	-	6
10- डलमऊ	-	6	1	1	8
11- जगतपुर	-	6	1	-	7
12- लालगंज	-	6	2	1	9
योग	28	7	2	37	

नोट:- स्तम्भों से सम्बन्धित उपसंभाग के नाम प्रथम उपसंभाग में दिये गये हैं।

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

	सं0 नाम	सं0 नाम	सं0 नाम	सं0 नाम	सं0 नाम	सं0 नाम	सं0 नाम	सं0 नाम	सं0 नाम
4- तृतीय संभाग									
13-									
13-सलोन	1सलोन	4खैरहनी [illegible] प्रहाड़ेगढ़, सलोन, करहिया [illegible], सूची	1सलोन	-	-	-	-	-	-
14- बहादुरपुर	2जायस	1फुरसतगंज बहादुरपुर				1जायस	-	-	-
15- सिंहपुर	1रस्तामऊ	4 इन्हौंना राजाफत्तेपुर, अहोरवा भवानी, सातन पुरवा।					1कठौरा-		-
16- तिलोई	3तिलोई सेमरौता मोहनगंज	4शंकरगंज, शाहमऊ विराज, सेमरौता		-	-	-	-	-	-
17- ऊँचाहार	2 ऊँचाहार ऊँचाहार थर्मल पावर	3 बाबूगंज, अमरन, अरखा			-	-	1ऊँचाहार		-
18- डीह	1डीह	2 डीह, परशादेपुर		-	-	-	-	-	-
19- छतोह		2छतोह, गाँधीनगर		-1	-	-	1नसीराबाद		
योग	10	220	1			1	3		-
योग ग्रामीण	19	70	4	3	-	1	3	-	
योग नगरीय	1	1	2	1	1	-	1	1	
योग जनपद	20	71	6	4	1	1	1	4	

1 2	13		14		15		16		17	
	सं0	नाम	सं0	नाम	सं0	नाम	सं0	नाम	सं0	नाम
13-सलोन	–	–	6	–	1		1		8	
14- बहादुरपुर-		–	4	–	1		1		6	
15- सिंहपुर –		–	6	–	2		–		8	
16- तिलोई –		–	7.	–	2		–		9	
17- ऊँचाहार-		–	5	–	1		–		6	
18- डीह –		–	2	–	1		–		4	
19- छतोह –		–	3	–	1		–		4	
योग	–	–	35	-	9		2		46	
योग ग्रामीण	–	–	101	24	24		6		131	
योग नगरीय।			10		3		1		14	
जनपद योग		1	111	–	27		7		145	

नोट:- सहकारी बैंकों तथा भूमि विकास बैंकों के नाम आगे के पृष्ठों में दिये गये हैं। स्तम्भों से सम्बन्धित नाम पृथक उपसंभाग में दिये गये हैं।

37 जिला सहकारी बैंकका नाम व संख्या (नगर एवं प्रखण्डवार)

(क) नगर क्षेत्र	संख्या	नाम
रायबरेली	3	रायबरेली, रायबरेली सायंकालीन शाखा तथा रायबरेली महिला शाखा।

(ख) ग्रामीण क्षेत्र में

क्र०सं० उपसंभाग/प्रखण्ड/विकास खण्ड	सहकारी बैंकों की संख्या	बैंकों का नाम
प्रथम उपसंभाग		
1- बछरावाँ	1	बछरावाँ
2- महराजगंज	2	महराजगंज, मऊगवाँ
3- शिवगढ़	1	शिवगढ़
4- हरचन्द्रपुर	1	हरचन्द्रपुर
5- सतांव	1	सतांव
6- राही	1	मुंशीगंज
7- अमावाँ	1	अमावाँ
द्वितीय उपसंभाग		
8- खीरों	2	खीरों, रघुराजसिंह चौराहा
9- सरेनी	1	सरेनी
10- डलमऊ	1	डलमऊ
11- जगतपुर	1	जगतपुर
12- लालगंज	2	लालगंज, बेहटाकला
योग	7	

तृतीय :
उपसंभाग :

13– सलोन	1	सलोन
14– बहादुरपुर	2	फुरसतगंज, जायस
15– सिंहपुर	2	राजा फत्तेपुर
16– तिलोई	1	अहोरवा भवानी
17– ऊँचाहार	1	ऊँचाहार
18– डीह	1	डीह
19– छतोह	1	छतोह

कुल ग्रामीण योग	24
नगरीय योग	3
जनपद का योग	27

38– ग्रामीण गोदामों की संख्या

	संख्या	क्षमता हजार मैं0टन
﴾क﴿ नगर क्षेत्र में	2	2-8
﴾ख﴿ ग्रामीण क्षेत्र में	185	17-3

39- उवरक डिपो

क- कृषि विभाग द्वारा	संख्या	क्षमता (हजार मैं०टन में)
	59	9-2
ख- सहकारिता विभाग द्वारा	198	

40- भूमि विकास बैंक के नाम संख्या 31-3-88 की स्थिति

(क) नगर क्षेत्र में	1	रायबरेली
(ख) ग्रामीण क्षेत्र में	-	-

क्र०सं० उपसंभाग/प्रखण्ड/ विकास खण्डवार	भूमि विकास बैंक संख्या	भूमि विकास बैंक नाम
1- प्रथम उपसंभाग		
1- बछरावाँ	1	बछरावाँ
2- महराजगंज	1	महराजगंज
3- हरचन्दपुर	-	-
4- सतॉंव	-	-
5- राही	-	-
योग	2	
द्वितीय संभाग		
6- खीरों	-	-
7- सरेनी	-	-
8-डलमऊ	1	डलमऊ
9- जगतपुर	-	-
10- लालगंज	1	लालगंज
2- तृतीय संभाग		
11-सलोन	1	सलोन
12- बहादुरपुर	1	जायस
13- सिंहपुर	-	-
14- तिलोई	-	-
15- ऊँचाहार	-	-

16- डीह – –

योग	2
समस्त ग्रामीण योग	6
नगरीय योग	1
जनपद योग	7

41- राजकीय पशु चिकित्सालयों/
औषधालयों की संख्या

(अ) नगर क्षेत्र में	7
(ब) ग्रामीण क्षेत्र में	25
योग	32

42- राजकीय पशुसेवा केन्द्रों संख्या

ग्रामीण क्षेत्र में	59

43- राजकीय एलोपैथिक अस्पताल/
औषधालयों की संख्या

नगर क्षेत्र में	20
ग्रामीण क्षेत्र में	33
योग	53

44- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सहित
जिला परिषदीय एलोपैथिक चिकित्सालय

(अ) ग्रामीण क्षेत्र में	12
(ब) नगर क्षेत्र में	5
योग	17

45- राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों/ औषधालयों में शैयाओं की संख्या

(अ) नगर क्षेत्र में		497
(ब) ग्रामीण क्षेत्र में		258
	योग	755

46- राजकीय होम्योपैथिक अस्पतालों की संख्या

(अ) नगर क्षेत्र में		4
(ब) ग्रामीण क्षेत्र में		24
	योग	28

31-3-06 की स्थिति

	नगर क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	[illegible]
47- राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल औषधालयों की संख्या	4	37	41
48- यूनानी चिकित्सालय/औषधालय			
(क) राजकीय	-	-	-
(ख) जिला परिषदीय	1	6	7
शैयायें यूनानी चिकित्सालय/ औषधालय			
(क) राजकीय	-	-	-
(ख) जिला परिषदीय	-	4	4
49- आयुर्वेदिक चिकित्सालय/ औषधालय			
(क) राजकीय	4	23	27
(ख) जिला परिषदीय	-	14	14
शैयाएं			
(क) राजकीय	-	92	108
(ख) जिला परिषदीय	-	-	-

1-कृषि

क्रमसं0 मद	इकाई	1983-84 की स्थिति	
1- शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	ह0हे0	257-625	
2- एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल	,,	124. 730	
3- सकल बोया गया क्षेत्रफल	,,	382-355	
4- कुल खाद्यान्न फसलें	,,	356-655	
5- कुल अखाद्यान्न फसलें	,,	25-700	
	,,		
योग 4 व 5		382-355	
6- खरीफ फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र	,,	188-345	188-345
7- रबी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र	,,	186-130	
8- जायद फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	,,	7-76	
9- गन्ने के लिये तैयार की गयी भूमि	,,	0-004	
योग 6 से 9		382-355	
10- फसल सघनता (प्रतिशत)		148-42	
11- खरीफ के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्रफल	,,	68-049	
12- रबी के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र	,,	162-045	
13- जायद के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र	,,	7-076	
योग		237-170	

क्र०सं० मद	इकाई	1983-84 की स्थिति
14- सकल सिंचित क्षेत्र	,,	237-170
15- शुद्ध सिंचित क्षेत्र	,,	177-694
16- सिंचाई की सघनता	,,	
(क) शुद्ध सिंचित क्षेत्र का कुल सिंचित क्षेत्र में प्रतिशत	,,	133- 47
(ख) [illegible] सिंचित का शुद्ध बोये गये क्षेत्र [illegible] प्रतिशत		60-97
(ग) कुल सिंचित क्षेत्र का कुल बोये गये क्षेत्र में प्रतिशत	,,	62-03
17- कृषि योग्य भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र से प्रतिशत	,,	98-07
18- शुद्ध बोये गये क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल से प्रतिशत	,,	55-90

1- विभिन्न स्रोतों के द्वारा ह०हे० शुद्ध सिंचित क्षेत्र

(क) नहर	,,	121.031 (68.56)
(ख) नलकूप	,,	47.732 (26.86)
(ग) कूप	,,	2.324 (1.31)
(घ) तालाब/पोखरा/झील	,,	5.353 (3.01)
(ङ) अन्य विवरण	,,	0.454 (0.26)
योग	,,	177.694 (100.00)

-53=

उन्नतिशील एक्जोटिक किस्मों के बीज का वितरण	कुन्टल	1985-86 की स्थिति
(क) कृषि विभाग द्वारा	,,	4988
(ख) सहकारिता विभाग द्वारा	,,	1300

(ग) कृषि फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र उत्पादन		1985-86 की स्थिति

क्र०सं० मद	इकाई	1985-86 की स्थिति
(क) खाद्यान्न-खरीफ	**क्षेत्र ह०हे०**	**उत्पादन हजार मी०टन**
1- धान	137.000	178-657
2- ज्वार	19.105	24-602
3- बाजरा	4.958	2-542
4- मक्का	0.168	0.233
5- खरीफ दालें	9.262	3.702
6- अन्य विवरण	-	-
योग खरीफ खाद्यान्न	170.493	209-736
(ख) रवी		
1- गेंहूँ	143-467	234-712
2- जौं	12-368	11-431
3- चना	14-281	18-203
4- मटर	6-061	6-094
5- अरहर	16-981	28-443
6- मसूर	0-057	0-029
7- अन्य विवरण	-	-
योग रवी खाद्यान्न	193-215	298-912

नोट:- वर्ष 1985-86 की अनुमानित सूचनाएं जनपद स्थित कृषि कार्यालय से एकत्रित हैं जिसकी पुष्टि कृषि निदेशालय अथवा अर्थ एवं संख्या प्रभाग से नहीं हुयी हैं।

क्रमसं0	मद	इकाई क्षेत्र ह0हे0	उत्पादन हजार मी0 टन
ग जायद			
1-	धान **चावल**	0-305	0-437
2-	मूँग	0-657	0-250
3-	साँवा	2-135	1-3458
4-	उर्द	2-965	1-135
5-	मक्का	0-004	0-004
योग जायद खाद्यान्न		6-066	3-284
वाणिज्य फसलेंह0हे0			
1-	मूँगफली	2-916	3-000
2-	लाही/सरसों	2-929	1-557
3-	सूरजमुखी	0-001	0-00
4-	सोयाबीन	0-001	0-002
5-	अन्य तिलहन	-	-
6-	गन्ना	6-925	180-219
7-	आलू	3-518	53-653
8-	तम्बाकू	0-015	0-010
9-	अन्य विवरण	-	-

नोट:- वर्ष 1985-86 की अनुमानित सूचनाएं जनपद स्थित कृषि कार्यालय से एकत्रित हैंजिनकी पुष्टि कृषि निदेशालय अथवा अर्थ एवं संख्या प्रभाग से नहीं हुयी हैं।

21- उत्पादन/दर कुन्टल प्रति हे0		1985-86कु0 प्रति हे0
1- चावल	,,	15-33
2- गेंहूँ	,,	17-80
3- ज्वार	,,	5-39
4- बाजरा	,,	2-72
5- मक्का	,,	6-62
6- जौ	,,	9-24
7- चना	,,	12-75
8- मटर	,,	10-05
9- अह[illegible]	,,	16-75
10- मसूर	,,	5-04
11- गन्ना	,,	423-04
12- मूँगफली	,,	12-75

22- रासायनिक उर्वरकों का वितरण

	1985-86 हुएमी0टन	आँकड़े
ऋकऋ कृषि विभाग द्वारा		
1- नत्रजन	,,	1-298
2- फास्फेटिक	,,	0-528
3- पोटाश	,,	0-167
ऋखऋ सहकारिता विभाग द्वारा		
1- नत्रजन	,,	5-449
2- फासफेटिक	,,	1-880
3- पोटाश	,,	0-338 338
ऋगऋ कृषि औद्योगिक विकास निगमऋएग्रोऋ		
1- नत्रजन	,,	0-443
2- फासफेटिक	,,	0-194
3- पोटास	,,	0-067
ऋघऋ गन्ना विभाग द्वारा		
1- नत्रजन	,,	0-196
2- फासफेटिक	,,	0-051
3- पोटास	,,	0-031
ऋङऋ अन्य श्रोतों द्वारा	,,	
1- नत्रजन	,,	17-938
2- फासफेटिक	,,	4-643
3- पोटास	,,	0-537

23- उर्वरक डिपों वर्ष 1985-86 की स्थिति

	संख्या	आँकड़े
1- कृषि विभाग द्वारा	,,	2 59
2- सहकारिता विभाग द्वारा	,,	192
3- कृषि औद्योगिक विकास निगम द्वारा	,,	84
4- गन्ना विकास विभाग द्वारा	,,	1
योग	,,	336

24- शीतगृह (31-3-1986)	सं0	सं0	क्षमता ह0मी0टन
1- कृषि विभाग द्वारा	,,	-	-
2- सहकारिता विभाग द्वारा	,,	2	4-0
3- कृषि औद्योगिक विकास निगम द्वारा	,,	-	-
4- गन्ना विभाग द्वारा	,,	-	-
5- अन्य स्रोतों द्वारा	,,	8	20-7
योग	,,	10	24-7

25- कम्पोस्ट खाद का उत्पादन	ह0मी0टन	1371-873 (कृषि विभाग)
26- हरी खाद के अन्तर्गत क्षेत्रफल	ह0है0	2-215
27- गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना (31-3-86)	संख्या	3355

2- भूमि संरक्षण (दिनाँक 31-3-1986 की स्थिति)

(क) कृषि विभाग द्वारा	ह0है0	28-271
2- रेवाइन्स में	,,	1-789
(ख) वन विभाग द्वारा (स्रोत जिला स्थित वन विभाग)		
1- कृषि भूमि में	ह0है0	0-493
2- रेवाइन्स में	ह0है0	0-103

3- फलोपयोग एवं औद्यानिकी 215

क्र0सं0	विकास खण्ड/ संसदीय क्षेत्र / जनपद	फलों/उद्यानों के अन्तर्गत क्षेत्र हे0में0	शाकसब्जी के अन्तर्गत क्षेत्र हे0में0	फलों का उत्पादन हे0मी0टन0	फलों का मूल्य हे0रू0	आलू का उत्पादन हे0मी0टन	पौध सुरक्षा कार्य हे0में0	पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	हरचन्दपुर	15	18	0.60	240	200	1120	10
2-	सतॉव	15	18	0.20	80	300	900	10
3-	राही	20	20	0.80	320	320	1215	10
4-	अमावाँ	15	18	0.10	40	200	1040	11
5-	डलमऊ	15	12	0.60	240	150	4.05	10
6-	जगतपुर	15	18	0.50	200	210	588	10
7-	खीरों	15	13	0.60	240	215	750	13
8-	सरेनी	15	18	0.80	320	517	870	13
9-	लालगंज	15	20	0.90	360	400	1110	10
10-	महराजगंज	15	18	0.60	240	150	620	10
11-	शिवगढ़	15	18	0.50	200	150	354	10
12-	बछरावाँ	15	18	0.10	400	220	410	13
13-	ऊँचाहार	15	18	0.18	720	600	930	10
	योग रायबरेली संसदीय क्षेत्र (1-13)	200	232	6.48	3600	3632	10312	140
14-	सलोन	20	26	0.17	680	800	1560	10
15-	बहादुरपुर	20	20	0.70	280	300	400	10
16-	छतोह	15	18	0.30	120	150	300	10
17-	डीह	15	18	0.10	400	150	308	10
18-	सिंहपुर	15	18	0.80	320	140	362	10
19-	तिलोई	15	18	0.10	400	200	470	10
	योग अमेठी संसदीय क्षेत्र (14-19)	100	118	2.17	2200	1740	3400	60
	योग जनपद (1-19)	300	350	8.65	5800	5372	13712	200

स्रोत- जिला स्थित उद्यान कार्यालय ।

4- गन्ना विकास तथा 5- अधिक उपज के बीज

दिनांक 31-3-86 की स्थिति

वर्ष 1987-88 की विकेन्द्रित जिला सेक्टर योजना के लिये विकास खण्डवार आधार भूत आँकड़े, दर्शाता मार्च, 1986.

जनपद-रायबरेली।

क्र0सं0	विकास खण्ड/ संसदीय क्षेत्र/ जनपद	वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत गन्ना का क्षे0 ह0हे0	गन्ना का उत्पादन ह0मी0टन	गन्ना का मूल्य ला0रु0	वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत गन्ना उत्पादन गुड़ के रूप में ह0मी0टन	अधिक उपज देने वाली जातियों का बीजवितरण ह0कु0
1	2	3	4	5	6	7
1-	हरचन्दपुर	0.16	6.40	1472	3.51	0.080
2-	सतॉव	0.25	9.50	2185	5.50	0.130
3-	राही	0.64	25.20	5796	14.07	0.500
4-	अमॉवा	0.14	5.00	1150	3.08	0.130
5-	डलमऊ	0.51	20.10	4623	11.21	0.180
6-	जगतपुर	0.45	17.90	4117	9.89	0.320
7-	खीरों	0.21	8.40	1932	4.62	0.110
8-	सरेनी	0.45	17.50	4025	9.89	0.120
9-	लालगंज	0.59	22.90	5267	12.97	0.140
10-	महराजगंज	0.06	2.30	529	1.32	0.080
11-	शिवगढ़	0.03	1.20	276	0.66	0.060
12-	बछरावॉ	0.12	4.50	1035	2.64	0.120
13-	ऊँचाहार	0.06	2.20	506	1.32	0.090
	रायबरेली संसदीय क्षेत्र (1-13)	3.67	143.10	32913	80.68	2.060
14-	सलोन	0.10	3.80	874	2.20	0.070
15-	बहादुरपुर	0.05	1.30	299	1.10	0.030
16-	छतोह	0.01	0.40	92	0.22	0.005
17-	डीह	0.06	2.90	667	1.32	0.060
18-	सिंहपुर	0.08	3.20	736	1.76	0.020
19-	तिलोई	0.01	0.60	138	0.22	0.007
	योग अमेठी संसदीय क्षेत्र (14-19)	0.31	12.20	2806	6.82	0.192
	योग जनपद (1-19)	3.98	155.30	35719	87.50	2.252

स्रोत:- जिला स्थित गन्ना कार्यालय।

6 ।1। वन

क्रमसं0	मद	इकाई	31-3-86 के आधार भूत आँकड़े
1	2	3	4
1-	वन विभाग के प्रबन्ध के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल	हजार हे0 में	7.838
2-	वर्क प्लान क्षेत्र	,,	4.320
3-	आर्थिक महत्व के वृक्षारोपण का क्षेत्रफल	,,	1.727
4-	जल्दी उगने वाले वृक्षों का क्षेत्र	,,	0.020
5-	सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत क्षेत्र	,,	4.320
6-	सड़कों की लम्बाई		
	।क। सरफेस	कि0मी0	895
	।ख। अनसरफेस	,,	-
7-	वन द्वारा उत्पादित लकड़ी	ह0व0फु0	660
8-	उत्पादित लकड़ी का मूल्य	ह0रू0 में	220
9-	विक्रय लकड़ी का मूल्य	ह0रू0 में	290

==..==

6– वृहद् एवं मध्यम सिंचाई:– §स्थिति 31–3–86§

(सिंचन क्षमता हजार में) 218

क्रमांक	विकास खण्ड/ संसदीय क्षेत्र जनपद	सिंचन क्षमता का वास्तविक उपभोग वर्ष 1985–86				
		राजकीय नलकूपों द्वारा	लघु पम्प नहरों द्वारा	निजी लघु सिंचाई द्वारा	वृहद एवं मध्यम सिंचाई द्वारा	योग
1	2	3	4	5	6	7
1–	हरचन्दपुर	0.2	0.4	10.2		10.8
2–	सतांव	0.5	–	16.9		17.4
3–	राही	0.3	0.5	22.8		23.6
4–	अमावां	0.1	–	6.2		6.3
5–	डलमऊ	0.2	–	11.2		11.4
6–	जगतपुर	0.2	–	12.3		12.5
7–	खीरों	0.6	–	12.2		12.8
8–	सरेनी	1.7	–	13.5		15.2
9–	लालगंज	0.5	–	11.3		11.8
10–	महराजगंज	0.1	–	10.0		10.1
11–	शिवगढ़	0.2	–	4.8		5.0
12–	बछरावां	0.1	0.1	14.4		14.6
13–	ऊँचाहार	0.9	–	11.4		12.3
योग रायबरेली संसदीय क्षेत्र §1–13–§		5.6	1.0	157.2		163.8
14–	सलोन	1.4	0.3	11.8		13.5
15–	बहादुरपुर	–	–	13.8		13.8
16–	छतोह	–	–	6.7		6.7
17–	डीह	0.8	0.3	11.8		12.9
18–	सिंहपुर	0.1	–	9.3		9.4
19–	तिलोई	0.1	–	11.1		11.2
योग अमेठी संसदीय क्षेत्र §14–19§		2.4	0.6	64.5		67.5
योग जनपद §1–19§		8.0	1.6	221.7	286.9	518.2

नोट:– वृहद् एवं मध्यम सिंचाई का विकास खण्डवार विवरण उपलब्ध नहीं है।

–:–

6– वृहद् एवं मध्यम सिंचाई:–

(स्थिति 31–3–86)

क्र0सं0	विकासखण्ड/संसदीय क्षेत्र का नाम	(सिंचन क्षमता हजार हे0 में)					
		राजकीय नलकूपों की सं0	नलकूपों द्वारा सिंचन क्षमता	लघु पम्प नहरों द्वारा	[illegible] सिंचाई द्वारा	जल उपलब्ध सिंचन क्षमता	वृहद् एवं मध्यम सिंचाई द्वारा
1	2	3	4	5	6	7	8
1–	हरचन्दपुर	8	0.9	0.8	10.2	11.9	
2–	सतांव	23	2.3	–	16.9	19.2	
3–	राही	16	1.6	1.1	22.8	25.5	
4–	अमावां	4	0.4	–	6.2	6.6	
5–	डलमऊ	8	0.8	–	11.2	12.0	
6–	जगतपुर	11	1.1	–	12.3	13.4	
7–	खीरों	23	2.3	–	12.2	14.5	
8–	सरेनी	66	6.6	–	13.5	20.1	
9–	लालगंज	18	1.8	–	11.3	13.1	
10–	महराजगंज	5	0.5	–	10.0	10.5	
11–	शिवगढ़	2	0.2	–	4.8	5.0	
12–	बछरावां	1	0.1	0.3	14.4	14.8	
13–	ऊँचाहार	37	3.7	–	11.4	15.1	
	योग रायबरेली संसदीय क्षेत्र (1–13)	223	22.3	2.2	157.2	181.7	
14–	सलोन	55	5.5	0.5	11.8	17.8	
15–	बहादुरपुर	–	–	–	13.8	13.8	
16–	छतोह	–	–	–	6.7	6.7	
17–	डीह	30	3.0	0.4	11.8	15.2	
18–	सिंहपुर	4	0.4	–	9.3	9.7	
19–	तिलोई	5	0.5	–	11.1	11.6	
	योग अमेठी संसदीय क्षेत्र (14–19)	94	9.4	0.9	645	74.8	
	योग जनपद (1–19)	317	31.7	3.1	221.7	256.5	206.9

नोट:– वृहद् एवं मध्यम सिंचाई का विकास खण्डवार विवरण उपलब्ध नहीं है

......2

7-पशुपालन 31-3-1986 की स्थिति

क्र0सं0	विकास खण्ड/ संसदीय क्षेत्र/ जनपद	पशु चिकित्सालय	पशुसेवा केन्द्र0	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र संख्या	भेड़ एवं ऊन विकास केन्द्र	पोल्ट्री यूनिट	सहकारी कुक्कुटफार्म
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	हरचन्दपुर	2	2	4	1	-	-
2-	सतॉव	3	2	5	-	-	-
3-	राही	2	8	6	-	-	-
4-	अमांवा	1	1	2	1	-	-
5-	डलमऊ	2	2	3	1	1	-
6-	जगतपुर	2	2	3	-	-	-
7-	खीरों	2	4	3	-	13	-
8-	सरेनी	2	3	3	1	8	-
9-	लालगंज	1	3	2	1	5	-
10-	महाराजगंज	1	2	3	-	-	-
11-	शिवगढ़	1	4	4	-	-	-
12-	बछरांवा	1	8	6	-	-	-
13-	ऊँचाहार	2	1	3	1	-	-
	योग रायबरेली संसदीय क्षेत्र (1-13)	22	42	47	6	27	
14-	सलोन	2	4	4	1	-	-
15-	बहादुरपुर	2	2	4	1	-	-
16-	छतोह	2	2	3	-	-	-
17-	डीह	2	3	5	1	-	-
18-	सिंहपुर	2	5	4	1	-	-
19-	तिलोई	2	2	4	1	-	-
	योग अमेठी संसदीय क्षेत्र (14-19)	12	18	24	5	-	-
	योग जनपद	34	60	71	11	27	-

7- (क्रमशः)

क्र०सं०	विकास खण्ड/ संसदीय क्षेत्र/ जनपद	चारे की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (हेक्टेयर) वर्ष 85-86			गोपवंशी दूध देनेवाली गायें	पशुप्रजनन हेतु	प्रजनन एवं कार्य हेतु
		खरीफ	रबी	योग			
1	2	9	10	11	12	13	14
1-	हरचन्दपुर	1.2	1.8	3.0	10321	-	24819
2-	सतॉव	1.0	2.0	3.0	7324	-	26501
3-	राही	1.1	3.5	4.6	9180	-2	29130
4-	अमावाँ	1.0	2.0	3.0	2102	-	13007
5-	डलमऊ	1.4	1.6	3.0	12125	20	28496
6-	जगतपुर	0.8	2.2	3.0	10295	10	26904
7-	खीरों	0.3	1.2	1.5	6721	5	12700
8-	सरेनी	1.5	3.0	4.5	5570	4	13940
9-	लालगंज	2.0	2.8	4.8	8139	5	11538
10-	महराजगंज	1.5	1.5	3.0	7122	4	18446
11-	शिवगढ़	1.9	1.1	3.0	8421	3	21554
12-	बछरावाँ	0.2	1.0	1.2	11151	1	20378
13-	ऊँचाहार	0.1	2.9	3.0	9416	8	33827
	योग रायबरेली संसदीय क्षेत्र (1-13)	14.0	26.6	40.6	107887	62	281240
14-	सलोन	4.6	7.0	11.6	9983	25	25433
15-	बहादुरपुर	1.5	2.5	4.0	4897	-	8917
16-	छतोह	1.0	1.0	2.0	8533	-	20989
17-	डीह	0.2	0.3	0.5	9735	2	21484
18-	सिंहपुर	4.0	8.0	12.0	3306	-	6408
19-	तिलोई	1.0	1.0	2.0	1897	2	12494
	योग (अमेठी संसदीय क्षेत्र) (14-19)	12.3	19.8	32.1	38351	29	95725
	योग जनपद (1-19)	26.3	46.4	72.7	146238	91	376965

क्र०सं०	विकास खण्ड/ संसदीय क्षेत्र/ जनपद	3 वर्ष की आयु (1-3)	3 वर्ष से कम	महिष वंशीय प्रजनन एवं अन्य कार्य दूध देने वाली	प्रजनन हेतु	अन्य कार्य हेतु	3 वर्ष की आयु के	3 वर्ष से कम आयु के
1	2	15	16	17	18	19	20	21
1-	हरचन्दपुर	9216	4733	9570	13	865	2577	2809
2-	सतांव	11888	3854	8793	26	597	3506	2200
3-	राही	4387	3738	5300	17	311	2881	2887
4-	अमावां	4819	3607	5381	7	218	1353	3540
5-	डलमऊ	8400	8139	13627	47	678	3670	4386
6-	जगतपुर	6900	3213	11552	33	322	3692	5001
7-	खीरों	4111	2744	4512	21	274	1666	1041
8-	सरेनी	3587	3593	3867	18	231	1701	965
9-	लालगंज	2343	3763	5621	22	188	1633	1117
10-	महराजगंज	5489	5073	7225	17	2100	2408	1119
11-	शिवगढ़	2478	3915	3783	25	1900	2887	2188
12-	बछरावां	4619	3012	4461	28	2000	1931	4051
13-	ऊँचाहार	6303	7127	9331	11	729	2093	2404
	योग रायबरेली संसदीय क्षेत्र (1-13)	74540	56511	93023	285	10483	31828	35708
14-	सलोन	5480	3692	7795	15	690	1887	2835
15-	बहादुरपुर	3000	2813	3800	15	1908	600	639
16-	छतोह	2118	3420	5873	15	817	1983	1806
17-	डीह	3980	3334	7250	13	890	2410	4295
18-	सिंहपुर	2818	4201	5716	11	1001	700	540
19-	तिलोई	2182	1427	1884	13	724	800	739
	योग अमेठी संसदीय क्षेत्र (14-19)	19582	18887	32318	82	6030	8380	10854
	योग जनपद (1-19)	94122	75398	125341	367	16513	40208	46562

7-क्रमशः:

क्र0सं0	विकास खण्ड/ संसदीय क्षेत्र/ जनपद	भेंड़ एक वर्ष तक	एक वर्ष से अधिक	बकरियाँ एक वर्ष तक	एक वर्ष से अधिक	घोड़े तथा टट्टू 3 वर्ष से कम	घोड़े तथा टट्टू 3 वर्ष से अधिक
1	2	22	23	24	25	26	27
1-	हरचंदपुर	1368	173	23	4953	336	466
2-	सतांव	1101	201	21	6178	216	587
3-	राही	889	151	11	3991	187	261
4-	अमावां	2116	168	8	4691	607	486
5-	डलमऊ	3017	5073	5800	8540	381	851
6-	जगतपुर	2000	5100	5097	7003	224	297
7-	खीरों	674	1157	2752	3291	87	86
8-	सरेनी	811	1019	2681	1545	91	95
9-	लालगंज	539	1281	2825	5455	61	19
10-	महराजगंज	228	1619	4625	4995	46	167
11-	शिवगढ़	487	1164	4026	5117	27	201
12-	बछरावां	281	836	5225	4875	28	299
13-	ऊँचाहार	1294	2335	4810	7757	101	216
	योग रायबरेली संसदीय क्षेत्र (1-13)	14805	15687	37904	68391	2392	3531
14-	सलोन	1101	2109	5011	8113	89	185
15-	बहादुरपुर	1487	112	3122	3885	24	83
16-	छतोह	256	1813	3726	6606	117	287
17-	डीह	1297	2683	5695	8554	49	229
18-	सिंहपुर	281	170	1873	4906	19	91
19-	तिलोई	232	188	2365	4874	26	77
	योग अमेठी संसदीय क्षेत्र (14-19)	4654	7075	21797	36938	324	952
	योग जनपद (1-19)	19459	22762	59701	105329	2716	4483

क्र०सं०	विकास खण्ड/ संसदीय क्षेत्र/ जनपद	सुअर	अन्य पशु	कुल पशुओं की संख्या	कुक्कुट		
					मुर्गे	मुर्गियाँ	अन्य पशु
1	2	28	29	30	31	32	33
1-	हरचन्दपुर	9667	244	82153	380	913	713
2-	सताँव	8113	183	81289	299	811	805
3-	राही	6004	257	65594	385	856	984
4-	अमावाँ	2885	294	45299	452	1872	351
5-	डलमऊ	8600	607	111787	589	1073	487
6-	जगतपुर	6074	380	95097	1200	1500	1500
7-	खीरों	1592	190	43624	203	786	283
8-	सरेनी	1781	187	41686	360	904	380
9-	लालगंज	1705	185	46439	289	720	226
10-	महराजगंज	5884	107	68674	481	1563	1592
11-	शिवगढ़	6801	123	65100	297	1089	1081
12-	बछरावाँ	4969	115	68260	365	1437	1203
13-	ऊँचाहार	8582	227	96641	802	2312	1607
	योग रायबरेली संसदीय क्षेत्र ‡1-13‡	72657	3099	910033	6102	15036	11212
14-	सलोन	7656	230	82329	918	2409	819
15-	बहादुरपुर	1321	37	36660	627	1750	986
16-	छतोह	6321	218	64898	756	2541	1887
17-	डीह	3073	235	75216	673	1986	2116
18-	सिंहपुर	1506	40	33592	504	1953	1045
19-	तिलोई	1085	33	31042	431	1540	1104
	योग अमेठी संसदीय क्षेत्र ‡14-19‡	20912	793	323683	3909	12179	7957
	योग जनपद ‡1-19‡	93569	3892	1233716	10011	27215	19169

8- दुग्ध एवं दुग्ध सामग्री

1- नगर क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन (ला0ली0 में)	
2- ग्रामीण क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन (ला0ली0 में)	
3- नगर क्षेत्र में समितियों की संख्या	-
4- नगर क्षेत्र में समितियों के सदस्यों की संख्या	-
5- ग्रामीण क्षेत्र में समितियों की संख्या	118
6- ग्रामीण क्षेत्र में समितियों के सदस्यों की संख्या	5769
7- दुग्ध संग्रह केन्द्र की संख्या	118
(अ) नगर क्षेत्र में संख्या	-
(ब) ग्रामीण क्षेत्र में संख्या	118
8- नगर क्षेत्र में प्लान्ट की क्षमता (ला0ली0 में)	0.04

वर्ष 1987-88 की विकेन्द्रित जिला सेक्टर योजना के लिए विकास खण्डवार
आधारभूत आँकड़े वर्षान्त मार्च 1986

दुग्ध एवं दुग्ध सम्पूर्ति

क्र0सं0	विकास खण्ड/ संसदीय क्षेत्र/ जनपद	ग्रामीण क्षेत्र-समितियों की संख्या	ग्रामीण क्षेत्र में समिति के सदस्यों की संख्या	दुग्ध एकत्र करने के केन्द्र, संख्या ग्रामीण क्षेत्र
1	2	3	4	5
1-	हरचन्दपुर	17	482	17
2-	सतॉव	3	90	3
3-	राही	13	505	13
4-	अमॉवा	6	187	6
5-	डलमऊ	-	-	-
6-	जगतपुर	-	-	-
7-	खीरों	-	-	-
8-	सरेनी	-	-	-
9-	लालगंज	11	293	11
10-	महराजगंज	13	555	13
11-	शिवगढ़	8	1409	8
12-	बछरॉवा	9	1005	9
13-	ऊँचाहार	1	30	1
	योग रायबरेली संसदीय क्षेत्र ‡1-13‡	81	4556	81
14-	सलोन	4	148	4
15-	बहादुरपुर	12	393	12
16-	छतोह	2	60	2
17-	डीह	7	236	7
18-	सिंहपुर	4	123	4
19-	तिलोई	8	253	8
	योग अमेठी संसदीय क्षेत्र ‡14-19‡	37	1213	37
	योग जनपद ‡1-19‡	118	5769	118

9- मत्स्य

वर्ष 1987-88 की विकेन्द्रित जिला सेक्टर योजना के लिये विकास खण्डवार आधार भूत आँकड़े, वर्षान्त मार्च, 1986 ।

जनपद-रायबरेली।

क्रमसं0	विकास खण्ड/ संसदीय क्षेत्र/ जनपद	ग्रामीण मछुआ श्रेणी सहकारी समिति संख्या	अँगुलिकाओं का वितरण लाख में	मत्स्य बीज फार्म सं0	राजकीय जलाशय मत्स्यउत्पादन कुन्तलमें	राजकीय जलाशय क्षेत्रफल हे0में	सुधार कार्य पूर्ण हे0में
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	हरचन्दुपुर	-	1.10	-	-	-	5.91
2-	सतॉव	1	1.61	1	5.85	31.50	4.07
3-	राही	1	0.86	-	-	-	2.99
4-	अमॉवा	-	0.83	-	-	-	3.52
5-	डलमऊ	1	1.14	-	-	-	11-74
6-	जगतपुर	-	1.12	-	-	19.40	9.47
7-	खीरों	2	1.01	-	-	-	6.70
8-	सरेनी	-	0.99	-	-	-	3.20
9-	लालगंज	-	1.51	-	-	2.05	6.90
10-	महराजगंज	-	0.32	-	-	-	2.75
11-	शिवगढ़	1	0.43	-	-	-	0.50
12-	बछरॉवा	1	1.26	-	-	-	5.61
13-	ऊँचाहार	2	0.53	-	-	-	2.73
	योग रायबरेली संसदीय (1-13)	9	12.71	1	5.85	52.95	66.09
14-	सलोन	1	1.31	-	-	-	12.83
15-	बहादुरपुर	-	1.22	-	-	-	6.05
16-	छतोह	-	0.97	-	-	-	3.10
17-	डीह	-	1.61	-	-	-	2.13
18-	सिंहपुर	-	1.49	-	-	-	11.16
19-	तिलोई	-	1.16	-	-	-	10.66
	योग अमेठी संसदीय क्षेत्र (14-19)	1	7.76	-	-	-	45.93
	योग जनपद	10	20.47	1	5.85	52.95	112.02

स्रोत:- जिला स्थित मत्स्य पालक विकास अभिकरण।

10- भण्डारण राज्य भण्डारागार निगम द्वारा संचालित:-

क्रoसंo	मद	इकाई	31-3-86 की स्थिति
1-	वेयर हाउस की संख्या नगर में,	संख्या	12
2-	वेयर हाउस की क्षमता ,,	मैoटन लाख	0.18
3-	गोदामों की संख्या ,,	संख्या	12
4-	गोदामों की क्षमता ,,	लाख मीoटन	0.18

नाम विकास खण्ड/ संसदीय क्षेत्र	खण्डवार वेयर हाउसों की संख्या व क्षमता		खण्डवार गोदामों की संo व क्षमता।	
	संख्या	क्षमता (लाख टन में)	संख्या	क्षमता (लाख टन में)
1	2	3	4	5
1- हरचन्दपुर	-	-	-	-
2- सतांव	-	-	-	-
3- राही	6	0.16	-	-
4- अमांवां	-	-	-	-
5- डलमऊ	-	-	-	-
6- जगतपुर	-	-	-	-
7- खीरों	-	-	-	-
8- सरेनी	-	-	-	-
9- लालगंज	3	0.01	-	-
10- महराजगंज	3	0.01	-	-
11- शिवगढ़	-	-	-	-
12- वछरांवां	-	-	-	-
13- ऊँचाहार	-	-	-	-
योग रायबरेली संसदीय क्षेत्र (1-13)	12	0.18	-	-
14- सलोन	-	-	-	-
15- वहादुरपुर	-	-	-	-
16- छतोह	-	-	-	-
17- डीह	-	-	-	-
18- सिंहपुर	-	-	-	-
19- तिलोई	-	-	-	-
योग अमेठी संसदीय क्षेत्र (14-19)	-	-	-	-
योग जनपद (1-19)	12	0.18	-	-

11-सहकारिता

दिनाँक-31-3-86 की स्थिति
धनराशि-हजार रूपये में।

1- जिला सहकारी बैंक

क्र0सं0 विकास खण्ड/ संसदीय क्षेत्र/ जनपद	शाखाएं संख्या	जमाधन राशि ह0रू0	ऋण वितरण अल्पकालीन ह0रू0 (क)	ऋण वितरण मध्यकालीन ह0रू0 (ख)	भूमि विकास बैंक शाखाएं संख्या	भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ह0रू0
1 - 2	3	4	5	6	7	8
हरिचन्दपुर	1	1453	2028	28	-	149
सताँव	1	1154	823	250	-	312
राही	4	30725	2272	236	1	542
अमाँवा	1	159	552	92	-	235
5- डलमऊ	1	3740	909	411	1	691
6- जगतपुर	1	1297	1656	336	-	838
7- खीरों	2	3524	1583	762	-	1080
8- सरेनी	1	1595	1702	238	-	665
9- लालगंज	2	5014	1107	280	1	1283
10- महराजगंज	2	2845	1381	148	1	208
11= शिवगढ़	1	548	833	133	-	99
12- बछराँवा	1	6133	1868	5	1	823
13- ऊँचाहार	1	2710	1190	155	-	163
योग रायबरेली संसदीय क्षेत्र (1-13)	19	60897	17904	3074	5	7088
14- सलोन	1	1432	1300	228	1	257
15- बहादुरपुर	1	1120	917	192	1	326
16- छतोह	2	1416	729	98	-	198
- डीह	1	811	966	383	-	373
सिंहपुर	2	2388	1147	87	-	7
तिलोई	1	2311	976	111	-	70
अमेठी संसदीय क्षेत्र (14-19)	8	9478	6035	1099	2	1231
जनपद	27	70375	23939	4173	7	8319

स्रोत:- जिला स्थित सहकारिता कार्यालय।

दिनाँक-31-3-1986की स्थिति
धनराशि-हजार रुपये में।

2- प्राथमिक ऋण समितियाँ

वर्ष 1987-88 की विकेन्द्रित जिला सेक्टर योजना के लिये विकास खण्डवारआधार भूत आँकड़े, वर्षान्त मार्च, 1986.

जनपद-रायबरेली।

क्र0सं0	विकास खण्ड/ संसदीय क्षेत्र/ जनपद	समिति कीसं0	सदस्योंकी संख्या	अंश पूँजी (रु0)	जमाधनराशि (रु0)	ऋण वितरण(रु0) अल्पकालीन	मध्यकालीन
1	2	9	10	11	12	13	14
1-	हरचन्दपुर	8	11501	772	230	2152	301
2-	सताँव	8	14810	655	68	1589	167
3-	राही	18	15215	1020	135	2195	450
4-	अमाँवा	8	8415	395	75	1786	277
5-	डलमऊ	12	18820	1154	90	3058	371
6-	जगतपुर	12	20115	815	179	2676	281
7-	खीरों	10	13480	654	140	2058	509
8-	सरेनी	12	15870	674	95	2787	212
9-	लालगंज	10	18401	612	92	2040	245
10-	महराजगंज	8	8310	664	85	1633	193
11-	शिवगढ़	7	7180	450	88	1393	192
12-	बछरावाँ	10	15105	922	155	2549	5
13-	ऊँचाहार	13	16450	804	156	1893	198
	योग रायबरेली संसदीय क्षेत्र (1-13)	136	183672	9591	1588	27809	3401
14-	सलोन	13	12320	523	75	2140	264
15-	बहादुरपुर	5	8150	446	65	1267	40
16-	छतोह	8	10208	506	87	1681	182
17-	डीह	8	8005	459	66	1667	580
18-	सिंहपुर	10	10195	475	260	1902	118
19-	तिलोई	10	14320	587	139	1930	136
	योग अमेठी संसदीय क्षेत्र	54	63198	2996	692	10587	1320
	(14-19)	190	246870	12587	2280	38396	4721

स्रोत:- जिला स्थित सहकारिता कार्यालय।

दिनांक-31-3-86 की स्थिति

धनराशि का विवरण-हजार रुपये में।

3- क्रय विक्रय समितियाँ

वर्ष 1987-88 की विकेन्द्रित जिला सेक्टर योजना के लिये विकास खण्डवार आधार भूत आँकड़े, वर्षान्त मार्च, 1986 ।

जनपद-रायबरेली।

क्र0सं0	विकास खण्ड/ संसदीय क्षेत्र/ जनपद	समितिकी संख्या	सदस्याता संख्या	अंशपूँजी ह0रु0	विपणन की गयी वस्तुओंका मूल्य (क) उर्वरक	(ख) बीज	(ग) खाधान्न	(घ) अन्य
1	2	15	16	17	18	19	20	21
1-	हरचन्दपुर	-	-	-	-	-	-	-
2-	सतॉव	-	-	-	-	-	-	-
3-	राही	1	69	179	-	-	-	1230
4-	अमॉवा	-	-	-	-	-	-	-
5-	डलमऊ	-	-	-	-	-	-	-
6-	जगतपुर	-	-	-	-	-	-	-
7-	खीरों	-	-	-	-	-	-	-
8-	सरेनी	-	-	-	-	-	-	-
9-	लालगंज	1	6677	316	-	-	1010	2385
10-	महराजगंज	-	-	-	-	-	-	-
11-	शिवगढ़	-	-	-	-	-	-	-
12-	बछरॉवा	1	217	125	-	-	-	1534
13-	ऊँचाहार	-	-	-	-	-	-	-
	योग रायबरेली संसदीय क्षेत्र (1-13)	3	6963	620	-	-	1010	5149
14-	सलोन	-	-	-	-	-	-	-
15-	बहादुरपुर	-	-	-	-	-	-	-
16-	जतोह	1	6958	605	-	-	-	805
17-	डीह	-	-	-	-	-	-	-
18-	सिंहपुर	-	-	-	-	-	-	-
19-	तिलोई	-	-	-	-	-	-	-
	योग अमेठी संसदीय क्षेत्र (14-19)	1	6958	605	-	-	-	805
	जनपद (1-19)	4	13921	1225	-	-	1010	5954

स्रोत:- जिला स्थित सहकारिता कार्यालय।

11-सहकारिता (क्रमशः:)

दिनांक 31-3-86 की स्थिति
धनराशि-हजार रुपये में।

4-सहकारी विधायन समितियाँ

वर्ष 1987-88 की विकेन्द्रित जिला सेक्टर योजना के लिये विकास खण्डवार आधार भूत आंकड़े, वर्षान्त मार्च, 1986
जनपद-रायबरेली।

क्र0सं0	विकास खण्ड/ संसदीय क्षेत्र/ जनपद	समिति संख्या	सदस्या संख्या	अंशपूंजी ह0रु0	विधायन की गयी वस्तुओं का मूल्य ह0रु0
1	2	22	23	24	25
1-	हरचन्दपुर	-	-	-	-
2-	सतॉव	-	-	=	-
3-	राही	-	-	-	-
4-	अमॉवा	-	-	-	-
5-	डलमऊ	-	-	-	-
6-	जगतपुर	-	-	-	-
7-	खीरों	-	-	-	-
[illegible]-	सरेनी	-	-	-	-
[illegible]-	लालगंज	-	-	-	-
[illegible]-	महराजगंज	-	-	-	-
[illegible]-	शिवगढ़	-	-	-	-
[illegible]-	बछरॉवा	-	-	-	-
[illegible]-	ऊँचाहार	-	-	-	-
	योग रायबरेली संसदीय क्षेत्र (1-13)	-	-	-	-
14-	सलोन	=	-	-	-
15-	बहादुरपुर	-	-	-	-
16-	छतोह	-	-	-	-
17-	डीह	-	-	-	-
18-	सिंहपुर	-	-	-	-
19-	तिलोई	-	-	-	-
	योग अमेठी संसदीय क्षेत्र (14-19)	-	-	-	-
	योग जनपद (1-19)	-	-	-	-

स्रोत:- जिला स्थित सहकारिता कार्यालय।

5- उपभोक्ता सहकारि समि० दिनाँक 31-3-86 की स्थिति
धनराशि-हजार रुपये में।

वर्ष 1987-88 की विकेन्द्रित जिला सेक्टर योजना के लिये विकास खण्डवार आधार भूत आँकड़े, वर्षान्त मार्च, 1986 ।
जनपद-रायबरेली।

क्र०सं० विकास खण्ड/संसदीय क्षेत्र जनपद	समिति संख्या	सदस्यता संख्या	अंश पूँजी ह०रू०	विक्रय की गयी वस्तुओं का मूल्य ह०रू० में
1 2	26	27	28	29
1- हरचन्दपुर	-	-	-	-
2- सताँव	-	-	-	-
3- राही	2	841	14	627
4- अमाँवा	-	-	-	-
5- डलमऊ	-	-	-	-
6- जगतपुर	-	-	-	-
7- खीरों	-	-	-	-
8- सरेनी	-	-	-	-
9- लालगंज	-	-	-	-
10- महराजगंज	-	-	-	-
11- शिवगढ़	-	-	-	-
12- बछरावाँ	-	-	-	-
13- ऊँचाहार	-	-	-	-
योग रायबरेली संसदीय क्षेत्र (1-13)	2	841	14	627
14-सलोन	"	-	-	-
15- बहादुरपुर	-	-	-	-
16- छतोह	-	-	-	-
17- डीह	-	-	-	-
18- सिंहपुर	-	-	-	-
19- तिलोई	1	125	3	-
योग अमेठी संसदीय क्षेत्र (14-19)	1	125	3	-
योग जनपद	3	966	17	627

स्रोत:- जिला स्थित सहकारिता कार्यालय।

12- विद्युत:-

क्रमसं०	मद	इकाई	31-3-86 तक की स्थिति
1-	विद्युत का उपभोग	हजार कि०वा० घण्टा	81467
2-	विद्युत का विभिन्न कार्यों में उपभोग:-		
	(क) घरेलू एवं वाणिज्यिक	,, ,,	8221
	(ख) औद्योगिक शक्ति	,, ,,	57045
	(ग) सिंचाई कार्यों को कि० वा० घण्टे सम्मलित करते हुए ।	,, ,,	15985
	(घ) अन्य-	,, ,,	216
3-	उपरोक्त मदों "क" से "घ" में प्रति व्यक्ति उपभोग-	,, ,,	58-85
5-	वितरण लाइनों की लम्वाई-		
	(क) 11 कि०मी०	किमी०	3902-617
	(ख) 33 कि०मी०	,,	595-340
	(ग) अन्य (33 के०वी०)	,,	0.490
2-	लो टेनसन लाइन	,,	1806-967
3-	विद्युतीकृत ग्राम	सं० सा०वी०स० के अनुसार	(एल०टी०मेन्स द्वारा)
1-	ग्रामों की संख्या-	1725	667
2-	कुल ग्रामों का प्रतिशत	100	38-67
6-	हरिजन वस्तियों का विद्युतीकरण -	संख्या	1585
7-	औद्योगिक कनेक्शन	,,	1333
	1-ग्रामीण-	,,	1012
	2-शहरी-	,,	321
8-	विद्युतीकृत ट्यूबवेलों/ पम्पिंग सेटों की संख्या-	,,	9233
	1-राजकीय	,,	317
	2-निजी-	,,	8916

-:-

दिनाँक 31-3-1986 की स्थिति

वर्ष 1987-88 की विकेन्द्रित जिला सेक्टर योजना के लिये विकास खण्डवार आधार भूत आँकड़े, वर्षान्त मार्च, 1986 ।

क्र0 सं0	विकास खण्ड/ संसदीय क्षेत्र/ जनपद	ग्रामीण एवं लघु उद्योग				औद्योगिक आस्थान		
		लघु उद्योग		असंगठित क्षेत्र				
		कार्यरत इकाई सं0	कार्यरत व्यक्ति सं0	कार्यरत इकाई सं0	कार्यरत व्यक्ति सं0	अधिगृहीत भूमि का विकास ह0हे0	रोडों का निर्माण संख्या	कार्यरत इकाई संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ-	नगरीय क्षेत्र में	296	2485	851	105	-	-	-
ब-	ग्रामीण क्षेत्र में							
1-	हरचन्दपुर	30	514	120	50	-	-	-
2-	सताँव	27	135	6	20	-	-	-
3-	राही	39	162	52	20	-	-	-
4-	असाँवा	24	139	3	6	-	-	-
5-	डलमऊ	30	143	61	66	-	-	-
6-	जगतपुर	68	318	59	62	-	-	-
7-	खीरों	32	158	27	34	-	-	-
8-	सरेनी	28	137	16	20	-	-	-
9-	लालगंज	36	156	112	162	-1	-4	-
10-	महराजगंज	30	140	45	50	1	4	-
11-	शिवगढ़	28	388	84	100	-	-	-
12-	बछराँवा	74	768	125	150	1	10	-
13-	ऊँचाहार	30	150	58	150	-	-	-
	योग रायबरेली संसदीय क्षेत्र (1-13)	772	5793	1619	995	3	18	-
14-	सलोन	38	167	264	300	1	4	-
15-	बहादुरपुर	47	207	91	100	1	4	1
16-	छतोह	25	119	33	50	1	4	-
17-	डीह	36	158	45	50	-	-	-
18-	सिंहपुर	52	266	35	67	1	4	-
19-	तिलोई	42	174	81	150	1	4	-
	ोग अमेठी संसदीय क्षेत्र (14-19)	240	1091	549	717	5	20	1
	ोग जनपद (1-19)	1012	6884	2168	1712	8	38	1

ोत:- जिला स्थित उद्योग कार्यालय।

~~दिनांक 31-3-1986 की स्थिति~~

2- हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग

वर्ष 1987-88 की विकेन्द्रित जिला सेक्टर योजना के लिये विकास खण्डवार आधार भूत आँकड़े, वर्षान्त मार्च, 1986 ।

जनपद-रायबरेली।

क्र0सं0	विकास खण्ड/ संसदीय क्षेत्र/ जनपद	सहकारी क्षेत्र में लगाये गये हथकरघा उद्योग संख्या	बुनकर सहकारी समितियों का गठन संख्या	हथकरघा वस्त्र उत्पादन (लाख मी0)	रेशम कोया का उत्पादन किग्रा0	टसर कोया उत्पादन किग्रा0	वृहद एवं मध्यम उद्योग: उद्योग संख्या	कार्यरत व्यक्ति संख्या
1	2	10	11	12	13	14	15	16
1-	हरचन्दपुर	-	-	-	-	-	-	-
2-	सताँव	30	1	0.54	-	-	2	200
3-	राही	40	1	0.36	-	-	-	-
4-	अमाँवा	-	-	-	-	-	-	-
5-	डलमऊ	-	-	-	-	-	-	-
6-	जगतपुर	60	-	1.08	-	-	-	-
7-	खीरों	50	-	0.90	-	-	-	-
8-	सरेनी	-	-	-	-	-	-	-
9-	लालगंज	50	-	0.90	-	-	-	-
10-	महराजगंज	-	-	-	-	-	-	-
11-	शिवगढ़	-	-	-	-	-	-	-
12	बछरावाँ	-	-	-	-	-	-	-
13-	ऊँचाहार	30	-	0.36	-	-	-	-
	योग रायबरेली संसदीय क्षेत्र (1-13)	260	2	4.14	-	-	2	200
14-	सलोन	315	-	3.60	-	-	-	-
15-	बहादुरपुर	-	-	-	-	-	-	-
16-	जतोह	-	-	-	-	-	-	-
17-	डीह	-	-	-	-	-	-	-
18-	सिंहपुर	-	-	-	-	-	-	-
19-	तिलोई	-	-	-	-	-	-	-
	योग अमेठी संसदीय क्षेत्र (14-19)	315	-	3.60	-	-	-	-
	नगरीय क्षेत्र में	-	-	-	-	-	14	11226
	योग समस्त जनपद	575	2	7.74	-	-	16	11426

स्रोत:- जिला स्थित उद्योग कार्यालय ।

14- सड़कें, विकास खण्डवार

दिनांक 31.3.8[illegible] की स्थिति

क्र0सं0	विकास खण्ड/ संसदीय क्षेत्र जनपद	नयी व 85-86 में स्वीकृत	पुरानी वर्तमान लेपित	सड़के किमी0 पक्की खरंजा	कच्ची खरंजा	जिला परिषद पक्की	कच्ची
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	हरचन्दपुर	-	42.00	1.00	-		
2-	सताँव	-	57.00	9.00	-		
3-	राही	-	51.00	17.00	-		
4-	अमाँवा	-	39.00	11.00	4.00		
5-	डलमऊ	-	60.00	19.00	-		
6-	खीरों	-	47.00	9.00	-		
7-	जगतपुर	-	63.00	8.00	-		
8-	सरेनी	-	51.00	10.00	-		
9-	लालगंज	-	60.00	16.00	-		
10-	महराजगंज	-	52.00	11.00	-		
11-	शिवगढ़	-	18.00	11.00	-		
12-	बछरावाँ	-	65.00	10.00	6.00		
13-	ऊँचाहार	-	52.00	9.00			
	योग रायबरेली संसदीय क्षेत्र (1-13)	-	657.00	141.00	10.00		
14-	सलोन	-	93.00	19.00	6.00		
15-	बहादुरपुर	-	54.00	21.00	-		
16-	छतोह	-	20.00	40.00	-		
17-	सिंहपुर	-	38.00	33.00	-		
18-	डीह	-	44.00	32.00	-		
19-	तिलोई	2.8	65.00	15.00	-		
	योग अमेठी संसदीय क्षेत्र (14-19)	2.8	314.00	160.00	6.00		
	योग जनपद	2.8	971.00	301.00	16.0		

नोटः- वर्ष 85-86 में जिला योजना के अन्तर्गत मोहनगंज [illegible] मार्ग [illegible] फुना मार्ग तथा पूरे इच्छा सिंह जलालपुर धई मार्ग पर पुराने पुलियों निर्माण स्वीकृत हुआ है।

2- कच्चे मार्गों में केवल वही मार्ग लिये गये हैं जो कच्चे स्तर तक स्वीकृत हैं।

3- उक्त सूचना के स्तम्भ 3 से 6 तक में जिला परिषद के मार्ग भी सम्मिलित हैं।

15-शिक्षा

1- विभिन्न विद्यालयों की संख्या 31-3-86 की स्थिति (रायबरेली)

क्र0सं0 विकास खण्ड/ संसदीय क्षेत्र/ जनपद	प्राइमरी स्कूल संख्या	सी0बे0स्कूल संख्या	हायर सेकेन्डरी	डिग्री कालेज संख्या	विश्वविद्यालय संख्या
1 2	3	4	5	6	7
1- हरचन्दपुर	49	11	3	-	-
2- सतॉव	65	17	2	-	-
3- राही	63	16	2	-	-
4- अमॉवा	46	6	-	-	-
5- डलमऊ	64	17	1	-	-
6- जगतपुर	77	12	2	-	-
7- खीरों	63	14	2	-	-
8- सरेनी	76	18	9	1	-
9- लालगंज	70	20	2	-	-
10- महराजगंज	54	11	1	-	-
11- शिवगढ़	44	9	2	-	-
12- बछरॉवा	52	20	1	-	-
13- ऊँचाहार	65	15	2	1	-
योग रायबरेली संसदीय क्षेत्र (1-13)	788	186	30	2	-
14- सलोन	67	11	1	-	-
15- बहादुरपुर	34	7	1	-	-
16- छतोह	40	10	-	-	-
17- डीह	48	11	2	-	-
18- सिंहपुर	66	14	1	-	-
19- तिलोई	62	12	2	-	-
योग अमेठी संसदीय क्षेत्र (14-19)	317	65	7	-	-
नगरीय क्षेत्र	28	13	18	4	-
योग जनपद (1-19)	1133	264	55	6	-

नोट:- विकास खण्ड डलमऊ, लालगंज, सलोन, महराजगंज तथा बछरॉवा की शिक्षा संस्थान नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित हो गयी है।

क्र0सं0	विकास खण्ड/ संसदीय क्षेत्र/ जनपद	छात्र छात्राओं की सं0 प्राइमरी पाठशालायें		सीनियर बेसिक विद्यालय	
		छात्र	छात्रायें	छात्र	छात्रायें
1	2	8	9	10	11
1-	हरचन्दपुर	6901	3179	610	204
2-	सतॉव	9267	4587	1649	434
3-	राही	9203	3567	1703	427
4-	अमावाँ	4438	2033	252	64
5-	डलमऊ	8661	4409	1730	575
6-	जगतपुर	9363	4423	1432	459
7-	खीरों	7164	5447	2656	707
8-	सरेनी	11159	5603	1929	755
9-	लालगंज	9943	5531	3102	1307
10-	महराजगंज	6697	3063	722	146
11-	शिवगढ़	5739	3968	383	112
12-	बछरावाँ	8259	4149	925	329
13-	ऊँचाहार	9353	2901	1153	358
	योग रायबरेली संसदीय क्षेत्र(1-13)	106157	52960	18336	5877
14-	भादर	8044	4210	1064	181
15-	बहादुरपुर	4211	1671	666	84
16-	छनोह	4748	1681	733	91
17-	जायस	6045	2181	803	98
18-	सिंहपुर	8761	2753	1192	125
19-	तिलोई	7347	2106	511	107
	योग अमेठी संसदीय क्षेत्र (14-19)	39156	14602	4969	686
	नगरीय क्षेत्र	3801	2051	160	128
	योग जनपद(1-19)	149114	69613	23465	6691

क्र०सं०	विकास खण्ड/ संसदीय क्षेत्र/ जनपद	हायर सेकेन्ड्री स्कूल		डिग्री कालेज		विश्वविद्यालय	
		छात्र सं०	छात्राएं सं०	छात्र सं०	छात्राएं संख्या	छात्र संख्या	छात्राएं संख्या
1	2	12	13	14	15	16	17
1-	हरचन्दपुर	3306	390				
2-	सतांव	2946	481				
3-	राही	396	67				
4-	अमावां	–	706				
5-	डलमऊ	3916	461				
6-	जगतपुर	3591	498				
7-	खीरों	2406	312				
8-	सरेनी	5806	804	508	83		
9-	लालगंज	6913	1206	415	76		
10-	महराजगंज	817	220	–	–	–	–
11-	शिवगढ़	2491	366	–	–	–	–
12-	बछरावां	2688	542	264	21		
13-	ऊँचाहार	2373	320	180	74		
	योग रायबरेली संसदीय क्षेत्र (1-13)	37649	6373	1367	254	–	–
14-	सलोन	1906	402	318	74		
15-	बहादुरपुर	916	412	–	–	–	–
16-	छतोह	–	–	–	–	–	–
17-	डीह	518	76	–	–	–	–
18-	सिंहपुर	517	33	–	–	–	–
19-	तिलोई	3641	460	–	–	–	–
	योग अमेठी संसदीय क्षेत्र (14-19)	7498	1383	318	74	–	–
	नगरीय क्षेत्र	12462	4306	2660	698	–	–
	योग जनपद (1-19)	57609	12062	4345	1026	–	–

15 – शिक्षा (क्रमशः) 241

क्र0सं0	विकास खण्ड/ संसदीय क्षेत्र/ जनपद	ग्रामों की संख्या: प्राइमरी स्कूल नहीं है	जू0हा0स्कूल नहीं है	प्रा0स्कूल भवन नहीं है	जू0हा0स्कूल भवन नहीं है
1	2	18	19	20	21
1–	हरचंदपुर	30	[illegible]	12	1
2–	सताँव	6	[illegible]	10	1
3–	राही	37	92	17	1
4–	अमावाँ	37	82	14	1
5–	डलमऊ	60	[illegible]	16	1
6–	जगतपुर	49	121	12	2
7–	खीरों	30	86	11	2
8–	सरेनी	65	136	12	1
9–	लालगंज	23	83	13	2
10–	महराजगंज	28	72	10	2
11–	शिवगढ़	14	59	9	1
12–	बछरावाँ	44	57	12	4
13–	ऊँचाहार	61	137	13	2
	योग रायबरेली संसदीय क्षेत्र (1-13)	[illegible]	1142	161	21
14–	सलोन	33	122	17	2
15–	बहादुरपुर	16	47	17	1
16–	छतोह	18	52	12	2
17–	डीह	13	65	19	1
18–	सिंहपुर	12	71	11	4
19–	तिलोई	31	79	33	3
	योग अमेठी संसदीय क्षेत्र (14-19)	123	436	109	13
	योग जनपद	607	1578	270	34

दिनांक 31-3-8

क्र0सं0	विकास खण्ड/ संसदीय क्षेत्र/ जनपद	अनुसूचित जाति/जनजाति विद्यार्थियों की संख्या			
		प्राइमरी पाठशालायें		सी0बेसिक विद्यालय	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका
1	2	22	23	24	25
1-	हरचंदपुर	2538	711	139	71
2-	सतांव	2060	910	305	62
3-	राही	2141	712	239	28
4-	अमावां	1218	709	210	45
5-	डलमऊ	2012	715	271	55
6-	जगतपुर	1300	730	275	44
7-	खीरों	2204	712	468	98
8-	सरेनी	2112	715	317	78
9-	लालगंज	2257	716	639	204
10-	महराजगंज	1752	612	134	16
11-	शिवगढ़	1805	740	122	25
12-	बछरावाँ	2250	815	321	13
13-	ऊँचाहार	2750	909	168	12
	योग रायबरेली संसदीय क्षेत्र (1-13)	26399	9755	3608	751
14-	सलोन	2212	960	221	20
15-	बहादुरपुर	17 41	615	146	6
16-	छतोह	1118	741	169	8
17-	डीह	1913	760	150	17
18-	सिंहपुर	2150	815	243	10
19-	तिलोई	1820	711	128	36
	योग अमेठी संसदीय क्षेत्र (14-19)	10954	4602	1057	97
	नगरीय क्षेत्र	1211	601	161	18
	योग जनपद (1-19)	38564	14958	4826	866

15–शिक्षा (क्रमशः)

क्र०सं०	विकास खण्ड/ अनु०जाति/ जनजाति के निवासियों की संख्या संसदीय क्षेत्र/ जनपद	हायर सेकेण्ड्री स्कूल छात्र सं०	छात्राएँ सं०	शिक्षक सं०	डिग्री कालेज छात्राएँ सं०	[illegible]	[illegible]
1	2	26	27	28	29	30	31
1–	हरचन्दपुर	360	[illegible]	–	–	–	–
2–	सतॉव	382	66	–	–	–	–
3–	राही	85	59	–	–	–	–
4–	अमॉवा	706	58	–	–	–	–
5–	डलमऊ	492	104	–	–	–	–
6–	जगतपुर	478	24	–	–	–	–
7–	खीरों	411	65	–	–	–	–
8–	सरेनी	812	108	8	–	–	–
9–	लालगंज	1208	73	86	18	–	–
10–	महराजगंज	396	44	–	–	–	–
11–	शिवगढ़	721	48	–	–	–	–
12–	बछरावाँ	481	48	18	–	–	–
13–	ऊँचाहार	295	38	–	–	–	–
योग–रायबरेली संसदीय क्षेत्र (1-13)		6767	776	192	18	–	–
14–	सलोन	428	48	65	26	–	–
15–	बहादुरपुर	376	46	–	–	–	–
16–	छतोह	–	–	–	–	–	–
17–	डीह	28	21	–	–	–	–
18–	सिंहपुर	213	08	–	–	–	–
19–	तिलोई	382	38	–	–	–	–
योग अमेठी संसदीय क्षेत्र (14-19)		1427	161	65	26	–	–
	नगरीय क्षेत्र	2181	486	498	54	–	–
योग जनपद (1-19)		10375	1453	755	98	–	–

16- चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य

दिनाँक 31-3-86 की स्थिति

क्र0सं0	विकास खण्ड/ संसदीय क्षेत्र/ जनपद	एलोपैथिक अस्पताल एवं औषधालयों की संख्या	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	होम्योपैथिक अस्पताल की संख्या	होम्योपैथिक डिस्पेंसरी	आयुर्वैदिक/यूनानी अस्पताल	आयुर्वैदिक/यूनानी डिस्पेंसरी
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	हरचन्दपुर	3	1	-	2	-	2
2-	सताँव	1	1	-	1	-	5
3-	राही	-	1	-	1	-	3
4-	अमावाँ	-	1	-	1	-	-
5-	डलमऊ	2	-	-	1	-	2
6-	जगतपुर	2	1	-	1	-	4
7-	खीरों	4	1	-	1	-	3
8-	सरेनी	4	1	-	2	-	3
9-	लालगंज	4	-	-	-	-	2
10-	महराजगंज	1	-	-	2	-	2
11-	शिवगढ़	3	-	-	-	-	1
12-	बछरावाँ	1	-	-	2	-	4
13-	ऊँचाहार	2	1	-	1	-	4
	योग रायबरेली संसदीय क्षेत्र (1-13)	27	8	-	15	-	35
14-	सलोन	1	-	-	2	-	2
15-	बहादुरपुर	-	1	-	-	-	-
16-	छतोह	-	-	-	2	-	2
17-	डीह	-	1	-	1	-	4
18-	सिंहपुर	2	1	-	3	-	2
19-	तिलोई	2	1	-	1	-	2
	योग अमेठी संसदीय क्षेत्र	5	4	-	9	-	12
	योग नागरीय	21	5	-	4	-	7
	योग जनपद	53	17	-	28	-	54

16-चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य क्रमशः

2- शैयायें — दिनांक 31-3-86 की स्थिति

क्र0सं0	विकास खण्ड/ संसदीय क्षेत्र/ जनपद	एलोपैथिक अस्पताल/ औषधालय तथा प्रा0स्वा0 केन्द्र में शैयाओं की सं0	होम्योपैथिक औषधालय	होम्यो0 डिस्पेंसरी	आयुर्वेदिक अस्पताल	आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी
1	2	3	10	11	12	13
1-	हरचन्दपुर	20	–	–	–	8
2-	सतॉव	10		–	–	4
3-	राही	6	–	–	–	8
4-	अमॉवा	–	–	–	–	–
5-	डलमऊ	[illegible]	–	–	–	8
6-	जगतपुर	10	–	–	–	8
7-	खीरों	40	–	–	–	12
8-	सरेनी	24	–	–	–	4
9-	लालगंज	24	–	–	–	–
10-	महराजगंज	8	–	–	–	8
11-	शिवगढ़	12	–	–	–	–
12-	बछरॉवा	10	–	–	–	12
13-	ऊँचाहार	16	–	–	–	4
	योग रायबरेली संसदीय क्षेत्र (1-13)	194	–	–	–	76
14-	सलोन	4	–	–	–	–
15-	बहादुरपुर	6	–	–	–	4
16-	छतोह	–	–	–	–	4
17-	डीह	6	–	–	–	4
18-	सिंहपुर	14	–	–	–	–
19-	तिलोई	34	–	–	–	4
	योग अमेठी संसदीय क्षेत्र (14-19)	64	–	–	–	16
	योग नगरीय	497	–	–	–	16
	योग जनपद (1-19)	755	–	–	–	108

16-क्रमशः

3- विभिन्न बीमा[illegible] सम्ब[illegible] [illegible]पताल[illegible]

क्रम0सं0	विकास खण्ड/ संसदीय क्षेत्र/ जनपद	क[illegible] संख्या	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	14	15	16	17
1-	हरचन्दपुर				
2-	सताँव				
3-	राही				
4-	अमावाँ				
5-	डलमऊ				
6-	जगतपुर				
7-	खीरों				
8-	सरेनी				
9-	लालगंज				
10-	महराजगंज				
11-	शि[illegible]गढ़				
12-	बछरावाँ				
13-	ऊँचाहार				
	योग रायबरेली संसदीय क्षेत्र (1-13)				
14-	सलोन				
15-	बहादुरपुर				
16-	छतोह				
17-	डीह				
18-	सिंहपुर				
19-	तिलोई				
	योग अमेठी संसदीय क्षेत्र				
	योग नगरीय	1	-	1	1
	योग जनपद (1-19)	1	-	1	1

16 ॥क्रमशः

4- विभिन्न बीमारियों से सम[illegible] अस[illegible] में [illegible]

[illegible] ३-८८ [illegible] स्थिति

क्र0सं0	विकास खण्ड/ संसदीय क्षेत्र जनपद	॥क॥ टी0बी0 संख्या	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	[illegible]			
1-	हरचन्दपुर	–	–	–	–
2-	सतॉव	–	–	–	–
3-	राही	–	–	–	–
4-	अमॉवा	–	–	–	–
5-	डलमऊ	–	–	–	–
6-	जगतपुर	–	–	–	–
7-	खीरों	–	–	–	–
8-	सरेनी	–	–	–	–
9-	लालगंज	–	–	–	–
10-	महराजगंज	–	–	–	–
11-	शिवगढ़	–	–	–	–
12-	बछरॉवा	–	–	–	–
13-	ऊँचाहार	–	–	–	–
	योग रायबरेली संसदीय क्षेत्र ॥1-13॥	–	–	–	–
14-	सलोन	–	–	–	–
15-	बहादुरपुर	–	–	–	–
16-	छतोह	–	–	–	–
17-	डीह	–	–	–	–
18-	सिंहपुर	–	–	–	–
19-	तिलोई	–	–	–	–
	योग अमेठी संसदीय क्षेत्र	–	–		–
	नगरीय क्षेत्र	36	–	10	–
	योग जनपद	36	–	10	–

16– (क्रमश:)

दिनांक [illegible]–3–86 की स्थिति

5– प्रा0स्वा0केन्द्र 6–परिवार कल्याण

क्र0सं0	विकास खण्ड/ संसदीय क्षेत्र/ जनपद	प्रा0स्वा0 केन्द्र संख्या	(क) परिवार (ख) कल्याण [illegible] कुल [illegible]	[illegible]	(ग) आई0यू0सी0 [illegible]
1	2	22	23	[illegible]	[illegible]
1–	हरचन्दपुर	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2–	सतॉव	1	1	33	[illegible]
3–	राही	1	1	193	581
4–	अमॉवा	1	1	113	[illegible]
5–	डलमऊ	1	1	158	[illegible]
6–	जगतपुर	1	1	134	577
7–	खीरों	1	1	121	[illegible]7
8–	सरेनी	1	1	122	359
9–	लालगंज	1	1	97	386
10–	महराजगंज	1	1	273	203
11–	शिवगढ़	–	1	45	102
12–	बछरॉवा	1	1	192	413
13–	ऊँचाहार	1	1	316	366
	योग रायबरेली संसदीय क्षेत्र(1–13)	12	12	1933	4498
14–	सलोन	1	1	176	355
15–	बहादुरपुर	1	1	262	305
16–	छतोह	–	–	63	141
17–	डीह	1	1	98	156
18–	सिंहपुर	1	1	148	209
19–	तिलोई	1	1	240	291
	योग रायबरेली संसदीय क्षेत्र(14–19)	5	5	987	1457
	योग जनपद(1–19)	17	17	2920	5955

Last column (आई0यू0सी0) values, rows 1–19 and totals:

क्र0सं0	आई0यू0सी0
1–	[illegible]
2–	398
3–	885
4–	975
5–	1328
6–	1081
7–	797
8–	866
9–	997
10–	766
11–	192
12–	[illegible]
13–	1205
योग (1–13)	11904
14–	940
15–	1000
16–	185
17–	555
18–	932
19–	908
योग (14–19)	4520
योग जनपद (1–19)	16424

17 : प्राविधिक शिक्षा

दिनांक 31-3-86 की स्थिति

1- डिग्री स्तर की संस्थाएं			2- डिप्लोमास्तर की संस्थाएं		
क- संख्या	प्रवेश क्षमता	वास्तविक भर्ती	(क) संख्या	(ख) प्रवेश क्षमता	वास्तविक भर्ती
जनपद का योग			2	700	700

18 प्रमाण-पत्र (आई0टी0आई0)

आई0टी0आई0	प्रवेश क्षमता	वास्तविक भर्ती	उत्तीर्ण
महिला	160	114	110
पुरुष	532	699	508

19- जल निगम

1- 1- जल सम्पूर्ति एवं जल निस्तारण 31-3-86 की स्थिति

(1) नगरी जल सम्पूर्ति एवं जल निस्तीरण	संख्या	नगर का नाम	नगर की लाभान्वित जनसंख्या (हजार में)
(क) पाइप द्वारा	9	रायबरेली	90
		बछरावाँ	37
		महराजगंज	33
		सलोन	20
		जायस	15
		लालगंज	38
		डलमऊ	32
		परसदेपुर	9
		ऊँचाहार	19
(ख) हैण्ड पाइप द्वारा	-	-	-
(ग) जल निस्तारण	1	रायबरेली	90
(घ) शुष्क शौचालयों का स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तन	-	-	-

19-जल निगम (क्रमशः)

(2) ग्रामीण जल सम्पूर्ति सामान्यतः प्रयोगों में लाये गये ... श्रोतों के अनुसार ग्राम तथा जनसंख्या लाभान्वित (हजार में)

क्र0सं0	विकास खण्ड/ संसदीय क्षेत्र/ जनपद	हैण्ड पाइपद्वारा		पाइप द्वारा		... कुओं द्वारा	
		ग्राम सं0	जनसंख्या	ग्राम सं0	जनसंख्या	ग्राम सं0	जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	हरचन्दपुर	20	सूचना	20	40	-	-
2-	सतॉव	33	मद	10	52	-	-
3-	राही	47		8	51	-	-
4-	अमॉवा	16	6 में	4	5	-	-
5-	डलमऊ	31	सम्मिलित	26	34	-	-
6-	जगतपुर	41	है।	30	47	-	-
7-	खीरों	24		26	54	-	-
8-	सरेनी	5		122	120	-	-
9-	लालगंज	15		68	38	-	-
10-	महराजगंज	15		17	33	-	-
11-	शिवगढ़	16		18	5	-	-
12-	बछरॉवा	7		23	5	-	-
13-	ऊँचाहार	63		44	38	-	-
	योग-रायबरेली संसदीय क्षेत्र (1-13)	333		421	564	-	-
14-	सलोन	77		21	66	-	-
15-	बहादुरपुर	4		43	52	-	-
16-	छतोह	4		40	25	-	-
17-	डीह	13		28	39	-	-
18-	सिंहपुर	5		63	141	-	-
19-	तिलोई	36		37	53	-	-
	योग-अमेठी संसदीय क्षेत्र (14-19)	139		232	376	-	-
	योग जनपद (1-19)	472		653	930	-	-

19-जल निगम
19 (2) (क्रमश:)

क्र०सं० विकास खण्ड/ संसदीय क्षेत्र/ जनपद	डिग्गी द्वारा		प्राकृतिक झीलों द्वारा	
	ग्राम सं०	जनसंख्या	ग्राम सं०	जनसंख्या
1- हरचन्दपुर	-	-	-	-
2- सतॉव	-	-	-	-
3- राही	-	-	-	-
4- अमॉवा	-	-	-	-
5- डलमऊ	-	-	-	-
6- जगतपुर	-	-	-	-
7- खीरों	-	-	-	-
8- सरेनी	-	-	-	-
9- लालगंज	-	-	-	-
10- महराजगंज	-	-	-	-
11- शिवगढ़	-	-	-	-
12- बछरॉवा	-	-	-	-
13- ऊँचाहार	-	-	-	-
योग रायबरेली संसदीय क्षेत्र (1-13)	-	-	-	-
14- सलोन	-	-	-	-
15- बहादुरपुर	-	-	-	-
16- छतोह	-	-	-	-
17- डीह	-	-	-	-
18- सिंहपुर	-	-	-	-
19- तिलोई	-	-	-	-
योग अमेठी संसदीय क्षेत्र (14-19)	-	-	-	-
योग जनपद	-	-	-	-

9 (3) नगरों की संख्या जिनमें पाइप द्वारा जल सम्पूर्ति नहीं है —

19-जल निगम ॥क्रमशः॥

19॥4॥ ग्रामों की संख्या जिनमें पीने के पानी की सुविधा है अथवा नही है।

क्र0सं0	विकास खण्ड/ संसदीय क्षेत्र/ जनपद	पाइप अथवा पम्प द्वारा पीने के पानी की सुविधा नहीं है ग्रामों की संख्या	ग्रामों की संख्या जिनमें हैण्ड पम्प अथवा पाइप द्वारा जल सम्पूर्ति होती है।
1	2	3	4
1-	हरचन्दपुर	39	40
2-	सतॉव	26	43
3-	राही	46	55
4-	अमॉवा	64	20
5-	डलमऊ	66	57
6-	जगतपुर	58	71
7-	खीरों	43	50
8-	सरेनी	17	127
9-	लालगंज	5	83
10-	महराजगंज	43	32
11-	शिवगढ़	28	34
12-	बछरॉवा	31	35
13-	ऊँचाहार	38	107
	योग रायबरेली संसदीय क्षेत्र॥1-13॥	504	754
14-	सलोन	31	98
15-	बहादुरपुर	3	47
16-	छतोह	14	44
17-	डीह	29	41
18-	सिंहपुर	10	68
19-	तिलोई	9	73
	योग अमेठी संसदीय क्षेत्र ॥14-19॥	96	371
	योग जनपद ॥1-19॥	600	1125

19॥5॥ कुल ग्रामों की संख्या जिनमें जल सम्पूर्ति होती है 1125

॥I॥ ग्रामों की संख्या जिनमें पाइप द्वारा जल सम्पूर्ति होती है 653

॥II॥ जिनमें हैण्ड पम्प द्वारा जल सम्पूर्ति होती है 472

॥III॥ ग्रामों की संख्या जिनमें पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिये पानी की सुविधा है। 95

विकास खण्डवार ग्रामों का नाम, कोड सं0 जनसंख्या तथा लाभान्वित योजनावार अभावग्रस्त तथा सामान्य ग्रामों की सूची का विवरणः-

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	कुल सं0	राजस्व ग्रामों का नाम	कोड सं0	जनसंख्या 1971 की जनगणनानुसार	योजना का नाम जिससे ग्राम लाभान्वित किया गया
1	2	3	4	5	6	7
1-	हरचन्दपुर		(अ) अभावग्रस्त ग्राम			
1-			मदन टूसी	1	441	पश्चिम गाँव पे0यो0
2-			पश्चिम गाँव	2	2409	,,
3-			जोहवा हिसार	3	771	जोहवा सर्की पे0यो0
4-			तारा रिरौला	7	1591	पश्चिम गाँव पे0यो0
5-			पासी टूसी	5	324	,,
6-			सरायकुर्मी उर्मी	9	1103	इण्डिया मार्क-II है0प0
7-			जोहवा सर्की	10	4831	जोहवासर्की प0यो0
8-			कामेपुर	11	394	"
9-			वाला	14	1799	वाला ग्रा0स0पे0यो0
10-			प्यारेपुर	15	903	हरचन्दपुर पेयजल यो0
11-			कन्हँवा	16	273	जोहवासर्की पे0यो0
12-			पैन्दापुर	17	744	इण्डिया मार्क-II है0प0
13-			दिपारसमऊ	18	1648	जोहवा सर्की पे0यो0
14-			मोहम्मदपुर दिघौरा	19	444	"
15-			स्योंढी	20	1345	"
16-			अम्वाहार	22	132	इण्डिया मार्क-II है0प0
17-			वहिलालगंज	24	367	"
18-			वन्दौरा	28	1625	हरचन्दपुर पे0यो0
19-			शंकरपुर	29	614	वाला पे0यो0
20-			टमनियाटकर	30	526	"
21-			खेर	59	420	इण्डिया मार्क-II है0प0
22-			मुहम्मदमऊ	152	219	"
23-			केवारा	153	243	हरचन्दपुर पे0यो0
24-			मझवववारन			
25-			कन	155	594	इण्डिया मार्क-II है0प0

1	2	3	4	5	6	7
26-			रहनिया	159	847	इण्डिया मार्क-II है0प0
27-			मुहम्मततुल्लागंज	160	1156	"
28-			कटियामऊ	167	253	"
29-			पारा	168	1015	"
30-			अस्तरी	169	130	"
31-			चकरन्ता	171	700	"
32-			हसनापुर	174	370	"
33-			रूकनापुर	179	623 624	"
34-			सलीमपुर	32	693	"
35-			मझईमटना	34	342	"
36-			मझगवाँ हरदोई	33	693	"
37-			गुनावरजमालपुर	35	935	"
			(ब) सामान्यग्राम			
38-			कान्हेन	25	1577	हरचन्द्पुर पे0यो0
39-			हरीपुर	26	1812	"
40-			छाया	27	497	"
II	सतांव		(अ) अभावग्रस्त			
1-			सतांव	182	4753	सतांव पे0यो0
2-			वरदर	183	3127	"
3-			वनकट	184	228	इण्डिया मार्क-II है0प0
4-			कुन्शा	185	8327	"
5-			गढ़ीकुलाराय	186	997	सतांव पेयजल योजना
6-			उनईमहाड़पुर	187	1924	"
7-			गम्भीरपुर	188	352	इण्डिया मार्क-II है0प0
8-			खुसरूपुर	190	482	सतांव पेयजल योजना
9-			हौसेपुर	191	85	इण्डिया मार्क-II है0प0
10-			निरासापुर	192	421	"
11-			गौरीसताव	193	472	"
12-			डैमापुर	194	659	"
13-			शेखापुर	195	318	सतांव पेयजल योजना

1	2	3	4	5	6	7
14-	सतांव		रौला	198	605	इण्डिया मार्क-II है0पं0
15-			सहजौरा	199	1317	"
16-			जैतपुर	200	140	"
17-			मोहद्दीगोविन्दपुर	201	500	"
18-			हाजीपुर	204	3414	"
19-			कोरिहर	205	5684	मलिकमऊचौवारा पे0यो0
20-			मलिकमऊचौवारा	206	1623	"
21-			सहजादपुर	210	473	"
22-			सुल्तानपुरखेड़ा	211	3783	"
23-			अटारावुजुर्ग	215	3520	"
24-			किलौली	217	2510	"
25-			सराय दुगासा	219	668	"
26-			शाहर सिगौरा	221	210	"
27-			मन्हरू	226	2284	"
28-			जजीवनपुर	232	375	"
29-			वला वरौला	233	354	"
30-			अजपुर आइना	234	313	"
31-			जगदलपुर	235	349	"
32-			स्यौली	236	340	"
33-			कामपुर	244	588	"
34-			सरायवुवारकपुर	247	584	"
35-			खास	250	2087	"
36-			आशानन्दपुर	248	325	"
37-			सोनिकामऊ	251	787	"
38-			अटौरा खुर्द	215	922	"
39-			दिदौरा	245	2721	"
40-			चन्दपाल	208	1430	"
			(व) सामान्य ग्राम)			
41-			कनसीरपुर	189	-	"
42-			ओरईपुर	207	2562	मलिकमऊ चौवारा पे0 यो0।

1	2	3	4	5	6	7
43-			चन्दौली	238	450	मलिकमऊ चौबारा पे०यो०
III-	राही		§अ§अभावग्रस्त ग्राम§			
1-			चकबहादुरपुर	264	1	इण्डिया मार्क-II है०प०
2-			चौपाटी	265	19	"
3-			छावनीपुलिस	266	320	"
4-			दौलताबाद	267	136	"
5-			चकशहाबुद्दीनपुर	268	18	"
6-			अकबरपुरकछवाहा	270	1622	"
7-			कोलवापुर	272	~~[illegible]~~	" 383
8-			बीबीपुर मुस्तफा	274	332	"
9-			गोड़वागोडियाना	277	115	"
10-			भुयेमऊ	279	471	"
11-			महरेमऊ	283	288	"
12-			चकदारा	286	685	"
13-			मुलिहामऊ	293	221	"
14-			मोहगवाँ	298	969	"
15-			कुरहटी	200	2171	"
16-			इतिखाना	304	402	"
17-			कोरचन्दामऊ	305	465	"
18-			कोलहैवतपुर	306	830	"
19-			गद्दीमुत्तवली	316	1503	"
20-			फकरूलहुसेन खेड़ा	324	298	"
21-			खागीपुर तड़वा	327	919	"
22-			जफरापुर	330	660	"
23-			पलिया	335	324	भाँव ग्रा०स०पे०यो०
24-			सरायमाधो	338	1584	इण्डिया मार्क-II है०प०
25-			भाँव	340	1799	भाँव पेयजल योजना
26-			जमानीनानकसरी	341	562	"
27-			इकौना	342	422	"
28-			इकदुनिया	346	348	"
29-			पुरवापरौरा	348	384	इण्डिया मार्क-II है०प०
30-			चकसेम	352	346	भाँव पेयजल योजना ।

1	2	3	4	5	6	7
31–			तालागणितपुर	354	922	इण्डिया मार्क–।।हैO पO
32–			वालेपुर	359	936	"
33–			वेहटाखुर्द	278	1149	"
34–			जगदीशपुर	125	701	"
35–			लोधवारी	301	4495	"
36–			रामपुरवघैल	111	260	"
37–			रघुनाथपुर	313	589	"
38–			चकमधुवेरा	113	299	"
39–			मोहम्मदपुर केसरिया–	337	1337	"
40–			कसेहटी	118	579	"
41–			कचौदामुइद्ददीनपुर	347	1523	"
42–			वेलाभेला	336	6918	"
43–			रामपुरमटेहरी	309	475	"
44–			कासिमपुरवघैल	112	162	"
45–			राजापुर	329	565	"
46–			ऐवनपुर	326	832	"
47–			वसाद्	365	1128	"
48–			मनचितपुर	67	379	इण्डिया मार्क–।।हैO पO
49–			तालपुर	72	554	"
50–			दोहरी	110	392	"
51–			राही।	115	3144	राही पेयजल योजना
52–			वरवारीपुर	122	414	इण्डिया मार्क–।।हैO पO
53–			पिण्डराखुर्द (व) (सामान्यग्राम)	73	661	"
54–			इन्हींनोगवा	299	1143	"
55–			उदरहटी	334	487	"

–:–

1	2	3	4	5	6	7
IV	अमाँवा		§अ§अभावग्रस्त ग्राम			
1-			पहाड़पुर मरदापुर	49	636	इण्डिया मार्क-।। है०प० ।
2-			किशुनपुरमरामचन्द्रपुर	135	575	"
3-			गोकुलपुर	136	39	"
4-			डिघौली	137	793	"
5-			आया	76	600	"
6-			अशरफावाद	79	351	"
7-			वहादुरपुर नगर	83	489	"
8-			वेंता	84	771	"
9-			पहरेमऊ	80	1206	"
10-			मकनपुर	86	801	"
11-			मुजफ्फरपुर	87	211	"
12-			समरहाडा	93	1130	समर हाडा पे०यो०
13-			दुसौती	90	663	"
14-			रसूलपुर	95	307	इण्डिया मार्क-।।है०प०
15-			पड़रई	99	431	"
16-			दाउद नगर	188	705	"
17-			लोधवामऊ	50	944	"
18-			सोथी	48	827	"
			§व§सामान्य ग्राम§			
19-			धूराडीह	91	1406	समर हाडा पे०यो०
20-			पूरे नकी	94	163	"
V	वछराँवां		§अ§अभावग्रस्त ग्राम§			
1-			रामपुर सुदौली	3	2524	इचौली ग्रा०स०पे०यो०
2-			सब्जी	5	908	इण्डिया मार्क-।।है॰ प॰
3-			इचौली	7	3318	इचौलीग्रा॰ स॰ पे॰ यो॰
4-			नीवां	8	617	"
5-			उदरहार	9	349	"
6-			मदाखेड़ा	10	487	"
7-			दरेहेठा	12	286	"

1	2	3	4	5	6	7
8–			सैदपुर वेहटा	13	311	इचौली ग्रा॰ स॰ पे॰ यो॰
9–			रोजामठ	17	2727	"
10–			वन्नाँवा	19	1276	इण्डिया मार्क–।।है॰ प॰
11–			पीठन	23	417	थुलेण्डीपे॰ जल यो॰
12–			करनपुर	24	1802	"
13–			मलिकपुर सैरया	30	369	"
14–			रामपुर मेहद्दीपुर	31	478	"
15–			कला गढ़ी	33	143	"
16–			पहनासा	34	1428	"
17–			उचारी	35	713	"
18–			पटेहर कला	37	515	"
19–			असवा	41	422	"
20–			जलालपुर	26	809	"
21–			जहाँगीराबाद	45	565	इण्डिया मार्क–।। है॰पं॰ ।
22–			तिलण्डा	48	1114	"
23–			मल्हीपुर	93	302	"
24–			टोडरपुर	54	338	"
25–			पलिया	67	408	"
			(ब) सामान्य ग्राम			
26–			कुर्रा	4	2117	इचौली ग्रा॰ स॰ पे॰ यो॰
27–			उमरपुर	25	1035	थुलेण्डी ग्रा॰ स॰ पे॰ यो॰
28–			रसूलपुर	27	867	"
29–			गुजापुर	28	317	"
30–			थुलेण्डी	29	3518	"
31–			मातपुर	32	1299	"
32–			अरहन जेगतपुर	36	1890	"
33–			पड़ारा खुर्द	38	388	"
34–			मरमपुर	39	517	"
35–			वहादुरपुर	30	388	"

1	2	3	4	5	6	7
VI	महराजगंज [अ]		अभावग्रस्त			
1-			कोटवा	88	823	शिवगढ़ पेयजलयो0
2-			नियतकुवँरखेड़ा	91	90	इण्डियामार्क-II है0प0
3-			रामपुर परभनाथ	89	141	,,
4-	भवानीगढ़		भवानीगढ़	84	1929	,,
5-			घुरौना	113	550	,,
6-			राघवपुर	114	1251	,,
7-			हरदोई	115	1369	,,
8-			पखनपुर	121	372	बाला ग्रा0स0पे0यो0
9-			बलराजमऊ	122	164	,,
10-			जिहवा	127	969	इण्डियामार्क-II है0प0
11-			अतरेहटा	332	2205	,,
12-			पाली	100	567	मोन ग्रा0पे0यो0
13-			केर	133	1159	इण्डियामार्क-II है0प0
14-			ज्योना	134	1936	,,
15-			कुसमहरा	136	1024	मोन पे0यो0
16-			डालीपुर	135	186	,,
17-			पोखरनी	138	1114	इण्डियामार्क-II है0प0
18-			कुवँना	139	700	,,
19-			केनपुर	147	252	,,
20-			हलोर	150	1870	,,
21-			जगदीशपुर	87	993	शिवकट्ठ प0यो0
22-			दाउदपुर	257	552	इण्डियामार्क-II है0प0
23-			पल्टू टाँडा	158	158	,,
24-			टाँडा	256	677	,,
25-			मैदानपुर	262	281	,,
26-			ताजद्दीनपुर	199	597	,,
27-			मसैल	198	1406	मोन पे0यो0
28-			अनुयीपुर	200	504	

1	2	3	4	5	6	7
						कमई पे०ऑ०
25-			राजापुर हसीन	259	730	
26-			अबरपुर	260	1053	,,
27-			मलाईपुर	338	215	
28-			तरनपुर	339	994	गढ़हरी ग्रा०स०पे०यो०
29-			जगदीशपुर	340	190	,,
30-			ग्राडरी	341	1517	,,
31-			राजामऊ	342	963	इण्डिया मार्क-।।है०प०
32-			कनपुर	343	481	,,
33-			असयाँवा	344	1000	गढ़हरी पे०यो०
34-			रघनपुर	345	472	इण्डिया मार्क-।। है०प०
35-			कुमौरा	446	441	,,
36-			दैधपरिया	347	857	,,
37-			तैंया	348	324	,,
38-			नरनपुर	349	355	,,
39-			बनरापुर	350	244	गढ़हरी पे०यो०
40-			अहुरी	355	247	,,
41-			बालापुर	361	279	,,
42-			शाहमऊ	362	575	भागीरथपुर ग्रा०स० पे०यो०
43-			अगौंना	363	992	,,
44-			भगीरथपुर	364	1158	,,
45-			तावामऊ	365	674	,,
46-			बेहलनाहसनपुर	366	855	,,
47-			जमुराँवा	337	2247	गढ़हरी पे०यो०
48-			सेमरौता	264	2295	इण्डियामार्क-।।है०प०
49-			नारायनपुर	358	190	,,
50-			विराज	218	1738	,,
51-			रामनगर	219	664	,,
52-			किशुनपुर	220	166	,,
53-			आशापुर	244	1238	,,
54-			पश्चिमतिलोई	248	481	,,

1	2	3	4	5	6	7
		{ब}	सामान्य ग्राम			
29-			जुनिहा	112	214	राघवपुर पे०यो०
30-			सुल्तानपुर	116	286	,,
31-			हाजीपुर	117	193	,,
32-			मोन	137	2664	मोन पे०यो०
VII	तिलोई	{अ}	अभावग्रस्त ग्राम			
1-			ओडी	207	897	समर हाँडा पे०यो०
2-			छींवा	208	441	इण्डियामार्क-II है०प०
3-			अलीपुर	209	665	समर हाँडापे०यो०
4-			जैतपुर	210	193	,, इण्डिया मार्क II है०प०
5-			पेरे करोका	211	200	समर हाँडा पे०यो०
6-			पूरे डोडे	312	294	,,
7-			आशापुर गौरी	214	972	कमई ग्रा०स०पे०यो०
8-			भटमरे	215	972	इण्डिया मार्क-II है०प०
9-			परे बहुबिया	221	212	,,
10			कमई	222	1691	,,
11-			दुधाना	229	256	इण्डियामार्क-II है०प०
12-			उत्तरणारा	230	632	,,
13-			चौरा	231	233	रमई ग्रा०स०पे०यो०
14-			धुनहा	233	82	इण्डिया मार्क-II है०प०
15-			सवितापुर	234	238	रमई पे०यो०
16-			चौबसी	237	947	,,
17-			बरकोट	235	291	,,
18-			बरधरमा	238	457	,,
19-			चिन्ताखुर्द	238	198	,,
20-			चिन्ताबुजुर्ग	240	1576	,,
21-			पाकरगाँव	248	9171	,,
22-			बकली	246	441	तिलोई पे०यो०
23-			तिलोई	247	2766	,,
24-			आवापुरमतनपुर	258	785	इण्डिया मार्क-II है०प०

1	2	3	4	5	6	7
55-			बैरारा	357	1102	इण्डियामार्क-।।है0प0
56-			असनी	352	947	,,
57-			जनापुर	360	839	,,
58-			मैकोईपुरकला	243	740	,,
59-			भेलोई खुर्द	242	290	,,
60-			चिनगारी	223	993	,,
61-			भटसरा	217	932	,,
62-			बेसरबा	224	718	,,
63-			सतगवाँ	261	1224	,,
64-			कूरा	369	2094	,,
65-			लोही	354	657	,,
66-			ढोढ़न	353	1511	,,
67-			सतवा	227	301	,,
68-			असवा	351	979	,,
69-			मिरहामऊ	356	512	,,
		॥ब॥	सामान्य ग्राम			
70-			रमई	228	882	रमई ग्रा0स0पे0यो0
71-			सहवा	227	307	,,
72-			संग्रामपुर	236	413	,,
73-			साँगीपुर	245	386	तिलोई ग्राम समूह पे0यो0
VIII	शिवगढ़	॥अ॥	अभावग्रस्त ग्राम			
1-			पिण्डौरी	69	1145	इण्डियामार्क-।।है0प0
2-			मवइया	70	397	,,
3-			बरहुटा खुर्द	72	883	,,
4-			सूरजपुर	76	974	,,
5-			बैठी	77	2462	शिवगढ़ पे0यो0
6-			कुम्भी	78	1266	,,
7-			रामपुर भोलागढ़	80	353	,,
8-			पिपरी	81	670	,,
9-			शिवगढ़	85	1015	,,
10-			गूढ़ा	96	3253	इण्डियामार्क-।।है0प0

1	2	3	4	5	6	7
11-			खजूरी	97	1999	इण्डियामार्क-।।है०पं०
12-			नारायनपुर	100	961	,,
13-			ओसाह	104	982	,,
14-			भवानीपुर	101	57	,,
15-			शंकरगढ़	157	319	,,
16-			मदगोसाईं	164	177	,,
17-			टहिगवॉं	165	1006	शिवगढ़ पे०यो०
18-			रानीखेड़ा	166	159	इण्डियामार्क-।।है०पं०
19-			ऐनापुर	168	569	,,
20-			रीवॉं	111	1161	,,
21-			वाजियापुर	172	590	,,
22-			राजापुर सीवॉं	181	445	
		[ब]	सामान्यग्राम			
23-			टेकवा	79	735	शिवगढ़ पे०यो०
24-			शिवली	82	598	,,
25-			डोबवामऊ	83	1089	,,
26-			संशायछत्रधारी	86	848	,,
27-			नटई	92	206	,,
28-			रामपुर खास	94	624	,,
29-			नयारामपुर	95	555	,,
30-			जडाऊगंज	158	939	,,
31-			कसनी	159	608	,,
32-			राजापुर	160	407	,,
33-			बदावर	161	445	,,
34-			कुमरहा	162	1097	,,
	[X] सिंहपुर	[अ]	अभावग्रस्तग्राम			
1-			रस्तमऊ	250	2989	रस्तामऊ पे०यो०
2-			काछी	251	815	,,
3-			रानीपुर	252	266	,,
4-			हसनापुर	153	422	,,
5-			फूला	254	3801	,,
6-			सैबराजपुर	255	1736	,,

1	2	3	4	5	6	7
7-			दादूपुर	256	1327	रस्तामऊ पे0यो0
8-			गोधना	257	455	इण्डिया मार्क-II है0प0
9-			नवलियाकालापुर	266	1052	पेन्डारा ग्राम स0 पे0यो0
10-			रामपुर पंवारा	267	1002	,,
11-			खस्ता	268	1148	,,
12-			पेन्डारा	267	1571	,,
13-			गयन	271	433	,,
14-			बुण्डरिया	270	724	,,
15-			टिकरा	274	1635	खरॉवा ग्राम समूह पे0यो0
16-			लमी	275	500	,,
17-			खरॉवा	276	1190	,,
18-			निढवापुर	277	147	,,
19-			नगवामऊ	278	383	,,
20-			जैतपुर	282	1043	सातनपुरवा ग्रा0स0 पे0यो0
21-			रूई	284	1122	,,
22-			जगवपुर	283	763	,,
23-			राजापट्टी	285	277	सातनपुरवा ग्रा0स0 पे0यो0
24-			बेहटा उतरहा	286	1452	पेन्डारा ग्रा0स0 पे0यो0
25-			खरगपुर	287	561	,,
26-			खारा	288	5208	सिंहपुर ग्राम स0 पे0यो0
27-			अहोरवा	289	627	,,
28-			गढ़ी महावल	290	668	सातनपुरवा ग्रा0स0 पे0यो0
29-			सातनपुरवा	292	3251	,,
30-			अशारफपुर	290	422	इण्डिया मार्क-II पे0यो0
31-			चिलौली	299	1329	,,
32-			कोटिया	300	1965	सातनपुरवाग्राम स0पे0यो0
33-			होंगी	301	693	इन्हौना पे0यो0

1	2	3	4	5	6	7
34-			सरैया सलारपुर	302	4491	इन्हौंना पे0यो0
35-			इन्हौंना	303	4680	,,
36-			सराय माधो	304	607	,,
37-			सहिया	305	949	,,
38-			कठौरा	306	2352	,,
39-			अजादपुर	307	2453	,,
40-			महमूदसराय	308	108	,,
41-			गोपालपुर	310	101	इन्हौंना पे0यो0
42-			भटीपुर	311	551	,,
43-			सिंहपुर	312	1215	सिंहपुर ग्रा0समूह पे0यो0
44-			पटियारी	313	134	इण्डियामार्क-II है0प0
45-			पडरैया	316	3093	सिंहपुर पे0यो0
46-			जैनग	315	801	बनभरिया ग्राम समूह पे0यो0
47-			राजगंज	316	417	इन्हौंना ग्राम समूह पे0यो0
48-			मियागंज	317	259	,,
49-			अहमदाबाद पिपरी	318	1215	,,
50-			राजापुर	319	1409	इण्डिया मार्क-II है0प0
51-			भीखापुर	320	1449	रस्तामऊ पे0यो0
52-			सिंहपुर	321	1789	बनभरिया ग्राम समूह पे0यो0
53-			करनगाँव	322	1009	,,
54-			जतिया	323	474	,,
55-			इचौली	324	900	इन्हौंना पे0यो0
56-			मिर्जापुर	325	606	बनभरिया ग्राम समूह पे0यो0
57-			सिधौली	327	812	,,
58-			बनभरिया	326	1036	,,
59-			सुहुरा	328	1209	,,
60-			बरहुआ	329	2824	,,

1	2	3	34	45	56	67
61-			करनगाँव	330	1542	बनभरिया ग्रा०समूह पे०यो०
62-			यूसुफनगर	331	879	,,
63-			मिर्चागिढ़	333	1047	,,
64-			खानपुर चकरा	334	2112	रस्तामऊ ग्रा०स०पे०यो०
		§ब§	सामान्य ग्राम			
65-			मोहइया बंदरिया	272	2443	पिण्डारा ग्रा०स० पे०यो०
66-			भानीपुर	291	878	सातनपुरवा ग्रा०स० पे०यो०
67-			धीरापुर	309	600	इन्हौना ग्रा०स०पे०यो०
68-			मत्तेपुर	332	1203	बनभरिया ग्रा०स० पे०यो०
	X लालगंज	§अ§	अभावग्रस्त ग्राम			
1-			सराय कुर्मी	272	630	बेहटा कला पे०यो०
2-			रेवारी पतिया	273	687	,,
3-			बंदराई	274	1649	,,
4-			बेहटा कला	275	4145	,,
5-			शाहपुर	276	399	,,
6-			महेशखेड़ा	277	857	,,
7-			प्रतापपुर	270	491	,,
8-			बहरामपुर	279	491	,,
9-			गोहलामऊ	280	173	,,
10-			गुनागर खेड़ा	281	70	,,
11-			उदावा मऊ	282	685	,,
12-			सॉढ़ी	283	142	,,
13-			जगत मिचौरा	284	1301	,,
14-			चम्पतपुर	285	444	,,
15-			विसौरा महेशा खेड़ा	286	1371	,,
16-			सराय बहेरिया खेड़ा	287	1102	सराय बहेरिया खेड़ा पे०यो०
17-			झरावर रहीदी-पट्टी	288	888	बेहटा कला पे०यो०

1	2	3	4	5	6	7
18-			नरेन्द्रपुर	289	170	इण्डियामार्क-।। है0प0
19-			मैदेमऊ	290	106	,,
20-			पलिया बिसनपुर	291	849	अम्बारा पश्चिम पे0यो0
21-			कनका पुर	292	353	खजूर गाँव पे0यो0
22-			चौसिया	294	168	इण्डियामार्क-।।है0प0
23-			गंगामऊ	293	850	अम्बारा पश्चिम पे0यो0
24-			बाजपेईपुर	297	396	बाजपेईपुर ग्रा0स0 पे0यो0
25-			टीला	295	421	इण्डियामार्क-।।है0प0
26-			शाहपुरबदगधा	296	191	,,
27-			गेगासों	298	1386	खजूरगाँव पे0यो0
28-			जनेवा कटरा	299	478	,,
29-			खजूरगाँव	300	3129	,,
30-			पीठापुर पहरिया	301	922	,,
31-			सोला	302	156	इण्डियामार्क-।।है0प0
32-			लालूमऊ	303	874	,,
33-			गौरासई परिउन-लापुर	304	1854	,,
34-			चिलौला	305	2876	बाजपेईपुर ग्राम स0 पे0यो0
35-			सडाँसी	306	2423	बन्नामऊ पे0यो0
36-			उत्तरागौरी	307	2856	अम्बारा पश्चिमपे0यो0
37-			अम्बारा पश्चिम	308	2668	,,
38-			सोभवापुर	309	913	,,
39-			विशुनखेड़ा	310	810	इण्डियामार्क-।।है0प0
40-			अनुपार	311	651	अम्बारा पश्चिम पे0यो0
41-			सेमरा पट्टी	312	4403	,,
42-			कोरिहर	313	1054	,,
43-			चरिहा	314	451	बन्नामऊ पे0यो0
44-			सूदन खेड़ा	315	186	इण्डियामार्क-।।है0प0
45-			आलमपुर	316	835	बन्नामऊ पे0यो0
46-			चाँदा	318	615	,,

1	2	3	4	5	6	7
47-			राजेगाँव	319	785	बन्नामऊ पे0यो0
48-			यूसुफपुर	320	1071	,,
49-			बन्नामऊ	321	846	,,
50-			शेखवापुर	324	266	,,
51-			गोविन्दपुर इतौली	325	5772	,,
52-			जमुनाबाद	329	594	,,
53-			चाँदाटीकर	334	1272	,,
54-			पखरूद्दीनपुर	335	332	,,
55-			रजौली	336	996	,,
56-			लालगंज	328	6951	लालगंज पे0यो0
57-			मटेहना	283	552	बेहटा कला पे0यो0
58-			खानपुर कल्लूपुर	384	129	,,
59-			फतेहसराय	386	112	इण्डियामार्क-।।है0प0
60-			गहरी	387	2542	बेहटा कला ग्राम स0पे0यो0
61-			सराय	388	545	इण्डियामार्क-।।है0प0
62-			बरहा	389	990	बेहटा ग्रामस0पे0यो0
63-			सम्बरी	385	698	इण्डियामार्क-।।है0प0
64-			जोगापुर बीरगाँव	390	2622	इण्डियामार्क-।।है0प0
65-			सकतपुर	391	1225	बन्नामऊ पे0यो0
66-			देवपुर	92	479	इण्डियामार्क-।।है0प0
67-			उगाबाद	110	719	बन्नामऊ पे0यो
68-			हरीपुर	112	707	बेहटा कला पे0यो0
69-			पूरे अवरी	113	435	,,
70-			धन्तीपुर	114	492	,,
71-			दयालपुर	115	361	,,
72-			धनाबाद	116	862	बन्नामऊ पे0यो0
73-			मुबारकपुर	117	496	बेहटा कला पे0यो0
74-			रानीपुर	118	659	बन्नामऊ पे0यो0
		§ब§	सामान्य ग्राम			
75-			लैधकपुर	322	610	,,
76-			मोहम्मदमाऊ	326	367	,,
77-			त्रिवेदीपुर	323	334	,,

1	2	3	4	5	6	7
78-			दतौली	327	1477	बन्नामऊ पे०यो०
79-			कानमऊ	330	377	,,
80-			साइस्तावाद	331	485	,,
81-			बेहनीगुस्तफाबाद	333	1503	,,
82-			भावपुर	317	407	बन्नामऊ ग्रा० स०पे०यो०
83-			बहाई	332	5194	,,
XI सरेनी		३३१	अभावग्रस्त ग्राम			
1-			देवपुर	119	93	पहुरी ग्रा०स०पे०यो०
2-			उमरापुर	124	363	रामखेड़ा पे०यो०
3-			बक्सी खेड़ा	126	62	,,
4-			रसूलपुर	128	985	,,
5-			रामखेड़ा	127	474	,,
6-			मुरारमऊ	134	1493	,,
7-			रामपुर खुर्द	138	172	इण्डिया मार्क-II है०प०
8-			डूँडी	139	233	भोजपुर ग्रा०स०पे०यो०
9-			तेरुई	140	36	,,
10-			मोहनापुर	141	110	,,
11-			जैगोपालगंज	146	12	,,
12-			तिवारीपुरकलाँ	147	237	,,
13-			दलीपुर	148	734	,,
14-			भोजपुर	149	3354	,,
15-			लालपुर	150	74	,,
16-			उसरू	154	1888	इण्डिया मार्क-II है०प०
17-			खेमनखेड़ा	157	395	भोजपुर ग्रा०स०पे०यो०
18-			चन्दमनखेड़ा	159	318	इण्डियामार्क-II है०प०
19-			दुर्जनपुर	163	281	भोजपुर ग्रा०स०पे०यो०
20-			भरवा खेड़ा	165	189	,,
21-			चहोत्तर	166	1009	,,
22-			दूलपुर	167	465	,,
23-			दौलतपुर	169	461	,,
24-			सॉडा पुर	170	126	,,
25-			हरीपुर	174	673	,,

1	2	3	4	5	6	7
26-			चिन्ताखेड़ा	178	462	भोजपुर ग्राम स0 पे0यो0
27-			हैबतपुर खुर्द	179	565	,,
28-			राजापुर	180	197	,,
29-			गहरौली	181	1865	,,
30-			तेवारीपुरखुर्द	186	211	,,
31-			निसगर	187	1406	फिरोजपुर पे0यो0
32-			कोटिया-ऐहतमाली	188	892	इण्डियामार्क-II है0प0
33-			जुगन्नाथपुर	189	295	फिरोजपुर पे0यो0
34-			अलीपुर	190	181	,,
35-			सराय खेड़ा	193	1034	,,
36-			रावतपुर काला	195	918	,,
37-			कसबा बदलू	196	352	,,
38-			कासी खेड़ा	197	447	,,
39-			दूलापुर	204	1027	गोविंदपुर पे0यो0
40-			बहादुरपुर	206	1064	,,
41-			रामपुर	210	898	,,
42-			दुधवन	211	1343	फिरोजपुर पे0यो0
43-			सैदापुर	213	663	,,
44-			रामपुर कला	219	1736	,,
45-			सहाननपुर	231	664	राजपुर पे0यो0
46-			हैबतपुर कला	222	693	,,
47-			रौतापुर	223	356	,,
48-			रालपुर	224	2353	,,
49-			सिधरवारा	225	1131	,,
50-			मूसापुर	226	1125	,,
51-			रमईखुर्द	227	257	,,
52-			सागर खेड़ा	228	1177	,,
53-			कंजास	229	539	,,
54-			गोपालीखेड़ा	232	543	,,
55-			रामगाँव	233	248	,,
56-			काल्हीगाँव	234	784	,,

1	2	3	4	5	6	7
57-			चकूमर	235	268	रालपुर पे0यो0
58-			दरियापुर	236	350	गोविंदपुरपे0यो0
59-			पासन खेड़ा	237	349	,,
60-			तेजगाँव	238	1177	,,
61-			रासी गाँव	239	575	राजपुर पे0यो0
62-			लखनगाँव	240	902	सरायबहेकरिया खेड़ा पे0यो0
63-			बतियापुर	241	237	राजपुर पे0यो0
64-			चकचुहिया	243	457	,,
65-			उद[illegible]ार	244	190	,,
66-			डोंविया	245	4008	,,
67-			बरूवाहार	246	300	,,
68-			पर्वत खेड़ा	247	207	सराय बहेरियाखेड़ा पे0यो0
69-			मलकेगाँव	248	1437	,,
70-			धाम पुर	249	525	गोविंदपुर पे0यो0
71-			हथनासा	250	1627	,,
72-			धनपालपुर	251	1206	,,
73-			गौतमखेड़ा	252	272	पहुरी पे0यो0
74-			हसनापुर	254	634	,,
75-			तजई खेड़ा	255	804	,,
76-			ठगेवा	256	288	,,
77-			रमईपुरकला	257	754	सरेनी पे0यो0
78-			लखनपुर	258	865	,,
79-			सरेनी	259	1011	,,
80-			पल्ठीखेड़ा	260	1649	गोविंदपुर पे0यो0
81-			लक्षई खेड़ा	177	699	भोजपुर पे0यो0
82-			खाचपुर	261	622	सरेनी पे0यो0
83-			सारूपुर	262	420	राम खेड़ा पे0यो0
84-			भूरेमऊ	263	1825	,,
85-			पीठूपुर	264	397	,,
86-			खोदे	265	767	,,
87-			चान्दपुर	266	213	पहुरी पे0यो0

1	2	3	4	5	6	7
88-			सब्लीबावरी	267	72	,,
89-			प्रेम चाक	268	1115	रामखेड़ा पे०यो०
90-			खुसादास खेड़ा	269	320	पहुरी पे०यो०
91-			सेतवा खेड़ा	270	666	इण्डियामार्क-11है०प०
92-			पहुरी	271	2547	पहुरी पे०यो०
		{ब}	सामान्य ग्राम			
93-			हुल्लापुर	135	1041	रामखेड़ा पे०यो०
94-			कुडरी	136	676	भोजपुर पे०यो०
95-			मंगतपुर	242	215	,,
96-			कटकहा	143	620	,,
97-			बरसाईंतपुर	144	678	,,
98-			पाठकपुरनामपुर	145	318	,,
99-			मन्दापुर	155	245	,,
100-			पाठक खेड़ा	156	312	,,
101-			माधवपुर	168	881	,,
102-			चककटी	175	66	,,
103-			गोसाईंखेड़ा	176	280	भोजपुर पे०यो०
104-			भूपतपुर	182	164	,,
105-			पुरुषोत्तमपुर	185	83	,,
106-			पूरनपुर	191	237	फिरोजपुर पे०यो०
107-			नींवी	198	930	गोविंदपुर पे०यो०
108-			मरदीपुरमझंगाँव	199	524	,,
109-			भवानीपुर	200	190	,,
110-			छमनीखेड़ा	201	206	,,
111-			रानीखेड़ा	202	961	,,
112-			बिठली	203	297	,,
113-			गोविंदपुर	205	967	,,
114-			धरीखेड़ा	207	388	,,
115-			हमीरगाँव	208	1569	,,
116-			वादापुर	209	366	,,
117-			गोण्डा	212	398	फिरोजपुर पे०यो०
118-			धवलिया	214	1706	,,

1	2	3	4	5	6	7
119-			मधुरपुर	215	833	फिरोजपुर पे0यो0
120-			हिलौली	216	345	,,
121-			फिरोजपुर	217	363	,,
122-			हसपर	218	311	,,
123-			बरूवा	220	1236	रालपुर पे0यो0
124-			भींटा	230	369	,,
125-			देव खेड़ा	231	102	,,
126-			सैदापुर	242	686	,,
127-			चकमनिया	253	292	पहुरी पे0यो0
XII	डलमऊ	31	अभावग्रस्त ग्राम			
1-			देवगाँव	262	260	ऐहार पे0यो0
2-			ढकौली	369	277	,,
3-			ऐहार	370	3777	,,
4-			सुल्तानपुरजाला	378	388	,,
5-			बरस	372	775	,,
6-			गंगापुर बरस	382	666	,,
7-			तेरूखा	387	25055	इण्डिया मार्क-II है0पं0
8-			रंजीतपुर लोनारी	397	441	,,
9-			सड़वरा	399	575	,,
10-			कुटप्ट	400	1809	,,
11-			कुँवरमऊ अहोरी	404	437	,,
12-			पकरा पिरफता	406	437	,,
13-			मलपुरा	408	514	,,
14-			पुरवारा	411	1593	,,
15-			अहेरिया	412	462	,,
16-			सैगता	420	519	,,
17-			राधाबालपुर	421	452	,,
18-			अमरा	422	194	,,
19-			सुरसना	425	422	,,
20-			गफरपुर उपरा-तालीलौबाद	426	372	,,
			भरसना	427	661	,,

1	2	3	4	5	6	7
22-			सन्तूपुर	428	520	इण्डियामार्क-।।है0प0
23-			कन्धरपुर	429	489	,,
24-			फेकरामऊ	430	173	,,
25-			खालिकपुर	435	1314	पखरौली पे0यो0
26-			सलीमपुर	436	556	इण्डियामार्क-।।है0प0
27-			रामपुर टप्पा	437	1290	,,
28-			डलमऊ स्लर	441	1323	पखरौली पे0यो0
29-			बरारा बुजुर्ग	449	2796	,,
30-			बिसुनदासपुर	451	659	इण्डियामार्क-।।है0प0
31-			दासी परान	452	152	,,
32-			पखरौली	460	2084	,,
33-			सूरजपुर	461	395	इण्डियामार्क-।।है0प0
34-			अभिरनपुरकला	405	408	,,
35-			बलीपुर	401	1058	,,
36-			गौरा उबरनी	402	441	,,
37-			गोदीपुर	403	145	,,
38-			जगतपुर	417	644	,,
39-			बरवनिया	418	171	,,
40-			चन्दपुर	419	478	,,
41-			उबरनी	407	554	,,
		॥ब॥	सामान्य ग्राम			
42-			बावन भीटी	377	1254	बाजपेईपुर पे0यो0
43-			उमरामऊ	356	879	ऐहार पे0यो0
44-			दीपेमऊ	365	565	,,
45-			रानामऊ	373	359	,,
46-			पिलखा	374	972	,,
47-			टिकैरन	375	455	,,
48-			दाउदपुर राम-नगर	376	331	,,
49-			अहमदापुर पेटा	377	269	ऐहार पे0यो0
50-			बसन्तपुर कोठअयाँ	378	1232	ऐहार पे0यो0
51-			हसनापुर	379	1020	,,
52-			अवस्थीपुर	380	950	,,

1	2	3	4	5	6	7
53-			बालापुर	381	149	हैदर पे0यो0
54-			मधुकरपुर	383	926	,,
55-			कुड़वल	384	1593	,,
56-			रिसालपुर का पुरवा	336	405	बन्नामऊ पे0यो0
57-			साठावल	367	1514	,,
XIII जगतपुर [ब]			अभावग्रस्त ग्राम			
1-			चाँद लूक	462	508	इण्डियामार्क-II है0प0
2-			मिर्जापुर सूरजपुर सवासी	463	296	,,
3-			कल्यानपुरबंती	464	324	,,
4-			जमुनीपुर	465	127	,,
5-			इकडल	466	130	,,
6-			तारापुर वासी	467	460	,,
7-			नरहरपुर	468	497	,,
8-			धर्मीपुर	469	432	,,
9-			रसूलपुर बरावाँ	428	1207	,,
10-			नेवादीपट्टी	472	308	,,
11-			खेमा चन्दपुर	474	85	,,
12-			हजरपुर उर्फजहानपुर	475	154	,,
13-			भीरनपुर	473	411	,,
14-			जलालपुर धई	490	2824	,,
15-			अलीपुर चकराई	491	603	,,
16-			सुकठा हरदो	492	1449	,,
17-			सूरजपुर अलावारा	499	400	,,
18-			दुर्गापुर	500	254	,,
19-			बिन्नावा	512	866	,,
20-			अलावलपुर	526	1190	,,
21-			तिवारीपुर	534	465	,,
22-			अमोढ़ी	544	490	जगतपुर पे0यो0
23-			उड़वा	546	1523	,,
24-			धरमदासपुर	563	466	इण्डियामार्क-II है0प0
25-			ओझनी वासा	564	620	जगतपुर पे0यो0
26-			मनहर सरकी	580	666	इण्डियामार्क-II है0प0

1	2	3	4	5	6	7
27-			मकदूमपुर उर्फ मुनिमोंबाद	581	355	इण्डियामार्क-11है०प०
28-			पूरे सैदराज	582	126	,,
29-			सेब अलीपुर	583	111	,,
30-			पूरे नसीरन	584	508	,,
31-			भगवन्तपुर बन्द-तोहा	588	1585	,,
32-			मतवल्लीपुरखान-साहेब	592	3315	,,
33-			सुदामापुर	586	3315	,,
34-			गौरा हरदो	514	3460	,,
35-			कितुली	598	615	,,
36-			मुरेठी	515	545	,,
37-			कुरौलीबुधकर	408	1010	,,
38-			रामपुर कतौली	513	458	,,
39-			गौराखतपरी	501	970	,,
40-			बेहीखोर	527	1313	,,
41-			खजुरी	577	1059	,,
42-			एकडसा	466		,,
43-			अम्बारा मथई	519	1574	,,
44-			छिदेमऊ	576	417	,,
		(ब)	सामान्य ग्राम			
45-			सराय श्री बक्स	533	920	जगतपुर पे०यो०
46-			जगपत्ती दामोदर	536	180	,,
47-			जगपत्ती कसक	537	133	,,
48-			सनहुवा	538	439	,,
49-			सममदीपुर	539	317	,,
50-			भीख	540	1288	,,
51-			नवाबपुर	541	633	,,
52-			हैबता मवैया	542	689	,,
53-			कोटिया	543	332	,,
54-			उसरी	545	615	,,
55-			सिंहपुर	547	516	,,
56-			बहरौली	548	230	,,

1	2	3	4	5	6	7
57-			विभियाबाड़ी	549	412	जगतपुर पे0यो0
58-			दौलतपुर	530	506	,,
59-			सिंधौर	557	441	,,
60-			शांकरपुर	552	563	,,
61-			मनोहरगंज	563	569	,,
62-			पुरबगाँव	554	1149	,,
63-			रामगढ़ टिकरिया	535	2079	,,
64-			रजैया गोकुलधारस	558	394	,,
65-			रजैया गोकुलपुर	557	555	,,
66-			बेदीहार	539	402	,,
67-			टंघन	561	726	,,
68-			जगतपुर	562	2726	,,
69-			डोमहाखुर्द	572	814	,,
70-			जिगना	573	642	,,
71-			इब्राहीमपुर जड़िया	574	539	,,

1	2	3	4	5	6	7
IV	खीरों	[अ]	अभावग्रस्त ग्राम			
1-			धुराई	17	2040	इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प ।
2-			कुरसण्डी	23	682	मझिगवां पेयजलयोजना
3-			हुसैनाबाद	25	393	खीरोंपेयजलयोजना
4-			मदनापुर	30	514	इण्डिया मार्क-II है0पम्प
5-			भीतर गाँव	32	5192	,,
6-			मेडौली	39	1426	,,
7-			सुकराहा [कुनकहा]	[41]	1915	,,
8-			बरवलिया	48	527	,,
9-			टिकवा मऊ	49	528	,,
10-			मोनहा	50	678	,,
11-			सुरजपुर गुमानेखेड़ा	59	572	,,
12-			मझिंगवां	63	364	मझिगँवा पेयजल योजना।
13-			सराय महमूद	65	222	,,
14-			गिरजापुर	66	320	,,
15-			देवगाँव	70	701	,,
16-			सन्तपुर	77	2021	बेहटा कला पेयजल योजना
17-			देवती	93	239	खरगापुरपेयजल योजना।
18-			वसवन खेड़ा	100	324	मझिगवा पेयजल योजना
19-			सेमरी	101	3232	खरगापुरपेयजल योजना
20-			बकुलिहा	102	1659	,,
21-			कान्हमऊ	103	624	पहुरी पेयजलयोजना
22-			सिद्धौर	106	636	सेमरी पेयजल योजना
23-			बीजेमऊ खापर	105	1448	पहुरीपेयजलयोजना
24-			भीतरी	107	1653	खरगापुर पेयजल योजना
25-			अफसरी	109	305	,,
26-			चक खरगापुर	108	1336	,,
27-			चक महराज	99	163	मझिंगवापेयजल योजना।

1	2	3	4	5	6	7
28-			मालपुर	104	419	पहुरी पेयजल योजना
29-			लच्छीपुर	96	1170	इण्डियामार्क II है०प०
30-			रमवापुर दोवाई	97	1077	,,
31-			हरीपुर नि:हस्था	72	382	,,
32-			बरौला	28	120	,,
33-			रामपुर मजरा	31	177	,,
34-			खण्डेपुर खानपुर	60	423	,,
35-			चन्दौसी	5	665	,,
36-			नानामऊ	6	711	,,
37-			नुनेरा	42	773	,,
38-			बेरी	4	1042	,,
39-			हरीराम खेड़ा	39	170	,,
40-			अकोहरिया	40	567	,,
41-			जसमऊ	37	1310	,,
42-			लोदीपुर	15	404	,,
43-			लोटावा वदनपुर	7	3116	,,
		[ब]	सामान्य ग्राम			
44-			खीरों	27	4169	खीरों पेयजल योजना
45-			उदयपुर	68	484	मझिगांवा पेयजल योजना
46-			महौली	78	525	बेहटा कला पेयजल योजना
47-			पूरे भवानी	79	160	,,
48-			कुम्हरांवा	80	1407	,,
49-			दोस्तपुर	81	222	,,
50-			नरसिंहपुर	82	409	,,
XV	ऊँचाहार [अ]		अभावग्रस्त ग्राम			
1-			खान आलमपुर सेथव	317	285	मिर्जापुर ऐहारी पेयजल योजना
2-			मिर्जापुर ऐहारी	319	1468	,,
3-			धमौली	320	327	इण्डिया मार्क-II हैण्ड पम्प।

1	2	3	4	5	6	7
4-			पट्टी पीठा	324	119	इण्डियामार्क-II हैण्ड0
5-			धौरहरा	326	384	रसूलपुर पेयजल योजना
6-			सुमेरपुर खास	328	184	मिर्जापुर ऐहवरी पे0यो0।
7-			टिक्करगढ़	332	209	इण्डियामार्क-II हैण्ड0
8-			उमरन	335	2070	कमालपुर पेयजल योजना।
9-			ढाकूपुर	336	99	इण्डियामार्क-II हैण्ड0
10-			परसीपुर	337	335	कमालपुर पे0यो0
11-			कमालपुर	341	607	,,
12-			उसरैना	344	1596	रसूलपुर पे0यो0
13-			सूहापार	352	124	ब्रम्हजीतपुरपे0यो0
14-			हरवंशपुर	353	91	,,
15-			इचौली	355	501	,,
16-			अलीभ्रमर	356	446	,,
17-			वरमजीतपुर	357	318	,,
18-			भीखमपुर	360	162	इण्डियामार्क-II हैण्ड0
19-			गौरा	361	160	ब्रम्हजीतपुर पे0यो0
20-			सरेनी	363	847	,,
21-			लालचन्दपुर इकोनियाँ	365	505	इण्डियामार्क-II हैण्ड0
22-			सुन्दरपुर	367	290	,,
23-			कोसेह	368	189	,,
24-			आइमा जहानिया	376	495	,,
25-			नरायनपुर	377	233	,,
26-			जैरामपुर	382	114	ऊँचाहार पे0यो0
27-			मलखाना	383	143	इण्डिया मार्क-II हैण्ड0
28-			खलीलपुर खुर्द	384	116	,,

1	2	3	4	5	6	7
29-			फरीदपुर	388	154	ऊँचाहार पे०यो०
30-			रसूलपुर	345	3275	रसूलपुर पे०यो०
31-			वाभनपुर	389	325	इण्डियामार्क-II है०प०
32-			हमीपुर	394	261	,,
33-			धमधमा	396	273	,,
34-			मालपुर उसवन	400	321	,,
35-			जमालपुर माली	401	269	,,
36-			पैन्दापुर	406	177	,,
37-			डिडौली	408	1185	मिर्जापुर रेहारी पे०यो०
38-			नदौरामाफी	409	356	,,
39-			परधनपुरनदौरा	410	908	इण्डियामार्क-II है०प० ।
40-			भागीपुर	415	257	,,
41-			गोपापुर	416	148	,,
42-			सराय हरदो	428	771	,,
43-			भवानीपुर	429	287	,,
44-			इटौरा बुजुर्ग	430	5981	मिर्जापुर पे०यो०
45-			इलहदा	436	459	,,
46-			गन्धवी	438	175	गन्धवी पे०यो०
47-			राम साँडा	439	744	,,
48-			दौलतपुर	440	391	,,
49-			रजनपुर	441	181	इण्डियामार्क-II है०प०
50-			बहरपुर	445	163	,,
51-			मिजाइनातुल्ला-पुर	446	186	गन्धवी पे०यो०
52-			सहजादपुर	447	746	,,
53-			कोटिया चित्रूप	448	1973	,,
54-			बंधरावाँ	554	4572	बंधरावां पे०यो०
55-			गंगोली	455	1613	,,
56-			सेमापुर नेवादी	457	1138	ऊँचाहार पे०यो०
57-			मोहम्मदपुर बदऊ	459	150	कन्धरावाँ पे०यो०

1	2	3	4	5	6	7
58-			पुट्टी हराख कैथवल	460	2750	कन्धरावाँवा पे0यो0 ,,
59-			हरी बन्धनपुर	461	98	,,
60-,			पूरे खूबचन्द	464	510	,,
61-			दैतौली	468	535	इण्डिया मार्क-II पे0यो0
62-			कटरा बहादुरगंज	467	2578	,,
63-			निरंजनपुर	391	317	,,
64-			खानपुर	390	89	,,
65-			सविया धनी	404	1244	,,
66-			कल्याणपुर	422	149	,,
67-			रामचन्द्र पुर	425	535	,,
68-			पाछी खेड़ा	443	107	,,
69-			गोपना	450	418	,,
70-			सरायभान	451	483	,,
71-			खरौली	452	1925	,,
72-			सकिया मीरा	403	437	,,
73-			ईश्वरदास पुर	420	385	,,
74-			नेवपदा	413	353	,,
75-			सेमरीराम पुर	414	345	,,
76-			मिर्जापुर	418	280	,,
77-			हजारीबाग	398	138	,,
78-			मवौदामऊ	325	219	,,
79-			हटवा	407	373	,,
80-			जामीगढ़	453	33	,,
81-			तामसगढ़	316	131	,,
82-			चन्दराई	434	510	,,
83-			मतरौली	435	1345	इण्डिया मार्क-II है0प0
84-			सदिया हसन	405	1069	,,
85-			बकनीपुर	322	112	,,
86-			सराय तुलाराम	417	347	,,
87-			सलारपुर	432	200	,,

1	2	3	4	5	6	7
88-			केवल नायनपुर	424	21	इण्डिया मार्क-II है०प०
89-			खालिस पुरकला	411	612	,,
90=			मानिकपुर कहरी	442	414	,,
91-			सबिया राय	402	197	,,
92-			छतोना सखवी	329	766	,,
93-			रामपुर	327	573	,,
94-			रहानिया	323	1174	,,
95-			परेममोरम	308		,,
96-			मखरा	371	608	,,
97-			मवई	362	890	,,
98-			किशुनदासपुर	421	1473	,,
		(ब)	सामान्य ग्राम			
99-			धासपुर	310	169	मिर्जापुर ऐहारी पे०यो०
100-			मेरामऊ	346	-	रसूलपुर पे०यो०
101-			बेहरामऊ	358	742	ब्रह्मजीतपुर पे०यो०
102-			तेहरवा	395	661	ऊँचाहार पे०यो०
103-			ऊँचाहार	456	4719	,,
104-			खोजनपुर	458	710	,,
105-			जगवारीपुर	462	443	कन्दरा वा पे०यो०
106-			कल्यानी	463	603	,,
107-			करहट	315	328	मिर्जापुर पे०यो०
XVI	सलोन	(अ)	अभावग्रस्त ग्राम			
1-			सलोन	190	7971	सलोन टी०ए०शी०
2-			पकसरांवा	250	1661	इण्डियामार्क-II है०प०
3-			गुड़वाहसनपुर	254	483	मिर्जापुर ऐहारी पे०यो०
4-			सैम्बसी	356	2140	इण्डिया मार्क-II है०प०
5-			चकनेक नगार	259	268	,,
6-			रेवली	263	1023	पासी ग्राम स०पे०यो०
7-			पूरे मोहम्मदपुर उमरपुर	265	143	,,

1	2	3	4	5	6	7
8-			अतर धरैया	266	1466	पारी ग्रामपे0यो0
9-			बराडीह	293	499	इण्डियामार्क-II हैं0प0
10-			बटवेता	296	298	,,
11-			टिकरिया सासुकाडीह	297	418	,,
12-			मुठिया	298	303	,,
13-			पारी	302	3273	पारी ग्राम पे0यो0
14-			परसोराम पुर-टेकाई	304	414	इण्डियामार्क-II हैं0प0
15-			पहरहरी	306	553	पारी पेयजल यो0
16-			प्यारेपुर	210	529	इण्डियामार्क-II हैं0पम्प ।
17-			रतासौन	208	2065	,,
18-			जमुखाबुंजुर्ग	286	959	,,
19-			रामपुर वम्हीहा	203	406	,,
20-			सिरसिरा	200	1269	,,
21-			केशवपुर	195	471	,,
22-			रतनपुर	186	344	,,
23-			बरवलिया	194	1589	,,
24-			मादापुर	270	1790	,,
25-			कहुआ	271	284	,,
26-			राजापुरमाफी	185	912	,,
27-			नगहा	214	858	,,
28-			पामगंज	275	140	,,
29-			जमुखाखुर्द	287	408	,,
30-			रामपुर महेवा	291	422	,,
31-			सिरसिधियापुर	272	291	,,
32-			पूरे भीटा	258	208	,,
33-			सेमरी बरासर	283	674	,,
34-			अलाईपुर	290	202	,,
35-			सतवा	257	148	,,
36-			बवानी	253	2512	,,
37-			कन्डी	280	632	,,

1	2	3	4	5	6	7
38-			डमरी	278	952	इण्डियामार्क-II ह०प०
39-			मुर्तजानगर	279	584	,,
40-			राजापुर चकबीबी	241	601	,,
41-			रालपुर	242	346	,,
42-			अमरूपुर	243	158	,,
43-			पूरे मोहम्मद	240	120	,,
44-			भवानीपुर	244	947	,,
45-			मोहम्मदाबाद	248	620	,,
46-			जहानपुर	245	346	,,
47-			तासीपुर	229	932	,,
48-			टुबहन	239	1920	,,
49-			आसकाबाद	247	863	,,
50-			केवली महिमा	246	804	,,
51-			गद्दीपुर	189	161	,,
52-			सूची	289	2177	,,
53-			इटारा	295	436	,,
54-			नायन	281	970	,,
55-			कटेहा	273	567	,,
56-			सैदपुर	314	287	,,
57-			तिवारीपुर	299	561	,,
58-			रेवहारा	277	952	,,
59-			सहवाजपुर	188	409	,,
60-			जिजवलिया	182	760	,,
61-			इच्छन गोड़ा	201	5,52	,,
62-			सनीपुर	251	321	,,
63-			धरई	228	3004	,,
64-			कपूरीपुर	233	364	,,
65-			दादूपुर	293	328	,,
66-			फरीदगढ़	284	186	,,
67-			बघौला	285	1223	,,
68-			जमुरखा बुजुर्ग	286		,,
69-			मकदूमपुर	187	766	,,
70-			शिकोहाबाद	264	10	,,

1	2	3	4	5	6	7
71-			गोवा	294	207	इण्डियामार्क-II है०पं०
72-			सेहरी	307	1117	,,
73-			गरछावन	288	1067	,,
74-			कागगंज	253	59	,,
75-			घुरहट	253	328	,,
76-			गोपालपुर	312	131	,,
77-			राघवपुर	236	413	,,
78-			समतपुर खालसा	252	531	,,
79-			टिकरिया भाट	221	258	,,
80-			चकमिर्जा पट्टी	231	199	,,
81-			जोहदा	220	1362	,,
82-			सन्डा सैदन	193	1136	,,
83-			कल्लू ज[illegible]पुर	205	565	,,
84-			केवलपुर	234	292	,,
85-			अव[illegible]ीसरा	191	68	,,
		(ब)	सामान्य ग्राम			
86-			करमुआ	200	536	पारी पे०यो०
87-			इसइया	261	1254	,,
88-			खैराबाद	262	79	,,
89-			खातीचारा	267	631	,,
90-			सोमवरसा	261	307	,,
91-			मटका	269	1625	,,
92-			फतेहाबाद	300	140	,,
93-			नबाबाद	301	67	,,
94-			अलीगंज	303	441	,,
95-			हरपुरहल्ला	305	959	जगतपुर पे०यो०
96-			खैराहनीपहाड़गढ़	309	1898	पारी पेयजल योजन
97-			भगवानपुरबढ़ैया	310	390	,,
98-			हरकिशनपुर-टिकरा	313	157	,,
XVII	बहादुरपुर	(अ)	अभावग्रस्त ग्राम			
1-			कुटवर गंज	1	590	इण्डियामार्क-II है०पं०

1	2	3	4	5	6	7
2-			मोहम्मदपुर	2	462	प ीठी पे०यो०
3-			पीायो	3	3820	पीठी पे०यो०
4-			खालिसपुर	4	1413	,,
5-			जमालपुर	5	905	,,
6-			सेवसी	8	628	पीठी पे०यो०
7-			केसरिया	11	1417	,,
8-			सरॉवा	10	431	,,
9-			निगोही	14	2104	उदारी पे०यो०
10-			चकडोरामऊ	15	190	उड़वा पे०यो०
11-			केसहीसलीमपुर	16	1037	,,
12-			कदेहरा	17	339	पीठी पे०यो०
13-			नवाबा	18	1508	उड़वा पे०यो०
14-			उड़वा	19	1976	,,
15-			दौलतपुर सिधरा	20	442	,,
16-			सराय मेहेशा	22	2401	,,
17-			मोहना	23	3148	,,
18-			पूरेमोदराम	24	475	बहादुरपुर पे०यो०
19-			मवई आलमपुर	27	1233	उदारी ग्रा०स०पे०यो०
20-			मुबारकपुर मोवनिया	225	967	बहादुरपुर पे०यो०
21-			खरौली	28	75	उदारी पे०यो०
22-			तांहीपुर	40	40	अशरफपुर पे०यो०
23-			बेहटा मुर्तजा	38	658	नसीराबाद पे०यो०
24-			चकमलेहरा	39	27	अशरफपुर०पं०यो०
25-			जेरमजहिर	52	138	चौधराना पे०यो०
26-			गोदियाना	54	3356	इण्डिया मार्क-।। है०प०
27-			जवाहर गंज	55	131	अशरफपुरपे०यो०
28-			बहादुरपुर	56	433	बहादुरपुर पे०यो०
29-			भीरापुर सैदाना	57	490	इण्डिया मार्क-।। है०प०
30-			महमूदपुर	58	170	चौधराना पे०यो०
31-			चौधराना	53	2204	,,

1	2	3	4	5	6	7
32-			पूरे नेवाज	60	320	अशरफपुर पे0यो0
33-			अरसादपुर	61	329	चौधराना पे0यो0
34-			रतवाज	62	196	,,
35-			बघैल	29	536	उद्धारी पे0यो0
36-			चकभूर	30	382	,,
37-			उद्धारी	31	2545	,,
38-			बोदीभोलामऊ	36	418	नसीराबाद पे0यो0
39-			चकभैयरा	37	227	उदारी पे0यो0
40-			किशनपुर केवई	9	1155	इण्डियामार्क-II हैoपo
41-		(ब)	सामान्य ग्राम			
41-			सदैना	7	560	पीठी पे0यो0
42-			भदरैयामहमूदपुर	12	1455	उदारी पे0यो0
43-			वसौनी	13	550	,,
44-			हरीपुर परवार	21	[illegible]	[illegible] पे0यो0
45-			चकवेसना	26	-	उदारी पे0यो0
46-			तेंदुआ	32	2056	,,
47-			केतपुरमवईया	33	930	,,
XVIII	डीह	(अ)	अभावग्रस्त ग्राम			
1-			लोधीपुर	93	53	कुवॅरमऊ पे0यो0
2-			ब्रहमजीतपुर	94	31	,,
3-			वरधानपुर	95	364	इण्डियामार्क-II हैoपo
4-			पूरेशिवबक्स	96	77	,,
5-			हमौरीपट्टी	98	242	डीह पे0यो0
6-			खरिका	97	65	कुवॅरमऊ पे0यो0
7-			सिरसी	99	463	डीह पे0यो0
8-			कमालपुर बड़ैला	100	514	कुवरमऊ पे0यो0
9-			बिरनॉवा	101	5000	इण्डियामार्क-II हैoपo
10-			पूरे वरसी	105	257	,,
11-			बहुतई	117	757	,,
12-			मऊ	110	3366	,,

1	2	3	4	5	6	7
13-			बेमौरा	123	1980	पी०पी०पे०यो०
14-			टेकारी डाँडू	127	2789	डीह पे०यो०
15-			निगोंही	128	925	,,
16-			गोड़वा	129	501	,,
17-			कौरापुर गौरया	131	387	,,
18-			कचनावा	132	1460	,,
19-			सादीपुर कोटवा	133	708	,,
20-			पोल	134	122	,,
21-			डीह	137	4961	,,
22-			घिसीढ़	140	404	इण्डिया मार्क-।। है०प०
23-			गोविन्दपुर	141	295	,,
24-			जगदीशपुर	130	2055	डीह पे०यो०
25-			पूरब नायक	143	630	इण्डिया मार्क-।। है०प०
26-			शिवनाथपुर	145	249	,,
27-			पीढ़ी	147	349	डीह ग्रा०स०पे०यो०
28-			सातनपुरवा	148	105	कुवॅरमऊ पे०यो०
29-			अटवी	154	984	इण्डिया मार्क-।। है०प०
30-			पूरेधाममऊ	150	424	,,
31-			किशुनपुर	160	281	,,
32-			बछवलपुर	172	271	,,
33-			हाजीपुर	175	[illegible]51	,,
34-			खमरियापूरेकुशाल	183	952	,,
35-			ककरहा	184	139	,,
36-			गोपालपुर	144	1016	,,
		॥ब॥	सामान्य ग्राम			
37-			रोखा	119	4617	डीह ग्राम समूह पे०यो०
38-			बेला	130	1350	,,
39-			गाँधवा	135	314	,,
40-			अहल	136	760	,,
41-			बीकनपुर	151	141	कुवरमऊ पे०यो०
XIX	छतोह	॥अ॥	अभावग्रस्त ग्राम			
1-			मोहम्मदपुर नकसाल	35	376	उदारी ग्रा०स०पे०यो०

1	2	3	4	5	6	7
2-			नसीराबाद	41	5663	नसीराबाद पे0यो0
3-			बेढ़ौना	42	805	,,
4-			आलमपुर	43	720	कुँवरमऊ पे0यो0
5-			कुँवरमऊ	44	2652	,,
6-			हरीरामपटेहरी	45	260	,,
7-			लहमा	46	1461	अशरफपुर पे0यो0
8-			अशरफपुर	47	2099	,,
9-			कोलवा	48	1058	,,
10-			बरखुरदारपुर	49	757	,,
11-			नगदैयापुर	51	541	,,
12-			सराय महेशा	63	861	,,
13-			कासिमपुर	64	673	,,
14-			बारी	65	642	,,
15-			अलीपुर	66	450	,,
16-			मैलिया	67	1176	,,
17-			काँटा	68	816	,,
18-			तारापुर	69	371	,,
19-			उरहा	70	1383	,,
20-			डीघा	71	639	,,
21-			अब्दूमऊ	72	547	सन्डहा ग्रा0स0पे0यो0
22-			अटौरा	76	363	,,
23-			परैयानमकसार	74	2118	,,
24-			बवनपुर	75	1970	नसीराबाद पे0यो0
25-			सन्डहा	76	1789	सन्डहाग्रा0स0पे0यो0
26-			रजियापुर	77	497	,,
27-			पूरे राय	78	183	,,
28-			मकदूमपुर	79	604	,,
30-			भुवालपुर	84	152	कुँवरमऊ ग्रा0स0पे0यो0
31-			बासीपुर	102	451	,,
32-			छतोह	104	1616	,,
33-			गढ़	105	879	,,
34-			मैदापुर	106	802	,,

1	2	3	4	5	6	7
35-			चतुरपुर	107	607	कुँवरमऊ ग्रा०स०पे०यो०
36-			कुकहा	108	657	,,
37-			कोडवा	109	494	नसीराबाद पे०यो०
38-			बराँवा	164	642	इण्डिया मार्क-।।पेयो०
39-			सुजवरिया	81		,,
40-			बेवल	80		,,
		[ब]	सामान्य ग्राम			
41-			[illegible]लपुर हवैया	34	637	उदारी ग्रा०स०पे०यो०
42-			काजीपुर [illegible]लयानी	50	1429	अशारफपुर पे०यो०
43-			कपूर पुर	103	671	कुँवरमऊ पे०यो०
44-			केशावपुर मव[illegible]या	33		उदारी पे० योजना

20–पिछड़ी, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
(31–3–86 की स्थिति)

क्र0	विकास खण्ड/ संसदीय क्षेत्र	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां सामान्य कोर्स संख्या			प्राविधिक एवं पेशेवर कोर्स		
		क–पिछड़ी जातियां	ख–अनुसूचित जातियां	ग–अनुसूचित ज0जातियां	क–पिछड़ी जातियां	ख–अनुसूचित जातियां	ग–अनुसूचितज0 जातियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1–	हरचन्दपुर	25	14	–	–	–	–
2–	सतांव	37	32	–	–	–	–
3–	राही	424	562	–	196	130	–
4–	अमांवां	–	–	–	–	–	–
5–	डलमऊ	–	–	–	–	–	–
6–	जगतपुर	–	–	–	–	–	–
7–	खीरों	–	–	–	–	–	–
8–	सरेनी	165	157	–	–	–	–
9–	लालगंज	110	122	–	–	–	–
10–	महराजगंज	37	29	–	–	–	–
11–	शिवगढ़	211	143	–	–	–	–
12–	बछरांवां	205	186	–	–	–	–
13–	ऊँचाहार	37	33	–	–	–	–
	योग रायबरेली सं0क्षेत्र(1–13–)	1251	1278	–	196	130	–
14–	सलोन	89	74	–	–	–	–
15–	बहादुरपुर	1	2	–	–	–	–
16–	छतोह	–	–	–	–	–	–
17–	डीह	–	–	–	–	–	–
18–	सिंहपुर	5	6	–	–	–	–
19–	तिलोई	13	36	–	–	–	–
	योग अमेठी सं0 क्षेत्र(14–19)	108	118	–	–	–	–
	योग जनपद(1-19)	1359	1396	–	196	130	–

स्रोत:–जनपद स्थित हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यालय

–:–

Sub. National Systems Unit,
17-B, Sri Aurbindo Marg, New Delhi
DOC. No. 3856
Date 14/2/87

21- आवास विकास

क्रमांक	मद	इकाई	31-3-1986 की स्थिति
1-	आवास विकास परिषद द्वारा		
	(क) भूमि अर्जन	हे0	29-34
	(ख) भूमि विकास	हे0	15-50
	(ग) उच्च आय वर्ग गृह निर्माण	सं0	-
	(घ) मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण	सं0	30
	(ङ) अल्प आय वर्ग गृह निर्माण	सं0	582
	(च) दुर्बल आय वर्ग गृह निर्माण	सं0	100
2-	जनपद की प्राधिकरण द्वारा		
	(क) भूमि अर्जन	हे0	26-21
	(ख) भूमि विकास	हे0	26-21
	(ग) उच्च आय वर्ग गृह निर्माण	सं0	-
	(घ) मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण	सं0	20
	(ङ) अल्प आय वर्ग गृह निर्माण	सं0	40
	(च) दुर्बल आय वर्ग गृह निर्माण	सं0	103
3-	अन्य श्रोतों द्वारा (नाम दें)		
	(क) भूमि अर्जन	हे0	0-12
	(ख) भूमि विकास	हे0	0.08
	(ग) उच्च आय वर्ग गृह निर्माण	सं0	-
	(घ) मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण	सं0	-
	(ङ) अल्प आय वर्ग गृह निर्माण	सं0	-
	(च) दुर्बल आय वर्ग गृह निर्माण	सं0	265

-:-

NIEPA DC
D03856

जिला योजना
मानचित्र
जनपद रायबरेली
1987-88
1" इंच = 4 मील
शिवगढ़
महराजगंज
बहादुरपुर
नसीराबाद
तिलोई
खीरों
हरचन्दपुर
शिवपुरी

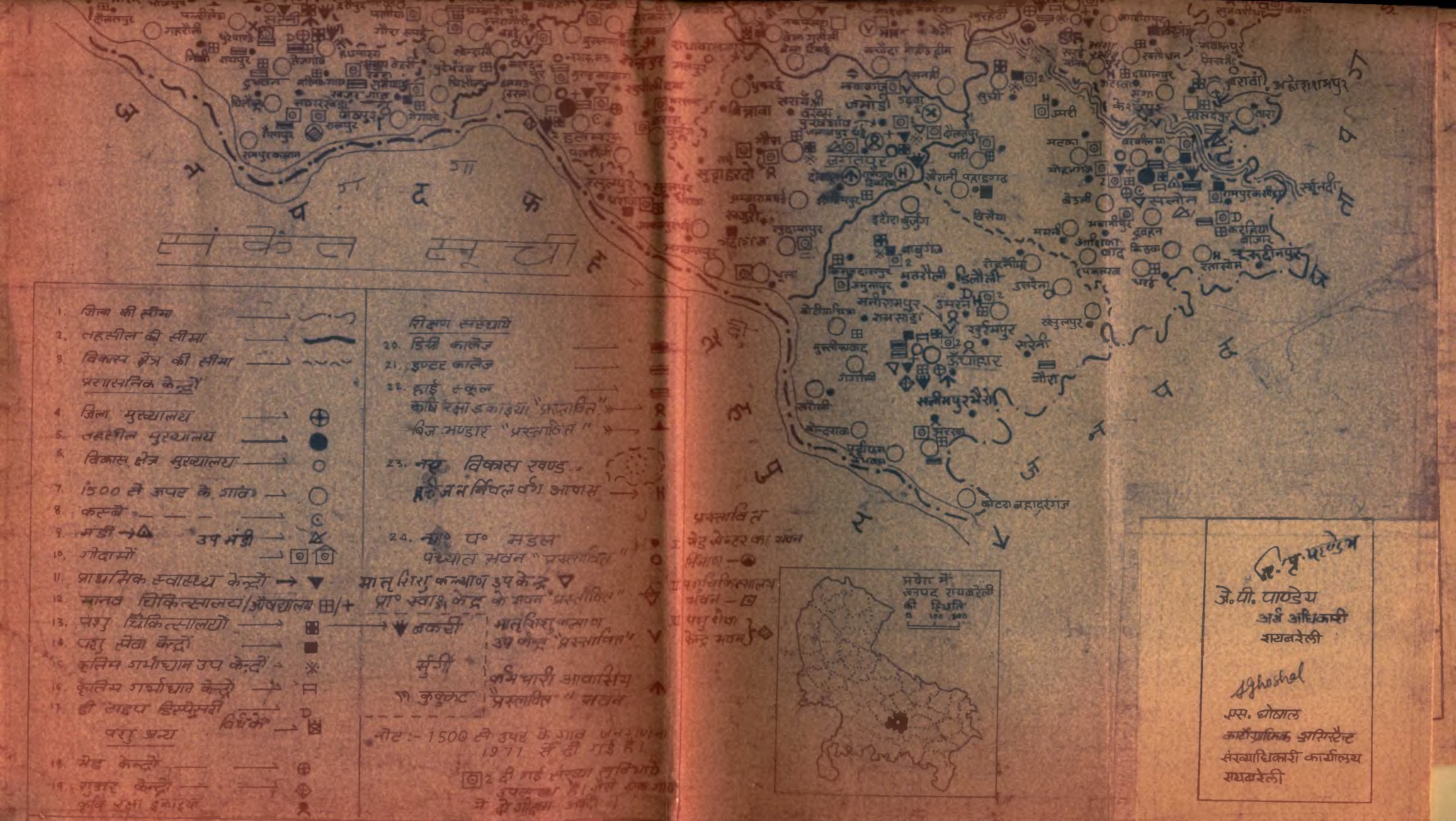
संकेत सूची
1. जिला की सीमा
2. तहसील की सीमा
3. विकास क्षेत्र की सीमा
प्रशासनिक केन्द्रों
4. जिला मुख्यालय
5. तहसील मुख्यालय
6. विकास क्षेत्र मुख्यालय
7. 1500 से ऊपर के गांव
8. कस्बे
9. मंडी उप मंडी
10. गोदामों
11. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों
मातृ शिशु कल्याण उपकेन्द्र
12. मानव चिकित्सालय/औषधालय
प्रा० स्वा० केन्द्र के भवन "प्रस्तावित"
13. पशु चिकित्सालयों
बकरी
14. पशु सेवा केन्द्रों
मातृ शिशु कल्याण उप केन्द्र "प्रस्तावित"
15. कृत्रिम गर्भाधान उप केन्द्रों
मुर्गी
16. कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों
कर्मचारी आवासीय प्रस्तावित भवन
17. डी टाइप डिस्पेन्सरी
कुक्कुट
पशु क्रय
18. भेड़ केन्द्रों
19. सुअर केन्द्रों
कृषि रक्षा इकाइयां
शिक्षण संस्थायें
20. डिग्री कालेज
21. इण्टर कालेज
22. हाई स्कूल
कृषि रक्षा इकाइयां "प्रस्तावित"
बीज भण्डार "प्रस्तावित"
23. नए विकास खण्ड
हरिजन निर्बल वर्ग आवास
24. न्याय प० मंडल
पंचायत भवन "प्रस्तावित"
नोट:- 1500 से ऊपर के गांव जनगणना 1971 से ली गई है।
प्रस्तावित
पशु चिकित्सालय भवन
पशु सेवा केन्द्र भवन
प्रदेश में जनपद रायबरेली की स्थिति
जगतपुर
डलमऊ
सलोन
ऊंचाहार
जे.पी. पाण्डेय
अर्थ अधिकारी
रायबरेली
एस. घोषाल
कार्टोग्राफिक असिस्टेंट
संख्याधिकारी कार्यालय
रायबरेली

1987-88
जिला योजना
मानचित्र
जनपद रायबरेली
0 4 8
1" इंच = 4 मील
उ
शिवगढ़
बछरावाँ
महराजगंज
हरचन्दपुर
सताँव
खिरों
अमावाँ
राही
रायबरेली
बहादुरपुर
सरेनी
लालगंज
ढीह

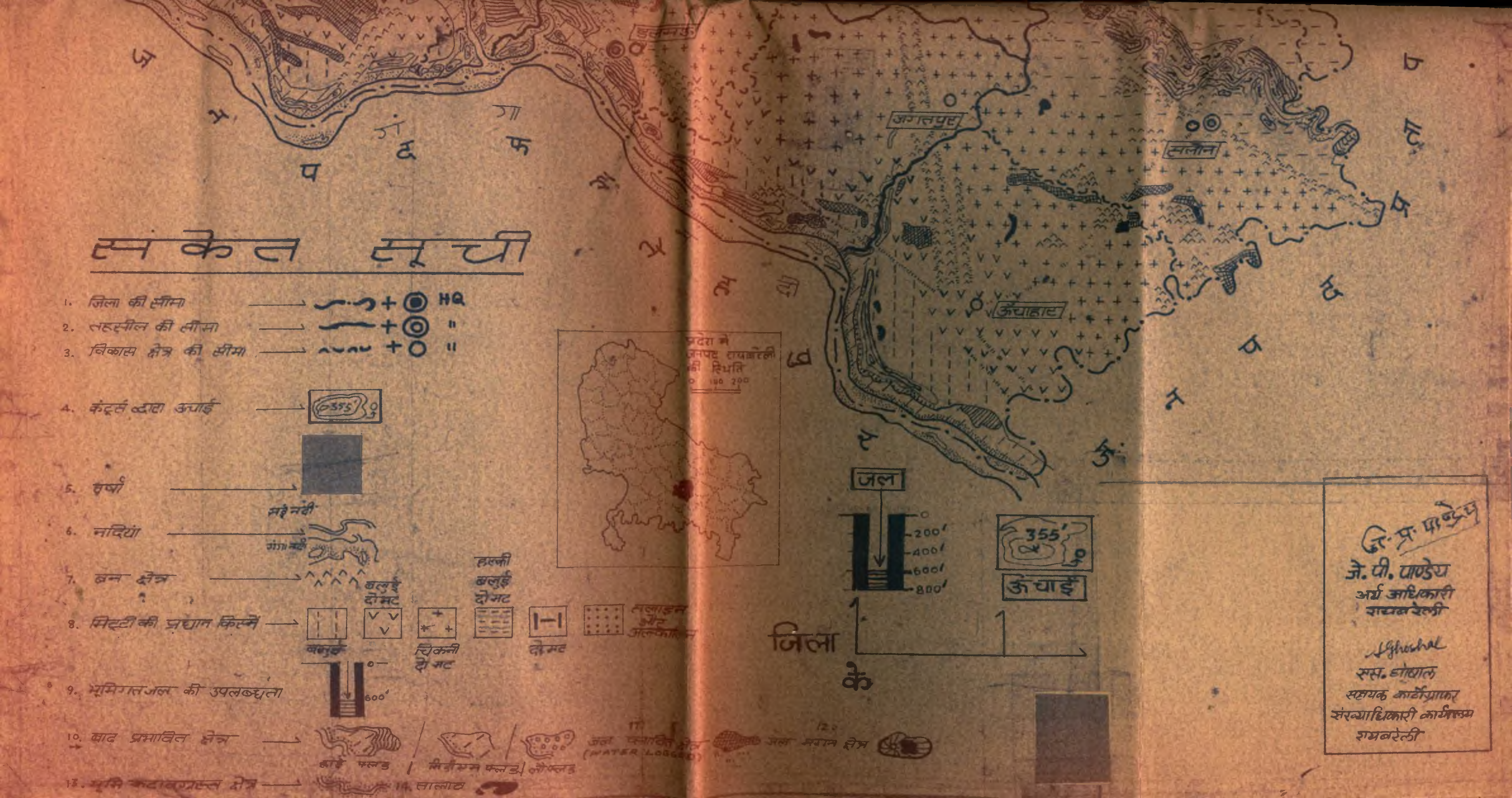
संकेत सूची
1. जिला की सीमा HQ
2. तहसील की सीमा
3. विकास क्षेत्र की सीमा
4. कंटूर्स द्वारा ऊंचाई
5. वर्षा
6. नदियां
गंगा नदी
7. वन क्षेत्र
8. मिट्टी की प्रधान किस्में
बलुई दोमट
हल्की बलुई दोमट
चिकनी दोमट
दोमट
9. भूमिगत जल की उपलब्धता
600'
10. बाढ़ प्रभावित क्षेत्र
(WATER LOGGED)
14. तालाब
जगतपुर
सलोन
ऊंचाहार
जल
0
200'
400'
600'
800'
355'
ऊंचाई
जिला
के
जे. पी. पाण्डेय
अर्थ अधिकारी
S. Ghoshal
एस. घोषाल
सहायक कार्टोग्राफर
संख्याधिकारी कार्यालय
रायबरेली

जिला योजना मानचित्र

जनपद रायबरेली

1987-88 4

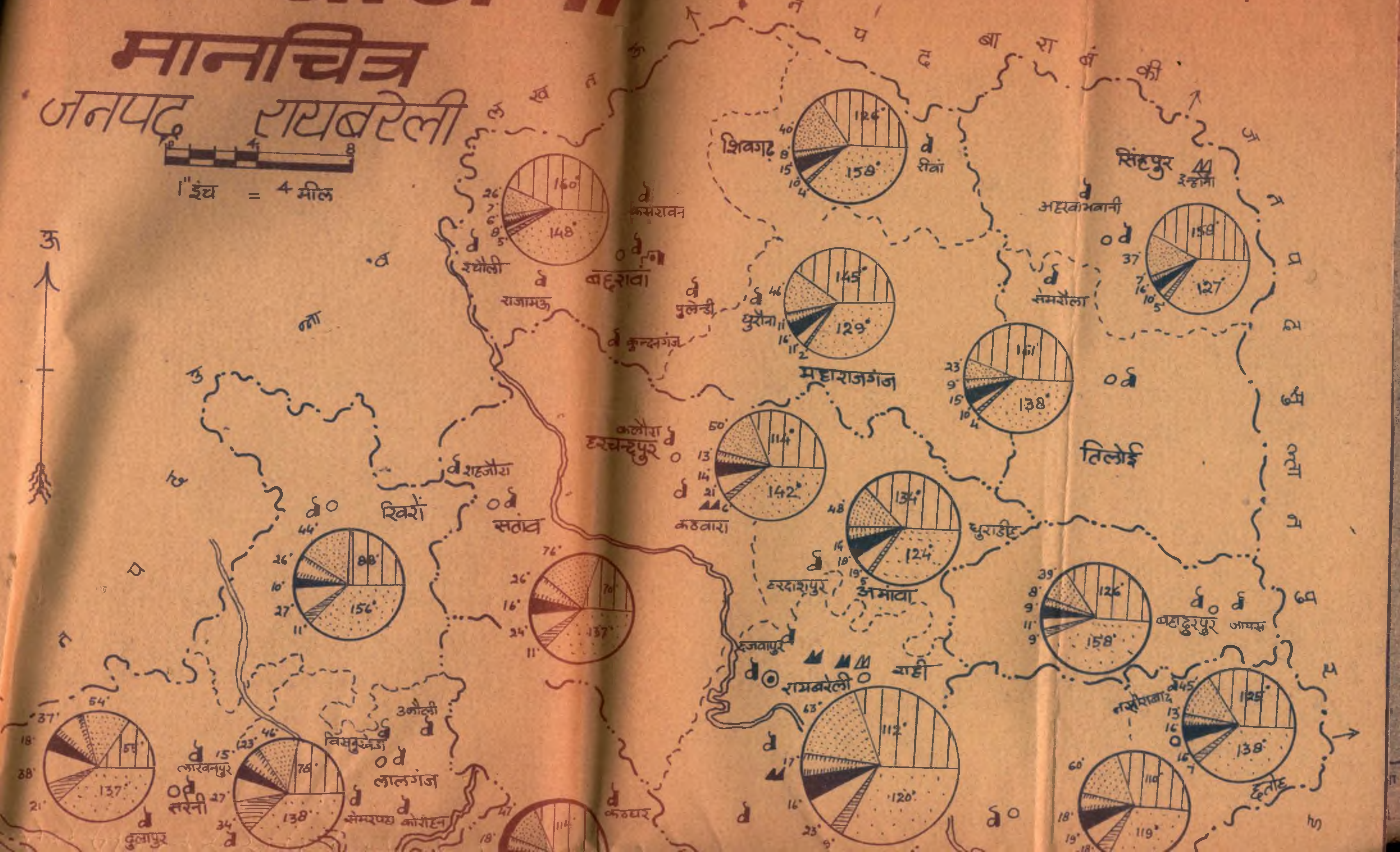

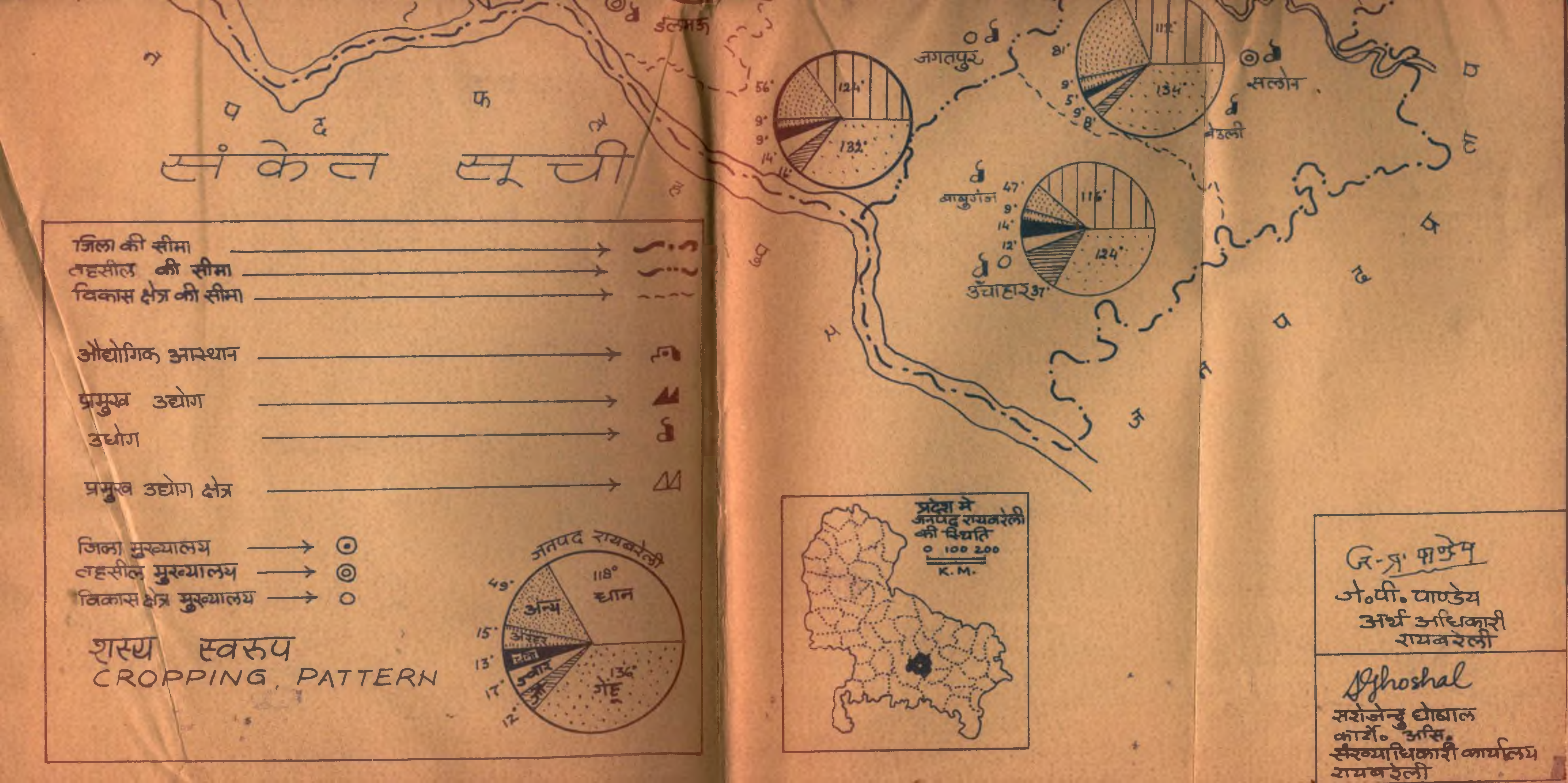
डलमऊ
जगतपुर
सलोन
बेडली
बाबूगंज
ऊँचाहार
संकेत सूची
जिला की सीमा
तहसील की सीमा
विकास क्षेत्र की सीमा
औद्योगिक आस्थान
प्रमुख उद्योग
उद्योग
प्रमुख उद्योग क्षेत्र
जिला मुख्यालय
तहसील मुख्यालय
विकास क्षेत्र मुख्यालय
शस्य स्वरुप
CROPPING PATTERN
जनपद रायबरेली
118° धान
136° गेहूँ
49° अन्य
15° अरहर
13° चना
17° ज्वार
12° जौ
प्रदेश मे जनपद रायबरेली की स्थिति
0 100 200
K.M.
जे०पी० पाण्डेय
अर्थ अधिकारी
रायबरेली
S. Ghoshal
सरोजेन्दु घोषाल
कार्य० असि०
संख्याधिकारी कार्यालय
रायबरेली